VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

राजव्यवस्था

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2023

(August 2022 to May 2023)

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias_upsc | vision_ias | /VisionIAS_UPSC | www.visionias.in

राजव्यवस्था एवं शासन
(Polity and Governance)

विषय सूची

1. भारतीय संविधान, उसके मुख्य प्रावधान और मूल ढांचा (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure) .. 7

1.1. मूल ढांचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) 7

1.2. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) 8

1.3. अध्यादेश (Ordinance) 9

1.4. बुनियादी अधिकार (Basic Rights) 11

1.4.1. स्वाधीनता (लिबर्टी) एवं स्वतंत्रता (फ्रीडम): (Liberty and Freedom) 11

1.4.2. फ्री स्पीच (वाक् स्वतंत्रता) का अधिकार (Right to Free Speech) 12

1.4.3. हेट स्पीच (Hate Speech) 13

1.4.4. आत्म-अभिशंसन/ आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Self-Incrimination) 14

1.5. आरक्षण (Reservation) 16

1.5.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण {Economically Weaker Sections (EWS) Quota} 17

1.5.2. निजी क्षेत्रक में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector) 18

1.6. जातिगत जनगणना (Caste Census) 20

1.7. पंथनिरपेक्षता (Secularism) 21

1.8. राजद्रोह (Sedition) 22

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure) 23

2.1. संघवाद (Federalism) 23

2.2. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) 23

2.2.1. CBI बनाम राज्य (CBI vs States) 25

2.3. राज्यपाल-राज्य संबंध (Governor-State Relations) 27

2.4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 {National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023} 28

2.5. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) 30

2.6. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) 31

2.7. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-State Border Disputes) 32

2.8. अंतर-राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Disputes) 33

2.9. बहुभाषावाद (Multilingualism) 34

2.9.1. एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language) 34

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना एवं काम-काज(Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning) 37

3.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Power) 37

3.1.1. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Activism and Judicial Overreach) 38

3.2. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) 40

3.3. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) 42

3.4. संसदीय उत्पादकता (Parliamentary Productivity) 44

3.5. अध्यक्ष का पद (Office of Speaker) 45

3.6. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta) 47

3.7. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law) 48

4. न्यायिक और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and Other Quasi-Judicial Bodies) 51

4.1. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointments) 51

4.2. न्यायिक बहुमतवाद (Judicial Majoritarianism) 53

4.3. न्यायपालिका में महिलाएं (Women in Judiciary) 54

4.4. आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice system) 56

4.4.1. दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022 {Criminal Procedure (Identification) Rules, 2022} 56

4.4.2. मॉडल जेल अधिनियम, 2023 (Model Prisons Act, 2023) 59

4.4.3. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) 63

4.4.4. मृत्युदंड (Death Penalty) 65

4.5. भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid in India) 68

4.6. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (Fast Track Special Courts) 69

4.7. ऑनलाइन न्याय वितरण (Online Justice Delivery) 70

4.8. वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) 72

4.9. अधिकरण (Tribunals) 73

4.10. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) 75

4.10.1. सूचना का अधिकार (Right to Information) 77

4.11. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 77

5. भारत में चुनाव (Elections in India) 79

5.1. चुनावी सुधार (Electoral Reforms) 79

5.1.1. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding) 79

5.1.2. चुनाव और प्रौद्योगिकी (Elections & Technology) 81

5.2. चुनाव प्रबंधन निकाय (Electoral Management Bodies: EMB) 82

5.3. दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party Democracy) 84

5.4. चुनावी मुफ्त उपहार (Election Freebies) 86

5.5. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) 88

5.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 88

6. गवर्नेंस (Governance) 92

6.1. सेंसरशिप (Censorship) 92

6.2. फेक न्यूज का विनियमन (Regulation of Fake News) 93

6.2.1. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (Digital Services Act) 95

6.3. प्रौद्योगिकी गवर्नेंस (Technology Governance) 96

6.4. ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन (Regulation of Online Gaming) 97

6.5. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) 99

6.6. स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन (Sports Governance) 100

7. स्थानीय स्वशासन (Local Governance) 103

7.1. भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation in India) 103

7.2. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} 104

7.3. ऑडिट डेटा मानकीकरण (Audit Data Standardisation) 106

7.3.1. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की लेखापरीक्षा (Audit of Local Self Government) 107

7.4. मेयर (महापौर) का पद (Office of Mayor) 109

7.5. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme: ABP) 111

8. विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors) 113

8.1. आधार (Aadhaar) 113

8.2. सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र (Democracy for Social and Economic Welfare) 114

8.3. सहकारिता (Cooperatives) 115

8.3.1. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 {Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022}.......116

परिशिष्ट (Appendix) 119

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2022 तक पूछे गए प्रश्नों (राजव्यवस्था एवं शासन खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए थॉट प्रॉसेस को विकसित करने में मदद करेगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।
- इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:
इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टैटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:
इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें आप तेजी से रिवाइज कर सकें तथा अपने उत्तरों में आसानी से शामिल कर सकें, जिससे आपके उत्तर और आकर्षक व इंफॉर्मेटिव दिखेंगे।

डेटा बैंक
विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण डेटा को जानने और उन्हें रिवाइज करने में आपकी सहायता के लिए, अलग से डेटा बैंक डिजाइन कर उन्हें संबंधित आर्टिकल में जोड़ा गया है।

परिशिष्ट
जल्दी रिविजन के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की सूची
प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि आपको इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

विगत वर्षों के प्रश्न:
बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

न्यायिक निर्णय
इसका उद्देश्य कानून की न्यायिक व्याख्या और कानूनी घटनाक्रमों एवं विधिक विकास को लेकर अभ्यर्थियों की समझ को सुविधाजनक बनाना है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

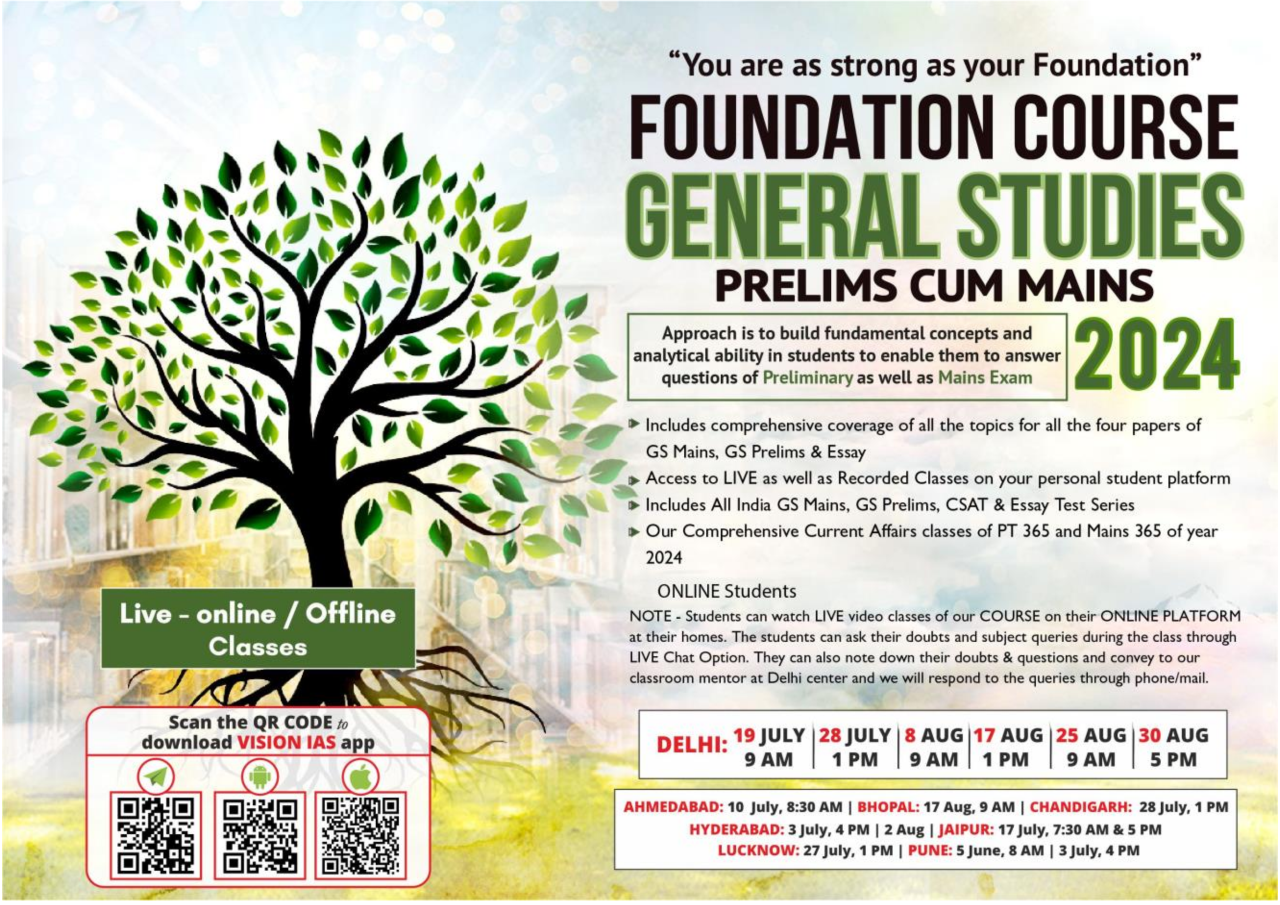
"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2024
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Live - online / Offline Classes
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 19 JULY 9 AM | 28 JULY 1 PM | 8 AUG 9 AM | 17 AUG 1 PM | 25 AUG 9 AM | 30 AUG 5 PM
AHMEDABAD: 10 July, 8:30 AM | BHOPAL: 17 Aug, 9 AM | CHANDIGARH: 28 July, 1 PM
HYDERABAD: 3 July, 4 PM | 2 Aug | JAIPUR: 17 July, 7:30 AM & 5 PM
LUCKNOW: 27 July, 1 PM | PUNE: 5 June, 8 AM | 3 July, 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2023
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)*
PAPER DATES
ESSAY 25 AUGUST
GS - 1 & GS - 2 26 AUGUST
GS - 3 & GS - 4 27 AUGUST
All India Percentile
Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
Available In ENGLISH / हिन्दी
OFFLINE IN 40+ CITIES
AHMEDABAD | AIZAWL | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE | DEHRADUN
DELHI | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GUWAHATI | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI | KOTA | KOLKATA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | PATNA
PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA |
VISAKHAPATNAM

1. भारतीय संविधान, उसके मुख्य प्रावधान और मूल ढांचा (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure)

1.1. मूल ढांचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय (1973) के **50 वर्ष** पूरे हुए हैं। गौरतलब है कि इस वाद से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था।

केशवानंद भारती वाद, 1973 के बारे में

- यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को **"केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य" वाद** में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31** में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था।

- इस वाद की सुनवाई 13 **न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है।**
- **इस वाद से जुड़े कुछ मुख्य निष्कर्ष:**
  - **मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में **24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार** रखा था। साथ ही, यह निर्णय दिया था कि **संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति** प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा **संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं** होना चाहिए।

- **गोलकनाथ वाद के निर्णय को पलट दिया गया:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, दोनों शामिल हैं। साथ ही, संसद की संविधान संशोधन करने की ये शक्तियां एवं विधायी शक्तियां अलग-अलग हैं।
- **अन्य निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर **25वें एवं 29वें संशोधन** के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही, यह भी कहा कि उद्देशिका (Preamble) संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।

मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्त्व	मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में प्रमुख चुनौतियां
• यह संविधान में संशोधन करने की **संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित** करता है। • यह सुनिश्चित करता है कि **संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे।** साथ ही, अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। • इसके तहत **कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण** जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में **संवैधानिक कानून का आधार** बन गए हैं। • यह सुनिश्चित करता है कि **संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो।** • **यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**	• **मूल ढांचे के दायरे को परिभाषित नहीं किया गया है:** 'मूल ढांचे' में क्या-क्या शामिल हैं, इस संदर्भ में प्रायः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे मूल ढांचे की अलग-अलग व्याख्या और भ्रम की संभावना बनी रहती है। • **न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का विस्तार होता है:** उदाहरण के लिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)[1] अधिनियम को रद्द कर दिया था। • **संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है:** उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को हटाने के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसका आधार यह था कि यह कदम संघवाद, पंथनिरपेक्षता और आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-Determination) को कमजोर करता है। ध्यातव्य है कि 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। • **संविधान संशोधन में कठिनाई होती है:** इस सिद्धांत के कारण संविधान में संशोधन करना कठिन हो सकता है, भले ही ऐसे संशोधन बदलती सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य ही क्यों न हों।

आगे की राह

- **परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही, कोर्ट द्वारा उन मूल्यों एवं मौलिक सिद्धांतों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए, जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- **इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए:** इस सिद्धांत को सभी मामलों में सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके।
- **न्यायिक सक्रियता को सीमित किया जाना चाहिए:** न्यायालयों को संविधान की व्याख्या तथा मूल ढांचे के संरक्षण संबंधी कार्यों में संयम बरतना चाहिए। साथ ही, न्यायालयों को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संसद की भूमिका का भी सम्मान करना चाहिए।
- **जन जागरूकता और जन भागीदारी होनी चाहिए:** मूल ढांचे के सिद्धांत के महत्त्व और देश के शासन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इससे मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रति जन समर्थन के निर्माण और संविधान के संरक्षण में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

1.2. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधान मंत्री से राज्य में आरक्षण से संबंधित के संशोधित प्रावधानों को **नौवीं अनुसूची** में शामिल करने का आग्रह किया है। ये संशोधित प्रावधान **राज्य में 76 प्रतिशत आरक्षण** का उपबंध करते हैं।

[1] National Judicial Appointments Commission

नौवीं अनुसूची के बारे में

- **नौवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के ऐसे कानूनों की सूची** दी गई है, जिन्हें **न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती है।
  - इसे **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 31B** सम्मिलित करके संविधान में जोड़ा गया था।
  - अनुच्छेद 31B में कहा गया है कि **नौवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी अधिनियम/ विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा,** कि वे किसी भी अधिकार के साथ असंगत हैं।
  - **अनुच्छेद 31B प्रकृति में पूर्वप्रभावी (Retrospective) है।** वर्तमान में, इस **अनुसूची में 284 अधिनियम/ कानून** शामिल हैं। इनमें से अधिकतर कृषि और भूमि कानूनों से संबंधित हैं।

नौवीं अनुसूची की आलोचना

- **यह मूल अधिकारों के विरुद्ध है:** नौवीं अनुसूची **केंद्रीय और राज्य कानूनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है**। इससे संविधान द्वारा गारंटीकृत **मूल अधिकारों को लागू करने में बाधा** आती है।
- **यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है:** यह अदालतों को अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति से वंचित करती है।
  - **एल. चंद्र कुमार वाद (1997)** में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कि **न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की अनिवार्य विशेषता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति** अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित हैं।
- **इसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है:** संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल करने का **प्राथमिक उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक जांच और सुधार में देरी से बचाना** था। हालांकि, समय के साथ, इसमें ऐसे विषय शामिल किए गए जिनका संबंध **भूमि सुधारों,** मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSPs) **से नहीं रहा है।**
- **यह राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का साधन बन गया है:** संविधान में शामिल किए जाने के बाद से, नौवीं अनुसूची का लगातार विस्तार होता रहा है और वर्तमान में इसमें 287 अधिनियम शामिल हैं। इस वजह से, इस अनुसूची में और भी **कानूनों को शामिल करने की मांग की जा रही है ताकि** इन्हें **संवैधानिक वैधता की जांच से बचाया जा सके।** उदाहरण के लिए, **तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून** भी नौवीं अनुसूची में शामिल है।

निष्कर्ष

संविधान में शामिल किए जाने के समय, नौवीं अनुसूची को भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक साधन माना गया था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रावधान महत्वपूर्ण थे। हालांकि, इस प्रावधान की ऐतिहासिक कार्यप्रणाली से पता चलता है कि इसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और वर्तमान में ऐसे कानूनों की आवश्यकता पर फिर से विचार करना अनिवार्य हो गया है।

1.3. अध्यादेश (Ordinance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2019 से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों की संख्या में लगातार कमी आई है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- जब **केंद्र या राज्य सरकारें, विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून** बनाती हैं तो उसे "अध्यादेश" कहा जाता है।
  - अध्यादेश जारी करने का प्रावधान **भारतीय परिषद अधिनियम, 1861; भारत शासन अधिनियम, 1909 और भारत शासन अधिनियम, 1935** में भी था।

- संविधान के **अनुच्छेद 123** और **अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध** किए गए हैं। अनुच्छेद 123 **राष्ट्रपति** को संसद के विश्रांति काल (जब दोनों सदनों के सत्र न चल रहे हों) के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 213 **राज्यपाल** को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

  - अध्यादेशों की **शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान** ही होती है। हालांकि, ये कानून **अस्थायी प्रकृति** के होते हैं।
  - अध्यादेश **सदन के अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध** रहता है। यदि दोनों सदन अलग-अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं, तो उन तिथियों में से बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा।
  - यदि **राष्ट्रपति/ राज्यपाल इसे वापस ले लेता है या दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए 'संकल्प (Resolutions)' पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त** हो सकता है।
  - अध्यादेश केवल **उन्हीं मामलों पर जारी किए जा सकते हैं, जिन पर संसद या विधान-मंडल को कानून बनाने का अधिकार है।** साथ ही, इन अध्यादेशों की भी वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं, जो संसद/ विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती हैं।
- **हालांकि, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है:**
  - यदि समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधान-मंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो।
  - यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझे।
  - यदि समान उपबंधों वाला राज्य विधान-मंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो गया है।

निष्कर्ष

अध्यादेश जारी करने की शक्ति **व्यवस्था को बनाए रखने और तात्कालिक चिंताओं को दूर करके** सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक आवश्यकताओं के बारे में **सावधानीपूर्वक सोच समझकर किया जाना चाहिए। निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ विनियमन का संतुलन** यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अध्यादेश लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें।

1.4. बुनियादी अधिकार (Basic Rights)

1.4.1. स्वाधीनता (लिबर्टी) एवं स्वतंत्रता (फ्रीडम): (Liberty and Freedom)

स्वाधीनता (लिबर्टी) एवं स्वतंत्रता (फ्रीडम): एक नज़र में

स्वाधीनता

किसी व्यक्ति के **"जीवन जीने के तरीके, व्यवहार या राजनीतिक विचारों पर बिना किसी दमनकारी प्रतिबंधों के समाज में स्वतंत्र रहने की स्थिति"** को स्वाधीनता कहते है।

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता एक **"ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के पास अपनी इच्छा अनुसार बोलने, कार्य करने और सोचने का अधिकार"** होता है।

नागरिक स्वाधीनता (मूल अधिकार)

- **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)**
- **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)**
- **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)**
- **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)**
- **संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)**
- **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)**

नागरिक स्वाधीनता के उद्देश्य

- **समान अधिकार** उपलब्ध कराना।
- **राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना** करना।
- **विधि की सर्वोच्चता को बनाए** रखना।
- **समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा** करना।
- **जिम्मेदारी की भावना पैदा** करना

नागरिक स्वाधीनता का महत्त्व

- **यह भौतिक और नैतिक संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।**
- **इसकी प्रकृति न्यायोचित होती हैं।**
- **यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।**
- **यह राज्य के कार्यों और निजी व्यक्तियों की गतिविधियों पर यथोचित नियंत्रण सुनिश्चित करता है।**
- **यह लोकतांत्रिक स्थिरता का संकेतक** है।

नागरिक स्वाधीनता के प्रयोग से जुड़ी चुनौतियां

- **ये न तो अनन्य हैं और न ही संवैधानिक संशोधनों से मुक्त हैं।**
- **संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन में व्याप्त कमियां।**
- राज्य की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप नागरिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण, उदाहरण के लिए- संविधान में **नौवीं अनुसूची** को शामिल करना।
- **नागरिकों द्वारा यथोचित प्रतिबंधों का प्रयोग न कर पाना।**

आगे की राह

- **सकारात्मक स्वाधीनता का निर्माण करना,** उदाहरण के लिए- व्यक्तियों द्वारा आत्मबोध या आत्मनिर्णय को प्राप्त करने के लिए राज्य को आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए।
- **सरकार को लोगों के कल्याण की रक्षा से संबंधित अपने दायित्व का पालन** करना चाहिए।
- **स्वतंत्रताओं और स्वाधीनता का अतिक्रमण** करने वाले **कानूनों को बनाने से बचना चाहिए।**
- नागरिक स्वाधीनता के उल्लंघन को रोकने हेतु **स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है।**
- **'स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संरक्षण'** को एक मौलिक राजनीतिक मूल्य बनाने की दिशा में नागरिक समाज और मीडिया आदि की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1.4.2. फ्री स्पीच (वाक् स्वतंत्रता) का अधिकार (Right to Free Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2)** के तहत **निर्धारित प्रतिबंधों** के अलावा लोक पदाधिकारियों के फ्री स्पीच (अर्थात् वाक् स्वतंत्रता) पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सुप्रीम कोर्ट ने माना कि**
  - **किसी मंत्री के बयान** (भले ही वह आधिकारिक क्षमता से दिया गया हो) **को सामूहिक जवाबदेही के सिद्धांत को लागू करके अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का बयान घोषित नहीं किया जा सकता।**
    - **अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्री-परिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** होती है। इसी प्रकार **अनुच्छेद 164(2)** के अंतर्गत **राज्य मंत्री-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** होती है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **सामूहिक जवाबदेही मंत्री-परिषद से व्यक्तिगत मंत्रियों तक जाती है,** न कि इसके विपरीत अर्थात् यह व्यक्तिगत मंत्रियों से मंत्री-परिषद की ओर नहीं जाती है।
  - **अनुच्छेद 19 व 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों** को राज्य या उसके संगठनों के अलावा **अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी लागू किया** जा सकता है।
  - **किसी मंत्री द्वारा दिया गया केवल कोई बयान (भले ही वह नागरिकों के अधिकारों के संगत नहीं हो) संवैधानिक अपकृत्य (Tort)** के रूप में कार्रवाई योग्य नहीं हो जाता।
    - हालांकि, यदि ऐसा बयान किसी लोक पदाधिकारी द्वारा **चूक या लापरवाही का कारण बनता है, तो यह संवैधानिक अपकृत्य है।**
    - संवैधानिक अपकृत्य' **सरकार के किसी अभिकर्ता द्वारा** अपने आधिकारिक सामर्थ्य में कार्य करते हुए, **किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों (विशेष रूप से मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन है।** ऐसे मामले में **अदालत, पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देने का आदेश** दे सकती है।

फ्री स्पीच के बारे में:

- फ्री स्पीच **सेंसरशिप** या कानूनी कार्रवाई **के डर के बिना अपने विचारों तथा राय को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का कानूनी अधिकार है।**
- **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा** (UDHR) के अनुच्छेद 19 के अनुसार, **हर किसी को स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है।**

फ्री स्पीच की आवश्यकता	फ्री स्पीच पर प्रतिबंधों की आवश्यकता
• **सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना:** मीडिया संस्थान तथा नागरिक समाज संगठन समाज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। इस प्रकार वे सरकार के कामकाज के संबंध में लोगों की धारणा का निर्माण	• **देश की प्रभुता और अखंडता:** ऐसी वाक् या अभिव्यक्ति जो भारत के लिए खतरा हो सकती है, उसे अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।

करते हैं। साथ ही, वे सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में योगदान देते हैं।

- **लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना:** फ्री स्पीच **अन्य मूल अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है, जैसे- सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।** इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल लोग सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए विरोध-प्रदर्शनों में करते हैं। साथ ही, इससे लोगों की भागीदारी को भी मजबूती मिलती है।
- **समानता को बढ़ावा देना:** अपने समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में अभियान चलाया जा सकता है और उन पर लोगों से खुल कर बात की जा सकती है। ऐसा करके उन मुद्दों को उजागर किया जा सकता है और जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इससे मानवाधिकारों के हनन को समाप्त किया जा सकता है।
- **यह बदलाव और नवाचार के लिए आवश्यक है:** फ्री स्पीच **कलाकारों की रचनात्मकता की रक्षा करता है** तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं अपने विचारों को साझा करने में समर्थ बनाता है। रचनात्मकता में अकादमिक लेखन, थियेटर, कार्टून, दृश्य कला आदि शामिल हो सकते हैं।
- **विकास:** फ्री स्पीच विचारों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया के बारे में तब तक एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सकता है जब तक उसे दूसरों के साथ अपने अनुभवों या विश्वासों को साझा करने की अनुमति नहीं होगी और जब तक वह इस संबंध में विभिन्न विचारों से अवगत नहीं होगा कि क्या महत्वपूर्ण है और कौन से विश्वास सबसे अधिक सार्थक हैं।
- **आधारभूत इकाई:** फ्री स्पीच **नागरिकों को दिए गए अन्य अधिकारों के आधार के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो** बेहतर जागरूक जनता और मतदाताओं को तैयार करने में मदद करती है।
- **देश की सुरक्षा:** देश की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए देश की सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है।
- **विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध:** देश की प्रतिष्ठा को खतरे में डालने वाले दुर्भावनापूर्ण कार्यों पर अंकुश लगाने और एक वैश्वीकृत दुनिया में अन्य देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
- **लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार:** सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील शब्दों के प्रयोग या अश्लील तस्वीरों की मार्केटिंग या उनके वितरण या उनके विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं या किसी विशेष समुदाय या पूरे समाज के लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं।
- **न्यायालय की अवमानना:** न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यह **अनुच्छेद 129** (सुप्रीम कोर्ट) और **अनुच्छेद 215** (हाई कोर्ट) के तहत एक **दंडनीय अपराध है।**
- **मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में:** फ्री स्पीच किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने या सांप्रदायिक हिंसा या अशांति को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं देती है। इसे **संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951** द्वारा जोड़ा गया था।

आगे की राह:

- **मनमानी:** अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित 'युक्तियुक्त निर्बंधन' वाक्यांश का मनमाना या ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19(1)(a) से लेकर 19(1)(g) तक गारंटीकृत स्वतंत्रताओं और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।
- **प्रतिबंध की प्रकृति:** फैसले पर पहुंचने से पहले न्यायालय को प्रतिबंध की तर्कसंगतता का निर्धारण करना चाहिए। अर्थात् व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से पहले न्यायालय को **प्रतिबंध की प्रकृति और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया** पर विचार करना चाहिए।
- **शिक्षा:** यह **फ्री स्पीच की समझ विकसित करने** में मदद कर सकती है और **इसके सार्थक उपयोग** (जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शासन में पारदर्शिता आदि) **को बढ़ावा** दे सकती है।
- **जागरूकता:** सार्वजनिक प्राधिकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं (NGOs), नागरिक समाज संगठन आदि फ्री स्पीच के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

1.4.3. हेट स्पीच (Hate Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में घटित होने वाले किसी भी हेट स्पीच संबंधी अपराध के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को **अंतरिम निर्देश जारी किए, जिनमें शामिल हैं:**
  - हेट स्पीच **संबंधी मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए** और **आरोपियों के खिलाफ** कानून के अनुसार **कार्रवाई की जानी चाहिए।**
  - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **निर्देशों के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह के संकोच को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा।**

हेट स्पीच के बारे में

- **विधि आयोग** ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में, **हेट स्पीच की परिभाषा** दी है। इसके अनुसार आम तौर पर नस्ल, नृजातीयता, जेंडर, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में **परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को** हेट स्पीच कहा जाता है।
  - हालांकि, भारत में 'हेट स्पीच' की कोई विशेष कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है।

हेट स्पीच से जुड़े हुए मुद्दे

- हेट स्पीच रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों के सहारे **भेदभाव, उपेक्षा और अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देती** है। इससे कुछ व्यक्तियों एवं समूहों का सामाजिक बहिष्कार होता है तथा उन्हें अवसरों से वंचित कर दिया जाता है।
- यह तनाव, चिंता, अवसाद पैदा कर तथा आत्म-सम्मान और अपनेपन की भावना को नुकसान पहुंचाकर **व्यक्तियों के समग्र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।**
- यह निश्चित व्यक्तियों या समुदायों के विरुद्ध **हिंसात्मक कृत्य करने के लिए व्यक्तियों या समूहों को उकसाती है।**
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए उनके बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विधि का निर्माण और उनका समुचित कार्यान्वयन जरूरी है।** इससे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाए बिना हेट स्पीच की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

हेट स्पीच से संबंधित कानून

संवैधानिक प्रावधान
संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ–साथ 'लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता' के संरक्षण हेतु 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाए गए हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860
भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे कि **153A, 153B, 298** आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती हैं। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं, जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो।
- **धारा 123(3A) और धारा 125** निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही, इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है।

हेट स्पीच के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया, 2004 वादः
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य या जिला प्राधिकरणों को किसी ऐसे व्यक्ति के राज्य या जिले में प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार है, जिसका कोई भाषण लोक व्यवस्था भंग कर सकता है।

प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य, 2014 वादः
सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के संबंध में कुछ दिशा–निर्देश जारी किए थे।

हेट स्पीच से निपटने के लिए सुझाव

- **विधि आयोग ने** विशेष रूप से **हेट स्पीच को आपराधिक बनाने के लिए** IPC में **दो नई धाराएं जोड़ना प्रस्तावित** किया था। ये धाराएं हैं- धारा 153C और धारा 505A.
  - **इसी तरह के प्रस्ताव बेजबरुआ समिति और विश्वनाथन समिति ने भी प्रस्तुत** किए थे।
  - **इसके अलावा, वर्ष 2020 में 'आपराधिक कानूनों में सुधार पर गठित एक समिति** ने भी हेट स्पीच से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों की संभावनाओं की जांच की।
- हेट स्पीच पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया एजेंसियों के लिए **एक सख्त आचार संहिता लागू करना आवश्यक है।**
- हेट स्पीच के मामलों से निपटने के लिए **परानुभूति की भावना का विकास, विविधता को बढ़ावा देना और कानूनी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है।** इससे एक समावेशी और सहिष्णु समाज को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

1.4.4. आत्म-अभिशंसन/ आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Self-Incrimination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3)** किसी आरोपी को आपराधिक जांच के लिए रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर करने से सुरक्षा नहीं प्रदान करता है।

आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार क्या है?

- आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार **अनुच्छेद 20(3) के तहत एक मूल अधिकार** है। इसके अनुसार, "किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।"
- यह ब्रिटिश दंड न्यायशास्त्र संहिता के मूल सिद्धांतों में से एक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पालन किया और अपने संविधान में शामिल किया।

यह कब लागू नहीं होता है?

- **अपराध में शामिल वस्तुओं की प्राप्ति:** आपराधिक जांच से संबंधित दस्तावेज या हथियार जैसे कि **भौतिक साक्ष्य की अनिवार्य प्राप्ति** के लिए पूछताछ के मामले में आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार लागू नहीं होते।
- **भौतिक नमूना प्राप्त करना:** यह अधिकार **किसी व्यक्ति को अंगूठे का निशान देने,** हस्ताक्षर का नमूना देने, रक्त का नमूना देने या शरीर में साक्ष्य की मौजूदगी को दिखाने से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
- **आपराधिक कार्यवाही तक सीमित:** संविधान का अनुच्छेद 20(3) व्यक्तियों को **नागरिक या प्रशासनिक कार्यवाही** में आत्म-अभिशंसन (आत्म-दोषारोपण) से नहीं बचाता है।

आत्म–अभिशंसन / दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा वाद (1954):
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आवश्यक बातें कहते हुए अनुच्छेद 20(3) के दायरे का विस्तार किया।
- व्यक्ति को "किसी अपराध का आरोपी" होना चाहिए।
- 'गवाह' बनने की 'विवशता' के विरुद्ध सुरक्षा।
- स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने की बाध्यता।

द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघड़ वाद (1961):
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान प्राप्त करने से अभियुक्त के "आत्म–अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार" का उल्लंघन नहीं होगा।

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद (2010):
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी की सहमति के बिना **नार्कोएनालिसिस टेस्ट करना आत्म–अभिशंसन के विरुद्ध उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।**
- साथ ही, सवालों के जवाब देने में विकल्प चुनने में असमर्थता के कारण इन परीक्षणों के नतीजों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है।
- हालांकि, दोषी व्यक्ति से DNA नमूना प्राप्त करने की अनुमति है।

"आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार" की आलोचना

- यह जांच में **सहयोग करने के कर्तव्य के विरुद्ध है।**
- अभियुक्तों को चुप रहने की अनुमति देकर **जांचकर्ता और अभियोजक का कार्य अनावश्यक रूप से कठिन बना दिया गया है।**
- यह जांच के दौरान **अनुचित आचरण के व्यवहार को नहीं रोकता है।**
- यह बड़े सामाजिक उद्देश्यों की कीमत पर **दोषियों को बचाता** है।
- इसका दायरा **"खुद के खिलाफ गवाह बनने" से सुरक्षा देने तक सीमित** है लेकिन **भौतिक साक्ष्यों की प्राप्ति को इसका संरक्षण प्राप्त नहीं** है। इस तरह **आरोपी को मजबूर कर भौतिक साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।**

निष्कर्ष

अनुच्छेद 20(3) में तहत निहित आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार प्रथम दृष्टया अपराध के आरोपी व्यक्ति के हितों को संरक्षित करता है, लेकिन एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में यह निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करके राज्य के हितों को भी संरक्षित करता है। इस तरह इस प्रावधान के द्वारा समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखा जाता है।

1.5. आरक्षण (Reservation)

आरक्षण: एक नज़र में

आरक्षण एक ऐसा उपकरण है, जो वंचितों को **समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार** प्रदान करता है, भले ही वह शासन में हो या शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही, आरक्षण के लाभार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समुदाय के उत्थान की दिशा में प्रयास करे।

अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के मामले में खुली प्रतियोगिता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण प्रदान किया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के तहत 10% आरक्षण उन लोगों को प्रदान किया गया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 15(4)** के अंतर्गत प्रदान की गई है, जबकि पदों **और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 16(4B)** में प्रदत्त है।
- संविधान के **अनुच्छेद 46** में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- अनुच्छेद **243D** के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 330** लोक सभा में **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 332,** राज्य विधान सभाओं में **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

मंडल आयोग

- वर्ष 1990 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि OBCs को **केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की**
- **इकाइयों से संबद्ध नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण** प्रदान किया जाएगा {संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत}।
- सुप्रीम कोर्ट ने **'इंदिरा साहनी निर्णय' (वर्ष 1992) द्वारा क्रीमी लेयर मानदंड** को लागू किया था।
- यह **निर्णय मंडल आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1980)** पर आधारित था।
- **शिक्षा में आरक्षण वर्ष 2006 में {संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत} लागू** हुआ था।

आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **इंदिरा साहनी वाद (1992)**
  - अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए 27% कोटे को बरकरार रखा गया।
  - आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर की शर्त से बाहर रखा जाना चाहिए।
  - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
- **नागराज वाद (2006)**
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, जिनमें निम्नलिखित तीन शर्तों को शामिल किया गया है।
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा।
  - उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य।
  - समग्र प्रशासनिक दक्षता।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद (2022)**
  - केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।
  - साथ ही, EWS को **एक अलग और विशिष्ट श्रेणी** माना गया है।
  - SC/ST, SEBC (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) का अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही, यह **दोहरे लाभों से बचने के लिए भी** आवश्यक है।
  - इसके अलावा, निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में **आरक्षण से इंकार नहीं** किया जा सकता है।
  - 1992 में **इंदिरा साहनी वाद** में निर्णय दिया गया था कि **आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है,** किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय केवल SC/ST/ SEBC/ OBC समुदायों पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर नहीं।

1.5.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण {Economically Weaker Sections (EWS) Quota}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने **103वें संविधान संशोधन की वैधता** को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग (General category) की आबादी में **EWS को 10% आरक्षण** दिया गया है।

EWS आरक्षण के बारे में

- **सिन्हो आयोग** की सिफारिशों के आधार पर EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- **EWS आरक्षण** आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** के द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और 16(6)** को जोड़ा गया है।
    - यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को EWS को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है।
    - हालांकि, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को आरक्षण दिया जाए या नहीं।

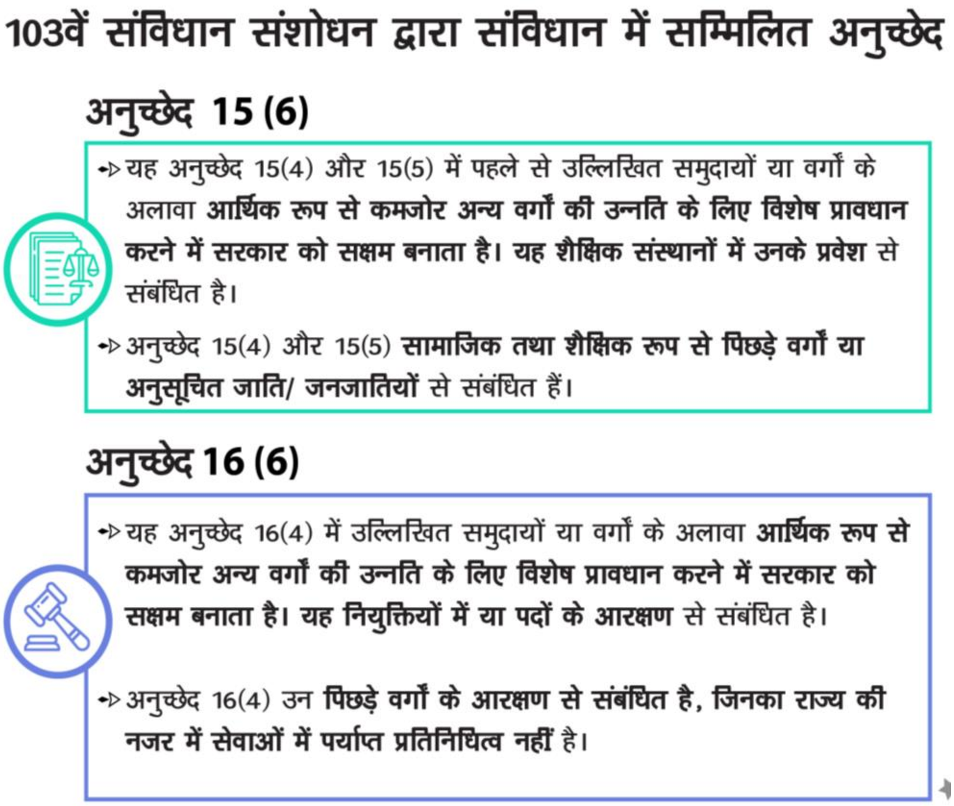

- EWS की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के **अनुच्छेद-15** में संशोधन किया गया है।
    - इसके अलावा, **शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस प्रकार के वर्गों हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित** किया जा सकता है।
    - इस प्रकार का आरक्षण **अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।**
- इस अधिनियम के माध्यम से **अनुच्छेद-16** में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों"** के लिए सभी पदों पर 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती है।
- EWS आरक्षण, **SCs, STs और OBCs को मिले आरक्षण के अतिरिक्त** है।
    - **EWS आरक्षण के लिए योग्यता:** कोई व्यक्ति जो SCs, STs और OBCs के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की **सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है।**
    - **EWS आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है:**
        - जिनके पास **पांच एकड़ कृषि भूमि** है, या
        - जिनके पास **1,000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट** है, या
        - जिनके पास अधिसूचित **नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक,** या अन्य क्षेत्रों में **200 वर्ग गज** का आवासीय भूखंड है।

इस निर्णय का महत्व

- **सकारात्मक कार्रवाई की राजनीति को नया रूप देता है:** EWS कोटा आरक्षण संबंधी चर्चा को **जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में रहे मंडल आयोग** से परे ले जाता है।
    - **राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद (2015)** में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों की गैर-जाति आधारित पहचान की आवश्यकता का सुझाव दिया था।
- **सामान्य वर्ग के गरीबों के उत्थान का प्रयास:** EWS आरक्षण उन लोगों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, जिन्हें आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई का लाभ नहीं मिला है।
    - **वर्ग के साथ-साथ जाति को ध्यान में रखकर**, इसके तहत **विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।** साथ ही, इसके माध्यम से भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीति को नया आकार देने का प्रयास किया गया है।

EWS आरक्षण से संबंधित चिंताएं

- **आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए है:** इसका उपयोग **गरीबी उन्मूलन उपाय** के रूप में नहीं किया जा सकता है। छात्रवृत्ति जैसे अन्य माध्यमों से गरीबी को दूर किया जा सकता है।
- **समानता के सिद्धांत का उल्लंघन:** OBCs व SCs/ STs समुदायों को EWS से बाहर करने से, **खुली प्रतियोगिता के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी पात्रता में समानता का स्पष्ट उल्लंघन होता है।**
- **आय मानदंड के साथ समस्या:** 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के आय मानदंड पर पहले ही सवाल उठाया जा चुका है। इसका कारण यह है कि इस मानदंड से सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
- **लोकलुभावनवाद का साधन:** आलोचकों ने **EWS आरक्षण की राजनीतिक प्रकृति** की ओर भी संकेत किया है। इस कदम से राजनीतिक रूप से सामाजिक तनाव के बढ़ने की संभावना है।

आगे की राह

- **अपेक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश:** सर्वाधिक वास्तविक लक्ष्य समूहों की पहचान करने के लिए **अधिक विस्तृत डेटा और दिशा-निर्देश** महत्वपूर्ण हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अत्यंत जरूरतमंद व्यक्तियों को इस नीति का लाभ मिल सके।
    - साथ ही, सरकार को **सभी समुदायों के लिए EWS आरक्षण उपलब्ध कराने** और आय मानदंड को **निर्धारित सीमा से बहुत कम रखने पर** विचार करना चाहिए। इसे आयकर स्लैब के समान स्तर पर रखा जा सकता है।
- **सतत विकास:** पिछड़ेपन को शामिल करने के लिए **वैचारिक ढांचे को लगातार** विकसित करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सकारात्मक कार्रवाई **कहीं अधिक समावेशी हो।**
- **रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां** EWS के लिए बेहतर काम करेंगी।
- सरकार को सामान्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कुछ चुनिंदा संस्थानों में आरक्षण की मांग कम हो सकेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे पाएगा।

1.5.2. निजी क्षेत्रक में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्रक में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए "झारनियोजन" नामक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है।

निजी क्षेत्रक में स्थानीय आरक्षण के समर्थन में तर्क	निजी क्षेत्रक में स्थानीय आरक्षण के खिलाफ तर्क
• **रोजगार का अधिकार प्रदान करने के लिए कदम:** यह राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन/आजीविका के अधिकार की रक्षा करने तथा उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन की दशाओं एवं उनके रोजगार के अधिकार की रक्षा करने से संबंधित है। • **रोजगार के संकुचित होते अवसरों से निपटना।** • **चयन में भेदभाव करने वाले निगमों पर अंकुश लगाना:** नियोक्ताओं का मानना है कि स्थानीय श्रमिकों में कार्य संबंधी अनुशासन की कमी है। वे व्यापार प्रणालियों को सीखने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही,	• **संविधान का उल्लंघन:** हरियाणा में अधिवासित स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में वरीयता प्रदान करने वाला यह उपखंड संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। • **सन्स-ऑफ-द-सॉयल (भूमिपुत्र) की मानसिकता को बढ़ावा।** • **श्रम बाजार पर दुष्प्रभाव:** इस तरह के आरक्षण से व्यवसायी अपना कारोबार कहीं और ले जाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि

राजनीतिक और ट्रेड यूनियनों की ओर झुकाव रखते हैं। गौरतलब है कि व्यवसाय, राजनीतिक संघों और ट्रेड यूनियनों को दबाव की रणनीति के कारक मानते हैं। • **प्रवास जैसे मुद्दे का समाधान:** यह कम वेतन वाली नौकरियों की तलाश में आने वाले **प्रवासियों के अंतर्वाह** को हतोत्साहित करेगा। इनका स्थानीय बुनियादी ढांचे पर "महत्वपूर्ण प्रभाव" पड़ता है और "झुग्गियों के प्रसार" में बढ़ोतरी होती है। • यह युवाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ाकर **अपराध दर को कम** करेगा। • **राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) में वृद्धि:** स्थानीय कामगारों की अनुपस्थिति और प्रवासी कामगारों पर निर्भरता को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। • **कृषि संकट:** भारतीय कृषि क्षेत्रक अत्यधिक तनाव ग्रस्त रहा है। इसलिए, स्थानीय लोग इसे छोड़कर अन्यत्र किसी क्षेत्र में कार्य करने और स्थानीय नौकरियों की तलाश हेतु प्रयास करते रहे हैं।	उनका कुशल कार्यबल पर्याप्त रूप से 'स्थानीय' नहीं है। • **लाइसेंस राज की पुनर्वापसी:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि निजी क्षेत्रक में आरक्षण की अनुमति देना निजी क्षेत्रक के राष्ट्रीयकरण के समान होगा। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस-राज का फिर से विकास होगा। • **मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं:** ○ **विषम भौगोलिक विकास:** निवेशक उन राज्यों से जुड़ना पसंद करते हैं, जहाँ एक अभिशासन पारितंत्र (जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढाँचे का एक स्तर शामिल है) पहले से ही मौजूद हो। इस संस्थागत समस्या को दूर करने की जरूरत है। ○ **शिक्षा और कौशल की निम्न गुणवत्ता।** • **प्रतिस्पर्धात्मकता:** पर्याप्त कुशल घरेलू श्रम उपलब्ध नहीं होने पर दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंच सकता है। • **नियुक्ति हेतु उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या को सीमित** करता है। • **निवेश:** उद्योग अपने संचालन को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे रोजगार सृजन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जबकि इस प्रकार के कानूनों को लाने का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना है।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थानों को स्थापित करके इस अंतर को कम किया जा सकता है।
- **श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना:** अधिक रोजगार सृजन और औद्योगीकरण से देश में श्रम अधिशेष के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रोत्साहन का मार्ग:** उद्योगों को अधिक निवेश के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना चाहिए।

निजी क्षेत्रक में आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) वाद: सुप्रीम कोर्ट ने "धरती पुत्रों" (स्थानीय लोगों) के लिए कानून के मुद्दे पर विचार करते हुए अपना मत प्रकट किया था कि ऐसे कानून असंवैधानिक घोषित होंगे।

सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1995) वाद: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एक भेदभावपूर्ण नीति को रद्द कर दिया था। इस नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज दिया गया था।

स्थानीय चुनावों में आरक्षण

- हरियाणा मंत्रिमंडल ने **राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार** कर लिया है। यह रिपोर्ट **शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए श्रेणी के लिए आरक्षण के अनुपात** का उल्लेख करती है।
    - आयोग ने सिफारिश की है कि **प्रत्येक नगर निकाय में पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए) से संबंधित कम से कम एक पार्षद** होना चाहिए। यह उपबंध तब किया जाना चाहिए, जब **इस वर्ग की आबादी संबंधित ULB की कुल आबादी के दो प्रतिशत से कम नहीं है।**
- **संविधान के अनुच्छेद 243T(6)** के अनुसार, 'राज्य विधान-मंडलों पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी नगरपालिका में सीटों के आरक्षण या नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए प्रावधान करने से कोई रोक नहीं होगी'।
- **के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ, 2010 तथा गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2021 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया था। इसमें शामिल हैं:**
    - स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए **एक समर्पित आयोग का गठन करना;**
    - आयोग के प्रस्तावों के आलोक में **स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना; तथा**
    - यह सुनिश्चित करना कि **अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।**

1.6. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है। बिहार में राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय का आदेश आया है।

जातिगत जनगणना क्या है?

- जातिगत जनगणना में **जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण** किया जाता है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित होती है।
- **वर्ष 1931 की जनगणना तक ही** जनगणना आंकड़ों में जातिगत जनगणना को एक मानदंड के रूप में शामिल किया गया। इसी अनुरूप 1872, 1881, 1901 और इसी तरह 1931 तक जाति के लिए डेटा एकत्र किए गए।
- स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना (1951) के बाद से भारत सरकार जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर ही पृथक आंकड़ें प्रकाशित करती रही है।

सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) के बारे में

- **केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में SECC** शुरू की थी। यह **पहली पेपरलेस जनगणना** थी। SECC में ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही इसमें पूर्व-निर्धारित मापदंडों के आधार पर घरों को रैंकिंग प्रदान करने की भी अनुमति होती है।
  - यह परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं, जैसे- आवास, भूमि स्वामित्व, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, व्यवसाय, संपत्ति के स्वामी, SC/ ST परिवार, आय आदि के संबंध में डेटा प्रदान करती है।
- **SECC से जुड़ी चिंताएं:**
  - **SECC 2011 की** डेटा में खामियों की मुख्य वजह यह थी 2011 की जाति आधारित जनगणना आयोजित करने से पहले जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप **गणनाकर्ताओं द्वारा गलतियां हुईं, जिसके तहत उन्होंने एक ही जाति को दर्जनों अलग-अलग तरीकों से लिख** दिया।
  - SECC डेटा में **कई गलत जातियों को शामिल** कर लिया गया होगा तो **कई अन्य जातियां छूट गई होंगी**। इससे **लाभार्थियों की गलत पहचान** हो सकती है।

- इससे पहले वर्ष 2011 में **सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC)** को आयोजित करके जातिगत जनगणना की दिशा में प्रयास किए गए थे।

ब्यौरा	जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क	जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क
जाति पर आंकड़ों की उपलब्धता	**जाति के अनुमान पहले से ही उपलब्ध हैं:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) द्वारा किए गए विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में जनसंख्या में SCs, STs और OBCs से जुड़े आंकड़ों को जुटाया जाता है।	**सर्वेक्षण जनगणना नहीं होते हैं:** NFHS और NSSO द्वारा एकत्र किए गए जातिगत आंकड़े **जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं।**
परिचालन से संबंधित चुनौतियां	एक पूर्ण जातिगत जनगणना, जिसमें सभी का जाति-वार विभाजन शामिल हो, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है।	यह एक **सामान्य प्रथा** है कि **कुछ जनगणना संबंधी तालिकाएं जनगणना संपन्न होने के पांच या सात वर्ष उपरांत जारी की जाती हैं।**
पहचान की राजनीति	**विभिन्न जातियों में जनसंख्या का विभाजन भारत में जाति-आधारित राजनीति को और भी मजबूत करेगा।**	यह न केवल जातिगत एवं उप-जातिगत आधार पर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि सकारात्मक कार्रवाई एवं न्याय का पुनर्वितरण करने हेतु नीतियां तैयार करने के लिए भी मूल्यवान है। • इंद्रा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **आरक्षण के लाभों से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को बाहर करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इस तरह के साक्ष्य/आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए।**

आरक्षण हेतु मांग में वृद्धि	जातिगत जनगणना के परिणामस्वरूप **उच्चतर कोटे की मांग को बढ़ावा मिल सकता है तथा आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा प्रभावित हो सकती है।**	नवीनतम जातिगत आंकड़ों के अभाव ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सार्वजनिक रोजगार तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांगों को प्रभावित नहीं किया है।

आगे की राह

- **जातिगत आंकड़ों की उपयोगिता को समझना:** पहले से मौजूद जातिगत आंकड़ों पर तथा सरकार और उसके विभिन्न विभागों द्वारा लाभ देने या वापस लेने हेतु इनको कैसे समझा तथा उपयोग किया गया है, इस तथ्य पर चर्चा की जानी चाहिए।
- **सभी उपलब्ध आंकड़ों का समग्र रूप से अध्ययन करना:** जनगणना से संबंधित समस्त आंकड़ों को NSSO अथवा NFHS जैसे अन्य बड़े डेटासेट्स से संबद्ध करना चाहिए तथा उनका संकलन करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि ये डाटासेट्स उन मुद्दों को शामिल करते हैं, जिन्हें जनगणना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जैसे- मातृ स्वास्थ्य आदि। उल्लेखनीय है कि विद्वानों ने पूर्व में ही जनगणना को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों से जोड़ने का सुझाव दिया था।
- **जनगणना में परिवर्तन, समय की मांग है:** विशेषज्ञ मत प्रस्तुत करते हैं कि विश्व भर में जनगणना के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन सटीक, त्वरित और लागत प्रभावी हैं। साथ ही, इनमें विभिन्न डेटा स्रोतों के मध्य समन्वय भी शामिल है।

1.7. पंथनिरपेक्षता (Secularism)

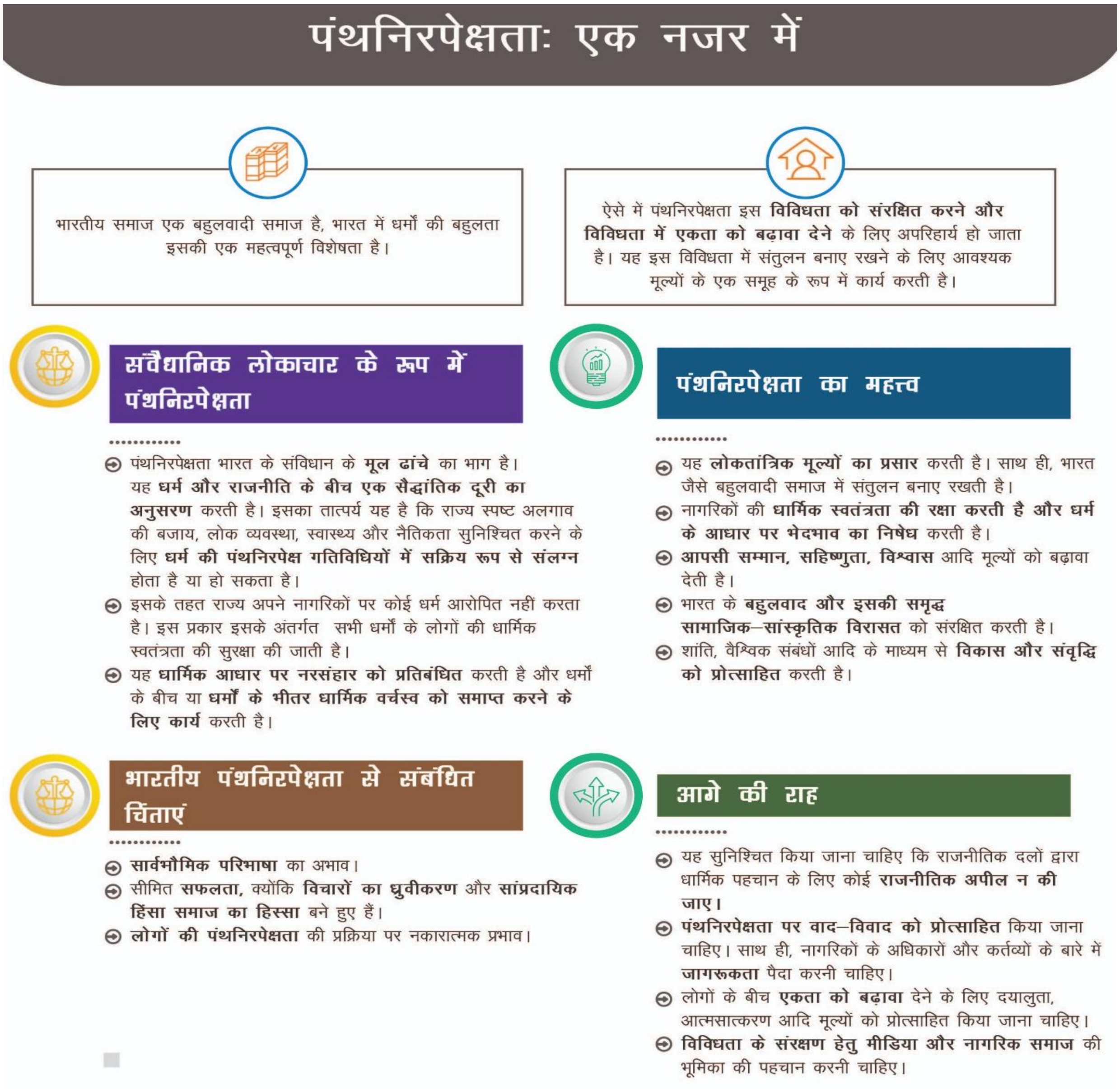

1.8. राजद्रोह (Sedition)

राजद्रोह: एक नज़र में

- **भारतीय दंड संहिता (धारा 124A)** में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति **शब्दों द्वारा (लिखित), मौखिक, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।**

राजद्रोह एक **संज्ञेय, गैर-जमानती और नॉन-कंपाउंडेबल (गैर-शमनीय) अपराध है।** राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास (जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना) का प्रावधान किया गया है।

आरोपित व्यक्ति को **सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है।** आरोपित व्यक्ति को **पासपोर्ट के बिना रहना होता है।** साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है।

राजद्रोह कानून का महत्व:

- **राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से निपटने के लिए।**
- **यह निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से हटाने के प्रयासों से सुरक्षा प्रदान** करता है।
- यह न्यायालय को दी गई **अवमानना की शक्ति (जिसे न्यायालय की गरिमा की रक्षा संभव हो पाती है)** के अनुरूप है।
- **लोक व्यवस्था बनाए रखना,** सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाली गतिविधियों, जैसे असंतोष उत्पन्न करना एवं **गृहयुद्ध** को रोकना और देश की संप्रभुता की रक्षा करना।

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का मत

- **केदार नाथ बनाम बिहार राज्य वाद (1962):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **"कोई नागरिक, आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार या प्रशासन पर अपनी इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है,** बशर्ते उसका यह कृत्य हिंसा को प्रेरित करके लोक व्यवस्था भंग न करता हो।"
- **पी. अलावी बनाम केरल राज्य वाद (1982):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है।
- **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1995):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार "केवल नारे लगाना" (जैसे- खालिस्तान जिंदाबाद) न तो किसी प्रतिक्रिया और न ही जनता की ओर से किसी कार्रवाई को प्रेरित करते हैं, ऐसे में इसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए।

राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:

- यह भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19**(1) के तहत गारंटीकृत **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर अवरोध उत्पन्न करता है;** सरकारों द्वारा राजनीतिक असंतोष का दमन करने हेतु राजद्रोह कानून का प्रयोग करना।
- "घृणा या अवमानना उत्पन्न करना" और "अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न करना" जैसी शब्दावली को लेकर अस्पष्टता की स्थित; इन शब्दावलियों की **व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है।**
- **दोषसिद्धि की दर बहुत कम है।**
- राजद्रोह कानून के दुरूपयोग के उदाहरण देखे गए हैं। भारत द्वारा अनुसमर्थित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) का उल्लंघन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड स्थापित करती है।

अन्य देशों में राजद्रोह कानून

- **यूनाइटेड किंगडम** (UK), **संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, नाइजीरिया** सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने राजद्रोह कानून को अलोकतांत्रिक, अवांछनीय एवं अनावश्यक माना है।
  - **यूनाइटेड किंगडम में 1960 के दशक में राजद्रोह कानून अप्रचलित हो गया था** और अंततः 2009 में इसे निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, किसी विदेशी (केवल निवासी न कि देश का नागरिक) द्वारा राजद्रोह अभी भी एक अपराध है।

आगे की राह

- "अवमानना और घृणा उत्पन्न करना" जैसी शब्दावली तथा उन अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जो राजद्रोह के अंतर्गत आती हैं, ताकि **प्राधिकारी इसका दुरुपयोग न कर सकें।**
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124A में या नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सम्मिलित करना चाहिए।
- धारा 124A केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए, जहां किसी भी कृत्य के पीछे लोक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा और अवैध माध्यमों से सरकार को हटाने की मंशा हो।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे प्रत्येक प्रतिबंध की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए, ताकि **अनुचित प्रतिबंधों से बचा जा सके।**

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure)

2.1. संघवाद (Federalism)

संघवादः एक नज़र में

संघवादः विचार और इसकी विशेषताएं

संघवाद का आशय सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों के बीच (एक, राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा, प्रांतीय या राज्य या स्थानीय स्तर पर) शक्तियों के संवैधानिक पुनर्वितरण से है।

मुख्य विशेषताएं

- किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संघ एवं राज्य **दोनों स्तरों पर सहमति आवश्यक है।**
- राजस्व के निर्दिष्ट स्रोतों के साथ प्रत्येक की **वित्तीय स्वायत्तता।**
- **एकता और क्षेत्रीय विविधता** को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य।
- सरकार के **दो या अधिक स्तर।**
- प्रत्येक स्तर का **अपना अधिकार क्षेत्र होता है।**
- प्रत्येक स्तर का **संवैधानिक रूप से गारंटीकृत** अस्तित्व और अधिकार।

प्रतिसंतुलन के कुछ उदाहरण

- **प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद** जैसे विचारों के आगमन के साथ **क्षैतिज संघवाद का मजबूत होना।**
- **वित्तीय हस्तांतरण से जुड़े सुधारः** राज्यों के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसाधनों के वितरण को निष्पक्ष और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
- कोविड–19 संकट के प्रबंधन में जमीनी स्तर पर **राज्य सरकारों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका** तथा संघ द्वारा राज्यों को इस संबंध में पर्याप्त स्वायत्तता देना।
- **नीति आयोग और जी.एस.टी. परिषद के निर्माण** के कारण संघीय चरित्र में वृद्धि।

संघवाद को कमजोर करने वाले कुछ उदाहरण

- **बढ़ती क्षेत्रवादी मांगें:**
    - बढ़ती क्षेत्रीय पहचानों की अलगाववादी प्रवृत्तियों में परिवर्तित होना।
    - बढ़ती क्षेत्रवादी शक्तियां विदेश नीति को प्रभावित कर सकती हैं।
- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग बहस का विषय रहा है।
- आर्थिक और वित्तीय क्षमताओं के संबंध में राज्यों की असंगति।
- एक राष्ट्र, एक बाजार', 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड', 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' जैसे विकासात्मक आख्यान संघीय सिद्धांत को कमजोर कर सकते हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों के वितरण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
- नीति आयोग तथा अंतर–राज्य परिषद जैसे संघीय सेतुकारी संस्थानों का प्रभावी उपयोग।
- सरकारिया और पुंछी आयोग सहित अन्य आयोगों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को लागू करके राज्यपाल पद को मजबूत करना।
- राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु उनके लिए अधिक धन अंतरण का प्रावधान करना।
- धीरे–धीरे **अलग परिस्थितियों के लिए एक ही प्रकार के समाधान के मॉडल से अलग संघवाद के एक लचीले मॉडल** को अपनाना, जो प्रत्येक राज्य को शासन, नौकरशाही और स्थानीय सरकार का अपना मॉडल बनाने की अनुमति देता है।

2.2. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्त्व को रेखांकित किया है।

सहकारी संघवाद के बारे में

- सहकारी संघवाद **संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट** करता है। साथ ही, यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से ऊपर नहीं है।
    - सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां **सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग-अलग।**
- भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच **सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई विधियों को उपबंधित किया गया है।**

- **नीति/ NITI (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग** भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
    - नीति आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में सहयोग-आधारित नीति-निर्माण, केंद्र-राज्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन देना और निगरानी एवं मूल्यांकन करना शामिल है।
- इसके अलावा नीति आयोग भी राज्यों के बीच **प्रतिस्पर्धी संघवाद** को प्रोत्साहित करता है।
    - **प्रतिस्पर्धी संघवाद** का तात्पर्य **राज्यों और केंद्र सरकार के बीच ऊर्ध्वाधर संबंधों** से है, जबकि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

भारत में सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां:

- **सत्ता का अत्यधिक-केंद्रीकरण:** उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग केंद्र द्वारा प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा करने और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने हेतु किया गया था।
- **राजनीतिक मतभेद:** केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को लक्षित करने तथा उन्हें वित्त एवं संसाधनों से वंचित करने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है।
- **अंतर-राज्य विवाद:** प्रायः केंद्र सरकार से जल और भूमि जैसे संसाधनों पर अलग-अलग राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में मध्यस्थता करने के लिए मांग की जाती है। इस प्रकार की मध्यस्थता में केंद्र सरकार की पक्षपात करने के लिए आलोचना की जाती है।
- **विविधता:** भारत की विविधता अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण हेतु एक अनुकूलित दृष्टिकोण (Customized Approach) की मांग करती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहयोग और भी कठिन बन जाता है।
- **राज्य के मामलों में हस्तक्षेप:** इसके कारण राज्यों की स्वायत्तता में कमी हो गई है।
    - उदाहरण के लिए, नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न हालिया विवाद ने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया है। ध्यातव्य है कि इन कानूनों का कई राज्य विरोध कर रहे थे।

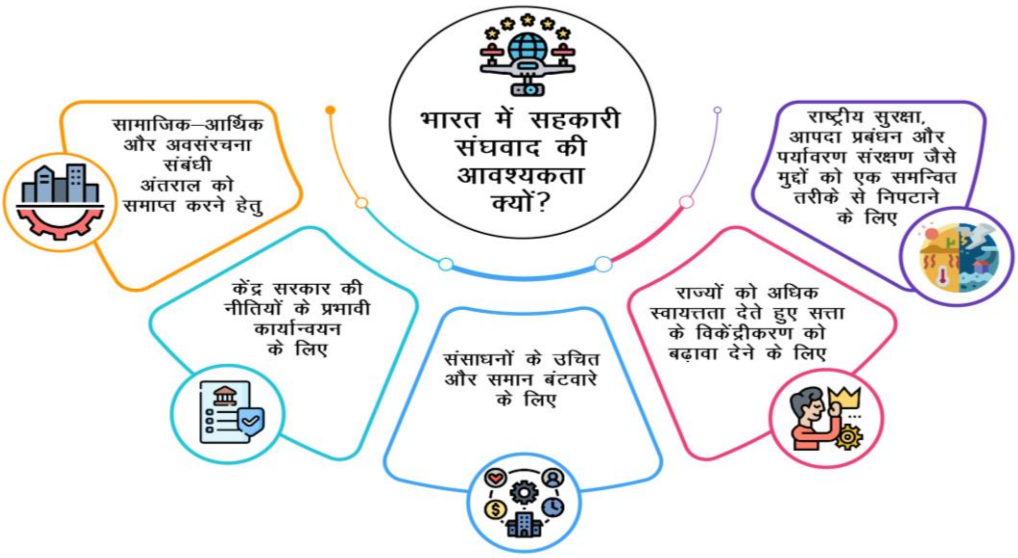

भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए आगे की राह:

- **स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:** पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों जैसी स्वशासित इकाइयों को विकासात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना: विविध विवादास्पद मुद्दों (विशेष रूप से भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मुद्दों)** पर राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए।
- **केंद्र-राज्य विवादों का समाधान करना:** यह **विश्वास-निर्माण तथा समन्वय एवं सहयोग के लिए अनुकूल परिवेश बनाने** में सहायता करेगा।
- **पैरा डिप्लोमेसी (Paradiplomacy) (अर्थात् विदेश नीति का विकेंद्रीकरण) को बढ़ावा देना:** प्रायः राज्य व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में राजनयिक उपाय अपनाने हेतु बेहतर तरीके से तैयार होते हैं।
- **समावेशी निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करना:** शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारक शामिल होने चाहिए।

भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद **केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया** गया है।
- **राज्यों को** अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर **अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता है।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है।**
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत **वित्तीय क्षेत्रक के बेलआउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित** किया गया है।
- **राज्यवार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की गई है।**
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को लागू किया गया है।**

2.2.1. CBI बनाम राज्य (CBI vs States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तमिलनाडु ने राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई "सामान्य सहमति" वापस** ले ली है।

संघवाद के वे कौन-से पहलू हैं, जो CBI बनाम राज्यों के मध्य विवाद से प्रभावित होते हैं?

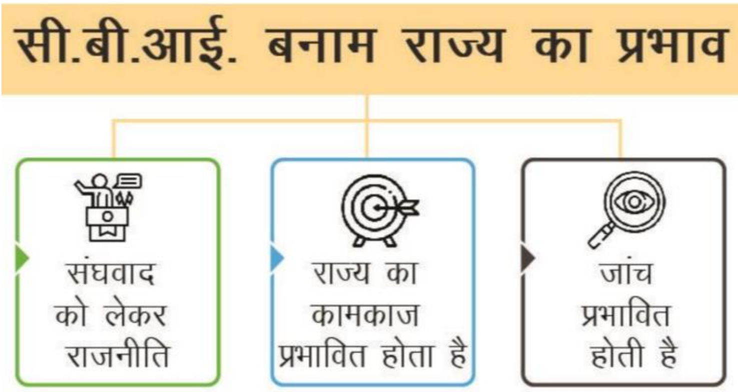

- **पुलिस:** संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची II के अनुसार, **'पुलिस' राज्य सूची का विषय** है। अत: **राज्य** को पुलिस के संबंध में कानून बनाने का **अनन्य अधिकार** प्राप्त है। हालांकि, CBI की स्थापना करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DPSE) अधिनियम 1946 के तहत CBI केंद्रीय एजेंसी के रूप में 'पुलिस' की भांति अपना कार्य करती आ रही है।
  - **DPSE अधिनियम की धारा 5 और 6** क्रमश: अन्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस स्थापना की **शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार** तथा राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता से संबंधित हैं।
- **CBI के लिए सामान्य सहमति:**
  - DPSE अधिनियम के तहत, CBI को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पूर्व **अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है।**
  - राज्य सरकार की सहमति **या तो मामला-विशिष्ट या सामान्य** हो सकती है।
  - आम तौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ **भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में CBI की मदद करने के लिए** "सामान्य सहमति" दी जाती है।
  - इस सहमति के अभाव में **CBI को प्रत्येक मामले में**, और छोटी-छोटी कार्रवाई करने से पहले भी **राज्य सरकार को आवेदन करना पड़ता है।**

केंद्र और राज्य के मध्य हुए अन्य हालिया विवाद

- केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन;
- वस्तु एवं सेवा कर तथा;
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाइयां।

- महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जैसे **आठ राज्यों ने वर्तमान में CBI से "सामान्य सहमति" वापस ले ली है।**
- **राज्यक्षेत्रातीत (Extraterritorial) परिचालन:** CBI की अवधारणा अधिक उन्नत है। इसमें राज्यक्षेत्रातीत परिचालन को शामिल करते हुए विशेष जानकारी, तकनीकी ज्ञान आदि शामिल हैं।

सामान्य सहमति के अपवाद

- **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय** राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी भी अपराध की **जांच करने का आदेश CBI को दे सकते हैं।**
- **सहमति उन मामलों में लागू नहीं होती है, जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो।**

भारत में सहकारी संघवाद के मामले में ऐसे मुद्दे क्यों सामने आते हैं?

- **समवर्ती क्षेत्राधिकार:** CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे निकायों की, बहु-क्षेत्राधिकार में घटित अपराधों में आवश्यकता होती है। फिर भी स्थानीय पुलिस बल के साथ इनकी समवर्तिता (Concurrence) तथा इनके पूर्व अधिकार बार-बार संघीय मुद्दों का कारण बनते हैं।
- **शक्ति का केंद्र की ओर झुकाव होना:** साथ ही, कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण की व्यवस्था करना देश के हितों के लिए हानिकारक होगा। यह शांति सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित करने आदि में असमर्थ होगा।
- **अनुच्छेद 131 की जटिलता:** पिछले कुछ वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विषमांगी निर्णय दिए हैं कि राज्य अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र को चुनौती दे सकता है या नहीं।
    - **उदाहरण के लिए:** छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र द्वारा पारित राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008 को चुनौती देते हुए केंद्र के विरुद्ध वाद दायर किया था। छत्तीसगढ़ के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है तथा यह संविधान के प्रावधान के खिलाफ है।
- **समन्वय को बढ़ावा देने, वाद-विवाद का प्रबंधन करने और संघर्ष समाधान के लिए कोई निकाय नहीं है:** सरकारिया आयोग ने अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की स्थापना का सुझाव दिया था। लेकिन, चूंकि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के भीतर स्थापित किया गया था, इसलिए यह समन्वय को बढ़ावा देने, अंतर-सरकारी वाद-विवाद का प्रबंधन करने और संघर्ष समाधान के लिए स्वतंत्र निकाय नहीं रह गया।
    - वर्तमान में केंद्र-राज्य और अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई स्वतंत्र संस्थान नहीं है।
- **शक्ति का केंद्रीकरण टकराव उत्पन्न कर रहा है:** केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी बढ़ रही है।
- **भिन्न राजनीतिक दल:** जब भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल केंद्र और राज्य में सरकार बनाते हैं, तो प्राय: उनके हित सुमेलित नहीं होते।

आगे की राह

- **केंद्र और राज्यों के बीच पारदर्शिता और समन्वय:** एक निष्कपट मूल्यांकन के माध्यम से वर्तमान समष्टि-आर्थिक परिदृश्य को लेकर पारदर्शी होने की आवश्यकता है। यह निष्पक्ष मूल्यांकन राजस्व अनुमानों की समीक्षा करेगा और केंद्रीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के बीच विशेष सत्र के माध्यम से राज्यों के साथ परामर्श के लिए रणनीतिक मार्गों का एक समुच्चय प्रदान करेगा।
- **केंद्र-राज्य संबंध समिति के सुझाव:** केंद्र-राज्य संबंधों पर **सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग** ने सहकारी संघवाद को बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशें की और कार्रवाई योग्य कदमों का सुझाव दिया। कुछ संवैधानिक संशोधन संघवाद और इसके कार्यान्वयन को बेहतर बना सकते हैं। यह इस प्रकार सूचीबद्ध हैं:
    - **राज्यपाल का पद गैर-राजनीतिक होना चाहिए** और उसकी पदच्युति की शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिए;
    - **अंतर-राज्य परिषद के अधिदेश** का सलाह और सिफारिशों से परे विस्तार करना चाहिए;
    - **विधायिका से कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा वीटो** के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए;
    - जब केंद्र कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करता है, तो **राज्यों को शामिल करना** उचित होगा आदि।
- **राजकोषीय क्षमता बढ़ाना:** केंद्र का हिस्सा कम किए बिना राज्यों की राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार की कानूनी रूप से गारंटी दी जानी चाहिए।
- **चुनावी सुधार:** क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय नेताओं के लिए समान अवसर का निर्माण करने हेतु पर्याप्त चुनावी सुधार किये जाने चाहिए। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रतियोगिता की सुविधा प्रदान करेगा।
- **CBI जैसे निकायों के लिए विशिष्ट सिफारिशें:**
    - **CBI को सांविधिक मान्यता**, इसे DPSE अधिनियम से इसके अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान करेगी।
    - **एक व्यापक प्रणाली** जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का **सहयोग शामिल** हो, CBI के लुप्त हो चुके गौरव को पुनर्जीवित कर सकती है।

2.3. राज्यपाल-राज्य संबंध (Governor-State Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केरल के राज्यपाल का राज्य सरकार के तहत आने वाले केरल विश्वविद्यालय में नियुक्तियों सहित कई मुद्दों पर चुनी हुई सरकार के साथ गतिरोध चल रहा है। साथ ही, उन्होंने राज्यपाल के पद की "गरिमा कम करने" वाले मंत्रियों को बर्खास्त करने की भी चेतावनी दी है।

राज्यपाल- राज्य संघर्ष के कारण

- **नियुक्ति/ पद से हटाने की प्रक्रिया में खामियां:** राज्यपाल **राजनीतिक हितों से नियुक्त किया जाने वाला पद बन गया** है। साथ ही, राज्यपाल (जिसे राष्ट्रपति द्वारा **केंद्र की सलाह** पर नियुक्त किया जाता है) को पद से हटाने के लिए उस पर **महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है।**
- **कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं**: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा **किसी भी समय** हटाया जा सकता है।

- **राज्य विधेयक को स्वीकृति देने की कोई समय सीमा नहीं: पुरुषोत्तम बनाम केरल राज्य वाद (1962)** में यह निर्णय दिया गया कि, अनुच्छेद 200 के तहत, स्वीकृति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। साथ ही उन मामलों के बारे में मार्गदर्शन की कमी है, जिनमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसे **स्वीकृति देनी चाहिए या स्वीकृति रोक लेनी चाहिए।**
- **वैधता (Legitimacy)**: राज्यपाल **निर्वाचित नहीं होता है।** इसलिए केवल अपनी स्वीकृति रोकने की घोषणा करके विधान-मंडल के संकल्प को खारिज करने की उसकी शक्ति से वैधता (Legitimacy) की समस्या पैदा होती है।
    - इसके अतिरिक्त, किसी भी न्यायालय को **राज्यपाल द्वारा इस प्रकार स्वीकृति रोके जाने के औचित्य पर विचार करने की शक्ति नहीं है।**
- **शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव:** संविधान में, राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। इन शक्तियों में **मुख्यमंत्री को नियुक्त करना या विधान सभा को विघटित करना** शामिल हैं। इस प्रकार राज्यपालों पर **राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगता रहा है।**
- **मतभेदों को दूर करने के लिए तंत्र का अभाव: मतभेद होने पर राज्यपाल और राज्य सरकार को** किस प्रकार अपने मदभेद दूर करने चाहिए, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

विभिन्न आयोगों की सिफारिशें

सरकारिया आयोग	• किसी राज्य के राज्यपाल की **नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया** संविधान में ही निर्धारित होनी चाहिए। • किसी राज्य में राज्यपाल का **पांच वर्ष का कार्यकाल अत्यंत तार्किक कारण होने पर ही समय से पूर्व समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।** • जब तक मंत्रिपरिषद के पास **विधानसभा में बहुमत** है तब तक राज्यपाल उसे **बर्खास्त नहीं** कर सकता। • **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** का प्रयोग अत्यंत विषम स्थितियों में **बहुत संयम से** और केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए।

पुंछी आयोग	• राज्यपालों के लिए पांच वर्ष का **निश्चित कार्यकाल** होना चाहिए। साथ ही, उनकी **पदच्युति** केंद्र सरकार की **इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।** • राष्ट्रपति पर **महाभियोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया** को आवश्यक परिवर्तनों के साथ **राज्यपालों के लिए भी लागू किया जा सकता है।** • **विवेकाधीन शक्ति** का प्रयोग **तर्क से** नियंत्रित, **सद्भाव से** क्रियान्वित और **सावधानी से** संयमित होना चाहिए। • राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में, राज्यपाल को छह महीने के भीतर यह **निर्णय लेना** चाहिए कि क्या सहमति प्रदान की जाए या राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे सुरक्षित रखा जाए।
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)	• राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति **उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद** ही करनी चाहिए। • राज्य के मंत्रिमंडल के पास विधानसभा का विश्वास मत है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण **केवल सदन के पटल पर किया जाना चाहिए।**

2.4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 {National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023** जारी किया है। इस अध्यादेश के जरिए **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (GNCTD) अधिनियम, 1991** में संशोधन किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट** ने अपने एक फैसले में **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासनिक सेवाओं (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर) पर दिल्ली सरकार के अधिकार को बरकरार** रखा था। इस अध्यादेश के द्वारा **सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रभाव को खत्म** किया गया है।
- अनुच्छेद 239AA का हवाला देते हुए, **सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया** था कि 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 के तहत आने वाली सेवाओं पर **विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी।**
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **उप-राज्यपाल,** दिल्ली के विधायी दायरे के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में **NCT दिल्ली** के **मंत्रिपरिषद (CoM) की सहायता और सलाह पर निर्भर है।**

अध्यादेश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सेवाओं पर कानून बनाने की शक्ति:** इस अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली विधान सभा को **राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली 'सेवाओं' के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी।**
  - सेवाओं में **दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण तथा सतर्कता (Vigilance) से संबंधित** मामले शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Services Authority: NCCSA):** इसमें एक नए वैधानिक प्राधिकरण के रूप में **NCCSA** के गठन का उपबंध किया गया है। यह प्राधिकरण स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में **उप-राज्यपाल (LG) को सिफारिश करेगा।**
  - NCCSA में **दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव (Principal Secretary)** शामिल होंगे।
  - NCCSA द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामलों पर निर्णय **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत** से लिया जाएगा।
  - प्रधान सचिव और मुख्य सचिव **दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।**
- **उप-राज्यपाल (LG) की शक्तियां:** LG अपने विवेकाधिकार से कार्य करेगा। यह अध्यादेश **प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करने या उसे पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति देकर** LG की विवेकाधीन भूमिका का विस्तार करता है।
  - NCCSA और LG के बीच मतभेद होने की स्थिति में **अंतिम निर्णय लेने की शक्ति LG** को दी गई है।

केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 1991 में संविधान में **69वां संशोधन** किया गया था। इसके माध्यम से दिल्ली को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का विशेष दर्जा** (एस. बालकृष्णन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर) दिया गया था।
  - इसमें NCT दिल्ली में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और एक विधान सभा का प्रावधान किया गया है।
  - विधान सभा के पास **लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि** को छोड़कर **राज्य सूची या समवर्ती सूची** के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी।
  - यदि उप-राज्यपाल (L-G) और मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है, तो उप-राज्यपाल मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम (GNCTD), 2021**
  - विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में **'सरकार'** शब्द का अर्थ L-G होगा।
  - दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर **किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उप-राज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा।**

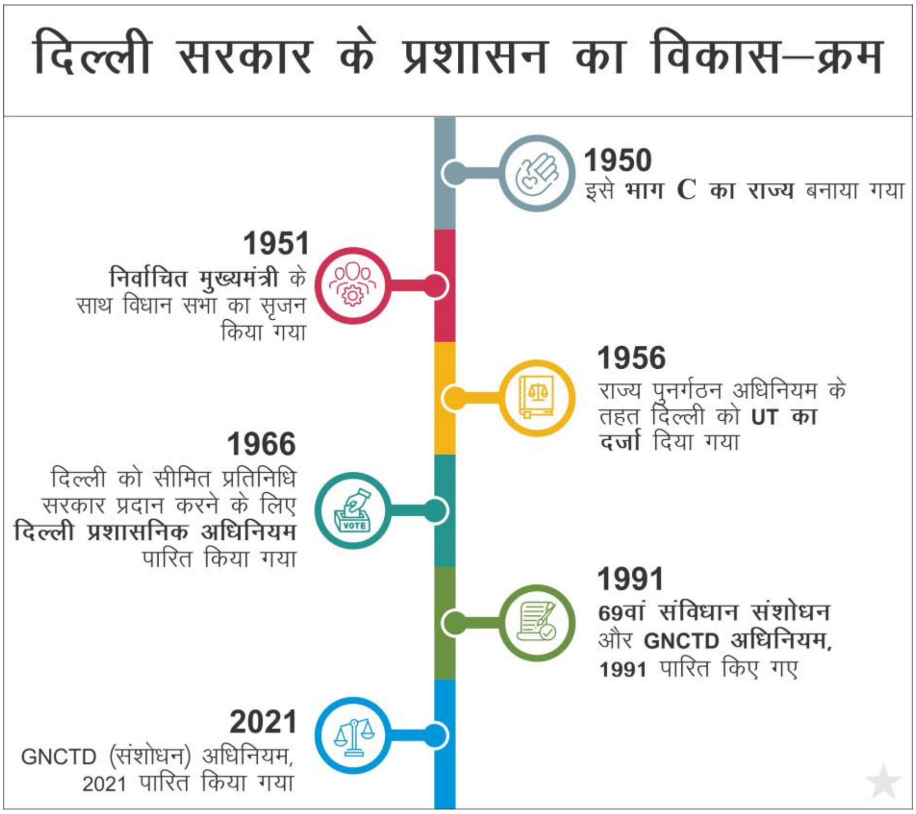

  - उप-राज्यपाल को उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान की गई है, जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं, जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर हैं।

मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं

- **विधायिका के विशेषाधिकार के विरुद्ध:** विधान-मंडल को अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति उसे मिले विशेषाधिकारों का भाग है। ये विशेषाधिकार विधान-मंडल के दोनों सदनों को प्राप्त हैं।
- **L-G की कार्रवाई की जवाबदेही नहीं:** प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए विधान सभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। कार्यकारी जवाबदेही सरकार की संसदीय प्रणाली का सार है। यह संविधान के **मूल ढांचे** का एक हिस्सा है।
- **चुनी हुई सरकार को कमजोर करना:** 'सरकार' के रूप में L-G, विधान सभा द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने या सदन के निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका कारण यह है कि L-G विधान सभा के प्रति जवाबदेह नहीं है।
- **शक्ति का संकेंद्रण:** जैसा कि GNCTD अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि विधान सभा द्वारा निर्मित किसी भी कानून में **"सरकार" शब्द का अर्थ उप-राज्यपाल होगा।**
  - यदि दिल्ली का प्रशासन **अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों** के अनुसार नहीं चलाया जाता है, तब L-G की एक रिपोर्ट के आधार पर **अनुच्छेद 239AB** के तहत इस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब यदि L-G ही सरकार है, तो क्या उसे स्वयं अपने खिलाफ रिपोर्ट देनी होगी या नहीं।
- **सहकारी संघवाद के खिलाफ:** यह अधिनियम **सहकारी संघवाद की भावना की उपेक्षा** करता है। साथ ही, **NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामले (2018)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों के भी विपरीत है।
- **सेवा विभाग पर नियंत्रण:** चूंकि, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यहां गवर्नेंस हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और सेवा विभाग भी L-G के अधीन आता है।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक संरचना:** शीर्ष न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला था कि संविधान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में निर्धारित योजना एक सहयोगी संरचना की परिकल्पना करती है। इसे केवल संवैधानिक विश्वास के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है।
- **बेहतर मिश्रित संतुलन को अपनाना:** इसे दिल्ली के विशेष दर्जे और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते मूलभूत चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए।
- **राजनीतिकरण को कम करना:** दो राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अंततः **प्रतिनिधिमूलक शासन** के आदर्शों पर हमला करने के समान है।
- **सुस्पष्ट व्याख्या:** प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के व्यापक हित में मौजूदा कानूनों की उसी तरह स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें बनाया गया था।

2.5. छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

छठी अनुसूची: एक नज़र में

संविधान की छठी अनुसूची **असम, मेघालय, त्रिपुरा** तथा **मिजोरम** के जनजातीय समुदायों को संविधान के **अनुच्छेद 244(2) और 275(1)** के प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान करती है।

अनुच्छेद 244 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में निर्दिष्ट **कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करता है।**

अनुच्छेद 275 भारत की संचित निधि पर भारित **विधिक अनुदानों के लिए प्रावधान करता है।** ऐसे अनुदानों में विशिष्ट अनुदान भी सम्मिलित हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की वृद्धि करने या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए होते हैं।

छठी अनुसूची में सम्मिलित होने के लाभ

- शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण।
- क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन।
- भूमि अधिकारों सहित कृषि-संबंधी अधिकारों का संरक्षण।
- तीव्र विकास के लिए वित्तीय अंतरण में वृद्धि।

आगे की राह

- सभी क्षेत्रों में **निर्वाचित ग्राम परिषद् का गठन** तथा ग्राम सभा के प्रति ग्राम परिषद् की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा **नियमित निर्वाचन** सुनिश्चित करना।
- कानून के अंतर्गत **ग्राम सभा को मान्यता** प्रदान करना तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का उल्लेख करना।
- यह सुनिश्चित करना कि **महिलाएं एवं अन्य नृजातीय अल्पसंख्यक परिषद के प्रतिनिधित्व से वंचित न रहें।**
- विकासात्मक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में **पारदर्शिता** लाना।

छठी अनुसूची से संबंधित मुद्दे

- **छठी अनुसूची के सीमित भौगोलिक कवरेज** के कारण कई आदिवासी समुदाय इसमें शामिल नहीं हैं। इससे उनके साथ असमान व्यवहार और उनका अपवर्जन होता है।
- छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत अलग-अलग परिषदों के काम-काज में अक्सर **वित्तीय कुप्रबंधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार** का पता चलता है।
- स्वायत्त परिषदों की संबंधित राज्य सरकारों पर **वित्तीय निर्भरता** है।
- इन क्षेत्रों के प्रशासन में **विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच परामर्श पर टकराव** उत्पन्न होता है।
- स्थानीय पंचायतों या परिषदों की अनुपस्थिति में, छठी अनुसूची के क्षेत्रों में **मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए प्राधिकार और संसाधनों की कमी है।**
- प्रथागत कानून के **संहिताकरण का अभाव** है।
- उचित तकनीकी और वित्तीय विचार-विमर्श के बिना विकास परियोजनाओं में **कुशल पेशेवरों की कमी है।**

2.6. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)

सातवीं अनुसूची: एक नज़र में

- संविधान की सातवीं अनुसूची का प्रावधान **अनुच्छेद 246** के तहत किया गया है। इसमें तीन **सूचियां शामिल** हैं, जो **संघ और राज्यों** के बीच शक्तियों का वितरण एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती हैं। ये सूचियां हैं: **संघ सूची (97 प्रविष्टियां), राज्य सूची (66 प्रविष्टियां) और समवर्ती सूची (47 प्रविष्टियां)**। संविधान के **अनुच्छेद 248** के अनुसार, **अवशिष्ट शक्तियां (Residuary powers)** संसद को प्रदान की गई हैं।

सातवीं अनुसूची का विकास-क्रम

- **भारतीय परिषद अधिनियम, 1861** के द्वारा **प्रांतीय विधान परिषदों के गठन** का प्रावधान किया गया, जिनमें भारतीयों का **पर्याप्त प्रतिनिधित्व** था।
- **लॉर्ड रिपन ने एक संकल्प** के जरिए **निर्वाचित नगरपालिका परिषदों** और **ग्रामीण जिला बोर्डों के गठन** का मार्ग प्रशस्त किया।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1909** ने प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए थे। इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1919** ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन करके और उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की थी।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1935** द्वारा **विधायी शक्तियों को तीन सूचियों** में बांटा गया। इसे भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया है।
- 1946 में गठित **संविधान सभा ने एक मजबूत केंद्र के विचार का समर्थन** किया। इस तरह केंद्र को मूल रूप से **97 विषयों (वर्तमान में 100) के साथ-साथ अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति** दी गई।
- **1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पांच विषयों को राज्य सूची** से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये हैं- शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन।

संविधान में सातवीं अनुसूची को शामिल करने का औचित्य

- **राष्ट्र की एकता एवं अखंडता** सुनिश्चित करना।
- **समन्वित तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना** और राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास के तहत समानता लाना।
- **उत्तरदायी शासन को संभव बनाना।**
- भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के संबंध में **राज्य की सांस्कृतिक स्वायत्तता एवं विविधता को बढ़ावा देना।**
- संघ और राज्यों के बीच **सहयोग की भावना को बढ़ावा देना।**

सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों है?

- केंद्र के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण **राज्यों की सांस्कृतिक स्वायत्तता कम हो जाती है।**
- **केंद्रीकरण का समाधान करने के लिए,** क्योंकि शिक्षा सहित कई विषयों को अनुचित तरीके से बिना किसी तर्क के राज्य-सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- **पुरातन,** क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है।
- समवर्ती सूची में **केंद्र का प्रभुत्व** है।
- सेवा वितरण में सुधार हेतु **3F (फंड, फंक्शन** एंड **फंक्शनरीज)** का विकास करने के लिए।
- सूची के अंतर्गत नई या मौजूदा विषयों/ प्रविष्टियों का उचित सूची में स्थान सुनिश्चित करने के लिए।
- राज्य की अधिक स्वायत्तता संबंधी मांग का निवारण हेतु।

आगे की राह

- **सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार:**
  - **अवशिष्ट शक्तियां** केंद्र को सौंपने के बजाए **समवर्ती सूची में स्थानांतरित** की जानी चाहिए।
  - **केंद्र सरकार को समवर्ती सूची के विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने से पहले राज्यों से परामर्श** करना चाहिए।
- **वेंकटचलैया आयोग** की सिफारिश के अनुसार, **समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से** राज्यों के साथ अलग-अलग और सामूहिक परामर्श किया जाना चाहिए।
- **संघ और राज्य सरकारों के बीच परामर्श के लिए क्षेत्रीय परिषदों जैसे मंचों को फिर से सशक्त बनाने** और प्रभावी चर्चा के लिए इनका उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **सूचियों की समय-समय पर समीक्षा करना,** पुरानी प्रविष्टियों को हटाना, नई प्रविष्टियों को जोड़ना और मौजूदा प्रविष्टियों को उचित सूची में शामिल करना।
- एम.एम. पुंछी आयोग (2010) के अनुसार, केंद्र को केवल उन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए जो राष्ट्रीय नीति संबंधी बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

2.7. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-State Border Disputes)

अंतर–राज्यीय सीमा विवादः एक नज़र में

1963 में नागालैंड के गठन के साथ प्रारंभ हुए असम के पुनर्गठन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 अंतर–राज्यीय सीमा विवादों को जन्म दिया है।

इसके अलावा, भारत में कुछ अन्य अंतर–राज्य सीमा विवाद भी मौजूद हैं जो या तो सक्रिय हैं (जैसे– बेलगाम जिले को लेकर महाराष्ट्र–कर्नाटक में विवाद) या निष्क्रिय हैं (जैसे– कासरगोड को लेकर कर्नाटक–केरल में विवाद)।

अंतर–राज्यीय सीमा विवादों के कारण

- वोट बैंक की राजनीति हेतु राजनीतिक अवसरवाद के रूप में अंतरराज्यीय विवादों का उपयोग करना।
- प्रशासनिक सुविधा या वाणिज्यिक हितो के आधार पर सीमाओं के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति।
- सीमा विवादों के समाधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
- बाहरी लोगों के प्रवास से स्वदेशी लोगों में भय की धारणा।
- सीमाओं की उचित पहचान करने तथा उन्हें चिन्हित करने के लिए भू–भाग या भौगोलिक विशेषताओं (जैसे– वन, नदियां आदि) से जुड़ी जटिलताएं।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों तथा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद का भी आशा अनुरूप कार्य न करना।

अंतर–राज्यीय सीमा विवादों के प्रभाव

- विवादित क्षेत्रों में संवृद्धि और विकास की कमी।
- कई बार इससे ग्रसित क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाता है।
- इसके कारण विस्थापन, संपत्ति की क्षति आदि के साथ–साथ लोगों को कई तरह की परेशानियां भी होती हैं।
- विवाद में शामिल राज्यों के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंध देखने को मिलता है।
- इसके चलते कई बार अलगाववादी प्रवृत्तियों और समूहों का उदय देखने को मिलता है या उन्हें बढ़ावा मिलता है, जो आंतरिक सुरक्षा लिए खतरा पैदा करते हैं।

राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के तरीके

- न्यायिक निवारण: संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी:
  - भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद; या
  - एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद; या
  - दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- अंतर–राज्यीय परिषद (**ISC**): अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए अंतर–राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं:
  - राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं, उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना;
  - कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के साझा हित से संबंधित विषयों की जांच करना एवं उन पर विचार–विमर्श करना, या
- क्षेत्रीय परिषदें (**Zonal Councils**): इनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ये केवल विचार–विमर्शी एवं सलाहकारी निकाय हैं।

आगे की राह

- विवादों का समाधान करने में किसी की हार या जीत के बजाए संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम सुनिश्चित करने वाले दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
- नीति–निर्माताओं को विवाद के मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए। ऐसे विवादों के हल के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थता से एक राजनीतिक समाधान खोजने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।
- राजनेताओं को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सीमाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राजनेताओं को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि यदि सीमाओं पर शांति होगी तो बेहतर अवसंरचना, कनेक्टिविटी और विकास संभव होगा।
- स्थानीय लोगों को शामिल करने से सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम होगी। इससे दोनों के मध्य संपर्क में भी वृद्धि होगी।
- उचित पुनर्वास नीति का निर्माण विवाद–समाधान प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण बनाएगी। साथ ही, लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होगी।
- ग्रामीण स्तर पर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का हल करने से वास्तविक शिकायतों का समाधान हो सकता है। साथ ही, प्रभावी समाधान के लिए लोगों के हितों को वरीयता दी जानी चाहिए।

2.8. अंतर-राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Disputes)

अंतर–राज्यीय जल विवाद– एक नज़र में

भारत में अंतर–राज्यीय जल विवादों (ISWDs) को बढ़ावा देने वाले कारक

- नदी के प्रवाह मार्ग में स्थित राज्यों के बीच नदी जल का असमान वितरण।
- नदी के जल का उपयोग करने संबंधी अधिकारों को लेकर **राज्यों की विवेकाधीन स्थिति।**
- अंतर–राज्यीय सहयोग के विचार की अनदेखी करते हुए अंतर–राज्यीय जल का मनमाने तरीके से बंटवारा।
- जल की अभावग्रस्तता के बीच **जल की बढ़ती मांग।**
- जल संसाधन विकास के प्रति **राज्यों की क्षेत्रीय धारणाएं और प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण।**
- नदी जल के गवर्नेंस में **भूमि–जल–खाद्य** संबंध के समग्र दृष्टिकोण को शामिल करने वाले **एकीकृत बेसिन दृष्टिकोण का अभाव है।**

अंतर–राज्यीय नदी जल विवादों के लिए फ्रेमवर्क

- संविधान की सातवीं अनुसूचीः इसके तहत जल, राज्य सूची का एक विषय है (प्रविष्टि 17, राज्य सूची) और केंद्र सरकार की संवैधानिक भूमिका केवल अंतर–राज्यीय जल के मामले में है (प्रविष्टि 56, संघ सूची)। अनुच्छेद 262 संसद को ISWDs के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
    - इसके तहत दो कानून बनाए गए हैंः नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 और अंतर–राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (2002 में संशोधित)।

अंतर–राज्यीय नदी जल विवादों (ISWDs) से संबंधित चुनौतियां

- ISWDs का समाधान करने के लिए मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी अस्पष्टताएं।
- अंतर–राज्यीय नदी जल गवर्नेंस पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी प्रयास पर राज्यों का बढ़ता प्रतिरोध।
- मौजूदा कानूनी तंत्र संबंधी अक्षमताएं।
- राज्यों के बीच आम सहमति बनाना एक चुनौती है क्योंकि जल बंटवारे को राज्य की क्षेत्रीय स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- ISWDs के समाधान पर निर्णय अक्सर राजनीतिक मंशा से प्रेरित होते हैं।

अंतर–राज्यीय नदी विवादों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **अंतर–राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** अंतर–राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन को सरल एवं कारगर बनाने और इससे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे को सशक्त करने का प्रयास करता है।
- **नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2019** अंतर–राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए एक नदी बेसिन प्राधिकरण (River Basin Authority) स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।
- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021**ः यह देश भर में बांधों की सुरक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने तथा राज्य द्वारा निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

अंतर–राज्यीय नदी जल का प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित करने हेतु उपाय

- **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सभी अंतर–राज्यीय नदियों को विनियमित,** विकसित और नियंत्रित करने के लिए व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की है।
- **अंतर–राज्यीय समन्वय, अनुपालन या सहयोग के लिए मजबूत और लचीला संस्थागत मॉडल** विकसित किया जाना चाहिए।
- **विवाद समाधान में सामाजिक न्याय को शामिल करना चाहिए।**
- **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल एक कुशल नदी बेसिन प्रबंधन योजना** तैयार करने के लिए सभी प्रासंगिक कौशल एवं हितधारकों को शामिल करना चाहिए।
- **राजनीतिक वार्तालाप के विकल्प को** तैयार किया जाना चाहिए।
- ऐसे विवादों के परिणामस्वरूप विकासात्मक, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

2.9. बहुभाषावाद (Multilingualism)

बहुभाषावाद: एक नज़र में

सदियों के **भाषाई अभिसरण** के कारण **बहुभाषावाद** भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

संविधान सभा ने **भारत की 'विविधता में एकता' के संरक्षण** में बहुभाषावाद की भूमिका को विशेष महत्त्व प्रदान किया था। ऐसे प्रयासों के कारण **बहुभाषावाद** भारत के संवैधानिक लोकाचार के अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल हो गया है।

भारतीय बहुभाषावाद: विशेषताएं/उद्देश्य

- भारत की **कोई राष्ट्रभाषा** (केवल **राजभाषा**) नहीं है। **भारत के बहुलवाद को संरक्षित करने** के लिए **राज्य विधान–मंडलों** को अपनी राजभाषा के चयन हेतु **स्वतंत्रता** प्रदान की गई है।
- **भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों** को अपनी पसंद के **शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार** प्रदान किया गया है।
- भाषाओं के संरक्षण के लिए मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा हेतु **विशिष्ट निर्देश** जारी किए गए हैं।
- **भारत की भाषा संबंधी समृद्ध सांस्कृतिक संपदा** को संरक्षित करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों को **भाषा के संरक्षण का अधिकार** प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- संविधान की **आठवीं अनुसूची** के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
- बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा** दिया गया है।
- **शास्त्रीय भाषाओं** के संरक्षण और विकास के प्रावधानों के साथ उन्हें मान्यता प्रदान की गई है।
- **भारतीय भाषाओं** में कंटेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए **मिशन मोड प्रयास (भाषिणी)** शुरू किए गए हैं।
- आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर कई लाभों के लिए **क्षेत्रीय भाषाओं आदि को बढ़ावा देने** हेतु अन्य संस्थानों द्वारा भी प्रयास किए गए हैं।

बहुभाषावाद के समक्ष चुनौतियां

- **भाषाई समझ** के कम होने के साथ बढ़ता **एकभाषी परिवेश**।
- सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए **मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी**।
- **भाषा के विकास में गतिहीनता और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण** की समस्या।
- कुछ राज्यों में **बहुभाषी नीतियों के प्रति आशंका**।
- सीमित डिजिटल उपस्थिति के साथ वैश्वीकरण का **नकारात्मक प्रभाव**।
- अलग–अलग भाषाओं को लेकर भेदभाव के कारण **सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हुई है और सामाजिक–सामंजस्य में भी कमी** देखने को मिलती है।

आगे की राह

- राज्य की **सभी भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना**।
- **शिक्षा प्रणाली की अक्षमताओं** को दूर करने के लिए वित्त–पोषण में वृद्धि और श्रम बल विकास के साथ **त्रि–भाषा फार्मूले** पर राज्यों की आशंकाओं को दूर करना।
- **मौजूदा भाषाई असमानताओं को दूर** करने का प्रयास करना।
- क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए **क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की उपलब्धता और ऐसे कंटेंट की मान्यता पर ध्यान केंद्रित करना**।
- राज्य को उत्तरदायी बनाने के लिए भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

2.9.1. एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर-राज्यीय संचार या संवाद में **अंग्रेजी की बजाय हिंदी को भाषा के रूप में प्रयोग** करने का आग्रह किया है।

हिंदी भाषा के बारे में

- हिंदी, **भारतीय-यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो-आर्यन शाखा से संबंधित है।** हिंदी की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय भाषा **संस्कृत से हुई** है।
- वर्ष 1949 में, **संविधान सभा ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा**[2] के रूप में अपनाया।

---

[2] Official Language of Union of India

- वर्ष 1950 में, भारत के संविधान के **अनुच्छेद 343** के तहत **देवनागरी लिपि में हिंदी** को भारत की राजभाषा (Official language of India) के रूप में स्वीकार किया गया।
- वर्ष 1963 में, **राजभाषा अधिनियम[4] पारित किया गया।** इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आधिकारिक संचार (Official Communication) के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जा सकता है।
- वर्तमान में संविधान की **आठवीं अनुसूची** में **हिंदी सहित 22 भाषाएँ शामिल** हैं।

हिंदी: "एक राष्ट्र, एक भाषा" का विकल्प

- **व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा:** 2011 की **भाषाई जनगणना** के अनुसार, हिंदी भारत में सबसे अधिक (**52.8 करोड़ व्यक्ति या आबादी का 43.6%**) बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली और मराठी का स्थान आता है।
  - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में 61.5 करोड़ बोलने वालों के साथ हिंदी **दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।**
- **राष्ट्रीय पहचान:** आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में हिंदी को अपनाया था।
  - महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए हिंदी का उपयोग किया था। इसी कारण से हिंदी भाषा को "एकता की भाषा" भी कहा जाता है।
- **शिक्षा का माध्यम:** एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (USIDE+)[3] के अनुसार, **देश में लगभग 42% बच्चे हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं,** इसके बाद अंग्रेजी (26%) और बंगाली (6%) का स्थान आता है।

एक राष्ट्र एक भाषा के मुद्दे पर वाद-विवाद

- **भाषा और पहचान के बीच के संबंध को समझना:** भाषा मुख्यतः पहचान से जुड़ी होती है। इसलिए भाषा अक्सर किसी राष्ट्र की पहचान बन जाती है।
- **भाषा और राष्ट्रवाद:** देश के झंडे और साहित्य के साथ-साथ भाषा को भी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। भाषा और राष्ट्र के बीच का संबंध मौलिक होता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग अक्सर राष्ट्रों के निर्माण में किया जाता है।

एक राष्ट्र एक भाषा की आवश्यकता क्यों?	एक राष्ट्र एक भाषा से संबंधित मुद्दे
• **भाईचारे की भावना:** यह दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को एकजुट करता है। साथ ही, इससे एवं उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की खाई को कम भी किया जा सकता है। • **प्रशासनिक कार्यकुशलता:** एक भाषा लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को समझने में भाषा संबंधी बाधा का समाधान कर सकती है। • **सेवाओं के वितरण में सुधार:** उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल में भाषा संबंधी बाधा गलत उपचार का कारण बन सकती है। इसलिए एक भाषा ऐसे मुद्दे समाधान कर सकती है एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। • **धन और समय की बचत:** एक भाषा होने से सार्वजनिक दस्तावेजों को न तो अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करना पड़ेगा न ही बाहर से अनुवाद संबंधी सेवाएं लेनी पड़ेगी। इससे सरकारी धन और समय की बचत होगी। • **सहयोग को बढ़ावा: इससे समझ और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।** साथ ही, यह विचारों, मूल्यों और आस्था के संचार को सुविधाजनक बनाती है। इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों के बीच मतभेद कम होता है।	• **विविधता के विरुद्ध:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 19,569 मातृ भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार एक भाषा को थोपना विविधता के सिद्धांत के विरुद्ध है। • **संघीय मुद्दा:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लोगों ने संचार के लिए हिंदी को पहली पसंद के रूप में चुना था। इस प्रकार हिंदी को एक राष्ट्र एक भाषा के रूप में थोपना **सहकारी संघवाद के विचार के विरुद्ध है।** • **बहुलतावादी समाज:** यह विचार कि एक भाषा एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह उपनिवेशवाद के प्रभाव को उजागर करती है। साथ ही, यह **भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप नहीं है** क्योंकि भारत हमेशा से एक बहुभाषी समाज रहा है। • **अलगाववादी प्रवृत्ति:** इतिहास में भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं कि इसको लागू करने **देश का विभाजन** हुआ है। उदाहरण के लिए, **पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू को थोपना** एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण था। • **आर्थिक प्रभाव:** एक भाषा का विचार आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि इससे प्रवास धीमा होगा, पूंजी प्रवाह में कमी आएगी और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा। • **अल्पसंख्यक भाषा को खतरा:** उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, **बो भाषा को बोलने वाले अंतिम बोआ की मृत्यु से** लगभग 70,000 वर्षों के इतिहास वाली **बो भाषा विलुप्त हो गई।**

[3] Unified District Information System for Education Plus

[4] Official Languages Act

आगे की राह

- **तीन भाषा वाला फ़ॉर्मूला:** इसे पहली बार वर्ष 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था। इस फ़ॉर्मूले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया है। सभी राज्य सरकारों को भाषा के अंतराल को समाप्त करने के लिए इस फॉर्मूले अर्थात् **हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा** को अपनाना और लागू करना चाहिए।
- **विविधता का सम्मान:** भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होगा।
- **स्थानीय भाषाओं को मजबूत करना:** प्राचीन दर्शन, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को संरक्षित करने के लिए किसी एक भाषा का पक्ष लिए बिना स्थानीय भाषाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना एवं काम-काज(Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning)

3.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉलेजियम प्रणाली में **कार्यकारी प्रतिनिधित्व** की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में **"शक्तियों का पृथक्करण" के सिद्धांत** पर बहस को जन्म दिया है।

भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का महत्त्व

- **नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण:** उदाहरण के लिए- **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से **'निजता के अधिकार'** की भारत के संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में पुष्टि की थी।
- **शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है:** शक्तियों को अलग-अलग संस्थानों के बीच विभाजित किया गया है, लेकिन इन संस्थानों को सीमित शक्तियां ही दी गई हैं। यह व्यवस्था तानाशाही या अराजकता के उद्भव को रोकती है तथा संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखती है।
- **कार्यात्मक विशेषज्ञता का निर्माण करता है:** यह अलग-अलग संस्थानों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता सृजित करता है। साथ ही, यह शासन में दक्षता सुनिश्चित करता है।
- **सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करता है।**
- **न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।**

भारत में शक्ति के पृथक्करण से संबंधित मुद्दे

- **कार्य विभाजन में चुनौतियां:** यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि सरकार के तीनों अंग (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) स्वतंत्र हैं तथा ये एक दूसरे से अलग हैं।
    - हालांकि, व्यवहार में उनके **कार्यों और शक्तियों में ओवरलैप** हो सकता है। इससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करने में संघर्ष और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए- **यदि विधायिका के पास केवल कानून बनाने की ही शक्ति हो, तो उसे अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।** इसका कारण यह है कि विधायिका की दंडित करने की इस शक्ति को **अर्ध-न्यायिक कार्य** के रूप में देखा जा सकता है।
- **दूसरे अंग के अतिक्रमण की ओर ले जाता है:** इस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या के अनुसार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के आवश्यक कार्यों का अतिक्रमण किए बिना अपने आकस्मिक कार्यों का संपादन कर सकता है।
    - हालांकि, इस मामले में अतिक्रमण का जोखिम फिर भी बना रहता है। इससे सत्ता संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है।
- **इसकी स्वीकृति में मौजूद व्यावहारिक कठिनाइयां:** व्यवहार में सरकार के किसी एक अंग में एक प्रकार की शक्ति को केंद्रित करना संभव नहीं हो पाता है।

- विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था के रूप में ही कार्य नहीं करती है, बल्कि यह कार्यपालिका के पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करती है। इसी प्रकार प्रशासनिक अंग के पास कुछ विधायी कार्य भी होते हैं।
- न्यायपालिका के पास न केवल न्यायिक कार्य हैं, बल्कि कुछ नियम बनाने की शक्तियाँ भी इसे प्राप्त हैं।

आगे की राह

- अलग-अलग **संस्थानों के बीच उचित नियंत्रण और संतुलन को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- **समयसीमा: PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड (2021) मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दे देनी चाहिए।
- नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके **संवैधानिक सर्वोच्चता को बढ़ावा** देना चाहिए।

3.1.1. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Activism and Judicial Overreach)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों ने भारत में एक बार फिर से न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण पर बहस को जन्म दिया है।

आधार	न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)	न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach)
लक्ष्य	उन कानूनों की समीक्षा करना जो **मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं।**	यह **किसी भी अधिनियम या निर्णय** या फैसले को **पलटने या कोई सुधार आदि लाने की शक्ति रखता है।**	•**लोकतंत्र में अवांछनीय।** •सरकार के अन्य **अंगों में हस्तक्षेप करता है।**
प्रयोजन / आशय	**अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की वैधता की समीक्षा करना।**	जो समाज के लिए लाभकारी है उसे लागू करने के लिए न्यायिक प्राधिकार का उपयोग करना।	शक्ति के **पृथक्करण** और नियंत्रण एवं संतुलन **के सिद्धांत में हस्तक्षेप करता है।**
उदाहरण	**आई.टी. अधिनियम की धारा 66A को हटाना आदि।**	**स्वतः संज्ञान वाले मामले, जनहित** याचिका की शुरूआत आदि।	**NJAC को रद्द करना**

अन्य संबंधित तथ्य

- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि **आयकर अधिनियम की धारा 153C पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय न्यायिक अतिक्रमण** का एक उदाहरण है।
    - **धारा 153C उन शर्तों को निर्धारित** करती है, जिनके तहत **किसी व्यक्ति के परिसर में की गई तलाशी के परिणामस्वरूप अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू** हो सकती है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि **इस धारा को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है।** हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह **कानून की व्याख्या नहीं है, बल्कि एक उदाहरण है जहां कानून न्यायपालिका द्वारा बनाया गया है।**

- **इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित निर्णय दिया था।**
    - जहां कुछ व्यक्तियों ने **नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता** लाने के लिए न्यायालय के इस निर्णय की प्रशंसा की थी, वहीं कुछ ने इसकी आलोचना करते हुए इसे **न्यायिक अतिक्रमण** का उदाहरण बताया था।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण पर समझ

- **न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का एक रूप** है। इसमें न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से कानून निर्माण से संबंधित नीतियों को प्रतिपादित करते हैं।
- न्यायिक सक्रियता **समाज के लिए जो लाभदायक है, उसे व्यक्त करने और लागू करने के लिए न्यायिक शक्ति का उपयोग है।** हालांकि, जब **न्यायिक सक्रियता का अत्यधिक इस्तेमाल** किया जाता है, तो इसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है।
- **न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच अंतर व्यक्तिपरक** हो सकता है। यह अक्सर किसी के दृष्टिकोण तथा उस विशिष्ट संदर्भ पर निर्भर करता है, जिसमें इसे लागू किया जाता है।

न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क

- **संविधान से उत्पन्न:** न्यायिक सक्रियता का विकास उच्चतर न्यायपालिका को सौंपे गए कर्तव्यों से हुआ है। यह शक्ति संविधान के **अनुच्छेद 32, 136, 142 और 226 में प्रतिबिंबित** होती है।
    - संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति **विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की जांच** करने के लिए दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं।
- **विधायी या कार्यकारी निष्क्रियता का समाधान करना:** उदाहरण के लिए, **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद** में, न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून की अनुपस्थिति के कारण दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे।
- **अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा:** वर्ष 1979 में, **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विचाराधीन कैदियों की ओर से एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जो काफी लंबे समय से जेलों में बंद थे।
- **सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना:** न्यायिक सक्रियता कानूनी मिसाल कायम कर सकती है, जिसका समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ता है तथा जो इसे प्रगति की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए- **नवतेज सिंह जौहर मामले (2018)** में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था।

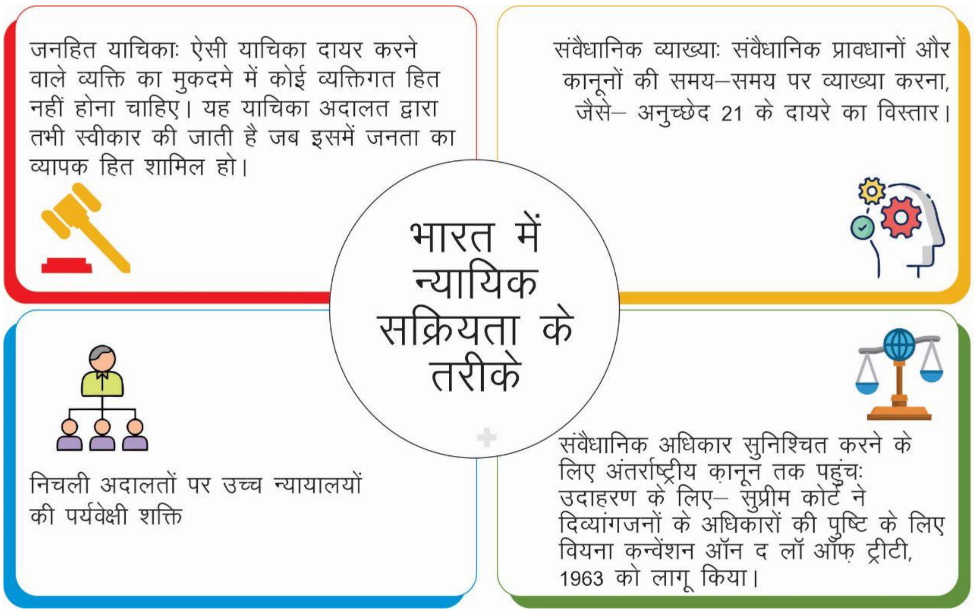

इसकी आलोचना क्यों की जाती है?

- **इसे शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है:** न्यायिक सक्रियता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। यह सिद्धांत हमारे संविधान के **मूल ढांचे का हिस्सा** है।
- **सरकार के अंगों के बीच संतुलन को कमजोर करती है:** न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका की अनन्य अधिकारिता का अतिक्रमण और बढ़ता हस्तक्षेप **एक अवांछनीय विषमता पैदा** करता है।
- **निर्णयों के परिणामों की अनदेखी:** वर्ष 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के आसपास शराब की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आदेश आर्थिक और रोजगार के परिणामों को ध्यान में रखे बिना दिया गया था।

* **नीति निर्माण में व्यवधान:** जब न्यायालय ऐसे नीतिगत निर्णय लेते हैं, जो परंपरागत रूप से विधायी या कार्यकारी शाखाओं की अधिकारिता में होते हैं, तो इससे नीति-निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है।
* **सरकार की वैधता:** न्यायालयों के बार-बार हस्तक्षेप से सरकार की सत्यनिष्ठा, गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो सकता है।
* **न्यायिक लोकलुभावनवाद:** गौरतलब है कि न्यायाधीश भी मनुष्य ही हैं। कभी-कभी न्यायाधीश किसी ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए जनहित याचिका को स्वीकार कर लेते हैं, जो समाज में प्रचलित है।

आगे की राह

* **न्यायिक संयम:** न्यायिक संयम के सिद्धांत का अर्थ है कि न्यायाधीशों को कानूनी मुद्दों (विशेषकर संवैधानिक मुद्दों) पर तब तक निर्णय देने से बचना चाहिए, जब तक कि पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए निर्णय देना जरूरी न हो।
    * इस सिद्धांत के अनुसार **न्यायपालिका को विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को तभी अमान्य करना चाहिए, जब संवैधानिक सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन** किया गया हो।
* **सतत मूल्यांकन:** न्यायपालिका को कानूनी सिद्धांतों की प्रभावशीलता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी सक्रियता के प्रभाव का लगातार मूल्यांकन व चिंतन करना चाहिए।
* **जन जागरूकता और नागरिक सहभागिता:** जब विधायी और कार्यकारी शाखाएं विफल हो जाती हैं, तो न्यायपालिका को उनकी भूमिका का अतिक्रमण करने की बजाय जन जागरूकता व नागरिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
* **लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना:** केवल न्यायिक सक्रियता पर निर्भर रहने की बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

3.2. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां, **मूल कानून (Parent Act)** द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह **अधिकारातीत** (Ultra Vires) है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में

* यह एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से **कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून (प्राथमिक विधान) द्वारा शक्तियां प्रदान** की जाती हैं। ये कानून उस मूल कानून की आवश्यकताओं को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं।
* इस प्रकार संसद **मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम** बनाती है।
* **भारत के संविधान** के अनुसार, कानून बनाने की शक्तियां **विधायिका** को दी गई हैं, जबकि **कार्यपालिका** के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है।
    * **समय की कमी** के कारण विधायिका खुद को **नीतिगत मामलों तक ही सीमित** रखती है। इसलिए, **संसदीय कानून का पूरक कानून या नियम बनाने** के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित मुद्दे

- **प्रत्यायोजित विधान की निम्न संवीक्षा (Low Scrutiny of Delegated Legislation):** संसद के दोनों सदनों में **अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति**[5] को नियमों का अध्ययन करने, विशेषज्ञों और जनता की राय लेने तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
  - एक अध्ययन से पता चला है कि 2008 से 2012 तक, **कुल 6,985 में से केवल 101 प्रत्यायोजित विधानों की ही समितियों द्वारा संवीक्षा** की गई थी।

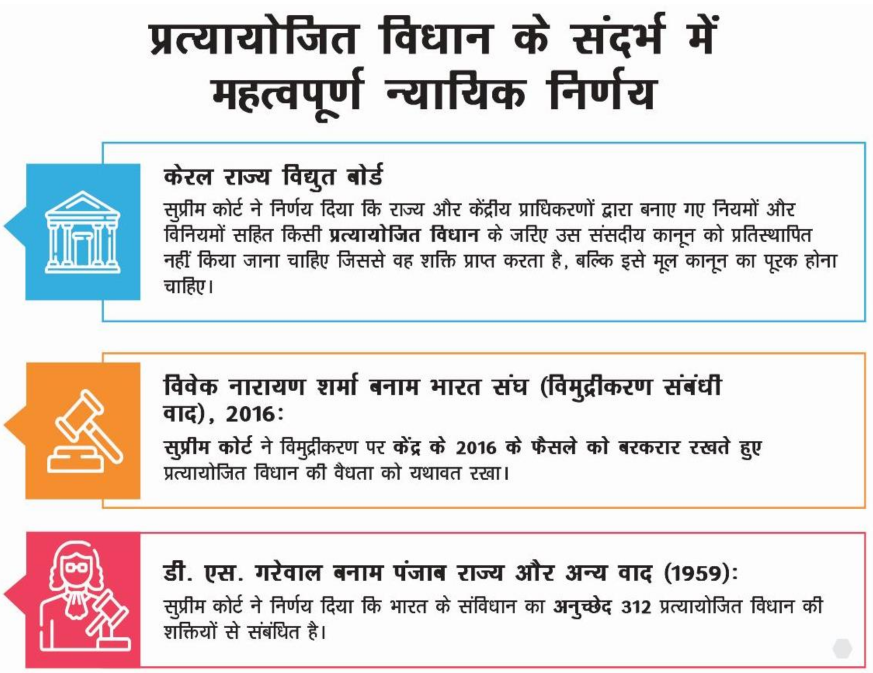

- नियमों और विनियमों को अधिसूचित करने की **संख्या** बहुत अधिक है।
  - उदाहरण के लिए- कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने के बाद से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने इस अधिनियम के तहत **56 नियमों** को अधिसूचित किया है। साथ ही, MCA ने **181 सर्कुलर** जारी किए हैं।
- **लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध:** यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इसका कारण यह है कि प्रत्यायोजित विधान के चलते कार्यपालिका से जुड़े लोग नियम बनाने के कार्य में शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्यायोजित विधान में **राजनीतिक हितों** के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **कार्यपालिका द्वारा शासन करने की शक्तियों का दुरुपयोग:** प्रत्यायोजित विधान की संवीक्षा (जांच) न होने से, कार्यपालिका द्वारा शासन करने की शक्तियों के दुरुपयोग का कारण बन सकती है।
  - दूसरी ओर, खराब नियम अनिवार्य रूप से मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं। इससे न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि होगी।
- **कार्यों का अतिव्यापन (Overlapping of the Function):** उदाहरण के लिए- प्रत्यायोजित विधान में शामिल अधिकारियों को कानून में संशोधन करने का कार्य मिलता है, जो विधि निर्माताओं का कार्य है।

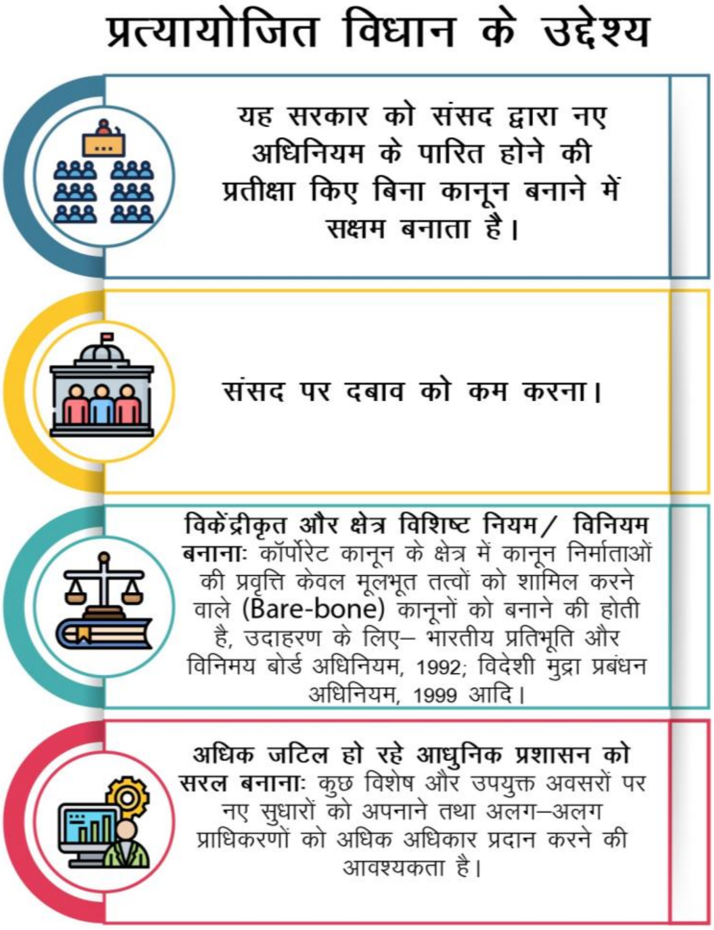

सुझाव

- **संसदीय प्रक्रियाओं में संशोधन:** संसद की प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विधायिका के सदस्य प्रत्येक नियम की पुष्टि कर सकें।

[5] Standing Committee on Subordinate Legislation

- अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति के तहत **अतिरिक्त कार्य समितियों**[6] का गठन किया जाना चाहिए। इनमें संसद के तहत आने वाले सभी नियमों का व्यापक अध्ययन करने में मदद करने के लिए कानून और नीति-निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
- किसी अधिनियम के निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख से छः महीनों तक नियमों का मसौदा तैयार नहीं होने पर **देरी के कारणों** का समिति के सामने उल्लेख किया जाना चाहिए।
- **सांसदों और समितियों के बीच समन्वय:** यदि किसी सांसद द्वारा अधीनस्थ विधान को विशेष आधार पर विश्लेषण के लिए समिति के पास भेजा जाता है, तो अनिवार्य रूप से इस पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद समयबद्ध तरीके से इसके बारे में सदन को सूचित किया जाना चाहिए।

3.3. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया था।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में

- संसदीय विशेषाधिकार **विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कुछ कानूनी संरक्षण** हैं। इनके तहत **सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान** की जाती है।
- **संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र संस्था है** कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या सदन की अवमानना हुई है। किसी भी अदालत को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है।

  - यदि **पीठासीन अधिकारी अनुमति देता है, तो सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता या इसे विशेषाधिकार समिति को भी सौंप** सकता है। राज्य सभा के लिए इस समिति में 10 सदस्य होते हैं तथा लोक सभा के लिए इस समिति में 15 सदस्य होते हैं।

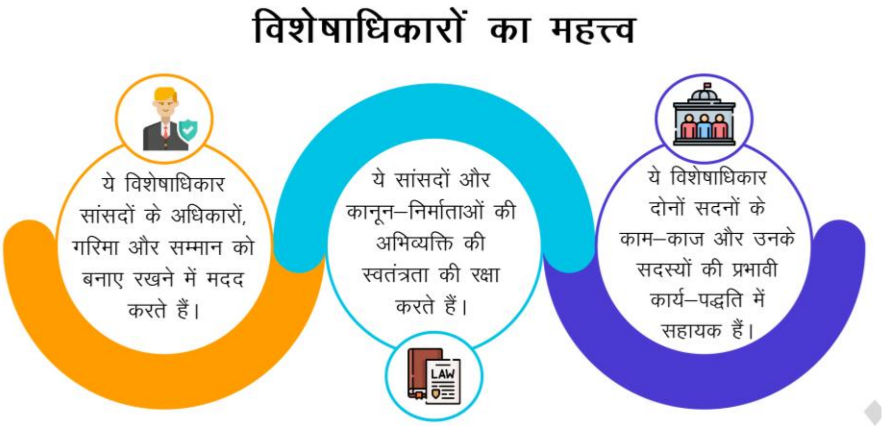

- **विशेषाधिकार दो प्रकार** के होते हैं:
  - **व्यक्तिगत विशेषाधिकार:** ये वे अधिकार हैं, जो संसद के प्रत्येक सदस्य को उसकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए- सांसद सदन में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं।
  - **सामूहिक विशेषाधिकार:** ये सामूहिक रूप से प्रदत्त विशेषाधिकार हैं और प्रकृति में अधिक सामान्य हैं। उदाहरण के लिए- **दस्तावेज़, रिपोर्ट और चर्चाओं** को प्रकाशित करने का अधिकार।

---

[6] Additional working committees

विशेषाधिकारों की सीमाएं

- वाक् स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 118** के तहत प्रदान की गई **संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के अधीन** होनी चाहिए।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121** के अनुसार, संसद के सदस्य को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण तथा दिए गए निर्णय पर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं है।
- **संसद की कार्यवाही न चल रही हो तब और सदन के बाहर कही गई किसी बात के लिए** सदस्यों द्वारा किसी उन्मुक्ति और अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है।

संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ी चुनौतियां

- **प्राकृतिक न्याय के खिलाफ:** 'विशेषाधिकार कानूनों का उल्लंघन' अक्सर राजनेताओं को अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश बनने की अनुमति देता है, जो 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' के खिलाफ है। इससे हितों के टकराव और 'निष्पक्ष सुनवाई' की बुनियादी गारंटी के उल्लंघन का खतरा पैदा होता है।
- **विधायिका के सदस्य ही अपने विशेषाधिकारों के मामले में एकमात्र मध्यस्थ बन सकते हैं:** वे ही यह तय करते हैं कि क्या उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन की स्थिति में उचित दंड क्या हो सकता है।
- **संवैधानिकता या सीमित शक्ति के सिद्धांत के खिलाफ है:** संहिताबद्ध विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति सदन को यह तय करने की असीमित शक्ति देती है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कब और कैसे होता है।
- **शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन है:** पीठासीन अधिकारी ही शिकायतकर्ता, अधिवक्ता और न्यायाधीश, सभी रूपों में कार्य करता है। इसे कानूनी कार्यवाही के स्थानापन्न के रूप में उपयोग किया जाता है।

विशेषाधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

पी.वी. नरसिम्हा राव वाद: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है, जो उनके भाषण या वोट से संबंधित हैं।

एम. एस. एम. शर्मा वाद: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब भी भाग V, अनुच्छेद 194(3) (विशेषाधिकार) के प्रावधान और भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

आगे की राह

- **अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करना:** इसमें संशोधन करके **'विधायिका की अवमानना'** अभिव्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए। इससे इस मामले में कुछ अनिश्चितता दूर होगी। साथ ही, सदन के दृष्टिकोण का लचीलापन भी बना रहेगा।
- **विशेषाधिकार समिति को पृथक रूप से स्वतंत्र दर्जा दिया जाना चाहिए।**
- **सामूहिक निर्णय:** अध्यक्ष या सभापति की अध्यक्षता (जैसा भी मामला हो) वाली समिति को अवमानना की कार्यवाही पर निर्णय लेने और जांच करने का अधिकार होना चाहिए।
- संसदीय समितियों की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग करने से संबंधित नियमों में ढील दी जानी चाहिए।
    - सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि कार्यवाही खुली और रिपोर्ट करने योग्य हो, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब स्पष्ट रूप लोक हित में ऐसा करना संभव न हो।

संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण

विशेषाधिकारों के संहिताकरण का प्रश्न बहुत पुराना है। संविधान सभा में संहिताकरण के संबंध में तर्क दिया गया था, लेकिन इसे इस आधार पर नकार दिया गया था कि जब कोई नई स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसके साथ तालमेल बिठाना संभव नहीं होगा।

संहिताकरण की आवश्यकता	विशेषाधिकारों के संहिताकरण के खिलाफ तर्क
• विशेषाधिकार, **मूल अधिकारों के सुसंगत** होंगे। • उन्हें **न्यायिक समीक्षा** के दायरे में लाया जा सकेगा और • उनके उपयोग में मनमानी को दूर करेगा।	• इससे उन लोगों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, **जो संसद की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं।** • इससे **न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा।** • इससे **नए विशेषाधिकार निर्मित नहीं** किए जा सकेंगे।

निष्कर्ष

विशेषाधिकार के आधुनिक सिद्धांत को किसी पुरानी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेषकर ऐसी व्यवस्था पर जिसका मुख्य उद्देश्य संसद के अधिकारों पर बल देना है। संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण पर कार्य करने के लिए लोक सभा, राज्य सभा और न्यायपालिका के सदस्यों (सेवानिवृत्त या कार्यवाहक) से मिलकर एक अलग समिति का गठन किया जाना चाहिए।

3.4. संसदीय उत्पादकता (Parliamentary Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र को **स्थगित** कर दिया गया था। उसके पहले मानसून सत्र में **लोक सभा की उत्पादकता 47% और राज्य सभा की उत्पादकता 42% रही थी।**

संसद की उत्पादकता (या काम-काज) में कमी के हालिया उदाहरण

- **विधेयकों की जांच का अभाव:** उदाहरण के लिए- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) विधेयक, 2021; बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 आदि को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था।
- **संसदीय समितियों को विधेयक भेजने में गिरावट की प्रवृत्ति:** संसदीय समितियों को जाँच के लिए भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। 16वीं लोक सभा में 27% विधेयक ही संसदीय समितियों को भेजे गए, जो 17वीं लोकसभा (वर्ष 2019 से वर्तमान तक) में घटकर केवल 11% रह गए।
- **उपस्थिति में कमी:** लोकसभा में सदस्यों की औसत उपस्थिति घटकर 71% और राज्य सभा में 74% रही।

संसद की उत्पादकता को सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **लोकतंत्र में केंद्रीय भूमिका:** लोकतंत्र में संसद की केंद्रीय भूमिका होती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह सरकार के काम पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है।
- **प्रस्तावित कानूनों की जांच करना:** संसद का कार्य सभी प्रस्तावित कानूनों की विस्तार से जांच करना होता है। साथ ही, संसद का कार्य ऐसे कानूनों में किए गए प्रावधानों की बारीकियों और उद्देश्यों को भी समझना होता है। इस आधार पर संसद इन कानूनों पर आगे की कार्यवाही करती है।
- **संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना:** सदन का मुख्य कार्य संविधान द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करना होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद 3D अर्थात् **विचार-विमर्श (Debate), चर्चा (Discussion) और मंत्रणा (Deliberation) जैसे सिद्धांतों का प्रभावी** ढंग से पालन करे।
    - **अनुच्छेद 75** में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

- **प्रतिनिधात्मक निकाय:** भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसलिए भारत की संसदीय प्रणाली को **प्रतिनिधि व्यवस्था (Representativeness)**, **अनुक्रियाशीलता (Responsiveness)** और **जवाबदेही (Accountability)** को बनाए रखना चाहिए।

संसदीय उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- **बैठकों की संख्या बढ़ाना:** सदन की बैठक के संबंध में **NCRWC**[7] ने सिफारिश की है कि लोक सभा और राज्य सभा में बैठकों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 120 और 100 निर्धारित की जानी चाहिए।
- **संसद सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता:** संसदीय समितियों को संस्थागत रूप से तकनीकी विषयों के बारे में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे समितियां **तकनीकी और जटिल नीतिगत मुद्दों की जांच करने में सक्षम हो पाएंगी।**
- **समिति को विधेयक भेजना:** समितियों द्वारा सभी विधेयकों और बजटों की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। साथ ही, समिति के विशेषज्ञ सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि जटिल विषयों पर उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।
- **नियमित निगरानी:** समिति के **प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित** करने की आवश्यकता है।
- **उत्तरदायी विपक्ष:** विपक्ष के सदस्यों को तर्कसंगत और सकारात्मक सुझावों पर आधारित प्रश्न पूछ कर, आपत्ति जताकर और सुझाव देकर अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।
  - **शैडो कैबिनेट:** यह मंत्रालयों की विस्तृत निगरानी और जांच को संभव बनाती है। साथ ही, यह रचनात्मक सुझाव देने में सांसदों की सहायता भी करती है।
- **जनता की प्रतिक्रिया:** सरकार द्वारा देश में संसदीय कामकाज पर एक व्यापक बहस को आयोजित किया जाना चाहिए। यह लोगों की दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

3.5. अध्यक्ष का पद (Office of Speaker)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोक सभा के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

लोक सभा का अध्यक्ष कौन होता है?

- लोक सभा का अध्यक्ष, **लोक सभा और उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख** होता है। यह **अनुच्छेद 93** के तहत एक संवैधानिक पद है।
- वह लोक सभा के **सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक** होता है।
  - वह सदन के कार्य-संचालन और इसकी कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखता है।
- वह सदन के काम-काज से संबंधित प्रावधानों का अंतिम **व्याख्याता (Interpreter) और मध्यस्थ/ विवाचक (Arbiter)** होता है।
  - लोक सभा अध्यक्ष के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा आमतौर पर उन्हें आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अध्यक्ष के कार्यों से जुड़े मुद्दे

- **दल-बदल विरोधी कानून के तहत भूमिका:** अध्यक्ष के पास दल-बदल के आधार पर सांसदों या विधायकों (विधान सभा अध्यक्ष) को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। यहां पक्षपातपूर्ण होने के कारण अध्यक्ष की भूमिका की आलोचना की गई है।
  - उदाहरण के लिए- वर्ष 2020 में मणिपुर विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका लगभग तीन वर्षों से लंबित थी।

[7] National Commission to Review the Working of the Constitution/ संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग

- **धन विधेयक की घोषणा पर:** अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि वह किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर, उस **विधेयक की समीक्षा/ जांच प्रक्रिया से राज्य सभा को पूरी तरह से बाहर** कर सकता है।
    - इस आधार पर आधार विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लोक सभा अध्यक्ष के फैसले की आलोचना की गई है।
- **विधायी कार्यवाही:** अध्यक्ष की भूमिका सदन में मर्यादा बनाए रखना और विधायी प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है, लेकिन अध्यक्ष पर पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए- वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधान सभा के विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में एक दल के सदस्यों को विरोध प्रदर्शन के दौरान सदन से सामूहिक रूप से बाहर निकाल दिया गया था।

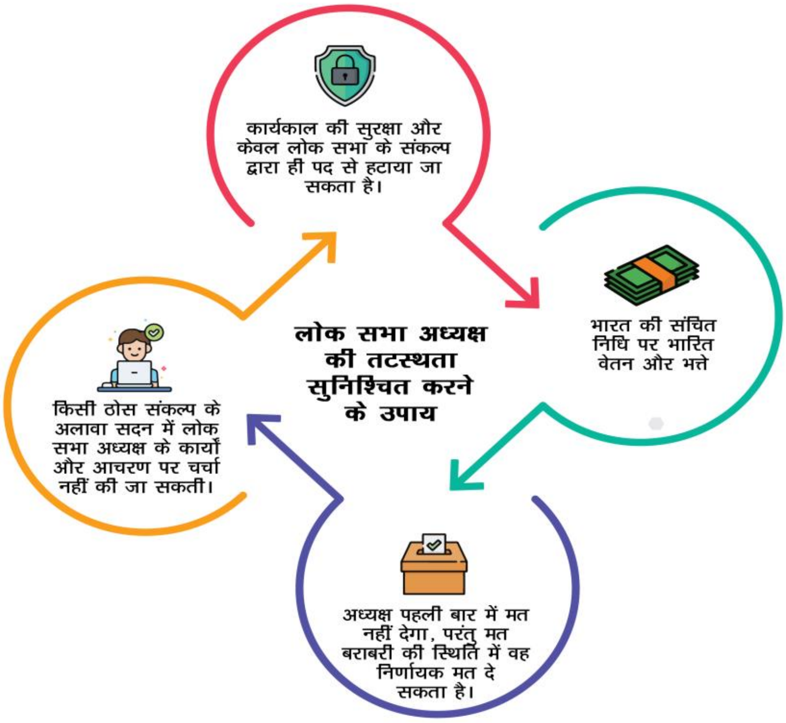

- **पक्षपात के आरोप:** ब्रिटेन में, अध्यक्ष निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दल की सदस्यता छोड़ देता है। भारत में इस परंपरा का पालन नहीं किया जाता, जिससे अध्यक्ष की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
- **सदन में व्यवधान:** हालिया बजट सत्र की उत्पादकता पांच वर्षों में सबसे कम रही है। **वर्ष 1952 के बाद से लोक सभा में बैठकों के संबंध में 17वीं लोक सभा में सबसे कम बैठक वाले दिन होने की आशंका है।** इससे सदन की मर्यादा बनाए रखने में अध्यक्ष की प्रभावशीलता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

अध्यक्ष के पद में सुधार के लिए सुझाव

- **दल-बदल विरोधी कानून में अध्यक्ष की भूमिका कम करना:** कीशम मेघचंद्र सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा तंत्र (जहां अयोग्यता याचिकाएं अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं) को एक स्थायी अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- **ब्रिटेन के मॉडल का पालन करना:** ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, राजनीतिक दल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव के दौरान अध्यक्ष का विरोध करने से बचते हैं।

* **प्रदर्शन के आधार पर निरंतरता:** पेज कमेटी (जिसकी अध्यक्षता वी.एस. पेज ने की थी) ने सिफारिश की थी कि यदि अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता और दक्षता प्रदर्शित करता है, तो उसे अगली लोक सभा में बने रहने की अनुमति दी जाए।
* **राजनीतिक पद पर प्रतिबंध:** यह प्रस्तावित किया गया है कि कुछ अपवादों के साथ अध्यक्ष की भविष्य में किसी भी राजनीतिक पद पर नियुक्ति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उसे आजीवन पेंशन प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

एक जागरूक संसद एक सुचारू रूप से कार्यशील लोकतंत्र की नींव बनाती है। संसद के पीठासीन अधिकारी इस संस्था की प्रभावशीलता को सुरक्षित रखने की कुंजी हैं। **इस प्रकार, अध्यक्ष के पद में निर्णय लेने में निष्पक्षता, न्यायोचितता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।**

3.6. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल विधान सभा ने **केरल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बारे में

* यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के सांविधिक पद के सृजन का प्रावधान करता है।
* लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना तथा उनसे संबंधित व उनके प्रासंगिक विषयों का उपबंध करना है।

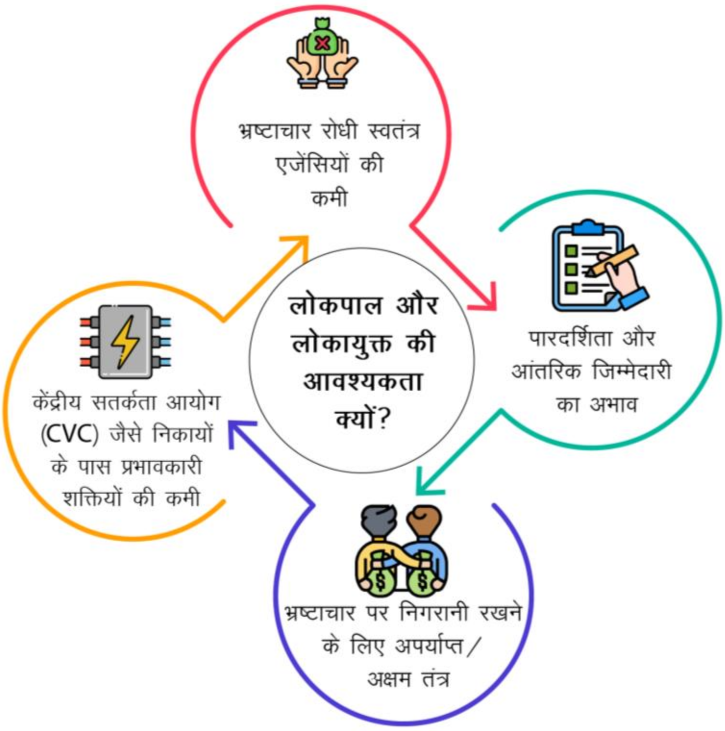

* **लोकपाल का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) अर्थात् लोकपाल के दायरे में कौन-कौन शामिल हैं:**
    * **प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी** तथा केंद्र सरकार के अधिकारी।
    * ऐसी कोई भी **सोसाइटी या न्यास या निकाय जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करता हो।**
* **लोकपाल की संरचना:** लोकपाल में **एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** होते हैं। इनमें से **आधे सदस्य न्यायिक सदस्य** होते हैं। लोकपाल के **आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं** में से होंगे।
    * **कार्यकाल या पदावधि:** अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य **पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो,** पद धारण करते हैं।
* लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और कुछ निजी संस्थाओं (धार्मिक संस्थानों सहित) पर होगा।

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े कुछ अपवाद

* यदि **प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से संबंधित है, तो लोकपाल इसकी जांच नहीं कर सकता है।
* **न्यायपालिका और सशस्त्र बल** लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं।
* **राज्य सरकार के कर्मचारियों** को तब इसकी अधिकारिता के अधीन लाया जाता है, जब वे संघ के मामलों के संबंध में सेवा दे रहे होते हैं।

लोकपाल और लोकायुक्तों से संबंधित मुद्दे

* लोकपाल को **संवैधानिक समर्थन नहीं दिया** गया है। लोकपाल के **फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं।**
* **लोकपाल और लोकायुक्त राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं हैं,** क्योंकि नियुक्ति समिति में स्वयं सांसद शामिल होते हैं।

- इसके अलावा, यह तय करने के लिए **कोई मानदंड नहीं है कि कौन "प्रख्यात न्यायविद्" या "ईमानदार व्यक्ति"** है। यह अस्पष्टता लोकपाल की नियुक्ति की पद्धति में हेरफेर का कारण बनती है।

- **नियुक्ति में देरी:** लोकपाल कानून 2013 में पारित हुआ था, फिर भी भारत ने 2019 में अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया था। इसका कारण विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति को बताया गया था।
- वर्तमान में लोकपाल संस्था कई प्रकार की कमियों का सामना कर रही है। इनमें **मानव संसाधनों की कमी, बजटीय आवंटन में कटौती, ढांचागत सुविधाओं में कमी और शिकायतों को सुविधाजनक बनाने व प्रक्रियागत करने के लिए प्रक्रियात्मक नियम बनाने में देरी** आदि शामिल हैं।
  - लोकपाल ने अभी तक **जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक[8] को नियुक्त नहीं** किया है। उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने और आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ये दो शीर्ष अधिकारी हैं।
- **सीमित शक्ति:** अधिनियम में उपबंध किया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी शिकायत उस तारीख से सात साल की अवधि के बाद दर्ज नहीं की जा सकती है, जिस दिन उल्लिखित अपराध किया गया था।
- **विश्वास की कमी:** 2020-21 में, लोकपाल के समक्ष शिकायतों की संख्या 2019 की 1,427 की तुलना में घटकर 110 हो गई थी। शिकायतों की घटती संख्या इस बात की ओर संकेत करती है कि लोकपाल पर लोगों का विश्वास कम हो गया है तथा यह संस्था विफल होती जा रही है।

आगे की राह

- लोकपाल और लोकायुक्त को **उन लोगों से वित्तीय, प्रशासनिक एवं कानूनी रूप से स्वतंत्र होना चाहिए,** जिनकी जांच करने व जिन पर मुकदमा चलाने के लिए बुलाया गया है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को कम करने के लिए **लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति पारदर्शी तरीके** से की जानी चाहिए।
- किसी एक संस्था या प्राधिकरण में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण से बचने के लिए, उचित जवाबदेही तंत्र के साथ एक से अधिक **विकेन्द्रीकृत संस्थानों की आवश्यकता** है।
- **व्हिसिल ब्लोअर्स की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना** लोकपाल के कार्यक्षेत्र का हिस्सा हो सकता है। इसे व्यापक कानूनी समर्थन की आवश्यकता है।
- **'लोकपाल' की तर्ज पर राज्यों में 'लोकायुक्त' की स्थापना की जानी चाहिए।** इसके दायरे में "राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, स्थानीय निकाय और राज्य निगम" आने चाहिए।

3.7. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से संबंधित दल-बदल विरोधी मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुनाया है।

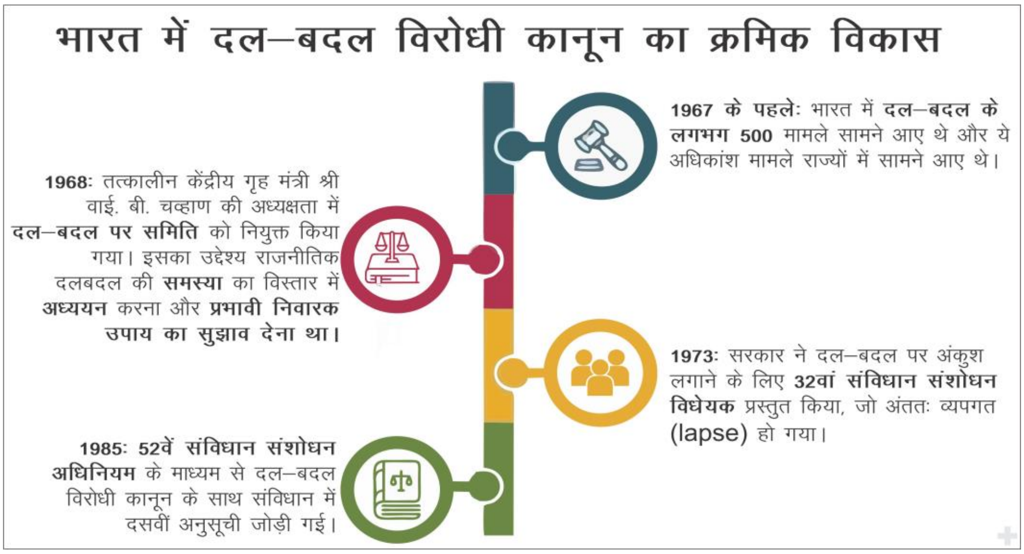

अन्य संबंधित तथ्य

- शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि **दल-बदल विरोधी कानून (ADL) के तहत अयोग्यता का सामना कर रहे संसद सदस्य (MP) या विधान सभा सदस्य (MLA)** को शक्ति परीक्षण में भाग लेने की अनुमति देना एक संविधान विरुद्ध कार्य को वैधानिक बनाने जैसा होगा।
  - सदन के निर्वाचित सदस्य सदन में **व्हिप के निर्देशों से बंधे** होते हैं। अतः व्हिप के निर्देशों की **अवहेलना करने वाली कार्रवाइयां अयोग्यता** का कारण बनेंगी।

---

[8] Director of Inquiry and Prosecution

दल-बदल क्या है?

- दल-बदल रोधी कानून एक विधायी ढांचा है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव के बाद राजनीतिक दल बदलने या अपने दल के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने से रोकना है।

- इसे राजनीतिक दल-बदल के मुद्दे से निपटने के लिए **1985 में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में अधिनियमित** किया गया था।

दल-बदल विरोधी कानून में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं:** यह केवल विधि निर्माताओं को दल बदलने के लिए दंडित करता है।
- **विलय के प्रावधान से संबंधित समस्या:** यह उस स्थिति में राजनीतिक दल के सदस्यों की सुरक्षा करता है, जब मूल दल का किसी अन्य दल में विलय होता है। इसके लिए यह शर्त है कि दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हों।
  - इसमें दल-बदल का आधार किसी कारण को न मानकर, सदस्यों की संख्या को माना गया है, जो अतार्किक प्रतीत होता है।

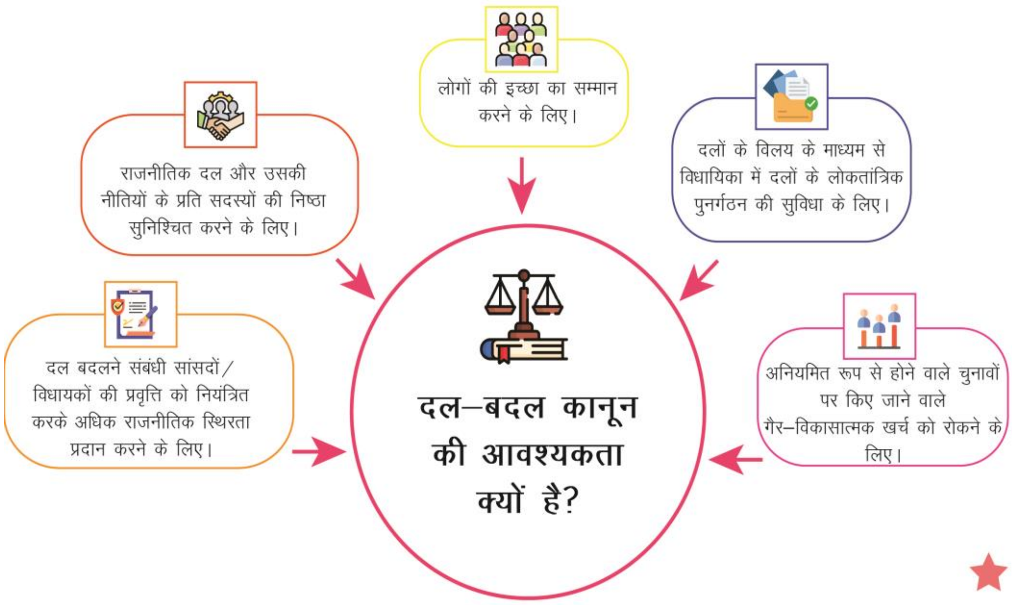

- **पीठासीन अधिकारी को शक्ति:** पीठासीन अधिकारी को दल बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामले पर निर्णय लेने के लिए व्यापक और पूर्ण शक्तियां दी गई हैं।
- **अस्थिरता रोकने में असमर्थ:** इसके कारण, जहां एक तरफ मौजूदा सरकारें गिर जाती हैं, तो वहीं दल छोड़ने से शासन व्यवस्था में बाधा भी पैदा हो सकती है।
- **दल से निकाले जाने पर निरर्हता का नियम लागू नहीं होता है:** इस कानून में स्वेच्छा से दल बदलने के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, किसी राजनीतिक दल से किसी सदस्य को निकाले जाने को लेकर इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अपने दल से एक बार निकाले जाने के बाद, ऐसे सदस्य सदन में स्वतंत्र रहते हैं और उनके पास दूसरे दलों में शामिल होने का विकल्प रहता है।

दल-बदल कानून पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

- राष्ट्रमंडल देशों में से **23 देशों** में दल-बदल विरोधी कानून विद्यमान हैं।
- **ब्रिटेन की संसद** में, किसी एक दल का सदस्य किसी **अन्य दल में जाने के लिए स्वतंत्र है।** उसे किसी भी प्रकार के निरर्हता कानून का भय नहीं होता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया** में विधि निर्माताओं के दल बदलने पर कोई रोक नहीं है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **दल-बदल की परिभाषा को सीमित करना:** दल-बदल को इस तरह से परिभाषित किया जाए कि विधायकों/सांसदों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी राय व्यक्त करने में कोई परेशानी न हो।

- **दलों का आंतरिक लोकतंत्र:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और वर्तमान राजनीतिक संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। इससे राजनीतिक दल अपने नेतृत्व के चयन में अधिक लोकतांत्रिक बन सकेंगे।
- **आचार समिति की भागीदारी:** आचार समिति की सक्रिय भागीदारी, विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने में मदद कर सकती है। ऐसा पहले कैश फॉर क्वेरी (सवाल पूछने की एवज में धन लेने) घोटाले में किया गया था।
- **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग** ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- **दल-बदल को दल का आंतरिक मुद्दा बनाना:** भारत में दल-बदल के मामले में लगने वाले प्रतिबंधों को कम किया जा सकता है। इसके लिए, दल-बदल के तहत सदस्य को केवल उसके दल से निकाले जाने का प्रावधान किया जाए, सदन की उसकी सदस्यता वैसे ही बनी रहे। साथ ही, इसे प्रत्येक दल का आंतरिक मुद्दा भी बनाया जाए।
- **अधिक स्पष्टता लाना:** किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए, कानून में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि **'स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने' का क्या अर्थ है।**

संबंधित मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या कैसे की गई है?

- **'स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ता है' वाक्यांश की व्याख्या:** 'त्यागपत्र' की तुलना में इस वाक्यांश का अधिक व्यापक अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि सदस्य द्वारा दिए जाने वाले औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में, सदस्यता को त्यागने का अनुमान उसके आचरण से लगाया जा सकता है।
    - जिन सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने दल के विरोध या किसी अन्य दल के समर्थन की घोषणा की है, तो इसे उनका त्यागपत्र समझा जाना चाहिए।
- **पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है:** आरंभ में इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा। हालांकि, **वर्ष 1992 के किहोतो होलोहन वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया।
    - हालांकि, न्यायालय ने यह कहा कि इस संबंध में जब तक पीठासीन अधिकारी आदेश जारी नहीं कर देता, तब तक किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
- **पीठासीन अधिकारी की दल-बदल विरोधी मामलों पर निर्णय करने संबंधी समय-सीमा:** इस कानून के अंतर्गत निरर्ह घोषित करने वाली याचिका पर निर्णय करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा कि यदि अध्यक्ष द्वारा निरर्ह ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर उचित समय-सीमा के भीतर निर्णय नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है।

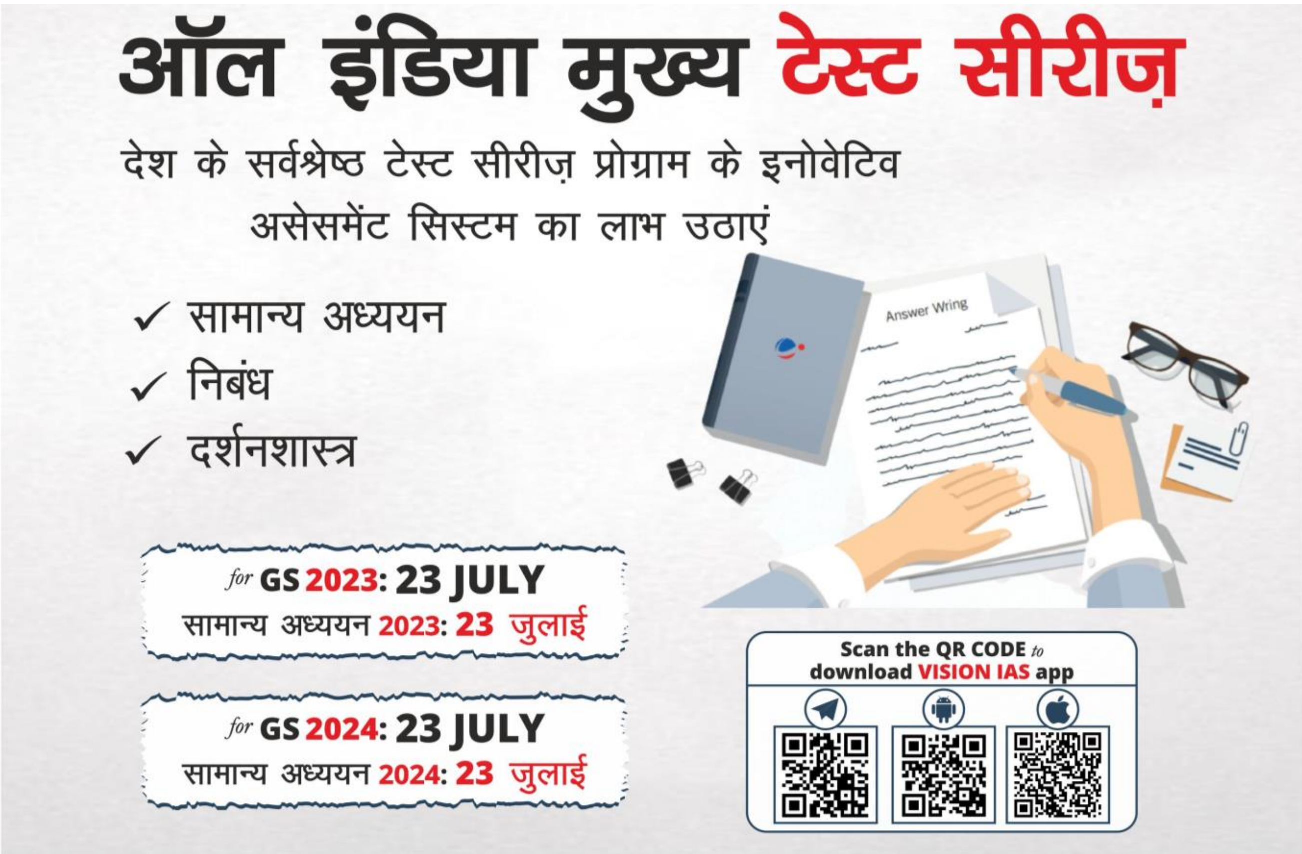

4. न्यायिक और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and Other Quasi-Judicial Bodies)

4.1. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रपति** ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए **सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति** की है। इन नियुक्तियों के साथ, **सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 32 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है।**

कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

फर्स्ट जजेज़ केस, 1981 या एस. पी. गुप्ता मामला:
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को "ठोस कारणों" के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हुए।

सेकंड जजेज़ केस, 1993 {सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCARA) बनाम भारत संघ}
भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है।

थर्ड जजेज़ केस, 1998:
भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली

- **संवैधानिक अधिदेश:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजनार्थ परामर्श करना आवश्यक समझे, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।
  - जबकि **उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति (अनुच्छेद 217 के तहत)** को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।
- **कॉलेजियम प्रणाली** वह माध्यम है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है या स्थानांतरण किया जाता है।
  - सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की **अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** करते हैं और इसमें शीर्ष न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - हाईकोर्ट **कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश** होते हैं, जबकि दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। यह कॉलेजियम, **सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें** भेजता है।
  - **न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली थ्री जजेज केस के साथ विकसित हुई है। इन मामलों में 1981 से लेकर 1998 तक सुनवाई हुई थी।**

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति/ कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित समस्याएं

- **न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति:** यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच **'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत'** तथा एक अंग द्वारा दूसरे अंग पर **'नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत'** के खिलाफ है। गौरतलब है कि ये दोनों सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
- न्यायपालिका के भीतर होने वाली **भ्रष्ट पद्धतियां और राजनीति।**
  - साथ ही, न्यायपालिका को न केवल राजनीतिक प्रभावों से, बल्कि अपने स्वयं के प्रभावों से भी मुक्त होना चाहिए।

- **प्रचलित नियुक्ति प्रणाली में औपचारिकता और पारदर्शिता का अभाव है।** इसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कई आशंकाएं पैदा होती है।
- **मौजूदा समय में संभावित रूप से नियुक्त होने वाले किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत और व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए एक अलग सचिवालय या खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला तंत्र उपलब्ध नहीं है।** इसके कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने का प्रशासनिक कार्य काफी बोझिल हो जाता है।
- **प्रतिभा की अनदेखी: सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।** इससे कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ता की उपेक्षा हो जाती है।

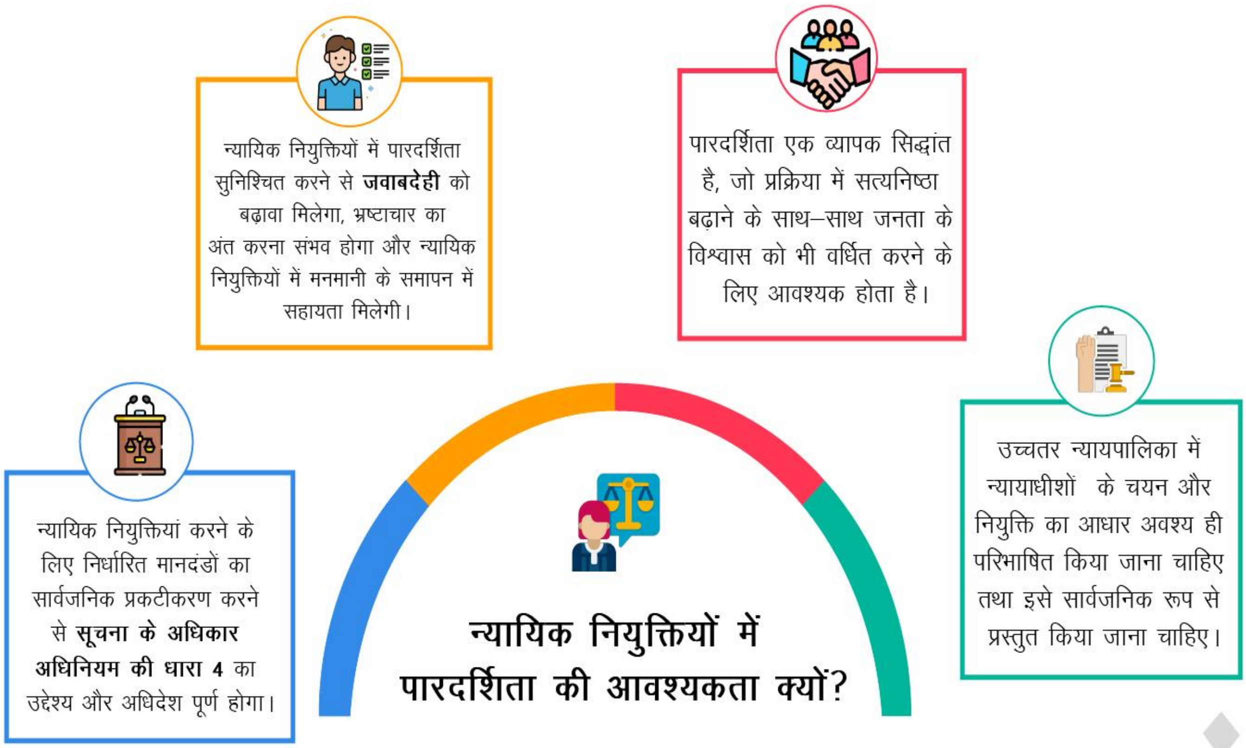

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित **खोज-सह-मूल्यांकन समिति (SEC)** का गठन करना।
    - SECs का काम **योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार** करना होगा, जिससे संबंधित कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाएगी।
- **प्रदर्शन और उपयुक्तता के परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड निष्पक्ष** रूप से तैयार किए जाने चाहिए तथा इन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
    - नागरिकों को अवमानना और मानहानि से संबंधित कानूनों से छूट व गोपनीयता प्रदान करते हुए **शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के संबंध में उनसे इनपुट मांगे जा सकते हैं।**
- **न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष** होनी चाहिए। ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया में अन्य दो शाखाओं यानी कार्यपालिका और विधायिका को शामिल करने से ही संभव है।
    - विधि आयोग के अनुसार, **संसद को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की प्रमुखता बहाल करने के लिए एक कानून पारित** करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक नियुक्तियां करने में कार्यपालिका की भी भूमिका हो।
- **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के निर्णयों को सार्वजनिक करने से न्यायिक नियुक्तियों से जुड़ी गोपनीयता की संस्कृति कम** हो जाएगी।
- कॉलेजियम **विचार-विमर्श के वीडियो/ऑडियो** का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। यह **संवैधानिक शासन का एक विशिष्ट अंग** है। इसे केंद्र और राज्य दोनों में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्रियों और विधान मंडलों द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। यह लोगों के **मूल अधिकारों की वास्तविक संरक्षक** है।

राज्य सभा में गैर-सरकारी सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) विधेयक, 2022 पेश किया

- इस विधेयक में **NJC के गठन का प्रस्ताव** किया गया है। प्रस्तावित NJC **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।
- **विधेयक के मुख्य बिंदु**
    - इसका उद्देश्य **न्यायिक मानकों को निर्धारित करना और न्यायाधीशों की जवाबदेही के लिए प्रावधान** करना है।
    - सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए **विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान** करता है। साथ ही, ऐसी जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- वर्ष 2015 में, **सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) और 99वें संविधान संशोधन को रद्द** कर दिया था। 99वें संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग (NJAC) के गठन का प्रावधान किया था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि NJAC न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को हटाकर **संविधान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा।**
    - **NJAC का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करना था।** कॉलेजियम प्रणाली के तहत उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह करता है।

4.2. न्यायिक बहुमतवाद (Judicial Majoritarianism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से **सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को सही** ठहराया है।

न्यायिक बहुमतवाद का समर्थन करने वाले तर्क

- निर्णय लेने में आसानी और **दक्षता**
- बहुमत के विचार से **वस्तुनिष्ठता**
- निष्पक्षता के कारण **समानता**

अन्य संबंधित तथ्य

- विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवालों का फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पीठ के केवल **बहुमत (Bare majority)** से किया गया है, जैसे कि कुल 9 न्यायाधीशों वाली पीठ में 5-4 के बहुमत के आधार पर निर्णय। कहने का आशय यह है कि केवल आधे से अधिक न्यायाधीशों का समान मत होना चाहिए।
    - इन मामलों में **समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति** (सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ वाद, 2022), **चुनावी वित्त-पोषण** (ADR बनाम भारत संघ वाद 2021) आदि शामिल हैं।
- न्यायिक दृष्टि में बहुमत से निर्णय लेने के इस तरीके को **न्यायिक बहुमतवाद के रूप में जाना** जाता है।

न्यायिक बहुमतवाद के बारे में

- **संवैधानिक आधार:** संविधान के **अनुच्छेद 145(5)** के अनुसार, न्यायिक निर्णय के लिए बहुमत की सहमति आवश्यक है।
    - संख्यात्मक बहुमत ऐसे मामलों के लिए विशेष महत्त्व रखता है, **जिनमें संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त व्याख्या की जाती है या ऐसे विषयों पर निर्णय दिए जाते हैं।**
    - ऐसे मामलों में, **संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, पांच या उससे अधिक (जैसे- 5 या 7 या 9 या 11 या यहां तक कि 13) न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों का गठन** किया जाता है।

न्यायिक बहुमतवाद से संबंधित चिंताएं

- **व्यक्तिगत गलत व्याख्या:** यह पूरी तरह से संभव है कि बहुमत वाले निर्णय में पद्धति संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं।
    - किसी विशेष पीठ के सभी न्यायाधीश **तथ्यों, कानूनों, तर्कों और लिखित प्रस्तुतियों के समान सेट** पर अपने निर्णय देते हैं।
    - इसी परिप्रेक्ष्य में, न्यायिक निर्णयों में किसी भी प्रकार की असहमति के लिए या तो **अपनाई गई पद्धति या न्यायाधीशों द्वारा उनकी व्याख्या में लागू किए गए तर्क में अंतर को जिम्मेदार ठहराया** जा सकता है।

* **सराहनीय असहमति की उपेक्षा:** अक्सर किसी वाद में बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीशों की संख्या कम होने के बावजूद असहमति के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए तर्क अचूक होते हैं। इसके बावजूद भी वाद के अंतिम निर्णय में उनके तर्कों को अधिक महत्त्व नहीं मिलता है।
  * उदाहरण के लिए- **ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)** वाद में कहा गया था कि असहमतिपूर्ण राय कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शनलिज़्म (संवैधानिक असाधारणता) की स्थितियों के दौरान भी **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार** को कायम रखती है।
  * असहमतिपूर्ण मत का एक अन्य उदाहरण **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962)** मामले में देखा गया है। यह मामला **निजता के अधिकार को बरकरार** रखने के पक्ष में था।
* **प्रभाव बनाम असहमति:**
  * न्यायिक असहमति की दर 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय केवल 1.27% थी, जबकि 1980 में यह 10.52% थी।
  * जिन मामलों में मुख्य न्यायाधीश पीठ का हिस्सा थे, वहां असहमति की दर कम थी। इसके विपरीत, जिन मामलों में मुख्य न्यायाधीश पीठ में शामिल नहीं थे, वहां असहमति की दर अधिक थी।

अनुच्छेद 145(5)

इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना किसी मामले में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं है, वह अपना अलग निर्णय या राय देने के लिए स्वतंत्र है।

आगे की राह

* **न्यायिक बहुमतवाद के विकल्प:**
  * **सर्वोच्च बहुमत का निर्णय (Supermajority Decision):** इसके तहत न्यायालय के लिए अपना फैसला सुनाने हेतु साधारण बहुमत से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है।
    * उदाहरण के लिए- **9 सदस्यीय पीठ** में न्यायिक बहुमतवाद के आधार पर 5-4 से भी निर्णय दिया जा सकता है, जबकि सर्वोच्च बहुमत वाले निर्णय के लिए अधिक समर्थन (6–3, 7–2, 8–1 या 9–0) की आवश्यकता होती है।
  * **पैनल द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णय:** इसमें सेटअप यह होता है कि न्यायाधीशों के एक बड़े सेट में से छोटे सबसेट पैनल चुने जाते हैं। यह सबसेट पैनल विषम संख्या में न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। सबसेट पैनल तब पैनल के न्यायाधीशों के बीच बहुमत के मतदान का उपयोग करके मामलों का फैसला करते हैं।
  * **बहुमत के आधार पर वेटेज:** यह एक ऐसी प्रणाली होती है, जो या तो वरिष्ठ न्यायाधीशों के वोट को अधिक महत्त्व देती है (क्योंकि उनके पास अधिक अनुभव होता है) या फिर कनिष्ठ न्यायाधीशों को (क्योंकि वे लोक मत का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं) अधिक महत्त्व प्रदान करती है।
* **सुप्रीम कोर्ट के काम-काज का बेहतर विश्लेषण:** न्यायिक बहुमतवाद पर एक आलोचनात्मक विमर्श का अभाव है। यह अभाव सुप्रीम कोर्ट के काम-काज के बारे में हमारे मौजूदा ज्ञान में सबसे बुनियादी कमियों को दर्शाता है।
* न्याय प्रणाली में मात्र न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर निर्णय देने वाली प्रणाली का समर्थन करने वाले **अधिकृत दस्तावेजों और तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए।**
* **संवैधानिक मामले:** संविधान पीठ के कई लंबित मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं और उन पर निर्णय सुरक्षित रखे गए हैं। ऐसे में हमें न्यायिक बहुमतवाद के उन तर्कों पर विचार करना चाहिए, जिनके आधार पर इन मामलों का फैसला किया जाना है।

4.3. न्यायपालिका में महिलाएं (Women in Judiciary)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में **तीसरी बार पूर्ण महिला पीठ** का गठन किया गया है।

न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व हेतु उत्तरदायी कारण

* **सामाजिक कारक:** कानून में लंबा और अनम्य कार्यावधि तथा इसी के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे कारण विधि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं को अपना पेशा छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके कारण वे निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रह जाती हैं।

- **प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड:** जिला न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की भर्ती के समक्ष एक प्रमुख बाधा प्रवेश परीक्षा के पात्रता मानदंड हैं।
    - जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ताओं/ वकीलों द्वारा **7 वर्ष तक लगातार कानूनी प्रैक्टिस करना और 35-45 वर्ष के आयु वर्ग में होना** आवश्यक है।

- **न्यायपालिका में लैंगिक असमानता:** अब तक केवल एक महिला न्यायाधीश को छोड़कर, कोई भी महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में नियुक्तियों की देख-रेख करने वाले शीर्ष तीन न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जगह नहीं बना पाई है।

आगे की राह

- **अनुकूल कार्यस्थल** तब सुनिश्चित होगा जब सभी स्तरों पर पुरुष, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में भाग लेंगे। साथ ही, जब महिलाओं की समस्याओं को सभी वर्गों (लैंगिक) की समस्याओं के रूप में माना जाएगा।
- **न्यायिक पीठों** को महिला वकीलों की योग्यताओं और क्षमताओं के खिलाफ व्याप्त मिथकों या धारणाओं का खंडन करना चाहिए। इसके लिए न्यायालयों में युवा महिला वकीलों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अधिक से अधिक महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता/ वकील बनाकर **बार में सकारात्मक कार्रवाई** सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे अधिकांश महिला वकीलों की भागीदारी का परिवेश तैयार हो सकेगा।
- देश के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव दिया था कि महिलाओं को **उच्च न्यायपालिका में 50% तक का आरक्षण** प्रदान करना चाहिए।
- निचली अदालतों से उच्चतर न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की **पदोन्नति की दर उच्च होनी चाहिए।**

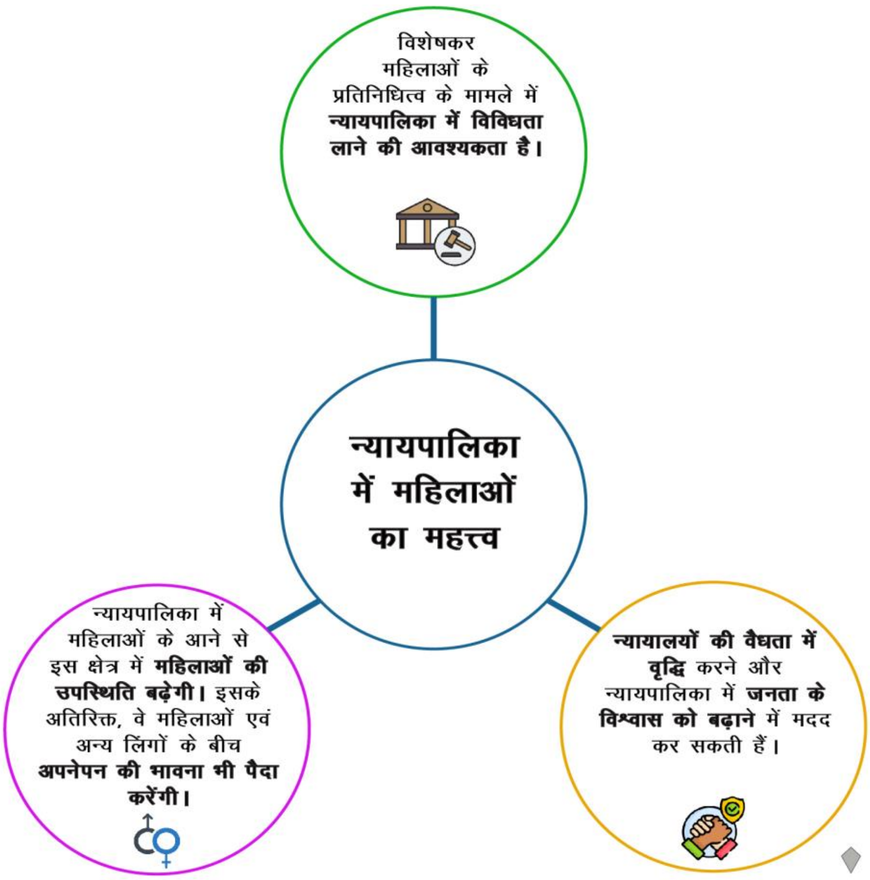

- **शिक्षा प्रणाली को इस तरह से पुनर्निर्देशित करना** चाहिए कि यह कार्य और जीवन संतुलन को प्रेरित कर सके। उदाहरण के लिए- बच्चे की परवरिश तथा घरेलू जिम्मेदारियों को पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा सार्थक रूप से साझा किया जाना।

4.4. आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice system)

आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System: CJS): एक नज़र में

आपराधिक न्याय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कानूनी संहिता को लागू करती है। इसके उद्देश्य हैं:

- अपराध की रोकथाम करना
- प्रभावी न्याय प्रदान करना
- कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना
- निःशुल्क और निष्पक्ष सुनवाई करना

घटक

- कानूनी फ्रेमवर्क
- प्रवर्तन
- अभियोजन (Prosecution)
- न्यायनिर्णयन
- सुधार

दृष्टिकोण

- निवारक (**Deterrence**), जैसे– मृत्यु दंड।
- प्रतिकारी (**Retribution**), जैसे– डकैती के लिए 1 साल की सजा।
- अशक्तता (**Incapacitation**), जैसे– हाउस अरेस्ट (घर में नजरबंद रखना)
- पुनर्वास (**Rehabilitation**), जैसे– किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष गृह
- हर्जाना (**Reparation**), जैसे– पीड़ितों को मुआवजा

कमियां

- कानूनों में औपनिवेशिक काल का प्रभाव
- प्रत्यर्पण में सफलता की कम दर
- पुलिस तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप
- अत्यधिक बोझ और स्टाफ, संसाधनों और पुलिस वाहनों का अभाव
- लोक अभियोजन अधिकारियों की कमी और गवाहों की सुरक्षा का अभाव
- काफी पुराने और लंबित मामले
- अत्यधिक खली पड़े न्यायिक पद
- खराब बुनियादी ढांचा
- जेल में क्षमता से अधिक कैदी
- कर्मचारी की कमी और वित्त का अभाव

उठाए गए कदम

- MHA द्वारा आपराधिक कानून में सुधार
- पुलिस की स्वायत्तता में वृद्धि
- CCTV का उपयोग
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
- गवाह संरक्षण योजना
- न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना
- फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना और आपराधिक न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण
- खुली जेल की अवधारणा को अपनाना
- कैदियों का कौशल विकास करना।

आगे की राह

- पीड़ित को केंद्र में रखकर कानूनी ढांचे में सुधार करना; बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार नए अपराधों की पहचान करना; और अपराधों का पुनः वर्गीकरण करना।
- पुलिस में कानूनी सुधार करना; बुनियादी ढांचे, संसाधनों और तकनीक को बढ़ाना; अभियोजन की स्वतंत्रता में वृद्धि करना।
- मलीमथ समिति की सिफारिशों को लागू करना।
- मामलों का सुनवाई से पहले वर्गीकरण करना; न्यायाधीशों का कौशल विकास करना और या प्ली–बारगेनिंग।
- अखिल भारतीय कारागार सेवा का गठन करना; कारागार अवसंरचना को बेहतर करना आदि।

4.4.1. दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022 {Criminal Procedure (Identification) Rules, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने **दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम (CPA), 2022**[9] को शासित करने वाले **दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022** को अधिसूचित किया है।

[9] Criminal Procedure (Identification) Act (CPA), 2022

दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022 के बारे में

- **2022 के नियमों में** CPA के तहत दोषियों और आरोपियों के **शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने ('माप' लेने)** की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में **अपराधियों की पहचान करना, उनकी जांच-पड़ताल करना और रिकॉर्ड को संरक्षित** करना है।
- **इन नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **'माप' लेना:** नियमों के अनुसार, कुछ व्यक्तियों के 'माप' तब तक नहीं लिए जा सकते, जब तक उन पर किसी विशेष अपराध का आरोप नहीं लगाया गया हो या उन्हें उन अपराधों के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
  - **माप लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति:** इन नियमों के तहत निम्नलिखित व्यक्ति माप ले सकते हैं:
    - कोई प्राधिकृत उपयोगकर्ता (अर्थात् जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा डेटा तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किया गया हो), या
    - कोई ऐसा व्यक्ति जो माप लेने में कुशल हो, या
    - कोई पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर, या
    - इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।
  - **इस संबंध में नियम बनाने की NCRB[10] की शक्तियां:** गृह मंत्रालय के तहत, **NCRB** राज्यों को निर्देश देगा कि सूचना को कैसे एकत्रित एवं भंडारित करना है।
  - **दण्ड:** इस अधिनियम के तहत एकत्रित किए गए डेटा तक अनधिकृत पहुंच, वितरण या साझा करने का कोई भी कार्य **भारतीय दंड संहिता, 1860** और **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।

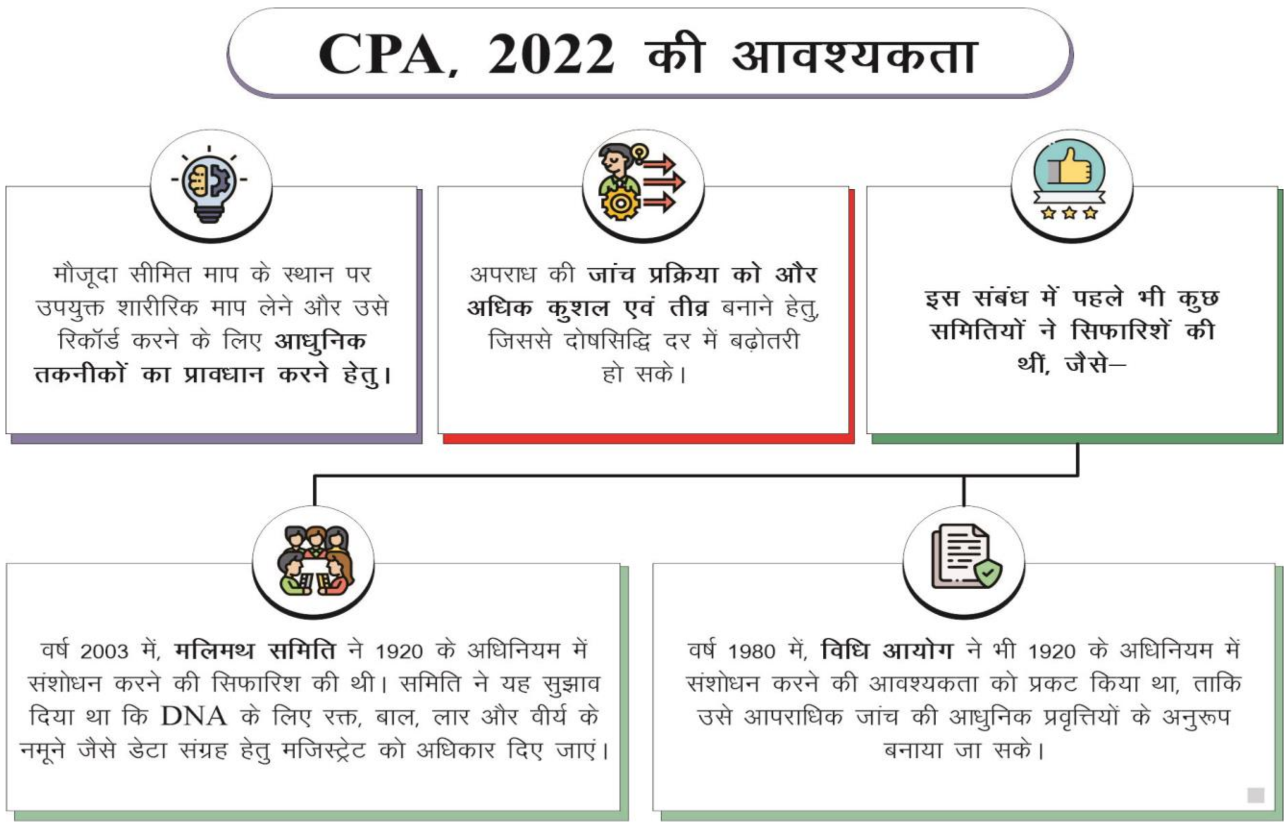

दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम (CPA), 2022 के बारे में

- यह अधिनियम **बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920** की जगह लाया गया है। बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 को दोषी व्यक्तियों एवं आरोपियों के माप और फोटोग्राफ लेने हेतु पारित किया गया था।
- वर्ष 2022 का अधिनियम कानून के प्रावधानों के तहत लिए जा सकने वाले **'माप' के दायरे और कार्यक्षेत्र का विस्तार** करता है।

---

10 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो /National Crime Records Bureau

- इसका उद्देश्य **अपराध में शामिल व्यक्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना** है। इससे आपराधिक मामले को सुलझाने में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी।

- **CPA, 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र:**
  - **एकत्र किए गए डेटा का संरक्षण:** अधिनियम के अनुसार, एकत्र किए गए **डेटा को उसे एकत्रित करने की तिथि से 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।**
    - **CPA, 2022 के तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया जाएगा जिन्हें** पहले दोषी नहीं ठहराया गया था और जिन्हें बिना मुकदमे के रिहा अथवा मुक्त कर दिया गया है या, न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है।
  - **विवरण देने से मना करना:** विवरण देने से मना करना या इसके लिए इनकार करना **भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध** माना जाएगा।
  - **NCRB की भूमिका:** NCRB को अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित विवरण एकत्र करने की शक्ति दी गई है। NCRB यह विवरण राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों से एकत्र कर सकता है।
    - इस अधिनियम के तहत NCRB के अन्य कार्यों में उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा या विवरण का भंडारण, प्रसंस्करण, प्रसार और उसे नष्ट करना शामिल हैं।

1920 के अधिनियम और 2022 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की तुलना

मापदंड	वर्ष 1920 का अधिनियम	वर्ष 2022 के अधिनियम में परिवर्तन
कौन-सा डेटा एकत्र किया जा सकता है	• फिंगर प्रिन्ट, फुट प्रिन्ट व फोटोग्राफ।	**इसमें निम्नलिखित को जोड़ा गया है:** • **जैविक नमूने और उनका विश्लेषण।** • **आइरिस (आँख की पुतली) और रेटिना (दृष्टिपटल) स्कैन।** • व्यवहारगत विशेषताएं जैसे कि हस्ताक्षर और लिखावट (हैंडराइटिंग), • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की **धारा 53 और 53A** के तहत किए जाने वाले **परीक्षण। इसमें रक्त, वीर्य, बाल के नमूने, स्वैब और डी.एन.ए प्रोफाइलिंग आदि जैसे विश्लेषण शामिल हैं।**
किन व्यक्तियों के डेटा एकत्र किए जा सकते हैं	• **ऐसे व्यक्ति, जिन्हें एक वर्ष या उससे अधिक** के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के लिए **दोषी ठहराया गया है या गिरफ्तार किया गया है।** • **ऐसे व्यक्ति जिन्हें** अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने की गारंटी देनी पड़ी है। • **मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में** आपराधिक जांच में मदद के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का डेटा लेने के आदेश दे सकता है।	• किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से। हालांकि, **बलपूर्वक जैविक नमूने केवल ऐसे व्यक्ति से ही लिए जा सकते हैं, जिसे किसी महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है।** यह ऐसे मामलों में भी किया जा सकता है जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम सजा सात वर्ष की कैद है। • **किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोधक) कानून के अंतर्गत** हिरासत में लिए गए व्यक्ति से। • **मजिस्ट्रेट के आदेश पर** जांच में मदद के लिए किसी भी व्यक्ति से (केवल गिरफ्तार व्यक्ति से नहीं)।
वह प्राधिकारी, जो डेटा एकत्र करने के लिए कह सकता है या निर्देश दे सकता है	• **CrPC के तहत जांच अधिकारी,** पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अथवा उप-निरीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी। • **मजिस्ट्रेट।**	• **पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी** या हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी। • **जेल का हेड वार्डन।** • **मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट।** यदि व्यक्ति से अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने की अपेक्षा की गई है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
विवरण एकत्र करने के तरीके आदि के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति	**राज्य सरकार के पास।**	**राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के पास।**

अधिनियम से संबंधित प्रमुख चिंताएं

- **निजता के अधिकार का उल्लंघन:** इस अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को एकत्र करने का प्रावधान किया गया है, वे लोगों के व्यक्तिगत डेटा का भाग हैं। इसलिए, यह संभव है कि इसके कई प्रावधान वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेटा की आवश्यकता और आनुपातिकता के मानदंडों को पूरा नहीं करें।
- **बलपूर्वक डेटा एकत्र करने का प्रावधान:** इस अधिनियम में 'माप' देने का विरोध करने या उससे इनकार करने को आपराधिक कृत्य माना गया है।
    - इस तरह का प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन** है। इस अनुच्छेद में यह मूल अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
- **कानून के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाता है:** यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों के 'माप' एकत्रित करने की भी अनुमति देता है, जिन्हें **मामूली अपराधों सहित** किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या गिरफ्तार किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, एकत्रित किए गए डेटा के **उपयोग की कोई सीमा नहीं** है।
    - इस तरह का संग्रहण **बड़े पैमाने पर निगरानी** की संभावना भी उत्पन्न करता है। इसके लिए इस कानून के तहत निर्मित डेटाबेस को अन्य डेटाबेस जैसे कि अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)[11] के साथ जोड़ा जा सकता है।
- **NCRB की सीमाएं:** NCRB के पास इस अधिनियम में प्रस्तावित 'माप' (विशेष रूप से जैविक नमूने और उनके विश्लेषण) के रिकॉर्ड वाले डेटाबेस के गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन के लिए आवश्यक क्षमताओं की कमी है।
- **प्रेडिक्टिव पुलिसिंग:** 'माप' से प्राप्त मूल डेटा से उत्पन्न हुए डेटा (जैसे- 'विश्लेषण' और 'व्यवहार संबंधी विशेषताओं') को शामिल करने से यह चिंता उत्पन्न हुई है कि 'प्रेडिक्टिव पुलिसिंग' के उद्देश्य से डेटा की प्रोसेसिंग 'माप' लेने से भी परे जा सकती है।
    - **प्रेडिक्टिव पुलिसिंग:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अलग-अलग स्रोतों से डेटा लिया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर भविष्य के अपराध का अनुमान लगाने में उनका उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष

वर्ष 2022 का अधिनियम एक स्वागत योग्य कानून है। यह **अपराधी की पहचान (शिनाख्त) करने की उन्नत तकनीकों और एक अधिक कुशल जांच प्रक्रिया** का प्रावधान करता है।

ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता हो, वह अनुमत हस्तक्षेप की सीमा, दायरे और प्रकृति के संदर्भ में **अत्यधिक स्पष्ट तथा सटीक होना चाहिए।** इसके साथ ही, अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

4.4.2. मॉडल जेल अधिनियम, 2023 (Model Prisons Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम, 2023 तैयार किया है। यह आजादी के पहले से लागू **'जेल अधिनियम, 1894'** का स्थान लेगा।

जेल अधिनियम, 1894 के बारे में

- **1894 का जेल अधिनियम**, भारत में जेलों के प्रबंधन और उनके प्रशासन से संबंधित **पहला कानून** था।
- 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा **"जेल अनुशासन समिति"** का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस कानून को पारित किया गया था।

[11] Crime and Criminal Tracking Network and Systems

- इस कानून के अनुसार **'जेल (Prison/ कारागार)'** वह स्थान है, जिसका उपयोग "कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए" किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी (यानी पुलिस थानों) और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया गया है।
- इसमें कैदियों के लिए **रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान** किए गए हैं।
- गृह मंत्रालय ने पाया है कि इस **कानून में "कई खामियां"** मौजूद हैं। साथ ही, इसमें **सुधारात्मक उपायों को महत्त्व नहीं दिया** गया है।
    - गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) को इस कानून की समीक्षा करने तथा इस संबंध में एक नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके परिणामस्वरूप, एक **मॉडल जेल अधिनियम, 2023** तैयार किया गया है।

संविधान क्या कहता है?

- संविधान के प्रावधानों के अनुसार, **'जेल' और 'उनमें कैद व्यक्तियों'** से जुड़े मामले **राज्य सूची** के विषय हैं।
- इसका अर्थ है कि **जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार** की है। साथ ही, इस संबंध में उचित कानूनी प्रावधान करने का अधिकार भी केवल राज्यों के पास है।
- इस प्रकार, मॉडल अधिनियम **"राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज"** के रूप में कार्य कर सकता है, ताकि वे इसे अपने क्षेत्राधिकार में लागू करके इसका लाभ उठा सकें।

वर्तमान जेल कानून में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **औपनिवेशिक चरित्र:** यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जेलों का काम-काज इसी कानून के तहत चलता है, जबकि इस कानून को अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों का दमन करने के लिए लागू किया था। वर्तमान में भी इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **जेलों को सुधारात्मक बनाना:** 1894 का कानून अपराधियों को हिरासत में रखने तथा जेलों में अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था।
- **कैदियों के रहने की बेहतर सुविधा के लिए:** जेलों को आधुनिक बनाने की जरूरत है, जिनमें कठोर सुरक्षा उपायों के साथ-साथ नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए।
- **जेलों में हत्याएं एवं हिंसा:** जेलों के भीतर हत्याएं और सामूहिक हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। उदाहरण के लिए- हाल ही में, तिहाड़ जेल के अंदर एक गिरोह के सदस्यों ने 33 वर्षीय एक कैदी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

जेलों के समक्ष आने वाली अन्य समस्याएं

- **विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या।**
- **कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता।**
- **जमानत मिलने में कठिनाई:** इस संबंध में निर्णयन प्रक्रिया में देरी, जमानत आवेदन दाखिल करने के लिए जरूरी सहायता का अभाव या जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थता जैसी समस्याएं मौजूद हैं।
    - इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार को **एक अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है।**

मॉडल जेल अधिनियम, 2023 के अंतर्गत कौन-कौन से उपबंध शामिल हैं?

- **अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना:**
    - कैदियों को **पैरोल व फर्लो पर रिहा करने तथा सजा में कमी** करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
        - **पैरोल** किसी कैदी को **सशर्त रिहा करने** की एक प्रणाली है। इसमें **एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को निलंबित** कर दिया जाता है।
        - लंबी अवधि के कारावास के मामलों में कैदी को **फर्लो** पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई **फर्लो की अवधि को उसकी सजा में कमी (Remission/ परिहार) के रूप में माना जाता है।**
        - "जमानत (Bail)" का आशय किसी **आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई** से है। जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो अथवा निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि (मामले के अनुसार) न्यायालय में जमा करनी होती है।
- **सुधार और पुनर्वास करना:**
    - **"कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन"** लाना, तथा
    - **कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना।**
- **बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए:**
    - **महिलाओं** और **ट्रांसजेंडर** कैदियों के लिए **अलग जेल की व्यवस्था** का प्रावधान किया गया है।
    - **जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी** के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें **उच्च सुरक्षा वाली जेलों** की स्थापना करना भी शामिल है।
- **अन्य उपाय:**
    - खुली एवं अर्द्ध-खुली जेलों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
    - अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई करने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।
- जेल अधिनियम, 1894 के साथ-साथ **जेल कानून, 1900** और **'बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950** की भी समीक्षा की गई है। इनके प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल अधिनियम में शामिल किया गया है।

- **जेल अधिकारियों के खाली पड़े पद :** उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में जेल अधिकारियों के 60 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। इससे मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ता है। यह जेलों के खराब प्रबंधन तथा जेलों के भीतर होने वाले अपराधों का प्रमुख कारण है।
- **जेलों में अप्राकृतिक मौतें।**
- **महिलाओं की सुभेद्यता:** अधिकांश महिला कैदी निरक्षर होती हैं, जिन्हें मामूली अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया होता है। उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी नहीं होती है।
- **जेल कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार:** रिश्वत के बदले कारावास के भीतर **मोबाइल फोन, ड्रग्स या हथियार पहुंचाने जैसी गतिविधियां** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती हैं।

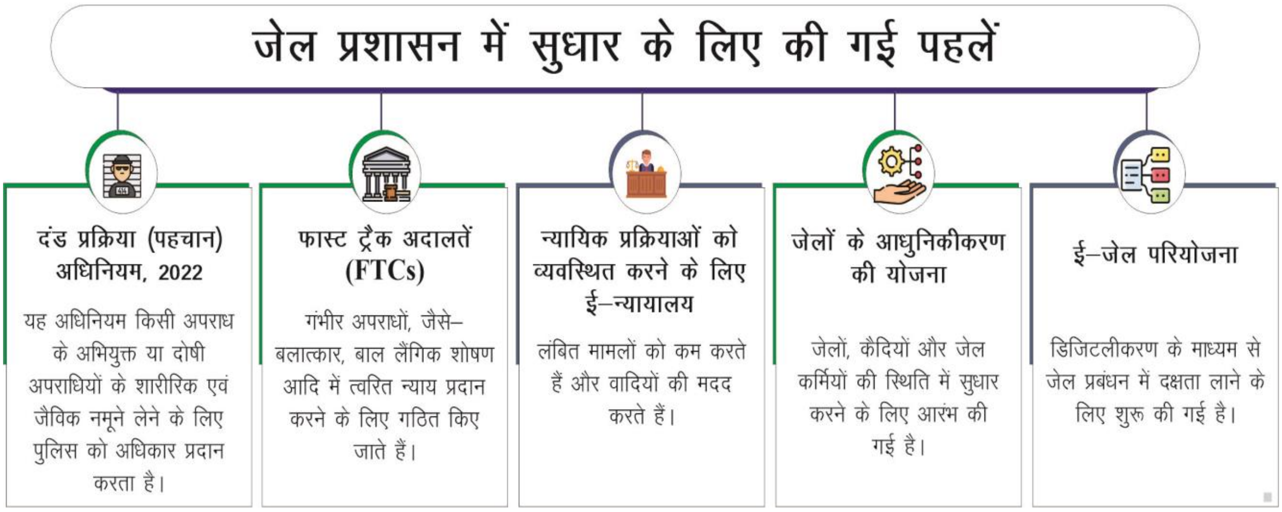

जेलों में सुधार हेतु दिए गए सुझाव

- सुप्रीम कोर्ट ने कारावास और हिरासत के संबंध में **तीन व्यापक सिद्धांतों** को रेखांकित किया है, जिनका पालन किया जाना चाहिए:
  - पहला, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेल में बंद व्यक्ति **"नॉन-पर्सन"** (अस्तित्वहीन/ महत्वहीन/ अधिकार से रहित/ उपेक्षित या भुला दिया गया व्यक्ति) न बन जाए।
  - दूसरा, जेल में बंद व्यक्ति जेल की बाउंड्री के भीतर सभी मानवाधिकारों का हकदार है।
  - तीसरा, जेल में बंद व्यक्ति की पीड़ा को किसी भी तरीके से और बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जेल में कैद होने से व्यक्ति पहले ही कष्ट झेल रहा होता है।
- **जमानत का आसान प्रावधान:** दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की **धारा 436A** के अनुसार, मृत्युदंड वाले अपराध को छोड़कर किसी अन्य अपराध का दोषी व्यक्ति उस अपराध के लिए **निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से आधे से अधिक समय से जेल में बंद है,** तो वह **जमानतदार (Sureties)** की सहायता से या इनके बिना जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
- **जमानत के मामलों का तेजी से निपटान: हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ वाद (2017)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **जमानत का सिद्धांत एक मानदंड** है, जबकि **जेल में रखना एक अपवाद** है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जियों के शीघ्र निपटान का आदेश दिया था।
- **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मॉडल जेल नियमावली, 2016 का अनुपालन किया जाना:** इस नियमावली का उद्देश्य पूरे देश में जेलों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन को शासित करने वाले कानूनों, नियमों एवं विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है।
- **मुल्ला समिति:** भारत सरकार ने 1980 में **न्यायमूर्ति ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति का गठन** किया था। मुल्ला समिति की कुछ **प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:**
  - जेल कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें अलग-अलग कैडर में संगठित किया जाना चाहिए। **भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा** नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है।
  - **सजा समाप्त होने के बाद देखभाल (After-care), पुनर्वास और प्रोबेशन** जेल सेवाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

- ○ प्रेस और अन्य लोगों को समय-समय पर जेलों व संबद्ध सुधार संस्थानों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- ○ **विचाराधीन कैदियों को जेलों में कम-से-कम समय तक रखा जाना चाहिए** और उन्हें दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

समय की मांग है कि जेल मैनुअल में उल्लिखित कैदियों की सुरक्षा के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही, सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित जेल कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए।

जेल सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां

विचाराधीन कैदियों को मताधिकार (Right to Vote for Undertrials)

- सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानून की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
- न्यायालय का यह निर्णय **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act: RPA), 1951 की धारा 62(5)** को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है। यह धारा **कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित** करती है।
    - ○ हालांकि, यह प्रतिबंध **निवारक निरोध में रखे गए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं** होता है।
    - ○ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)[12] की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, देश भर की **अलग-अलग जेलों में लगभग 5.5 लाख कैदी** हैं।

कैदियों को मताधिकार देने के पक्ष में तर्क	**कैदियों को मताधिकार नहीं देने के पक्ष में तर्क**
• RPA की **धारा 62(5),** अपनी **व्यापकता के कारण भेदभावपूर्ण** है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह धारा **जेलों में बंद कैदियों सहित पुलिस कस्टडी में रहे लोगों को भी मताधिकार से वंचित करती है।** • एक ओर जहां सिद्धदोष व्यक्ति को जमानत होने पर मतदान करने की अनुमति दी जाती है, वहीं जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को इसकी अनुमति नहीं है। यह अनुचित है। • **मताधिकार** लोकतंत्र की आधारशिला है।	• **अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997)** मामले में, न्यायालय ने धारा 62(5) की **संवैधानिक वैधता को निम्नलिखित कारणों से बरकरार रखा था:** ○ मतदान का अधिकार, संविधान के **अनुच्छेद-14 के अनुसार प्रदान नहीं** किया गया है। ○ मताधिकार को विधायिका सीमित कर सकती है। ○ इससे **राजनीति के अपराधीकरण से बचने और चुनावी पारदर्शिता** सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। • **संसाधनों पर दबाव** बढ़ेगा, क्योंकि इसकी अनुमति देने के लिए **सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था** करनी होगी।

गृह मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों (2018-2022) में हिरासत में हुई मौतों का विवरण साझा किया है

- **मंत्रालय की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
    - ○ हिरासत में मौत के **सबसे ज्यादा मामले गुजरात में दर्ज** किए गए हैं। इसके बाद **महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश** का स्थान है।
    - ○ केंद्र शासित प्रदेशों में, हिरासत में मौत की **सबसे अधिक घटनाएं दिल्ली** में तथा उसके बाद **जम्मू और कश्मीर** से दर्ज की गई हैं।
- **हिरासत में हिंसा मुख्य रूप से पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में हिंसा** को कहा जाता है। मौत के अलावा, बलात्कार और यातना, हिरासत में हिंसा के दो अन्य रूप हैं।
    - ○ हालांकि, हिरासत में हिंसा शब्दावली को **किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं** किया गया है।

- **हिरासत में होने वाली मौतों के कारण:**
    - ○ पुलिस द्वारा बल का उपयोग करने की पारंपरिक आदत बनी हुई है;
    - ○ जेल में भीड़भाड़ से कैदियों के बीच हिंसा को बढ़ावा मिलता है या वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं;

12 National Crime Reports Bureau

- चिकित्सा सुविधाओं, भोजन जैसी बुनियादी सेवाओं में कमी भी हिरासत में मौत की बड़ी वजह है।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:**
  - **अनुच्छेद 20:** अपराधों की दोषसिद्धि के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार,
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार,
  - **अनुच्छेद 22:** कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और डिटेंशन से संरक्षण का अधिकार आदि।
- **वैधानिक सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:**
  - **भारतीय दंड संहिता** की धारा 330 और 331;
  - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** की धारा 25 और 26;
  - **पुलिस अधिनियम, 1861** की धारा 29, जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए यातना का सहारा लेने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु अधिनियमित किया गया था आदि।

4.4.3. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन **राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति** है। **यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इस कारण इसका संयमित तरीके से ही प्रयोग किया जाना चाहिए।**
  - न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है न कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में।
- इस निर्णय में शीर्ष न्यायालय की पीठ ने **"अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन"** मामले में 1982 के **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय** का हवाला दिया है। इस मामले में कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।
  - इस कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि किसी **कृत्य को करने से पहले निवारक हस्तक्षेप करने और ऐसा करने से उसे रोकना** है।

भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करने वाले कानून

- **प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम (1950):** यह इस तरह का पहला कानून था। इसे राष्ट्र-विरोधी तत्वों को राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य करने से रोकने हेतु पारित किया गया था।
- **आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA)[13], 1971:** यह आपातकाल के दौरान इसके तहत किए गए अत्याचारों के लिए कुख्यात है। आपातकाल की अवधि में इसे राजनीतिक विरोधियों, ट्रेड यूनियंस और सरकार को चुनौती देने वाले नागरिक समाज समूहों के खिलाफ आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया गया था।
  - **1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा MISA को समाप्त कर दिया गया था।
- **विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA)[14], 1974:** इसमें विदेशी मुद्रा को बनाए रखने व उसमें वृद्धि करने तथा इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया है।
- **आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम {TADA}[15], 1985:** इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रणाली के तहत तैयार किया गया सबसे शक्तिशाली और प्रतिबंधात्मक कानून माना जाता है।
- **आतंकवादी गतिविधि रोकथाम कानून (POTA)[16], 2002:** इसे TADA के समान उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था।

---

[13] Maintenance of Internal Security Act

[14] Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act

[15] Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act

[16] Prevention of Terrorism Act

प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में

- प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है- **अपराध करने से पहले ही** किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना **जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है,** लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन (गिरफ्तार) किया जाता है।
    - इसके तहत, व्यक्ति को **बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत** में रखा जाता है।
- भारत का संविधान **अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान** करता है।
    - यह सुरक्षा **प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है {अनुच्छेद 22(3)}।**
- **निम्नलिखित कुछ कानून हैं, जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं:**
    - **दंड प्रक्रिया संहिता;**
    - **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985;**
    - **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम आदि।**
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की **"भारत में अपराध रिपोर्ट 2021"** के अनुसार, भारत में 2021 में 1.1 लाख से अधिक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में रखा गया था। यह संख्या 2017 के बाद सबसे अधिक है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) भी धारा 151 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान करती है।**
    - **CrPC की धारा 151 के अनुसार,** यदि पुलिस को लगता है कि "किसी संज्ञेय अपराध[17]" को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है।

प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े मुद्दे

- कार्यकारी निरंकुशता (Executive Tyranny): प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों को **अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण में लागू करने** और **न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करने के लिए डिज़ाइन** किया जाता है।
- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, डिटेन किए गए व्यक्ति के **अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19** और **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की तुलना में कहीं अधिक उल्लंघन होता है।
- **दुरुपयोग:** उदाहरण के लिए- 2018 से 2020 तक **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)[18] के तहत सभी डिटेंशन ऑर्डर्स में से 78.33%** गलत पाए गए हैं।

---

[17] Cognisable Offence

[18] National Security Agency

- **कार्यभार:** लंबित मामले अदालतों के कार्यभार में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए, डिटेंशन संबंधी आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाओं की सुनवाई में कई महीने लग सकते हैं। नतीजतन, यह प्रक्रिया उत्पीड़क बन जाती है।
- **सलाहकार बोर्ड:** संविधान द्वारा अनुच्छेद 22 के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड राज्य को इसे विशुद्ध रूप से कार्यकारी समिति बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।
    - ऐसी समिति को **निष्पक्ष या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं माना जा सकता है।**
- **डिटेन किए गए व्यक्ति का उत्पीड़न:** प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत संबंधी मामलों के निपटान हेतु कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। साथ ही, रिट याचिका दायर करने के अलावा अन्य निवारण तंत्रों की अनुपलब्धता के कारण डिटेन किए गए व्यक्ति का उत्पीड़न भी होता है।

आगे की राह

- **कानूनी प्रतिनिधि (Legal Representative):** डिटेन किए गए व्यक्ति को मामले के किसी भी स्तर पर अपनी पसंद के वकील से **परामर्श करने और वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने** का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बचाव पक्ष द्वारा सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना मत प्रभावी रूप से रखा गया है। इससे तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।
- **सलाहकार बोर्ड:** इसमें **उच्च न्यायालयों के केवल मौजूदा न्यायाधीशों को शामिल** किया जाना चाहिए, ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की वैधता और विस्तार का निर्णय करते समय **त्वरित सुनवाई तथा प्रभावी एवं निष्पक्ष निर्णयन सुनिश्चित** किया जा सके।
- **समय-सीमा:** सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुमोदन के बाद ही प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इससे डिटेन किए गए व्यक्ति को केवल कार्यकारी आदेश के आधार पर अत्यधिक लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा।
- **स्वतंत्र निकाय: पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए** प्रिवेंटिव डिटेंशन एवं प्राधिकार के दुरुपयोग के आरोपों आदि की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग करते समय अनुच्छेद 21 (विधि की सम्यक् प्रक्रिया) तथा अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन से संरक्षण) के प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित कानून का भी पालन करना चाहिए।

4.4.4. मृत्युदंड (Death Penalty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही के एक निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के महत्व को दोहराया है।

मृत्युदंड से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21:** किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है।**
- **सातवीं अनुसूची** के तहत आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके चलते मृत्युदंड से संबंधित कई कानून मौजूद हैं। उदाहरण के लिए: भारतीय दंड संहिता, 1860; सेना कानून, 1950; वायु सेना कानून, 1950; नौसेना कानून, 1956; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 आदि।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा **दोषी कैदियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और दोषी कैदियों की सजा कम करवाने वाले जांच अधिकारियों (Mitigating Investigators) तक पहुंच होनी चाहिए।**
- न्यायालय ने माना है कि यह कदम **दोषी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा पृष्ठभूमि की एक स्वतंत्र एवं समग्र तस्वीर** प्रस्तुत करने में मददगार साबित होगा।

मृत्युदंड के बारे में

- मृत्युदंड को **'कैपिटल पनिशमेंट'** भी कहा जाता है। इसे 'कानून द्वारा स्वीकृत एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके तहत एक व्यक्ति को एक उचित कानूनी सुनवाई के बाद अपराध की सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाता है।'
- अत्यंत **प्राचीन काल से** ही इसका उपयोग **दंड के एक तरीके के रूप** में किया जाता रहा है। लेकिन मृत्युदंड की नैतिक स्वीकार्यता अर्थात् राज्य द्वारा लोगों को मृत्युदंड देने की शक्ति और इसकी परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर वाद-विवाद का विषय रही हैं।

मृत्युदंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

- निम्नलिखित के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र और उसके समान कई एजेंसियां मृत्युदंड का विरोध करती हैं-
  - **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)** का दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल;
  - **बाल अधिकारों पर अभिसमय (CRC);**
  - **मृत्युदंड के उपयोग पर रोक के लिए 2007** से चार संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प आदि।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क	मृत्युदंड से संबद्ध नैतिक मुद्दे
• **निवारक (Deterrence):** समाज की अधिक सार्थकता के लिए मृत्युदंड के समर्थकों द्वारा इसे यह तर्क देकर उचित ठहराया जाता है कि इससे समाज में गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड दिए जाने का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है। • **प्रतिकारी (Retributive) न्याय:** मृत्युदंड प्रतिकार का एक उचित रूप है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार दोषी लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। • **आनुपातिकता का सिद्धांत:** न्याय की मांग है कि सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। • **नागरिकों की इच्छा:** वर्ष 2012 में, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 70% भारतीयों ने मृत्युदंड जारी रखने का समर्थन किया था। • **पुलिस की मदद के लिए प्रोत्साहन:** मृत्युदंड का भय मौत की सजा पाने वाले कैदियों को अपनी सजा कम करवाने हेतु पुलिस की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है (अर्थात्, दलील-सौदेबाजी द्वारा)।	• **आजीवन कारावास** जैसी अपेक्षाकृत कम कठोर सजा की तुलना में मृत्युदंड के सबसे बड़े निवारक या अधिक **प्रभावी निवारक होने का कोई सांख्यिकीय प्रमाण नहीं है।** • एक **सभ्य समाज में प्रतिकार का कोई संवैधानिक मूल्य नहीं** है, क्योंकि मृत्युदंड, जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख जैसे प्रतिशोध को दर्शाता है। • **मृत्युदंड की नैतिकता:** यह **मानवीय गरिमा** के विरुद्ध है और अहरणीय **जीवन के अधिकार** का उल्लंघन है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो कानून के दूसरे पक्ष की ओर हैं। • **मृत्युदंड का समर्थन इस आधार पर करना कि इससे पुलिस को मदद मिलती है** चिंताजनक है, क्योंकि इसी तरह के तर्कों का प्रयोग **यातना,** गोपनीयता के उल्लंघन और अन्य अनैतिक प्रथाओं **को सही ठहराने के लिए** किया जा सकता है। • जब कानून और व्यवस्था को प्रतिकारात्मक न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो **न्याय के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं** की उपेक्षा हो जाती है। उदाहरण के लिए, लोगों की **शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक** स्थितियों में सुधार होने के साथ-साथ गंभीर अपराधों में भी कमी आती है।

मृत्युदंड से संबंधित अन्य मुद्दे

- **वस्तुनिष्ठता का अभाव:** गंभीरता बढ़ाने वाले और कम करने वाले कारकों पर कोई ठोस रूपरेखा नहीं होने के कारण।
- **प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का अभाव:** रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों की विवेकाधीन व्याख्या के कारण।
- **सत्यनिष्ठा का अभाव:** जैसा कि मीडिया का दबाव अक्सर समुदाय की सामूहिक चेतना को निर्देशित करता है।
- **प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली:** संरचनात्मक और प्रणालीगत मुद्दों, जैसे– संसाधनों की कमी, अप्रभावी अभियोजन आदि।
- **बहुत अधिक विलंब:** मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों द्वारा मुकदमों, अपीलों और उसके बाद कार्यकारी क्षमादान में देरी का सामना करना।

आगे की राह: मृत्युदंड के नैतिक कार्यान्वियन में पालन किए जाने वाले सिद्धांत

- न्याय प्रदान करने में चूक या न्याय प्रणाली की विफलता से बचने के लिए **कानूनों व खराब आपराधिक न्याय प्रणाली के मुद्दों को हल करना।**
- मृत्युदंड देने से पैदा होने वाले किसी गंभीर परिणाम से बचने के लिए **न्याय के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं** पर उचित विचार के साथ **सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण** रखना।
- अत्यधिक दंड दिए जाने से बचने और जीवन के मूल्य के प्रति अधिकतम सम्मान बनाए रखने के लिए मृत्युदंड दिए जाने हेतु **मजबूत औचित्य प्रदान करना।**
- अभियुक्त को अनिश्चितता की यातना से बचाने हेतु **यह सुनिश्चित करना कि दया याचिका** न्याय प्रदान करने में चूक के विरुद्ध समयबद्ध निपटान के साथ **अंतिम बचाव के रूप में कार्य करे।**

दया याचिका (क्षमा याचना) {Mercy Plea (Clemency Petition)}

- न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए, **दया याचिका एक अंतिम संवैधानिक उपाय** है। यह संविधान के **अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति), और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल)** के तहत प्रदान किया गया है।

दया याचिका की आवश्यकता क्यों है?

- दया याचिका न्यायिक प्रक्रिया में एक **मानवतावादी पक्ष** जोड़ती है, क्योंकि दंड की समीक्षा विधिक दृष्टिकोण से परे भी की जा सकती है।
- यह **न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रदान करने में हुई चूक** (Miscarriage of Justice) **या संदिग्ध दोषसिद्धि** (Doubtful conviction) के मामलों में **निर्दोष व्यक्तियों को सजा से बचाने** में मदद कर सकती है।
  - यातना, झूठे साक्ष्यों, खराब विधिक सहायता आदि जैसे मुद्दों के कारण **हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद संकट के कारण न्याय प्रदान करने में चूक या संदिग्ध दोषसिद्धि** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दया याचिका संबंधी मुद्दे

- दया याचिका पर कार्रवाई करने के लिए **कोई निश्चित समय सीमा नहीं** है। इस कारण इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी होती है। विधि आयोग ने कुछ ऐसे राष्ट्रपतियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने **दया याचिका के निपटान पर रोक** लगा दी थी।
- दया याचिका की अस्वीकृति या स्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए **पारदर्शिता की कमी है।** लेकिन, यह **सीमित न्यायिक समीक्षा** (एपुरु सुधाकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार वाद, 2006) के अधीन है।

मृत्युदंड की परिस्थितियों को कम करना

- सुप्रीम कोर्ट ने **मृत्युदंड से संबंधित एक याचिका** को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। यह पीठ **अभियुक्त को मृत्युदंड देते समय अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों की जांच करने हेतु दिशा-निर्देश** तैयार करेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि कई ऐसी **संभावित परिस्थितियां** हो सकती हैं जिन पर विचार करने से इस **निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि मृत्युदंड देना जरूरी है या नहीं।** इन परिस्थितियों में सामाजिक परिवेश, आयु, शैक्षिक स्तर, पारिवारिक परिस्थितियां, क्या अपराधी ने जीवन में किसी प्रकार के सदमे का सामना किया है या नहीं आदि शामिल हैं।
  - इसका उद्देश्य मृत्युदंड की सजा वाले मामलों में आरोपी के अपराध की गंभीरता कम करने वाले कारकों को सामने रखने के लिए वास्तविक और सार्थक अवसर प्रदान करने के सवाल पर एक समान दृष्टिकोण अपनाना है।
- इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने बचन सिंह मामले में **रेयरेस्ट ऑफ रेयर** का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद **माछी सिंह मामले में इस सिद्धांत के लिए नियम निर्धारित** किए थे।
  - इन नियमों में **अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों** का भी उल्लेख किया गया था।
  - अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों में शामिल हैं; किसी **आरोपी में सुधार और उसके पुनर्वास की संभावना,** आरोपी का **मानसिक स्वास्थ्य और उसके जीवन के अन्य पहलू।**
    - ये ऐसे तथ्य हैं, जो किसी अपराध के लिए सजा को कम कर सकते हैं।
  - **किसी अपराध को गंभीर बनाने वाले कारकों में शामिल हैं:**
    - अपराध करने का तरीका,
    - अपराध करने के पीछे मंशा,
    - अपराध की गंभीरता, और
    - अपराध का पीड़ित व्यक्ति।
    - ये परिस्थितियां सजा को बढ़ा सकती हैं।

4.5. भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid in India)

निःशुल्क कानूनी सहायताः एक नज़र में

निःशुल्क कानूनी सहायता उन गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए **नागरिक एवं आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाओं का प्रावधान है,** जो किसी मामले या कानूनी कार्यवाही के संचालन के लिए वकील की सेवाएं वहन करने में असमर्थ हैं।

संविधान का **अनुच्छेद 39A** समाज के **गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता** का प्रावधान करता है। साथ ही, यह सभी के लिए न्याय भी सुनिश्चित करता है।

निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता क्यों है?

- सभी लोगों तक न्याय की पहुंच को बढ़ावा देना।
- **लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करना**– 2021 में 77% कैदी विचाराधीन कैदी थे।
- कानून के तहत **समान संरक्षण** प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना।
- **गलत दोषसिद्धि को रोकना।**

निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम

- निःशुल्क कानूनी सेवाएं **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत प्रदान की जाती हैं। इस कार्य का संचालन **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा किया जाता है।
- **"प्रो बोनो लीगल सर्विसेज"** पहल एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से इच्छुक वकील उन वंचित वादियों (Underprivileged Litigants) के लिए लोक कल्याणार्थ निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं, जो इसका खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।
- **टेली लॉ (Tele Law) पहल,** पैरा लीगल वालंटियर द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के जरिए वकीलों को ग्राहकों से जोड़कर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करेगी।
- **लोक अदालतः** अदालतों में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के चरण के मामलों के **सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है।**

निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में चुनौतियां

- **जानकारी का अभावः** इससे गरीबों का शोषण होता है और उनके अधिकारों का हनन होता है।
- **भौगोलिक बाधाएंः** सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करने में चुनौती आती है।
- **अपर्याप्त वित्त–पोषणः** वकीलों की प्रभावशीलता को बाधित करती है और उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पैनल में शामिल वकीलों की कम संख्या आदि।
- **न्यायालयों पर अधिक कार्यभारः** अदालतों पर पहले से अधिक कार्य के बोझ के कारण निःशुल्क सहायता की प्रदायगी में देरी होती है।
- **खराब फंडिंगः** कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के अध्ययन के अनुसार, भारत में कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च 0.75 रुपये है।
- **सेवा की खराब गुणवत्ताः** NLUD की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 75% लाभार्थियों ने अंतिम विकल्प के रूप में निःशुल्क कानूनी सहायता को चुना था।
- **पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता का न मिलनाः** जबकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति के लिए वकील के अधिकार की गारंटी देता है।

आगे की राह

- **जन जागरूकताः** जनता को निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में सूचित और शिक्षित करना चाहिए।
- **सभी नामी वरिष्ठ वकीलों को शामिल करनाः** उन्हें कानूनी सहायता योजनाओं में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अनुरोध भी करना चाहिए कि वे हर साल कुछ मामलों में निःशुल्क सेवाएं दें।
- कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों को **बेहतर भुगतान** करना चाहिए।
- छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जेल के कैदियों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से **पैरा लीगल वालंटियर** को प्रशिक्षित करना।
- **नियमित फीडबैकः** कानूनी प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए यह आवश्यक है।

4.6. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (Fast Track Special Courts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कानून मंत्री ने **फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)** के गठन में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)

- फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) **विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें** हैं। इनसे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।
- आरंभ में **11वें और फिर 14वें वित्त आयोग ने FTCs** के गठन के सुझाव दिए थे। इन FTCs का गठन 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित विशेष मामलों के निपटान के लिए किया जाना था। इन विशेष मामलों में जघन्य अपराधों के अलावा महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, एचआईवी/ एड्स आदि से संबंधित दीवानी मामले भी शामिल थे।
- **FTSCs का गठन केंद्र प्रायोजित योजना के तहत** किया जाता है। ये बलात्कार के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।
- FTSCs की स्थापना और कार्यप्रणाली **राज्य सरकार के अधीन** आती है। इनका गठन राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह पर करती है।

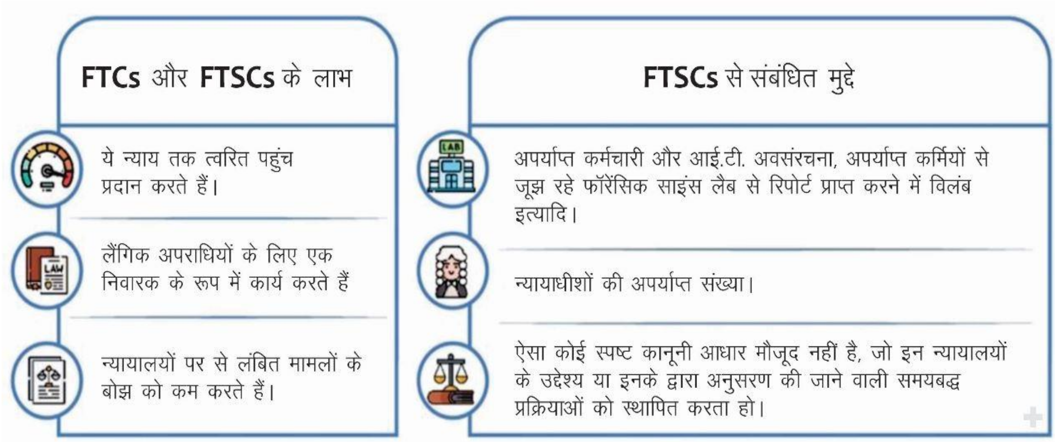

- FTSCs **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं।**

आगे की राह

- न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के अलावा, **महानगरीय और दूर-दराज के गैर-महानगरीय क्षेत्रों पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए।**
- एक बार स्थापित किए जाने के बाद, **स्पेशल कोर्ट्स के प्रदर्शन और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनकी निगरानी एवं मूल्यांकन** किया जाना चाहिए।
- **न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों का चयन उनकी मनोवृत्ति, ज्ञान और कौशल** के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें विशेष **संवेदीकरण प्रशिक्षण** भी दिया जाना चाहिए।
- **अन्य अदालती एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग के लिए तंत्र विकसित** किया जाना चाहिए।
- **पीड़ित सहायता सेवाओं के लिए व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।** इन सेवाओं में दुभाषियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ितों की सुरक्षा आदि को शामिल किया जा सकता है। इससे उन्हें सुरक्षा में गवाही देने में सक्षम बनाया जा सकेगा और उन्हें किसी सदमे में जाने से बचाया जा सकेगा।

4.7. ऑनलाइन न्याय वितरण (Online Justice Delivery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पहली बार **सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2021 में, **सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने भारत में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग** के लिए आदर्श नियम जारी किए थे।
    - इससे पहले वर्ष 2018 में **स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट** मामले में, शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत **'न्याय तक पहुंच के अधिकार'** का हिस्सा है।
- वर्तमान में, **छह उच्च न्यायालय (गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश)** अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण **ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण** का हिस्सा है। ई-कोर्ट परियोजना, **न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग** को बढ़ावा देने की एक पहल है।

ऑनलाइन न्याय वितरण में चुनौतियां

- **न्यायालय और आई.टी. अवसंरचना में निवेश की कमी** है। इसका कारण यह है कि ई-कोर्ट्स के लिए नए युग की तकनीक, जैसे- हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्याप्त बैंडविड्थ की उपलब्धता आदि की जरूरत होती है।
- **न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तकनीकी जानकारी** का अभाव है। साथ ही, समर्पित आंतरिक तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं है।
- **वादियों और अधिवक्ताओं के मध्य कम जागरूकता है।**
- ग्रामीण क्षेत्रों में **अपर्याप्त अवसंरचना, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत अधिक कमी तथा कम डिजिटल साक्षरता के कारण न्याय तक पहुंच में डिजिटल डिवाइड की स्थिति** बनी हुई है।
- अलग-अलग विभागों के बीच **समन्वय, संचार और सॉफ्टवेयर की इंटर-ऑपरेबिलिटी की कमी के कारण अंतर-विभागीय चुनौतियों की मौजूदगी।**

* **साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरे:** न्यायिक डेटा में संवेदनशील मामले की जानकारी और वादी का डेटा शामिल होता है। इस कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और प्रसारण सुरक्षा व निजता संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी कर सकता है।
* **प्रक्रियात्मक समस्याएं जैसे- वीडियो और/ या ऑडियो प्रसारण के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य की प्रामाणिकता, गवाह की पहचान, सुनवाई की गोपनीयता** आदि।

आगे की राह

* अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आदि के सुझावों को शामिल करने के लिए **प्रक्रियात्मक कानूनों/ नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।**
* ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करने और ई-डेटा (जैसे- मिनट प्रविष्टियों की ई-फाइलिंग, सम्मन, वारंट आदि के रिकॉर्ड) के रख-रखाव के लिए न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों तथा पैरालीगल्स हेतु **नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन करने एवं उसे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।**
* **देश के नागरिकों के लिए सहज ई-कोर्ट तंत्र का निर्माण और जागरूकता सृजन** किया जाना चाहिए। साथ ही, यह तंत्र विविध भारतीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
* **डेटा गोपनीयता पर स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत है।**

ई-कोर्ट परियोजना के तहत शुरू की गई पहलें

* **नई शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:**
  * **वर्चुअल जस्टिस क्लॉक:** यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण शामिल हैं।
  * **जस्टिस (JustIS) मोबाइल ऐप 2.0:** यह ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से वे लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकेंगे। इससे **न्यायालय और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन** सुनिश्चित हो सकेगा।
  * **डिजिटल कोर्ट:** इस पहल के तहत न्यायाधीशों को **अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में** उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्यवाहियों को कागज-रहित बनाने में मदद मिलेगी।
  * **S3WaaS वेबसाइट्स:** इसके तहत जिला न्यायपालिका से संबंधित विशेष सूचनाओं और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए **वेबसाइट्स का निर्माण, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग और प्रबंधन** शामिल है।
* **इस संबंध में आरंभ की गई अन्य पहलें**
  * अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम** (ICJS) की शुरुआत की गई है।
  * सुप्रीम कोर्ट ने **फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (FASTER)** लॉन्च किया है। यह एक सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है।
  * **सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS/ सुवास)** अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है।
* ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (2007) एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है। इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से युक्त बनाना है।**
  * भारत के सुप्रीम कोर्ट की **ई-समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी योजना बनाई गई थी।**

4.8. वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR)

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) – एक नज़र में

ADR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत **न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान** किया जाता है। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जैसे– सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि। इसके तहत विवादों पर बात करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है। आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय में ही दिया जाता है। ADR पांच प्रकार के होते हैं, ये हैं–

आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम (Arbitration): इसके तहत विवाद को एक माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष रखा जाता है। इनका **निर्णय अधिकतर मामलों** में पक्षकारों के लिए **बाध्यकारी होता है।**

सुलह (Conciliation): यह एक **गैर–बाध्यकारी प्रक्रिया** है। इसके तहत एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी होती है। इसे **सुलहकार** (Conciliator) कहते हैं। यह **विवाद में शामिल पक्षकारों** को परस्पर रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने में **सहायता प्रदान करता है।**

मध्यस्थता (Mediation): इसके तहत 'मध्यस्थ' (Mediator) के रूप में एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। वह विवाद में शामिल पक्षकारों को परस्पर रूप से स्वीकृत समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है।

समझौता (Negotiation): यह एक गैर–बाध्यकारी प्रक्रिया है। **इसके तहत बिना किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के विवाद में शामिल पक्षकार आपस में बातचीत करते हैं।** इस बातचीत का उद्देश्य समझौता आधारित समाधान सुनिश्चित करना होता है।

लोक अदालत (People's Court): इसके तहत **अनौपचारिक रूप से किसी न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में बातचीत के माध्यम से समझौता किया जाता है।** हालांकि, इसमें क़ानूनी औपचारिकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

लोक अदालत का **निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।**

ADR की आवश्यकता क्यों?

- न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का समाधान कर न्यायालयों पर बोझ को कम करने के लिए।
- संविधान की प्रस्तावना में स्थापित सिद्धांतों, जैसे– **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने** तथा समाज में **बंधुत्व को बनाए रखने** के लिए।
- **DPSP** के अनुच्छेद 39 में के तहत **समान न्याय तथा निःशुल्क क़ानूनी सहायता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।**

ADR के लाभ

- न्यायालयों के मुकाबले इसमें **कम समय लगता है।**
- यह काफी किफ़ायती पद्धति है।
- **न्यायालयों की लंबी औपचारिकताओं के बिना** विवादों का समाधान करने के लिए अनौपचारिक तरीकों को अपनाया जाता है।
- लोगों को **स्वयं को अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी होती है।** साथ ही, वे किसी भी न्यायालय में जाए बिना **सटीक तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं।**
- **यह विवाद में शामिल पक्षकारों के संबंधों को बेहतर बनाए रखता है,** क्योंकि पक्षकार साथ में बैठकर एक ही मंच पर बातचीत के द्वारा समाधान निकालते हैं।

ADR की सीमाएं

- **आर्बिट्रेशन से जुड़ा निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होता है। इन निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।**
- पक्षकारों के मध्य शक्ति असंतुलन को जांचने का बहुत कम या कोई तरीका नहीं होता है। यह **आवश्यक नहीं है कि इसके तहत पक्षकारों के क़ानूनी अधिकारों की रक्षा हमेशा हो।**
- ADR प्रक्रिया के दौरान **अलग–अलग भाषाई क्षेत्र वाले पक्षकारों के कारण भाषा एक बाधा बन जाती है,** जिससे विवाद समाधान प्रभावित होता है।
- **बाध्यता का अभाव:** इसके तहत किसी भी पक्षकार को बातचीत जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई भी पार्टी, दूसरी पार्टी द्वारा लगाए गए समय, धन और की गई कोशिशों को ध्यान में रखे बिना स्वयं को बातचीत से किसी भी समय अलग कर सकती है।
- इसके बारे में लोगों के मध्य **जागरूकता की कमी है।**

आगे की राह:

- इसके बारे में सेमिनार्स, वेबिनार्स और कार्यशालाओं का आयोजन करके **जागरूकता** लाई जा सकती है।
- **न्यायिक अधिकारियों को उन मामलों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिनका समाधान कोर्ट के बाहर किया जा सकता है।**
- जिला और तहसील क्षेत्रों में **मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।** इससे नागरिकों को बिना किसी मुकदमेबाज़ी के अपने विवादों का त्वरित समाधान करने में मदद मिलेगी।
- ADR व्यवस्था को **अधिक किफायती और सुगम बनाना चाहिए,** ताकि न्यायपालिका में बढ़ती मामलों की संख्या का समाधान किया जा सके।
- बीच में बाहर निकलने वाले पक्षकारों पर ADR के **निर्णय को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।**

4.9. अधिकरण (Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि **संविधान के प्रावधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) का उत्सादन (अर्थात् समाप्त) करने से नहीं रोकते हैं।**

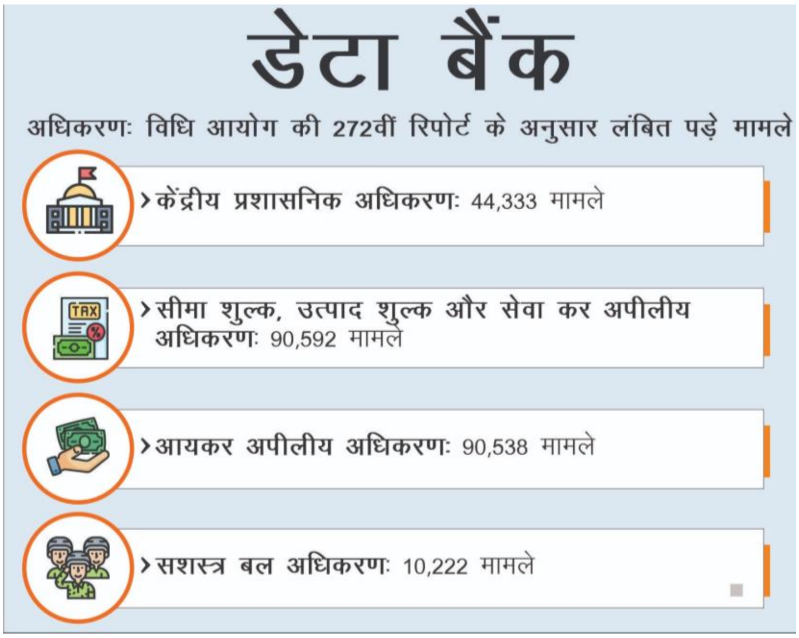

अन्य संबंधित तथ्य

* सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में **ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण के उत्सादन को संवैधानिक रूप से वैध माना है।**
    * शीर्ष न्यायालय ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रहा था। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण का उत्सादन करने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा 2 अगस्त, 2019 को जारी अधिसूचना को बरकरार रखा था।
    * उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि **राज्य सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रशासनिक अधिकरण ने वादियों को त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है।**
* सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, संविधान का **अनुच्छेद 323-A केंद्र सरकार को SATs का उत्सादन करने से नहीं रोकता** है। यह तो एक सक्षमकारी प्रावधान है, जो केंद्र सरकार को अपने विवेक पर प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार प्रशासनिक अधिकरण का सृजन करती है।

भारत में अधिकरण प्रणाली

* **अधिकरण:** यह संसद या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा **अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B** के तहत स्थापित **न्यायिक या अर्ध-न्यायिक संस्थाएं** होती हैं। **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश पर **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** के द्वारा **अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B** को संविधान में शामिल किया गया है।
    * **अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरण** से संबंधित है।
    * **अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों हेतु अधिकरण** से संबंधित है।
* ये **न्यायालयों की तुलना में विवादों के शीघ्र न्याय-निर्णयन** के लिए एक **मंच प्रदान** करने के साथ-साथ कुछ विषयों पर विशेषज्ञता भी प्रदान करते हैं।

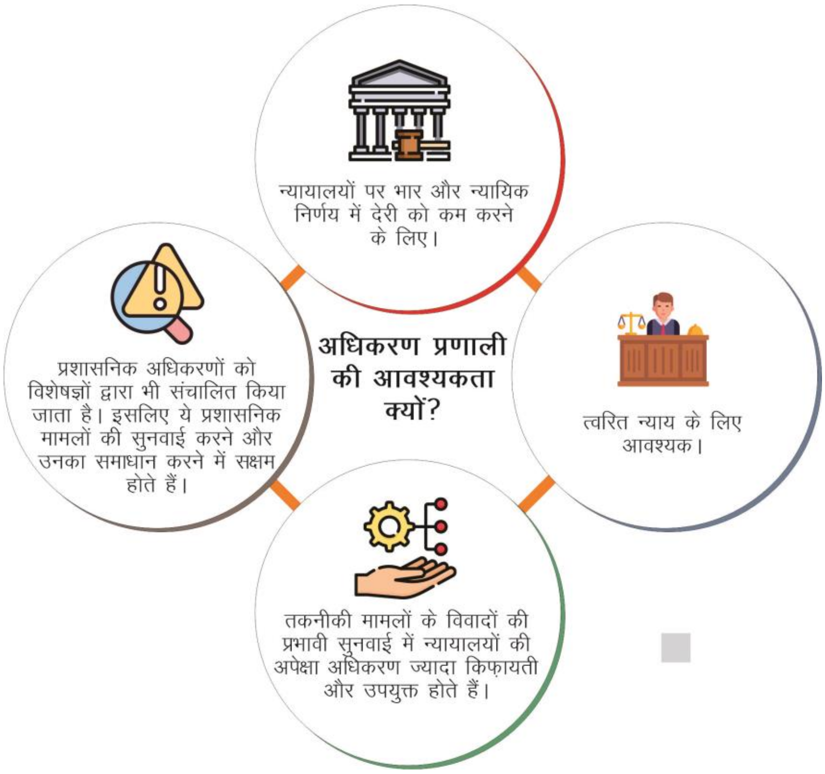

* अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अधिकरण **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते** हैं।

- अधिकरण को कुछ मामलों में **सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त** होती हैं। इसमें **स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना** आदि शामिल है। इसके **निर्णय पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते** हैं। हालांकि, इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

अधिकरण प्रणाली से जुड़े मुद्दे

- **स्वतंत्रता का अभाव:** सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में पाया कि **भारत में अधिकरणों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं** है।
    - **चयन समितियों के माध्यम से अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति** की व्यवस्था, अधिकरणों की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
- **एकरूपता का अभाव: अधिकरण के लिए अलग-अलग प्रभारी नोडल मंत्रालय हैं। साथ ही, योग्यता, नियुक्तियों, सेवा-शर्तों, सदस्यों के कार्यकाल, आदि** के मामले में भी एकरूपता का अभाव है। यह स्थिति अधिकरण के प्रबंधन और प्रशासन में खामियां लाती है।
- **स्टाफ की कमी:** उदाहरण के लिए, **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में 64 में से 27 पद खाली** पड़े हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ पीठों में तो मामलों की सुनवाई के लिए आवश्यक संख्या भी मौजूद नहीं है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** अधीनस्थ न्यायपालिका और अधिकरण में न्यायाधीशों, वकीलों एवं वादियों के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे जैसे- कोर्टरूम तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक गंभीर विषय है।
- **लंबित मामलों की उच्च दर** अधिकरणों में अनावश्यक स्थगन और अधिकरण के सदस्यों की अनुपस्थित रहने संबंधी प्रवृति के कारण लंबित मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही, अधिकरणों की अपने संबंधित मंत्रालय पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता भी इस समस्या को और अधिक बढ़ाती है।
- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:** अक्सर अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप देखा जाता है। यह हस्तक्षेप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है।

आगे की राह

- **स्वतंत्र स्वायत्त निकाय: अधिकरणों के काम-काज की निगरानी और नियुक्ति प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित** करने की आवश्यकता है। इसके लिए **कानून और न्याय मंत्रालय** के अधीन **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)**[19] की स्थापना करनी चाहिए।
    - NTC का विचार सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद** (1997) में दिया था।
- **सदस्यों का चयन:** भारतीय विधि आयोग की 272वीं रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि **सदस्यों का चयन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही, नियुक्ति प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियों की भागीदारी भी न्यूनतम होनी चाहिए,** क्योंकि सरकार सामान्यतः हर मुकदमे में एक पार्टी होती है।

अधिकरण के रूप में लोक सभा / विधान सभा अध्यक्ष

- लोक सभा / विधान सभा अध्यक्ष का कार्यालय विधायकों की अयोग्यता (Disqualification) पर अपने निर्णयों को लेकर विवादों में रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक दल से (या तो 'डी जुरे' या 'डी फैक्टो') संबंधित होता है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा है कि **क्या अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं को अध्यक्ष (अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में) को सौंपा जाना चाहिए।**
- संसद को 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली अयोग्यता से संबंधित विवादों को स्थायी अधिकरण के माध्यम से निपटाना चाहिए। इस संबंध में लोक सभा और विधान सभाओं के अध्यक्ष की इन शक्तियों को ऐसे स्थायी अधिकरण में हस्तांतरित करने हेतु संविधान में संशोधन करने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

- **रिक्तियों को भरना:** अधिकरण में होने वाली रिक्तियों को समय पर यथाशीघ्र भरना चाहिए। इस संबंध में **पद रिक्ति होने के छः महीने के भीतर पद को भरा जाना चाहिए।**
- **अधिकरण की पीठ: देश के अलग-अलग हिस्सों में** अधिकरण की पीठ स्थापित करना चाहिए। इससे देश में **लोगों तक न्याय की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।** आदर्श रूप से देखें तो, जहां उच्च न्यायालय स्थित है वहीं अधिकरण की पीठ भी स्थापित होनी चाहिए।
- **योग्य कार्यबल:** अधिकरण के सदस्यों को संबंधित विषय-क्षेत्र में कम-से-कम पंद्रह साल का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव होना चाहिए। साथ ही, सदस्यों की क्षमता और सत्यनिष्ठा को महत्व देना चाहिए।
- **निवारण तंत्र:** अधिकरण से संबंधित सभी कानूनों में मामलों के समयबद्ध निवारण हेतु कठोर प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

[19] National Tribunal Commission

4.10. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय समिति ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में सीधी भर्ती में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों की जांच करने के लिए कहा है। ज्ञातव्य है कि CIC में कई आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- समिति के अनुसार, CIC ने अनुबंध के आधार पर **आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करके 160 स्वीकृत पदों में से केवल 100 पदों पर नियुक्ति की है।** ऐसा उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने के कारण हुआ है।
  - हालांकि, संसदीय समिति ने कहा है कि अनुबंध कर्मचारी नियमित कार्यबल के पूरक हो सकते हैं, लेकिन इसका विकल्प कभी नहीं बन सकते।
- समिति ने यह भी कहा है कि **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, लोक प्राधिकारियों के लिए CIC के समक्ष तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।**
  - हालांकि, 2021-22 के दौरान केवल 95 प्रतिशत लोक प्राधिकारियों ने रिपोर्टिंग वर्ष के समय सभी चार तिमाही का रिटर्न जमा किया था।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

- CIC वर्ष 2005 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसे RTI अधिनियम, 2005 के तहत गठित किया गया था। सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण[20] इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
  - इसमें **मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम दस सूचना आयुक्त (IC) शामिल** होते हैं।
  - **CIC पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।**
- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों के द्वारा **सूचना आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष** कर दिया गया है।
  - इससे पहले, वर्ष 2005 के अधिनियम में उनके लिए पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल या 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, का प्रावधान किया गया था।
  - यह प्रावधान इसलिए किया गया था, ताकि **सूचना आयुक्त** अपनी नौकरी खोने के भय के बिना **प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संदर्भ में भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें।**

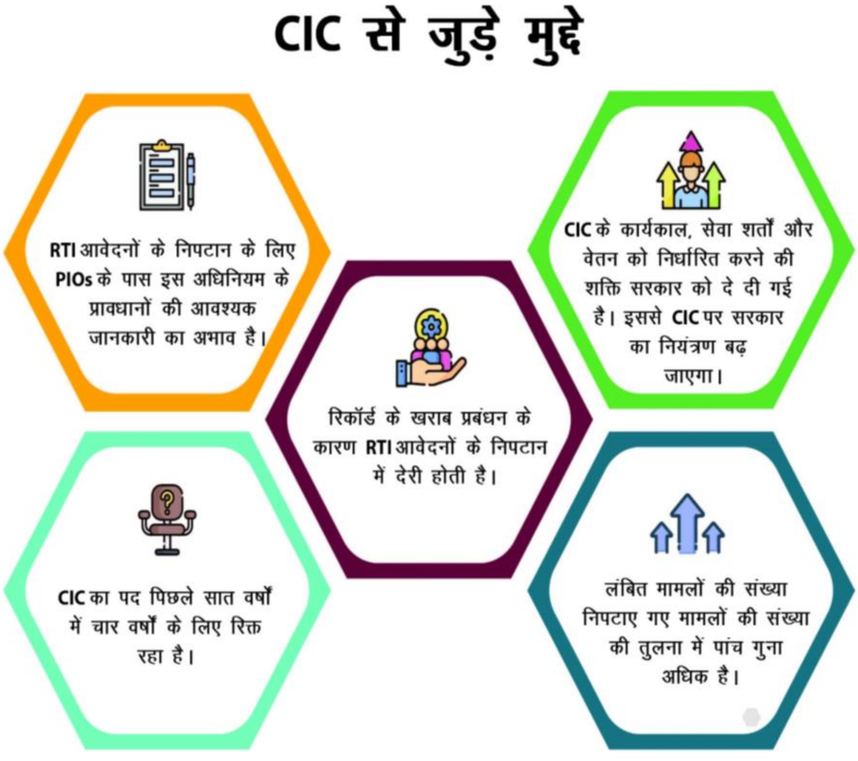

- **CIC के कार्य:**
  - किसी मामले में जांच करते समय **CIC के पास वही शक्तियां होती हैं** जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी वाद पर विचार करते समय **एक सिविल न्यायालय के पास होती हैं:**
    - **किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना।** साथ ही, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को विवश करना;

---

[20] Central Public Authorities

- **दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;**
- शपथ-पत्र पर **साक्ष्य प्राप्त करना;**

○ इस अधिनियम के अनुसार, CIC का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे:
- जिसके द्वारा मांगी गई **किसी जानकारी को देने से इंकार** कर दिया गया है;
- जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए उसकी मांग का उत्तर नहीं दिया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के कामकाज में सुधार के लिए की गई पहलें

- **ऑनलाइन पोर्टल:** देश के किसी भी भाग या विदेश से **ऑनलाइन RTI आवेदन दायर करने के लिए दिन के चौबीसों घंटे काम करने वाली पोर्टल सेवा** आरंभ की गई है।
- **ई-गवर्नेंस:** मोबाइल आधारित एप्लिकेशन्स को विकसित करने, ई-सुनवाई करने, ई-अधिसूचना जारी करने आदि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सहायता मिल रही है।
- **नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया (NFICI):** इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के बीच समन्वय एवं आपसी परामर्श स्थापित करना है। साथ ही, इसका अन्य उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से कानूनों एवं उनकी व्याख्या पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना था। इससे RTI अधिनियम का प्रशासन मजबूत हुआ है।
- **RTI (संशोधन) विधेयक, 2019:** यह विधेयक RTI अधिनियम 2005 को अधिक व्यवस्थित एवं संस्थागत बनाने के लिए लाया गया था।

आगे की राह

- **रिकॉर्ड का प्रबंधन:** प्रकट किए जाने योग्य सभी दस्तावेजों को विभागीय वेबसाइट्स पर अपलोड किया जा सकता है। इससे **विभाग पर सूचना प्रदान करने का बोझ** कम होगा। साथ ही, **इससे दस्तावेजों को भौतिक रूप से भंडारित करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता भी कम होगी।**
- **प्रशिक्षण:** PIOs की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें **विशेषज्ञों द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिए, ताकि वे RTI आवेदनों का निपटान कर सकें।
- **जागरूकता:** नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए **रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार** किया जा सकता है। साथ ही, **क्षेत्रीय भाषा में RTI अधिनियम 2005 का प्रकाशन** किया जाना चाहिए।
- **त्वरित निपटान:** लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए CIC में सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

4.10.1. सूचना का अधिकार (Right to Information)

सूचना का अधिकार – एक नज़र में

- **RTI या सूचना का अधिकार अधिनियम** एक मौलिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) का एक पहलू है। **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** सरकार के लिए **नागरिकों द्वारा मांगी गई सरकारी जानकारी का समय पर जवाब देना** अनिवार्य करता है।

RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधान

- **धारा 2(h): लोक प्राधिकरण** (Public Authority) से आशय संविधान या किसी अन्य कानून के तहत गठित सभी प्राधिकरणों और निकायों से है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अधीन गठित अन्य सभी प्राधिकरण भी शामिल हैं।
- **धारा 4(1)(b):** सूचना को बनाए रखना और उसे समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना।
- **धारा 6:** सूचना हासिल करने के लिए सरल प्रक्रिया निर्धारित करना।
- **धारा 7:** जन सूचना अधिकारी (PIOs) द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- **धारा 8:** इसमें, केवल कुछ विषयों के बारे में सूचना को प्रकट किए जाने से छूट दी गई है।
- **धारा 19:** यह अपील करने के लिए दो स्तरीय तंत्र का प्रावधान करती है।

RTI के लाभ

- यह लोक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करके **नागरिकों को सशक्त बनाता है।**
- सरकार के कामकाज में **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा** देता है।
- **भ्रष्टाचार को कम करता है** और लोकतंत्र की वास्तविक मंशा को लोगों के लिए साकार करता है।
- परस्पर संचार में वृद्धि करके **सरकार और आम जन के बीच संपर्क को मज़बूती** प्रदान करता है।
- **सरकारी रिकॉर्ड/डेटाबेस** प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- सरकारी कार्यों के बारे में **नागरिकों की जागरूकता को बढ़ाता** और संसदीय लोकतंत्र को मज़बूत करता है।

RTI से संबंधित चुनौतियां

- नौकरशाही व्यवस्था द्वारा **रिकॉर्ड की अकुशल प्रबंधन पद्धतियों** के परिणामस्वरूप फाइलें गुम हो जाती हैं।
- सूचना आयोग का संचालन करने के लिए **बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी।**
- जनता में **जागरूकता की कमी।**
- सरकार द्वारा सूचना की अग्रसक्रिय घोषणा का अभाव।
- **अनावश्यक RTI आवेदनों की बढ़ती संख्या।**
- **अत्यधिक संख्या में लंबित RTI आवेदन** और उनके **निपटान में लगने वाला अधिक समय।**

आगे की राह

- लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में **सूचना आयुक्तों की संख्या को बढ़ाना।**
- नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने **क्षेत्रीय भाषा में RTI अधिनियम 2005 का प्रकाशन किया जाना चाहिए। साथ ही, स्कूल/ कॉलेज के पाठ्यक्रम में RTI अधिनियम, 2005 पर एक अध्याय को शामिल करना चाहिए।**
- जनहित में सूचना का खुलासा करने वाले **व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा प्रदान करना।**
- सरकार द्वारा अग्रसक्रिय रूप से सूचना की घोषणा करना।
- RTI आवेदनों को निपटाने के लिए PIOs, **विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना।**

4.11. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 {New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Act 2022}	• संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 पारित किया है। • इसके जरिए **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन** किया गया है। संशोधन के द्वारा **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (India International Arbitration Centre)** कर दिया गया है। • **अधिनियम के मुख्य प्रावधान:** ○ **माध्यस्थम् के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार** निर्धारित करेगी। ○ यह अधिनियम सरकार को **अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल तक इसके कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने** की अनुमति देता है। • **अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के बारे में:**

	○ यह मध्यस्थों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों** के निपटान का एक साधन है। इसमें विवाद में शामिल पक्ष अदालत जाने की बजाय किसी **निजी विवाद समाधान प्रक्रिया** का विकल्प चुनते हैं। ○ अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् का लाभ उठाना **वैकल्पिक** हो सकता है, लेकिन **'अनिवार्य माध्यस्थम्' के प्रावधान के जरिए इसे अनिवार्य** भी बनाया जा सकता है। ○ **विदेशी माध्यस्थम् निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 (न्यूयॉर्क कन्वेंशन) तथा द्विपक्षीय निवेश संधियों** के माध्यम से माध्यस्थम् निर्णयों को अधिक व्यापक और सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।
अनुच्छेद 142 (Article 142)	• सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दम्पति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की संभावना बची ही नहीं है, तब वह हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना सीधे **तलाक की मंजूरी दे सकता है।** 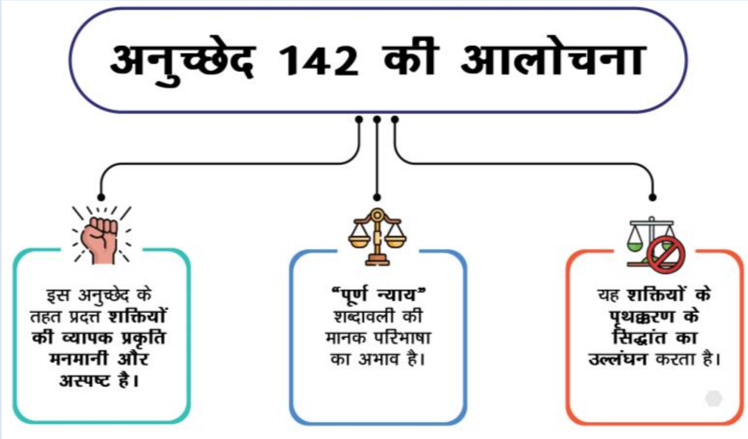 ○ HMA की **धारा 13-B(2)** के अनुसार, जिला न्यायालय को दम्पति द्वारा तलाक की मांग करने वाली अर्जी दाखिल करने की तारीख से **छह माह के बाद और उसी तारीख से 18 महीने पहले** कारणों से संतुष्ट होने पर तलाक का आदेश पारित करना होगा। ○ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि पति-पत्नी के बीच सुलह होने की गुंजाइश नहीं बचे रहने के आधार पर **तलाक देना "अधिकार" का नहीं बल्कि "विवेक" का विषय है।** • संविधान का **अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट** को उन मामलों में पक्षकारों के बीच **"पूर्ण न्याय" करने का अधिकार** देता है, जहां कानून या संविधि कई बार कोई उपचार (समाधान) प्रदान नहीं करता है। • **अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां** अपनी प्रकृति में व्यापक हैं। इस कारण **सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है। इन निर्णयों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:** ○ **प्रेम चंद गर्ग वाद (1962):** इस निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। ○ **यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ:** वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया था। ○ **सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद (1998):** इस निर्णय के अनुसार, अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां पूरक के रूप में हैं। इन शक्तियों को मूल कानून को बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5. भारत में चुनाव (Elections in India)

5.1. चुनावी सुधार (Electoral Reforms)

चुनावी सुधारः एक नज़र में

चुनाव शब्द वस्तुतः लैटिन शब्द 'एलिगेरे (Eligere)' से लिया गया है। इसका अर्थ "चुनना या चयन करना" होता है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इनका आयोजन एक नियमित अंतराल पर किया जाता है। इसके तहत लोग स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देते हैं।

लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका

- उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार।
- सत्ता में बदलाव।
- राजनीतिक दलों की भागीदारी।
- स्थायी लोकतंत्र।
- आम जन पर ध्यान केंद्रित करके **राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रतीक।**
- सत्ताधारी दलों पर नियंत्रण रखकर **स्व–सुधारात्मक व्यवस्था** और जनता की मांगों पर विचार करना।
- नागरिकों को एक–दूसरे से जोड़कर **सामाजिक एवं राजनीतिक एकीकरण को सुगम बनाना** और इस तरह राज्यव्यवस्था की व्यवहार्यता की पुष्टि करना।

भारत में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे

- चुनावों का वित्त–पोषण
- बाहुबल
- सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग
- राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का
- राजनीतिकरण
- राजनीतिक दलों के अकुशल उम्मीदवार
- जातिवाद
- सांप्रदायिकता
- सोशल मीडिया का प्रभाव

चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुधार

- **पारदर्शिता को बढ़ावा**
  - चुनावी बॉण्ड
  - आय के स्रोतों की अनिवार्य रूप से घोषणा करना
- **मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना**
  - मतदान की आयु कम करना
  - डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान
  - चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- **मतदान प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु प्रौद्योगिकियों का उपयोग**
  - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
  - नोटा का विकल्प
- **चुनाव की शुचिता को बनाए रखना**
  - दल–बदल विरोधी कानून बनाना
  - दागी राजनेताओं पर मुकदमा चलाना
- **सभी को एक समान अवसर प्रदान करना**
  - आदर्श आचार संहिता
  - चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा का निर्धारण
  - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को साकार करने की कार्ययोजना

- **सहभागी लोकतंत्रः** चुनावी प्रबंधन निकायों (EMBs) के संस्थागत ढांचे में युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए।
- सार्वजनिक जांच और राज्य की ओर से आंशिक वित्त–पोषण को शामिल करके **वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए।**
- राजनीतिक पार्टियों में **अंतर–दलीय लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए।**
- राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए।
- **राजनीति के अपराधीकरण को रोकना** चाहिए।
- **चुनाव विवाद का न्याय निर्णयन करना** चाहिए।
- दल–बदल विरोधी कानून की समीक्षा करनी चाहिए।
- ओपिनियन पोल, उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या पर प्रतिबंध लगाकर और टोटलाइजर मशीनों को अपनाकर **चुनाव का संचालन और बेहतर प्रबंधन करना।**

5.1.1. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक के डेटा के अनुसार, **2018 के बाद से राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉण्ड से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा इकट्ठा किया है।**

चुनावी फंडिंग से संबंधित मुद्दे

- **राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत **केवल उम्मीदवारों के लिए** ही चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके विपरीत, **राजनीतिक दलों पर चुनावी खर्च के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं** है।
- **पारदर्शिता का अभाव:**
  - राजनीतिक दलों को **उनके द्वारा प्राप्त धन के स्रोत का विवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं** होती है। नतीजतन, चुनाव के समय राजनीतिक दलों के दाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
  - उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर 100 प्रतिशत आयकर की छूट दी गई है।
  - इसके अतिरिक्त, **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 0.96 प्रतिशत दलों** ने ही निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी अनुदान प्राप्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- **कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़:** राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट जगत से मिलने वाले चंदे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चुनावी बॉण्ड में गोपनीयता का भी प्रावधान है, जिसके चलते यह गठजोड़ और मजबूत बन जाता है।

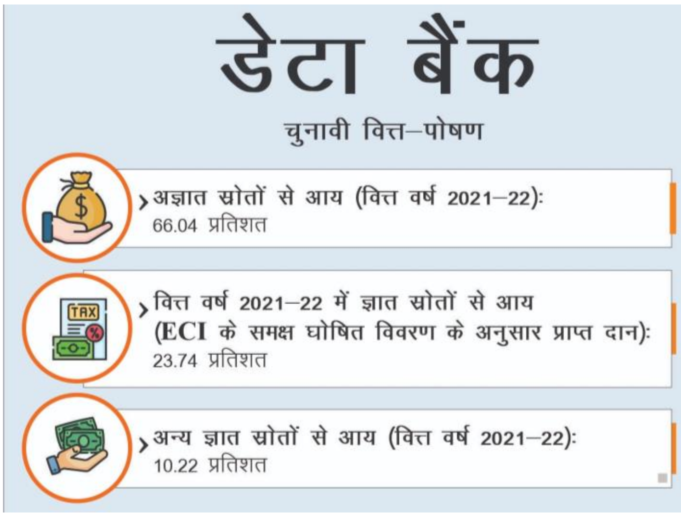

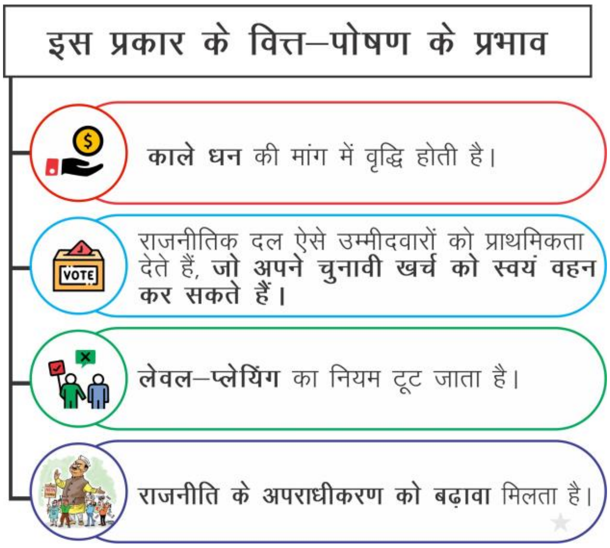

आगे की राह

- **राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (RTI) के अधीन लाना:** राजनीतिक दलों को **केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के आदेश** का पालन करना चाहिए। इस आदेश में उन्हें **RTI अधिनियम, 2005** के तहत **लोक प्राधिकारी (Public authorities)** घोषित किया गया था। इस आदेश के पालन से उन्हें **और अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी** बनाया जा सकता है।
- **राजनीतिक दलों को विनियमित करना:** राजनीतिक दलों को विनियमित करने वाला एक व्यापक विधेयक लाना समय की मांग है। यह विधेयक दल के संविधान, संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार के चयन आदि से संबंधित होना चाहिए।
- **भारतीय निर्वाचन आयोग को अधिक शक्ति देना:** निर्वाचन आयोग को **राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की शक्ति** प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा गैर-अनुपालन के मामले में उन पर कठोर दंड आरोपित करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

चुनावी बॉण्ड के लाभ और नुकसान	
चुनावी बॉण्ड के लाभ	**चुनावी बॉण्ड के नुकसान**
यह राजनीतिक दलों को **अधिक पारदर्शी तरीके** से कार्य करने में मदद करता है।	गुमनाम स्रोतों से प्राप्त दान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के साथ समझौता कर सकता है।
यह चुनावी फंडिंग में **नकदी को हतोत्साहित** करता है।	चुनावी बॉण्ड कंपनी द्वारा चंदा देने की निर्धारित **7.5% की ऊपरी सीमा को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त** करता है।
चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान **केवल दल के बैंक खाते में ही जमा** किया जाता है। निर्वाचन आयोग को इस खाते का पूर्ण विवरण दिया जाता है।	**मतदाता यह नहीं जान पाते** हैं कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस दल को चंदा दिया है।

- **कॉर्पोरेट फंडिंग पर सीमा निर्धारित करना:** राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की राशि पर एक ऊपरी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियां अपने वार्षिक निवल लाभ का 7.5% तक ही चंदा या दान दे सकती हैं।
- **निम्नलिखित प्रकार के दान पर या तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उन्हें सीमित किया जा सकता है:**
  - **सार्वजनिक/ अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं** द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पब्लिक फंड्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  - पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनुपालन की निगरानी की व्यापक संभावना के लिए **गुमनाम स्रोतों को प्रतिबंधित या सीमित** किया जा सकता है।
- **राजनीतिक दलों के एकाउंट्स की लेखापरीक्षा करना:** राजनीतिक दलों को पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षों[21] के तहत उचित लेखाओं को बनाए रखना चाहिए। ऐसे लेखाओं की **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा अनुशंसित एवं अनुमोदित लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा होनी चाहिए।

इस मामले में विश्व के कुछ देशों में अच्छी प्रथाएं

- **नॉर्वे में, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कमिटी** एक स्वतंत्र निकाय है। यह चुनावी अभियानों के लिए राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग की निगरानी करती है। साथ ही, यह समिति अपनी पहल पर या जनता की शिकायतों के आधार पर कार्य करती है।
- फ्रांस में, व्यावसायिक घरानों, निगमों और अन्य कानूनी संस्थाओं (कॉर्पोरेट्स) को राजनीतिक दलों को चंदा देने से प्रतिबंधित किया गया है।

5.1.2. चुनाव और प्रौद्योगिकी (Elections & Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में **"यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी"** विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

चुनावों में प्रौद्योगिकी का महत्त्व	चुनाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित चुनौतियां

• यह पारदर्शिता **धोखाधड़ी को रोकती है। इस प्रकार यह एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित** करती है।
• **मतदाता रजिस्टर की सटीकता में सुधार करने में मदद मिलती है:** उदाहरण के लिए- ब्राजील में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पंजीकरण प्रणाली बनाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाताओं का एक से अधिक स्थानीय रजिस्ट्रियों में पंजीकरण होने से रोकना है।
• **पहुंच में सुधार:** उदाहरण के लिए- भारत ने **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS)**[22] की शुरुआत की है। यह प्रणाली सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्रों का एक तरफा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है।
  ○ इसने उन सेवा मतदाताओं के लिए मतदान को **अधिक सुलभ बना दिया है, जो अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं** हो सकते हैं।
• **दक्षता में सुधार:** प्रौद्योगिकी के माध्यम से चुनाव कार्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में प्राप्त दक्षता सभी मतदाताओं की सेवाओं में सुधार करती है। इसके अंतर्गत चुनाव कार्यालयों में कर्मचारियों की गतिविधियों का समन्वय भी शामिल है।
• **मतदान प्रतिशत में सुधार:** इंटरनेट विशेष रूप से मतदाता पहुंच के लिए उपयोगी है। यह विशेष रूप से युवा मतदाताओं के लिए उपयोगी है, जो अपनी अधिकांश जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करते हैं।
• **चुनाव से संबंधित जानकारी का प्रसार करना:** एजेंसियां वेब साइट्स, ई-न्यूजलेटर्स, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट आदि के माध्यम से जानकारी का प्रसार कर सकती हैं।
	• **डीप फेक का उपयोग:** इसके ज़रिए विघटनकारी तत्व लोक धारणा को बदलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, ऐसे तत्त्व डीप फेक को बार-बार तथ्य के रूप में पेश करके उपयोगकर्ता को भ्रमित कर सकते हैं।
	  ○ उदाहरण के लिए- चुनाव से ठीक पहले EVM हैकिंग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, टी. एस. कृष्णमूर्ति का एक डीप फेक वीडियो प्रसारित हुआ था।
	• **मतदाताओं का हेर-फेर:** उदाहरण के लिए- **कैम्ब्रिज एनालिटिका** ने 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति अभियान के लिए कार्य किया था। इसके लिए एनालिटिका ने मतदाता प्रोफाइलिंग एवं लक्ष्यीकरण के उद्देश्यों से लाखों फेसबुक खातों से व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त की थी।
	• **साइबर सुरक्षा जोखिम:** उदाहरण के लिए- रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने वोट डेटा वाले कंप्यूटरों में हैकिंग के माध्यम से 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
	• **प्रौद्योगिकियों की सार्वभौमिक पहुंच:** प्रौद्योगिकियां बहुत कम या बिना किसी लागत के सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी इन प्रौद्योगिकियों का देश के भीतर या बाहर से उपयोग कर सकता है और उनमें हेर-फेर कर सकता है। इसके माध्यम से सुभेद्य समूहों को लक्षित किया जा सकता है और लोकतंत्र की शुचिता को कम किया जा सकता है।
	  ○ **मतदाताओं में जागरूकता की कमी:** मतदाताओं का इस पर नियंत्रण बहुत कम है कि उन्हें सोशल मीडिया द्वारा कैसे प्रोफाइल किया जाता है और इसका उनके फ़ीड पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर क्या असर पड़ता है।

[21] Account heads

[22] Electronically Transmitted Postal Ballot System

आगे की राह

- **ऑनलाइन स्पेस में मतदाता सुरक्षा:** डेटा स्थानीयकरण से ऑनलाइन स्पेस पर मतदाता सुरक्षा का विस्तार करने में मदद मिलती है। यदि देश के भीतर मतदाता डेटा का भंडारण आवश्यक बना दिया जाता है, तो इससे विदेशी अभिकर्ताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अधिक कठिन हो जाता है।
- **बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही तंत्र:** विनियामकों द्वारा उन्हें अपनी मूल कंपनियों के साथ डेटा साझा करने से रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में किया गया है।
- **साइबर हस्तक्षेप को पहचानना एवं दंडित करना:** यह आवश्यक है कि **घरेलू कानून** चुनावों में साइबर हस्तक्षेप की पहचान करें और उसे दंडित करें। यह दुर्भावनापूर्ण अभिकर्ताओं को चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। साथ ही, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- **चुनाव संचालन संस्थान में समर्पित साइबर सुरक्षा इकाई:** साइबर खतरों से बचाने के लिए समर्पित साइबर सुरक्षा इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन इकाइयों द्वारा अधिकारियों और राजनीतिक कर्मचारियों को बुनियादी साइबर सुरक्षा प्रणालियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड अपडेट करना, फिशिंग प्रयासों को पहचानना आदि।

चुनाव और प्रौद्योगिकी के बारे में

- चुनावी प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की शुरुआत दुनिया भर में मतदाताओं के साथ-साथ विशेषज्ञों के बीच भी रुचि तथा चिंता दोनों पैदा कर रही है।
- दुनिया भर में अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकाय (EMBs) चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से नई तकनीकों का उपयोग करते हैं।

ICT गतिविधियों को कई स्तरों पर निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

चुनाव पूर्व गतिविधियां
- मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान-पत्र (EPIC) का डिजिटलीकरण करना।
- मतदान कर्मियों के चयन, EVMs और माइक्रो आब्जर्वर्स का यादृच्छिकीकरण (Randomization) करना।

चुनाव के दिन की गतिविधियां
- कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग (कॉमेट/ComET):
  - इसे देश के सभी मतदान केंद्रों के संचार विवरणों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए लागू किया गया है।
- मतदान केंद्रों से मतदान की कार्यवाही की वेब कास्टिंग/ वीडियो स्ट्रीमिंग।

चुनाव के बाद
- परिणाम / रुझानों का प्रसार

चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियां
- अन्य गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे- CEO वेबसाइट का डिजाइन और होस्टिंग, मतदाता सूची की मेजबानी, लोक शिकायतों के निवारण के लिए वेबसाइट, अनुकूलित वेब पोर्टल आदि।

5.2. चुनाव प्रबंधन निकाय (Electoral Management Bodies: EMB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने **"चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता"** नामक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है।

भारत में EMBs के बारे में

- EMB एक ऐसा **संगठन** है, जो निम्नलिखित के लिए **आवश्यक तत्वों के प्रबंधन** हेतु कानूनी रूप से जिम्मेदार है:
  - **चुनावों का संचालन करवाना, और**
  - **प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन** (जैसे- जनमत संग्रह), यदि वे कानूनी फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं।

ECI की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 324 में किए गए प्रावधान

- **CEC को कार्यकाल की सुरक्षा** प्रदान की गई है। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।
- CEC की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद **कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।**
- **ECs** या क्षेत्रीय आयुक्तों को **CEC** की सिफारिश के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं।

- ECI को व्यापक रूप से **एक स्वतंत्र EMB का मॉडल माना जाता है।**
- संविधान के **अनुच्छेद 324** के तहत देश में **स्वतंत्र और निष्पक्ष** चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक **स्वतंत्र निर्वाचन आयोग** का प्रावधान किया गया है।
- संसद ने निर्वाचन आयोग की **शक्तियों को परिभाषित करने और बढ़ाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** को अधिनियमित किया है।
- ECI को **संसद, राज्य विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन व संचालन की शक्ति प्रदान की गई है। वर्तमान में, ECI के सदस्यों में **एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs)** हैं।
    - यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपा** गया है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग से अलग संस्थाएं हैं और सभी राज्यों के अपने-अपने राज्य निर्वाचन आयोग हैं।

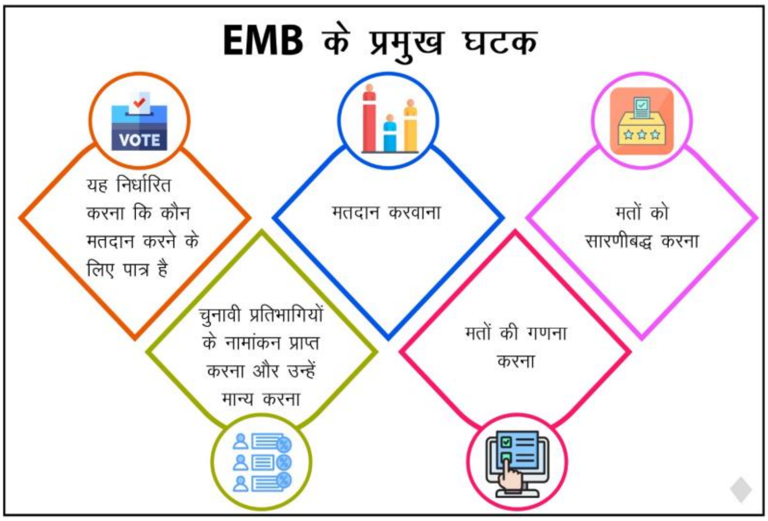

ECI की भूमिका

- समय–समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए, इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संरक्षक माना जाता है।
- यह चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) जारी करता है।
- इसके द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि की कानूनी सीमा तय की जाती है।
- इसने चुनाव प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया है। उदाहरण के लिए– इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की शुरूआत।
- दोषसिद्धि व दोषमुक्ति सहित उम्मीदवारों पर लगे आपराधिक आरोपों के रिकॉर्ड की जाँच करना।
- इसने 2014 में राज्य सभा चुनाव के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA / नोटा) का उपयोग अनिवार्य किया।

ECI की शक्तियां और कार्य

- मतदाता पंजीकरण, चुनाव अधिकारियों की तैनाती और प्रशिक्षण, मतपत्रों की छपाई आदि जैसे नियमित कार्य करना।
- परिसीमन आयोग को परिसीमन की प्रक्रिया में सचिवीय सहायता प्रदान करना।
- पूरे निर्वाचन जिले के उन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश देना, जहां मतदान के दौरान अनियमितताएं देखी गई हैं।
- क्रमशः संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना।
- चुनाव–प्रचार अभियान अवधि के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राष्ट्रीय और राज्य दलों को निःशुल्क समय आवंटित करना

ECI तथा निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे

- **संवैधानिक प्रावधानों में मौजूद कमियां:**
  - संविधान में ECI के सदस्यों की न तो योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित की गई है और न ही **इसके सदस्यों का कार्यकाल ही निर्दिष्ट** किया गया है।
  - **सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों** को सरकार द्वारा आगे किसी भी नियुक्ति से **वंचित नहीं** किया गया है।
- **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य वाद (1977)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को उन क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है, जहां मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं। इस प्रकार यह मौजूद कमियों को दूर कर और आकस्मिकताओं का पता लगा कर चुनावों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करता है।
- **नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे:** निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों के संबंध में वर्तमान में केंद्र सरकार का विशेषाधिकार बना हुआ है।
  - हाल ही में, **अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद (2023)** में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक **मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेगा।** इस समिति में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
- **निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में अस्पष्टता:** संविधान **मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को मनमाने ढंग से हटाने पर रोक** लगाता है। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही **राष्ट्रपति के आदेश से** पद से हटाया जा सकता है। संविधान में **निर्वाचन आयुक्तों को CEC के समान कार्यकाल की सुरक्षा** प्रदान नहीं की गई है।
- **चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के संबंध में चिंताएं: उदाहरण के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन** किया जाता है।
- **ECI को किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की शक्ति तो प्राप्त** है, लेकिन उसके पास इस पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति नहीं है।
  - ECI के पास राजनीतिक दलों की **आंतरिक संरचनाओं, संगठनों या चुनावों को विनियमित करने की शक्ति नहीं है।**

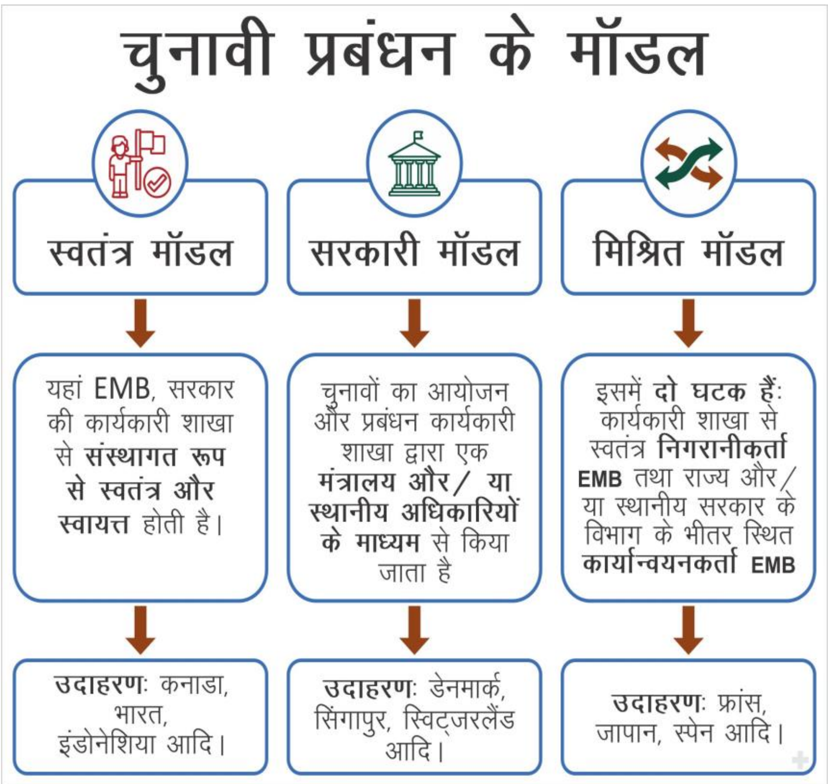

ECI, निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सशक्त करने के उपाय

- पद से **हटाने के मामलों में** निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों को **समान संवैधानिक संरक्षण (कार्यकाल की सुरक्षा)** प्रदान किया जाना चाहिए।
- ECI की स्वतंत्रता में सुधार करने हेतु इसके लिए **एक स्थायी और स्वतंत्र सचिवालय का निर्माण करना चाहिए।**
- इसके **स्वतंत्र काम-काज** को सुनिश्चित करने के लिए, ECI का व्यय **भारत की संचित निधि पर भारित** होना चाहिए।

5.3. दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party Democracy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र के बारे में

- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को **अंत: दलीय लोकतंत्र[23] भी कहा जाता है।** इसका तात्पर्य किसी राजनीतिक दल के ढांचे के भीतर **निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तरों एवं तरीकों** से है।
- इससे **नागरिकों की राजनीतिक दक्षताओं को विकसित करने एवं अधिक सक्षम प्रतिनिधियों को तैयार करने में सहायता मिलती है।** इससे राजनीतिक दल बेहतर नीतियों और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं।
- भारत में, **संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है,** जो राजनीतिक दलों के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता हो।
    - **इस संदर्भ में, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A)** राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है। (इंफोग्राफिक देखें)
    - **भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास भी** राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए **पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं।**

भारत में दलों में आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता	**दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियां**
• राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के लिए **समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।** • **वंशवाद की राजनीति को रोकना:** राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी के कारण दलों में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिला है। • राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड का रख-रखाव करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ऐसा करके धन और शक्तिशाली लोगों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। • **सत्ता का विकेंद्रीकरण:** इससे **सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा** और निर्णय लेने में आसानी होगी। • **राजनीति के अपराधीकरण को कम करना।**	• **निर्वाचन आयोग के पास अपर्याप्त शक्ति: 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर और अन्य', 2002 वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा आंतरिक-दलीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है। • **एक विश्वसनीय विनियामक ढांचे का अभाव:** ऐसा कोई कानूनी उपाय नहीं है, जिसके आधार पर राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव अनिवार्य किए जा सकें। • **सख्त दल-बदल विरोधी कानून:** दल-बदल विरोधी अधिनियम, 1985 के अनुसार राजनीतिक दल के सांसदों/विधायकों के लिए अपने दल के व्हिप के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। यह अधिनियम उन्हें संसद और राज्य विधानमंडलों में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार मतदान करने से रोकता है। • **वंशवाद, जाति और धर्म आधारित दलों द्वारा विरोध:** अधिकांश दल स्पष्ट तौर पर जाति-आधारित या धर्म-आधारित हैं और उनके वित्तीय लेन-देन भी संदिग्ध एवं अपारदर्शी हैं। • **दलों में अभिजात्यवाद:** किसी राजनीतिक दल में नेतृत्व ज्यादातर उस दल के पदाधिकारियों के एक समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये पदाधिकारी दल के प्रशासन पर हावी होते हैं।

आगे की राह

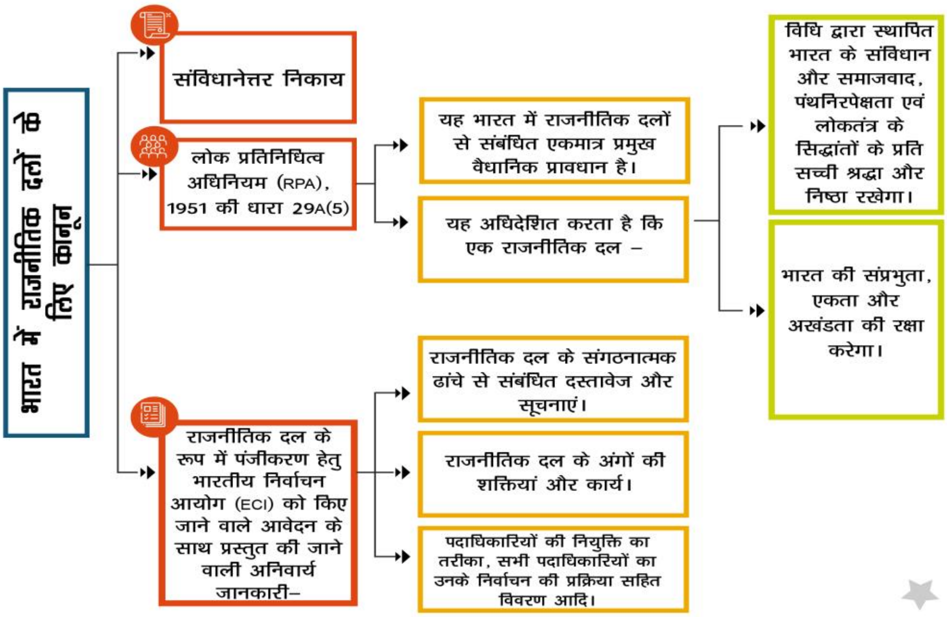

- **दलों को संवैधानिक दर्जा: उदाहरण के लिए:** जर्मनी में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहां के कानून के अनुसार, दलों के आंतरिक संगठन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
- **उचित नियम:** राजनीतिक दल के अलग-अलग स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों, ऐसे चुनावों के बीच की समय-सीमा तथा दल के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में दल के संविधान/ नियमों एवं विनियमों में विशेष प्रावधान होने चाहिए।

[23] Intra-Party Democracy

- **नेतृत्व संबंधी पदों के लिए आंतरिक चुनाव:** इसे दल के सदस्यों के बीच वाद-विवाद, अभियान, बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से संपन्न किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के भीतर एक उत्तरदायी निकाय इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है।
    - **उदाहरण के लिए-** यूनाइटेड किंगडम (UK) में कंजर्वेटिव पार्टी में एक केंद्रीय परिषद (Central Council) और एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) होती है। ये अपनी वार्षिक बैठक में अपने सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं।
- **निर्वाचन आयोग को नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए।**
- **राज्य द्वारा राजनीतिक दलों का वित्त पोषण** दलों के बीच समानता और जवाबदेही ला सकता है।
- **विभिन्न समितियों के सुझावों को लागू करना:**
    - **दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति** जैसी समितियों ने देश में राजनीतिक दलों की अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए मजबूत तर्क दिए हैं।
    - **राजनीतिक दल (पंजीकरण और गतिविधियों का विनियमन) विधेयक, 2011 (प्रारूप)** का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संविधान, कार्यप्रणाली, वित्त पोषण, लेखाओं एवं लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों को विनियमित करना है।

5.4. चुनावी मुफ्त उपहार (Election Freebies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहार का वादा करने की अनुमति नहीं देने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने **राज्य के कल्याण और सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है।**

चुनावी मुफ्त उपहारों के बारे में

- चुनावी मुफ्त उपहार **राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश/ वितरण है।** जैसे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, कर्ज माफी, भत्ते, लैपटॉप आदि।
- इनमें से कुछ 'मुफ्त उपहार' **लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने** में सहयोग करते हैं। साथ ही, ये अस्थायी रूप से अन्य मुद्दों जैसे बेरोजगारी, जीवन यापन की बढ़ती लागत, आर्थिक असमानता आदि को दूर करने में भी सहयोग करते हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति **लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन** के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है तथा अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती है।

मुफ्त उपहारों से संबंधित मुद्दे: मुफ्त उपहारों का नकारात्मक प्रभाव

- **आर्थिक मुद्दे (चित्र देखें):** उदाहरण के लिए- तेलंगाना ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का 35% मुफ्त उपहारों पर केंद्रित ऐसी लोकलुभावन योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए निर्धारित किया है। यह राज्य के कर राजस्व का लगभग 63% है।
- **राजनीतिक मुद्दे:** ये राजनीतिक दलों के बीच समान प्रतिस्पर्धा के अवसर को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार ये संविधान के **अनुच्छेद 14** के विरुद्ध हैं।
- **सामाजिक-मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** विकृत आर्थिक विकल्प असंतुलन और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों के बीच सामाजिक विभाजन और असमानता बढ़ती जाती है।
    - उदाहरण के लिए- राजस्थान में कर और गैर-कर राजस्व का 56% पेंशन व वेतन पर खर्च किया जाता है।
- **पर्यावरण:** उदाहरण के लिए- **मुफ्त बिजली** किसानों और घरेलू परिवारों को **सौर पैनल स्थापित करने** या अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन को कम करती है।

चुनावी मुफ्त उपहार की राजनीति पर रोक: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा उठाए गए कदम

- **सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) के वाद में,** सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों की कमी को उजागर किया और ECI को राजनीतिक दलों के परामर्श से मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
- निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2016 में **आदर्श आचार संहिता (MCC) के भाग VIII** के अंतर्गत मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया था।
- इन दिशा-निर्देशों में कल्याणकारी उपायों **(राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के भाग के रूप में)** को अनुमति देते हुए कहा गया कि राजनीतिक दलों को:
    - वादों के पीछे निहित तर्क को स्पष्ट करना चाहिए, तथा
    - वादों को पूरा करने के **तरीकों और साधनों को** स्पष्ट करते हुए केवल वही वादे करने चाहिए, जिन्हें वे चुनावी विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य वादों के तौर पर पूरा कर सकते हैं।

आगे की राह

- आदर्श आचार संहिता (MCC) को कानूनी दर्जा देकर निर्वाचन आयोग को इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसके तहत, MCC का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए। भारत सरकार की निर्वाचन सुधार समिति द्वारा भी इसे अनुशंसित किया गया है।
- अधिक समृद्धि के लिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों पर आधारित या उत्कृष्ट विषयों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्राथमिकता देते हुए **मुफ्त उपहारों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए।**
- **राजनीतिक दलों को नैतिक दिशा-निर्देश अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।** ऐसा करने से राजनीतिक दल मुफ्त वस्तुओं का वितरण करने के वादा नहीं करके ठोस नीतियों और विकास एजेंडा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- मतदाताओं को मुफ्त चीजों से प्रभावित होने के बजाय उम्मीदवारों की योग्यता, नीतियों और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए **जागरूकता कार्यक्रम** चलाए जाने चाहिए।

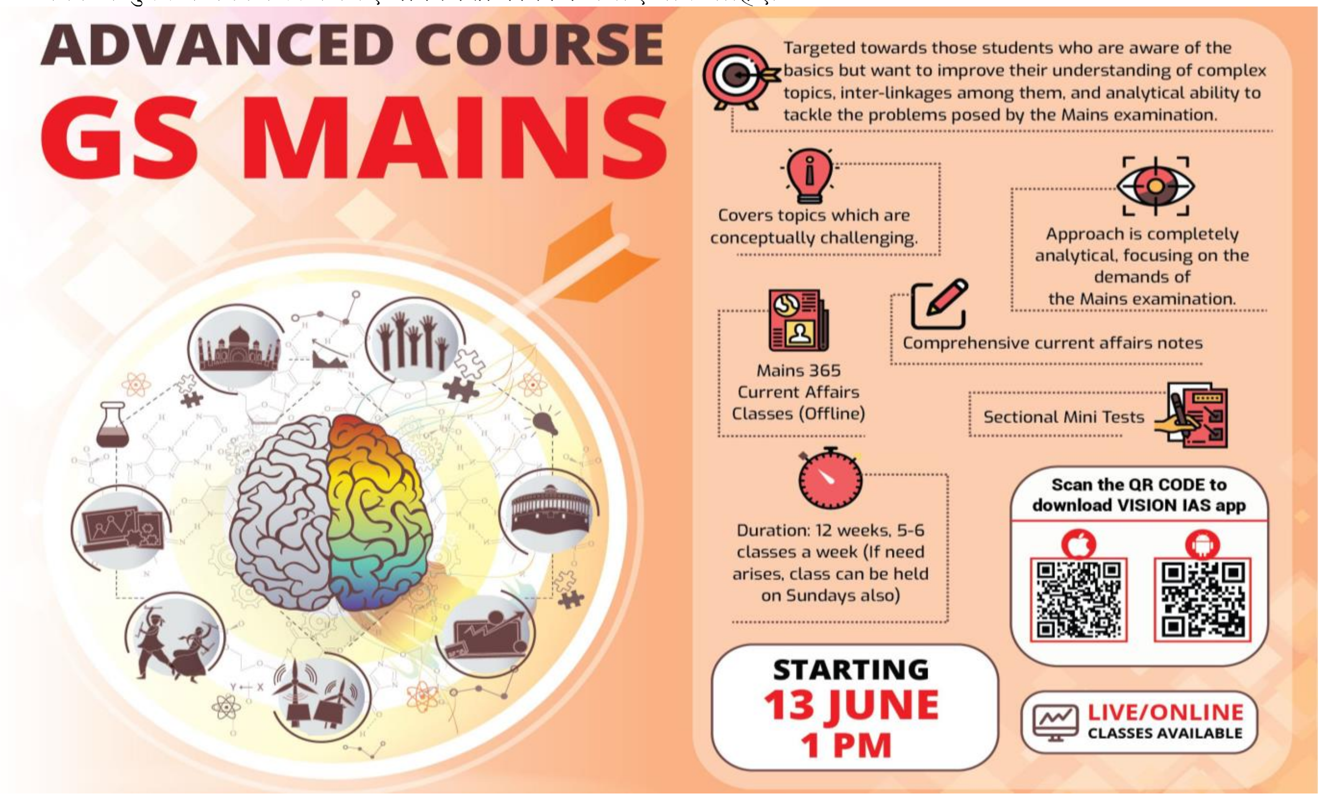

5.5. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

परिसीमन आयोगः एक नज़र में

परिसीमन के बारे में

- परिसीमन वस्तुतः जनसंख्या में बदलाव के अनुसार **लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य है।**
- परिसीमन का कार्य **एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय यथा परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा संपन्न** किया जाता है।
- भारत में **वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002** में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
- वर्ष 2002 में, **84वें संविधान संशोधन द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को वर्ष 2026 तक रोक** दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, **परिसीमन आयोग लोक सभा की कुल सीटों की संख्या नहीं बढ़ा सका था।**

संवैधानिक प्रावधान

- **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत,** संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए।
- **संविधान के अनुच्छेद 170** के तहत, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।

परिसीमन आयोग के बारे में

- परिसीमन आयोग **समान जनसंख्या समूहों के लिए समान प्रतिनिधित्व एवं भौगोलिक क्षेत्रों का निष्पक्ष विभाजन** करता है। इस प्रकार किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ लेने से रोका जाता है।
- परिसीमन आयोग की **नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह ECI के साथ मिलकर काम करता है। आयोग में तीन पदेन सदस्य होते हैं:**
  - अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या CEC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त एवं
  - संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त।
- परिसीमन आयोग के **निर्णय कानून के समान होते हैं। इसके निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।**

असमान प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होने वाली समस्याएं

- अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को प्रदत्त **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।**
- कानून–व्यवस्था संबंधी समस्या बढ़ रही है।
- **निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बोझ बढ़ रहा है।**
- लोगों के बीच वैमनस्य पैदा हो रहा है।
- "एक नागरिक एक वोट" का सिद्धांत कमजोर हो रहा है।

आगे की राह

- परिसीमन का कार्य **प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाना चाहिए, ताकि बहुत व्यापक परिवर्तन न करने पड़े और** प्रत्येक मतदाता के वोट का मूल्य कमोबेश स्थिर बना रहे।
- परिसीमन के कार्य से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं से कैसे निपटा जाए, **इस पर आम सहमति जरूरी है।**

5.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

घरेलू प्रवासियों हेतु रिमोट वोटिंग (Remote Voting for Domestic Migrants)	• ECI ने **बहु-निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) का एक प्रोटोटाइप विकसित** किया है। इससे प्रवासी मतदाता अपने घर से दूर रहकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ○ **आम चुनाव 2019 में 67.4% मतदाताओं ने मतदान किया था।** इस आंकड़े से पता चलता है कि 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ○ मतदान प्रतिशत के स्थिर रहने के पीछे मुख्य कारण **शहरी लोगों व युवाओं की मतदान के प्रति उदासीनता और घरेलू प्रवासियों द्वारा मतदान नहीं** करना है। • RVMs **स्टैंड अलोन और बिना नेटवर्क वाला सिस्टम** है। यह एक रिमोट बैलट यूनिट से **72 तक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करा सकता है।**

- इस प्रणाली के तहत घरेलू प्रवासी कामगार किसी सुदूर जगह **से अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।**
  - 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में लगभग 45.36 करोड़ प्रवासी हैं,** जो देश की आबादी का लगभग 37% है।

- **अनिवासी भारतीयों (NRIs) हेतु रिमोट वोटिंग की सुविधा**
  - NRIs को वर्ष 2011 में मतदान का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1950** में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था।

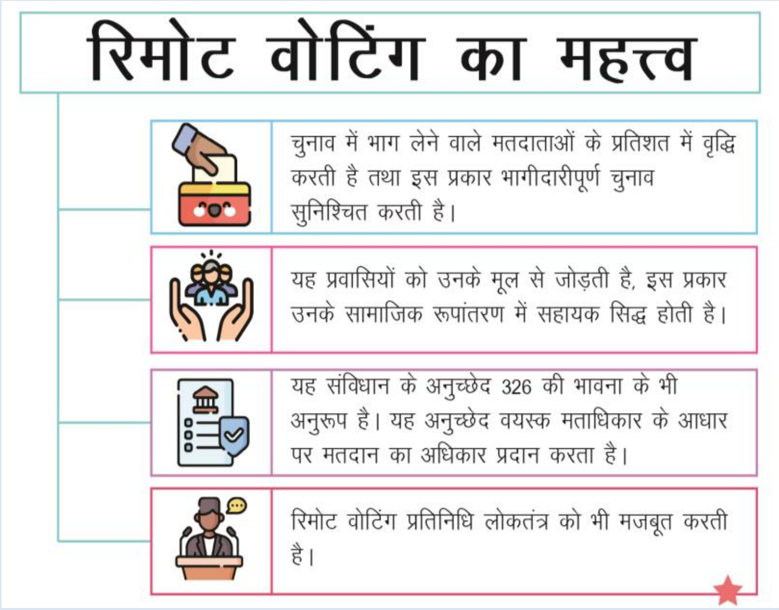

  - हालांकि, **अधिनियम की धारा 20A** के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में **शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य** है।

- **इसकेके कार्यान्वियन में चुनौतियां**
  - **प्रशासनिक:** दूरस्थ या प्रवासी मतदाताओं की गणना करना कठिन कार्य है; मतदान स्थल की गोपनीयता को बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी; मतदान केंद्र स्थापित करना और वहां मतदान कर्मियों की तैनाती भी कठिन कार्य होगा; किसी अन्य जगह पर आचार संहिता को लागू करने में समस्या आएगी आदि।
  - **कानूनी:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 तथा चुनाव संचालन नियम, 1961 जैसे कानूनों में प्रासंगिक संशोधन करने होंगे; प्रवासी कामगारों और रिमोट वोटिंग को परिभाषित करने की प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी।
  - **तकनीकी:** रिमोट वोटिंग एवं मतगणना के तरीके निर्धारित करने होंगे; मतदाताओं के साथ मेल-जोल अर्थात उन तक पहुंचना भी एक चुनौती होगी।

- **मतदान की अन्य प्रणालियां:**
  - **प्रॉक्सी वोटिंग:** इसे **2003 में शुरू किया** गया था। इसके तहत एक पंजीकृत मतदाता अपना मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है।
    - केवल **"वर्गीकृत सेवा मतदाता"** को ही इसकी अनुमति है। इनमें **सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), जनरल इंजीनियरिंग रिज़र्व फोर्स और सीमा सड़क संगठन** के सदस्य शामिल हैं।
  - **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS):** इसमें मतदान-पत्र को **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा मतदाताओं को प्रेषित** किया जाता है।
  - इनमें **सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस (राज्य के बाहर सेवारत), भारत के बाहर नियुक्त सरकारी कर्मचारी और उनके/उनकी पति/पत्नी; निवारक निरोध के तहत रखे गए लोग; विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति** आदि शामिल हैं।

<table>
<tr>
<td>एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections: SE)</td>
<td>

- लोक सभा को एक लिखित उत्तर में **कानून मंत्री** ने बताया है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के **चुनाव एक साथ आयोजित कराने का मामला विधि आयोग को सौंप** दिया गया है।
  - एक साथ चुनाव कराने का विचार **1983 में चुनाव आयोग ने प्रस्तावित** किया था। ऐसे ही सुझाव **विधि आयोग और नीति आयोग** ने भी दिए हैं।
- एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली के तहत, **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की योजना कुछ इस तरह बनाई जाएगी** कि एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन दोनों चुनावों के लिए मतदान कर सकेंगे।
  - **वर्ष 1967 तक** लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं **के चुनाव साथ-साथ आयोजित** होते थे। हालांकि, 1968 और 1969 में **कुछ विधान सभाओं तथा 1970 में लोक सभा के विघटन के बाद** इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाने लगे।

<table>
<tr>
<th>एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क</th>
<th>एक साथ चुनाव के विपक्ष में तर्क</th>
</tr>
<tr>
<td>

- लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण **नीतिगत पंगुता** (Policy paralysis) की स्थिति बनी रहेगी।
- राजनीतिक दल व व्यक्तिगत उम्मीदवार चुनावों में **बड़ी मात्रा में धन का व्यय** करेंगे।
- एक साथ चुनाव आयोजन में बड़ी संख्या में **सुरक्षा बलों को तैनात** करना पड़ेगा। इससे **अन्य सुरक्षा उद्देश्य प्रभावित** होंगे।
- **सामान्य जन-जीवन में बाधा पैदा** होगी। साथ ही, अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन भी प्रभावित होगा।

</td>
<td>

- परिचालनात्मक व्यवहार्यता संबंधी चुनौती विद्यमान है। उदाहरण के लिए एक साथ चुनाव चक्र को पहली बार कैसे समकालिक बनाया जाएगा।
- **लोक सभा/ राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल में कटौती और विस्तार में संवैधानिक चुनौतियां** मौजूद हैं। इस कटौती या विस्तार के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधनों की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83, 84, 172, 174, 356 आदि में संशोधन करना होगा।
- **राष्ट्रीय और राज्य संबंधी मुद्दे अलग-अलग होते हैं।** एक साथ चुनाव से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है।

</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy)</td>
<td>

- सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल, नॉर्डिक देशों (स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड) द्वारा अपनाई गई **सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का संयोजन है।**

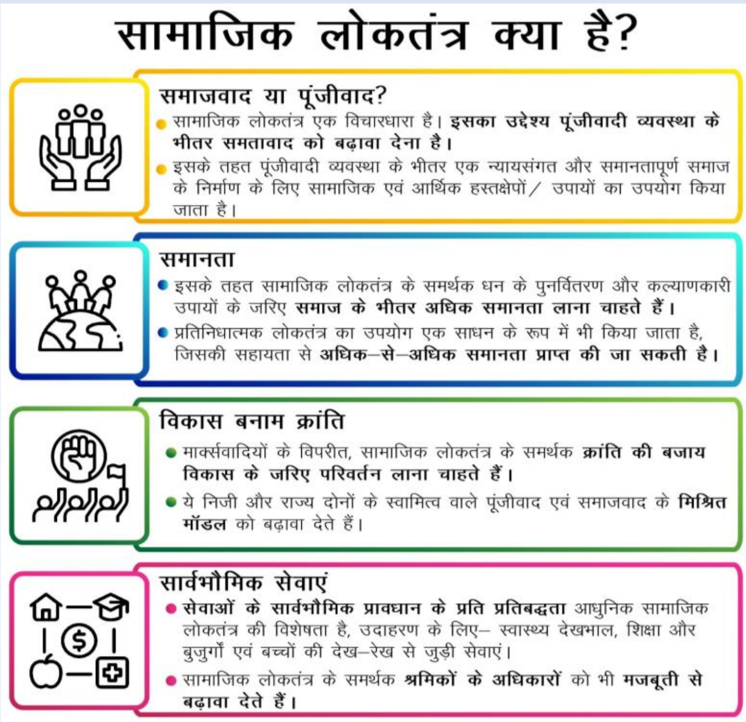

- **सामाजिक लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषताओं** में शामिल हैं:
  - **प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थानों पर निर्भरता,** जहां शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है;
  - यह सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा एवं अनुसंधान में निवेश पर जोर देने वाली **व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है, जो प्रगतिशील कराधान द्वारा वित्त पोषित** हैं।
  - सक्रिय श्रमिक संघों और नियोक्ता संघों के साथ **मजबूत श्रम बाजार संस्थानों** की उपस्थिति।
    - इससे शासन व नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के अलावा **महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी, वेतन पर बातचीत और समन्वय** में मदद मिलती है।

</td>
</tr>
</table>

	• इस मॉडल ने **नॉर्डिक देशों को महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद की है,** जैसे: ○ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी, ○ आर्थिक प्रगति, ○ असमानता का निम्न स्तर, ○ उच्च जीवन स्तर, ○ विश्व में सबसे अधिक श्रम भागीदारी दर। • नॉर्डिक देशों में सफल **सामाजिक लोकतांत्रिक मॉडल का प्रमुख कारण** उनकी **अपेक्षाकृत कम आबादी का अधिक समरूप** होना है। इससे केंद्रित शासन में मदद मिलती है। • हालांकि **वृद्धों की बढ़ती आबादी और आप्रवासन (immigration),** सामाजिक लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल के लिए हालिया चुनौतियों के रूप में उभरे हैं।

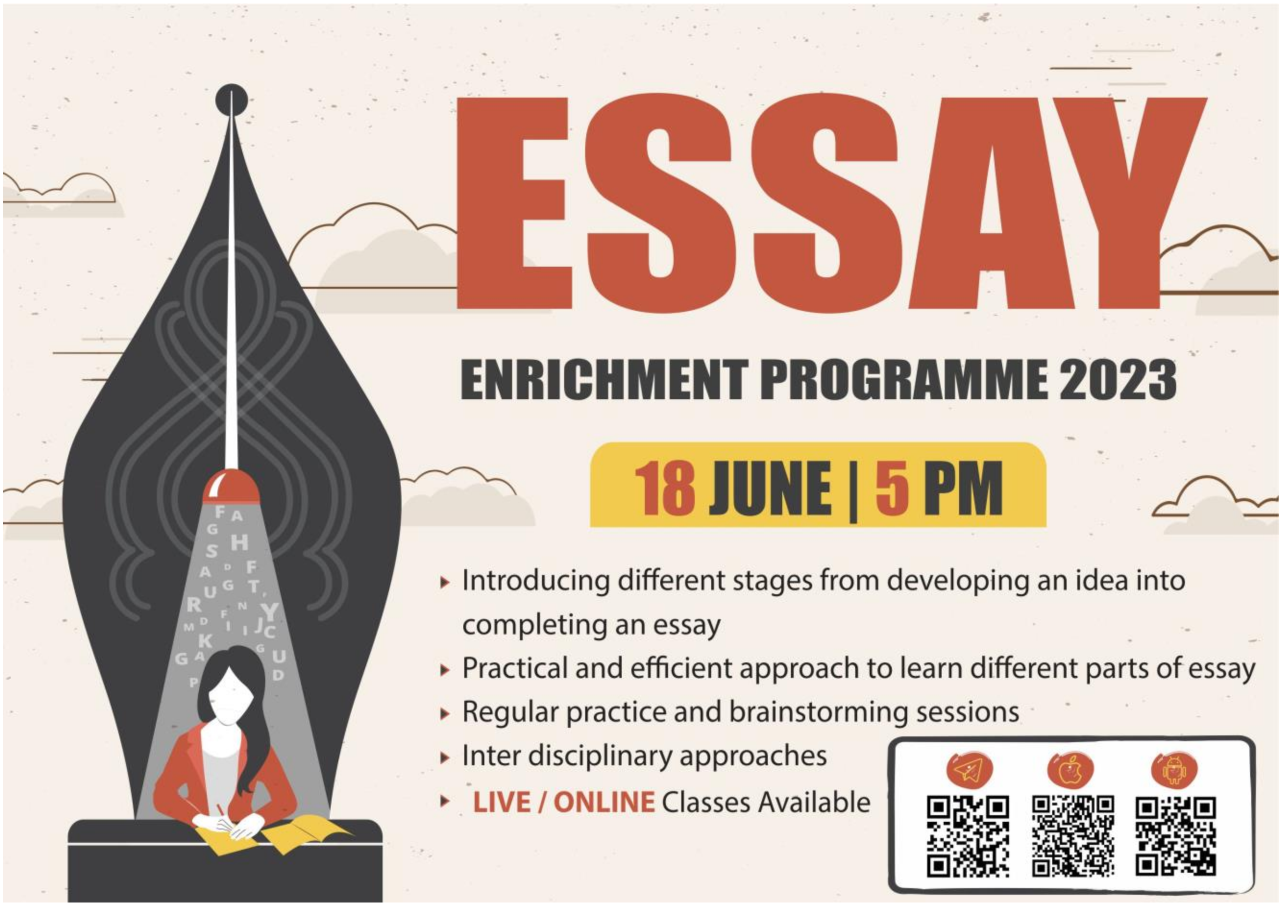

6. गवर्नेंस (Governance)

6.1. सेंसरशिप (Censorship)

सेंसरशिप: एक नज़र में

सेंसरशिप से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति जैसे कि फिल्म, पुस्तकें, टेलीविजन शो आदि के आधिकारिक निषेध या प्रतिबंध से है जिन्हें राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक व्यवस्था के समक्ष खतरा माना जाता है। इसे स्थानीय या राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकरण, धार्मिक निकाय या कभी–कभी एक शक्तिशाली निजी समूह द्वारा भी आरोपित किया जा सकता है। यह वाक्, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के आधिकारिक निषेध को प्रतिबिंबित करता है। कई बार इसे राजनीतिक (राजद्रोह, देशद्रोह व राष्ट्रीय सुरक्षा), धार्मिक (ईशनिंदा एवं मतान्तर) तथा नैतिक (अश्लीलता और अपवित्रता) से लेकर सामाजिक (असभ्यता, अपमान व अव्यवस्था) तक के कारकों के आधार पर तर्कसंगत भी माना जाता है।

भारत में सेंसरशिप को शासित करने वाली रूपरेखा

- सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 के तहत कार्यरत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (**CBFC**), फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है।
- आई.टी. (मध्यवर्ती दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2023 डिजिटल मीडिया जैसे सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को विनियमित करते हैं।
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के जरीए टेलीविजन पर कार्यक्रमों के प्रसारण को विनियमित किया जाता है। इसमें न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) जैसे निकायों का सहयोग लिया जाता है।
- भारतीय प्रेस परिषद (**PCI**) समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के लिए मानकों को बनाए रखती है तथा उनमें सुधार करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 राज्य सरकारों को आपत्तिजनक कंटेंट/ प्रकाशनों को जब्त करने की अनुमति देती है।

समाज और संपूर्ण देश के लिए सेंसरशिप की आवश्यकता क्यों?

- अपराधियों या राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हुए राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु।
- साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री, ऑनलाइन लैंगिक उत्पीड़न आदि जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु।
- फेक न्यूज के प्रसार को सीमित करने हेतु।
- हेट स्पीच (राजनीतिक रूप से संवेदनशील एवं सामाजिक सौहार्द को विकृत करने वाले भाषण व अभिव्यक्ति) को नियंत्रित करके धार्मिक और जातीय हिंसा को रोकने हेतु।
- अश्लील या हिंसक सामग्री या असामाजिक या अस्वस्थ व्यवहार के महिमामंडित चित्रण जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक चलचित्रों/प्रसारणों/प्रदर्शनों के संपर्क में आने से बच्चों की रक्षा हेतु।
- साझा मूल्यों के अनादर को प्रतिबंधित करते हुए सामाजिक एकजुटता में वृद्धि करने हेतु, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के जलाने पर निषेध।

सेंसरशिप से संबंधित प्रचलित मुद्दे

- लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि यह असंतोष को हतोत्साहित कर सकता है।
- नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता से वंचित करता है।
- स्व–सेंसरशिप को बढ़ावा दे सकता है।
- रचनात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता को सीमित करता है।
- प्रगतिशील और नए विचारों के प्रति असहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा दे सकता है।
- सुभेद्य वर्गों के मुद्दों का दमन कर सकता है।
- भारतीय सिनेमा/ टेलीविजन उद्योग के विकास को बाधित कर सकता है और नागरिकों के चयन के अधिकार (right to choose) का उल्लंघन कर सकता है।
- कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: उद्देश्यपरक सीमाओं का अभाव, अनुचित उपयोग की संभावना, अति विनियमन और दुरुपयोग, सेंसर की गई सामग्री को अन्य तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है।

आगे की राह

- नागरिक समाज के प्रतिनिधियों जैसे व्यवसाय नेतृत्वकर्ताओं, कलाकारों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पेशेवरों आदि को शामिल कर स्व–विनियमन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सामग्री से जुड़ी चेतावनियों को जारी करने जैसे कदमों के माध्यम से नागरिकों को सामग्री चुनने और उपभोग करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- मीडिया में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सभी मीडिया कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए।
- उद्देश्यपरक मानकों के आधार पर वास्तविक हानि को रोकने के लिए केवल फ्री स्पीच (वाक्/अभिव्यक्ति) की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहिए।
- हेट स्पीच के समाधान के लिए अग्र–सक्रिय या गैर–दंडात्मक उपाए किए जाने चाहिए जैसे सार्वजनिक शिक्षा व विविधता को प्रोत्साहित करना आदि।

6.2. फेक न्यूज का विनियमन (Regulation of Fake News)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम[24], 2023** को अधिसूचित किया है।

आई.टी. नियम, 2021 में नवीन संशोधन

- इसमें **'डिजिटल मीडिया'** तथा **'समाचार और समसामयिक कंटेंट'** जैसी पदावली को परिभाषित किया गया है।
- **नियमों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना (Due diligence):** सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (जैसे- फेसबुक, ट्विटर आदि) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नए नियमों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना होगा।
- **नोडल संपर्क व्यक्ति:** मध्यवर्तियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं अधिकारियों के साथ 24x7 समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी। इससे उन एजेंसियों व अधिकारियों के आदेशों या अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की तथ्य जांच इकाई (Fact-checking unit):** फैक्ट-चेकिंग यूनिट द्वारा 'फर्जी खबर' के रूप में पहचाने गए किसी समाचार के किसी भी हिस्से को मध्यवर्तियों द्वारा प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **शिकायत अधिकारी:** इसे मध्यवर्ती या प्रकाशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- **शिकायत अपीलीय समिति:** केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी।
  - प्रत्येक GAC में **एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य** होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।
  - GAC, मध्यवर्तियों (Intermediary) द्वारा नियुक्त **शिकायत निपटान अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की अपील पर सुनवाई करेगी।**
- **विवाद समाधान तंत्र:** ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अपील दायर करने से लेकर निर्णय तक की संपूर्ण अपीलीय प्रक्रिया डिजिटल मोड में उपलब्ध होगी।
- **मध्यवर्ती का दायित्व:** मध्यवर्ती, शिकायत निपटान तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए "उपयुक्त सुरक्षा उपायों" को विकसित और कार्यान्वित कर सकते हैं।
- **समयबद्ध कार्रवाई:** कंपनियों को 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करना होगा और 15 दिनों के भीतर उनका समाधान करना होगा। सूचना हटाने के अनुरोध का निपटान 72 घंटों के भीतर करना होगा।

ऑनलाइन फेक कंटेंट के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं

- **फेक न्यूज की संख्या में वृद्धि: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)[25]** की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में फेक न्यूज के कुल 1,527 मामले दर्ज किए गए थे। 2019 में ऐसे मामलों की संख्या 486 थी।
- **सामाजिक ताने-बाने को नुकसान:** उदाहरण के लिए- 2017 में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले से एक फेक इमेज व वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। इससे जिले में साम्प्रदायिक दंगे फैल गए थे।
- **उग्रवादियों और असामाजिक संगठनों द्वारा उपयोग:** इनके द्वारा दुष्प्रचार, कट्टरता और षड्यंत्रकारी सिद्धांतों (Conspiracy Theories) के प्रसार हेतु फेक न्यूज़ का उपयोग किया जाता है, ताकि समाज को अस्थिर किया जा सके।

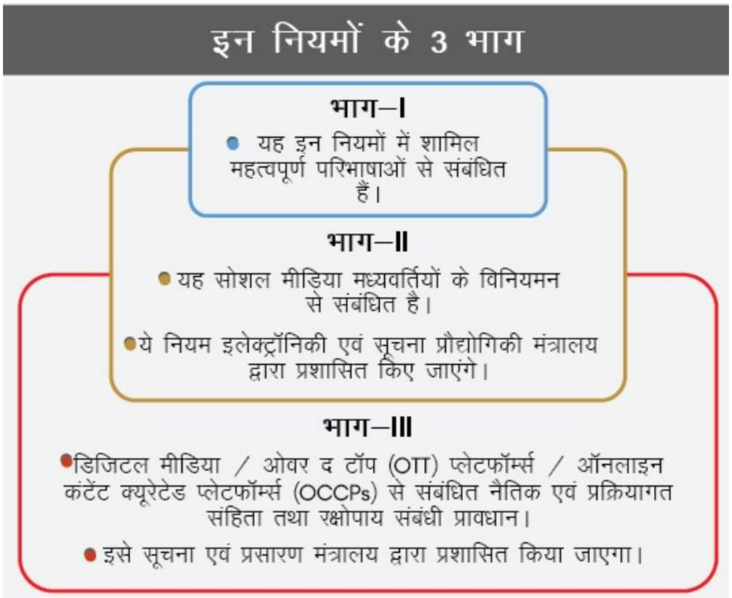

  - हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 35 यू-ट्यूब (YouTube) समाचार चैनलों और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था। ये **भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने** में शामिल थे।

---

[24] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules

[25] National Crime Records Bureau

- **संस्थाओं की प्रतिष्ठा:** फेक न्यूज अभियानों का इस्तेमाल संगठनों की प्रतिष्ठा खराब करने के साथ-साथ शेयर बाजारों में हेर-फेर करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए- 2012 में **शैल (Shell)** को लक्षित करने वाली फर्जी **'आर्कटिक रेडी'** वेबसाइट।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करना:** गुमराह करने वाले कंटेंट और फेक न्यूज़ धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और पोस्ट-ट्रुथ राजनीति का भी कारण बन सकता है।

फेक न्यूज से निपटने के लिए किए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505:** इस धारा में "लोक हानि का कारण बनने वाले कथनों, किंवदंतियों व सूचनाओं" के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, यह धारा अफवाह फ़ैलाने व झूठी खबरों के प्रचार के लिए दंड का भी उपबंध करती है। इसके लिए सजा दी जा सकती है, जिसमें **तीन वर्षों तक की जेल या जुर्माना या दोनों** शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद–रोधी समिति (CTC) का दिल्ली घोषणा–पत्र:** भारत ने सोशल मीडिया सहित साइबर स्पेस और अन्य सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता प्रकट की है।
- **PIB की फैक्ट–चेकिंग यूनिट:** इसे सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के बारे में फैलने वाले झूठी खबरों का सत्यापन करने के लिए गठित किया गया था। इस संबंध में यह व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मौजूद फेक या भ्रामक खबरों, सूचना या कंटेंट का भी आंकलन करती है।

फेक न्यूज से निपटने में चुनौतियां

- **बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध सूचनाएं:** सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध है। ऐसे में विनियामकों के लिए सूचना के प्रत्येक भाग की सटीकता को सत्यापित करना बहुत कठिन हो जाता है।
- **सूचना प्रसार की तीव्र गति:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आगमन से सूचना प्रवाह की गति में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे फेक न्यूज़ की समय पर पहचान करना और उसे हटाना मुश्किल हो गया है।
- **मीडिया साक्षरता का अभाव:** विश्वसनीय और अविश्वसनीय स्रोतों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने के लिए नागरिकों के एक बड़े समूह के पास कौशल का अभाव है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए रखना:** कुछ मामलों में फेक न्यूज़ से निपटने के लिए सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ता है। इससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। इसलिए, उनके बीच एक नाजुक संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **अलग-अलग हितधारकों के बीच समन्वय:** सरकारों, निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और नागरिक समाज को वैश्विक कल्याण के लिए नई व उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **विशेष कानून (Specific law) का निर्माण करना:** फर्जी ख़बरों/ सूचनाओं के चलते स्वास्थ्य या चुनाव जैसे मामलों में होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एक सख्त कानून आवश्यक है।
- **नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना:** नागरिकों के मध्य झूठी/ फेक न्यूज़ को पहचानने और स्रोतों एवं सूचनाओं की प्रामाणिकता के संबंध में डिजिटल/ मीडिया साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है।
    - **फैक्टशाला के विचार को बढ़ावा देना चाहिए।** यह 250 से अधिक पत्रकारों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित एक सहयोगी तथा बहु-हितधारक मीडिया साक्षरता नेटवर्क है।
- **फेक न्यूज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करना:** फेक न्यूज की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए एक पारदर्शी मानदंड तैयार करना चाहिए। साथ ही, ऐसे उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए, जो उक्त समस्या से निपटने के लिए आवश्यक और उसके समानुपाती हो।

6.2.1. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (Digital Services Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय संघ (EU) ने पुष्टि की है कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन कुल 19 प्लेटफॉर्म्स पर लागू किए जाएंगे। इनमें गूगल (Google), एप्पल (Apple) और फेसबुक (Facebook) जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं।

DSA के बारे में

- DSA विश्व स्तर पर **अपनी तरह का पहला विनियामकीय टूलबॉक्स** है। यह ऑनलाइन मध्यवर्तियों हेतु विनियामकीय कार्य प्रणाली के लिए एक मानदंड निर्धारित करता है।
- 2020 में, DSA और डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह फ्रेमवर्क 2024 से लागू होगा।
    - **डिजिटल मार्केट एक्ट** के चलते गूगल, अमेज़ॅन और मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि यह **लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रॉसेसिंग से पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है।**

डिजिटल कंटेंट के विनियमन के मामले में यूरोपीय संघ के DSA और भारतीय कानूनों के बीच की तुलना

- भारत का आई.टी. नियम, 2021, **यूरोपीय संघ के DSA के समान** है। इस नियम को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[26], 2021 के नाम से भी जाना जाता है। ये नियम ड्यू डेलीजेंस आवश्यकताओं[27], कंटेंट के विनियमन और एक सह-विनियामकीय दृष्टिकोण के मामले में DSA के समान हैं। साथ ही, ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों के पालन, शिकायत निपटान आदि मामलों में भी एक समान हैं।
- **हालांकि, उनके दृष्टिकोण और दायरे में कुछ अंतर भी हैं:**

प्रमुख प्रावधान	भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021	यूरोपीय संघ का DSA
विस्तार	भारत में **संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर लागू** होता है, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो।	DSA ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की **व्यापक श्रेणी पर लागू होता है।** इसमें यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल हैं, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो।
कंटेंट का विनियमन	इन नियमों के तहत **सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होता है।** साथ ही, उपयोगकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है।	DSA कंटेंट विनियमन उपायों, पारदर्शिता दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए **अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित करता है।**

निष्कर्ष

समग्र रूप से, DSA एक अधिक व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क है, जो डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि, दोनों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कैसे कार्यान्वित और लागू किया जाता है।

[26] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

[27] Due Diligence Requirements

6.3. प्रौद्योगिकी गवर्नेंस (Technology Governance)

प्रौद्योगिकी गवर्नेंसः एक नज़र में

समाज में प्रौद्योगिकी के विकास, प्रसार और परिचालन में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक प्राधिकरण की निगरानी प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

इसके लिए कई **मानदंडों** (जैसे– विनियम, मानक और प्रचलन) और **संस्थागत एवं विनियामक व्यवस्थाओं तथा भौतिक एवं वर्चुअल संस्थागत व्यवस्थाओं** को अपनाया जाता है।

इसमें **जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा, निजता, अनुपालन और पारदर्शिता** जैसे अलग–अलग तत्व शामिल हैं।

इसमें आमतौर पर **सरकारी एजेंसियों, विनियामकों, उद्योग संघों और व्यक्तिगत संगठनों सहित कई हितधारक** शामिल होते हैं

प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के लिए कुशल फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों है?

- प्रभावी प्रौद्योगिकी गवर्नेंस मुख्यतः परीक्षण और जोखिम से संबंधित फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इससे प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के साथ–साथ **नवाचार को भी बढ़ावा** मिलता है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों का प्रबंधन।
- **नैतिक तरीके से प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे सकता है।**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित** कर सकता है।
- प्रौद्योगिकीविदों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान कर **लोक नीति को आकार** दे सकता है।

प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख गवर्नेंस फ्रेमवर्क कौन–कौन से हैं?

- **नैतिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स।**
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक द्वारा **बहु–हितधारक भागीदारी**, सह–निर्मित विनियमन और जहां उचित हो वहां स्व–विनियमन जैसे **तंत्रों का उपयोग करते हुए सहयोग** किया जा रहा है।
- बदलती तकनीक के अनुसार **दक्ष और उत्तरदायी विनियमन।**
- **विनियामक सैंडबॉक्स और एक्सेलेरेटर जैसे प्रायोगिक तंत्र।**
- **डेटा साझाकरण / इंटर–ऑपरेबल फ्रेमवर्क** नैतिक सीमा के भीतर **उन्नत डेटा साझाकरण** की गति को तीव्र करने पर जोर देता है।
- देश में **एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग** के साथ–साथ सीमा–पार सहयोग हेतु **विनियामकीय सहभागिता।**

मौजूदा और उभरते प्रौद्योगिकी गवर्नेंस में कमियां

- **सीमित विनियमन या विनियमन का अभाव है,** जिसमें कई विनियामक निकाय **कानूनी दांवपेचों के लिए तैयार** नहीं हैं।
- **दुरुपयोग के कारण प्रौद्योगिकी का प्रतिकूल प्रभाव।**
- **प्रौद्योगिकी की जवाबदेही और उत्तरदायित्व** संबंधी कमियां।
- **निजता और डेटा साझाकरण संबंधी मुद्दे।**
- **सरकारी संस्थानों की सीमित तकनीकी क्षमताएं।**
- **निजी क्षेत्रक का प्रभुत्व।**
- प्रौद्योगिकी में बदलाव की तेज गति और उभरती प्रौद्योगिकियों की जटिलता के कारण **अनिश्चित और अप्रत्याशित प्रकृति।**
- **सीमा–पार विसंगतियां।**

प्रौद्योगिकी गवर्नेंस की संभावित रूपरेखा

- नवाचार और अनुचित परिणामों का पता लगाने के लिए **प्रत्याशित (एंटीसिपेटरी) गवर्नेंस दृष्टिकोण।**
- लचीले कानून तंत्र के माध्यम से **परिणामों के विनियमों पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **परीक्षण को महत्त्व देना।**
- **नैतिक संहिता को तैयार करना और जनता के बीच जागरूकता** बढ़ाना।
- **तकनीकी विशेषज्ञता वाले नौकरशाहों का एक समूह विकसित** करना।
- **डेटा एकत्र करके और उसका विश्लेषण कर, लक्षित पहलों के लिए उसका उपयोग करना।**
- **व्यवसायों की क्षमता का लाभ उठाना।**
- **संस्थागत समन्वय स्थापित करना।**
- बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना।**
- **बाजार संरचनाओं और गवर्नेंस मॉडल में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को डिजाइन करने के लिए डिजिटल कॉमन्स पर जोर देना।**

6.4. ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन (Regulation of Online Gaming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने आई.टी. नियम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** में संशोधन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य से संबंधित नकली या झूठी भ्रामक जानकारी के संबंध में **ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों** द्वारा अधिक व्यापक स्तर पर उचित सूचनाओं का प्रसार करना है।
- आई.टी. नियम, 2021 और इसके संशोधनों को **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87** के तहत लाया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग रूल्स की मुख्य विशेषता

विशेषताएं	विवरण
स्पष्ट परिभाषाएं	• **ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती (OGI)** ○ **"ऑनलाइन गेम"** का अर्थ **इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला** एक गेम है और इसे खेलने के लिए एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्ती का सहारा लेना होता है। ○ **"ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती (OGI)"** का अर्थ किसी भी ऐसे मध्यवर्ती से है, जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता है।
मध्यवर्तियों की भूमिका	• किसी भी ऐसे **ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा नहीं** करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना- ○ जो **उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा** सकता है अथवा ○ जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित **ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय/ निकायों (SRBs) द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं** किया गया है।
OGI पर अतिरिक्त दायित्व	• ऐसे गेम्स पर स्व-विनियामक निकाय द्वारा **सत्यापन चिन्ह प्रदर्शित** करना; • अपने उपयोगकर्ताओं को **जमा धन निकालने या भुगतान** के लिए नीति के बारे में सूचित करना; • उपयोगकर्ताओं के **KYC विवरण प्राप्त** करना; और • तृतीय पक्षों द्वारा उपयोगकर्ताओं को **क्रेडिट नहीं देना या उनका वित्त-पोषण नहीं** करना।
एक से अधिक SRBs	• ऑनलाइन गेम को अनुमत के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से MeiTY **कई SRBs** को अधिसूचित कर सकता है। **एक SRB को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:** ○ उसे कंपनी अधिनियम 2013 की **धारा 8 (गैर-लाभकारी संस्था) के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में होना चाहिए।** ○ **वह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हो** और जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा हो। ○ **उसके द्वारा शिकायत निवारण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग** से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया हो। साथ ही, सदस्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हों।
SRBs का प्राधिकार	• SRB किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि: ○ ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर **दांव लगाना शामिल नहीं** है, ○ **OGI और गेम संबंधित नियमों तथा एक अनुबंध (वर्तमान में 18 वर्ष) में प्रवेश करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन** करते हों, और ○ OGI और गेम सुरक्षा उपायों के संबंध में **SRB द्वारा बनाए गए ढांचे का अनुपालन** करते हों।
निषेध	• किसी भी प्रकार के **जुए (विज्ञापनों सहित) वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध** होंगे।

ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को विनियमित करने से संबंधित चिंताएं

- **कौशल के खेल बनाम संयोग के खेल:** भारतीय कानून संयोग के खेल पर रोक लगाते हुए कौशल के खेल की अनुमति देते हैं। हालांकि, किसी भी पद की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं दी गई है। **नियमों में कौशल के खेल और संयोग के खेल को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं** किया गया है।

- **विदेशी निवेश में बाधाएं:** भारत **सट्टेबाजी और जुए में FDI की अनुमति नहीं** देता है, इसलिए कौशल के खेल को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है।
- **SRB का विवेकाधिकार:** इस संदर्भ में पता लगाने कि क्या ऑनलाइन गेम में दांव लगाना, अर्थात् संयोग का तत्व शामिल है या नहीं, **SRBs के पास व्यक्तिपरक विवेकाधिकार** उपलब्ध है।
- **राज्यों में अलग-अलग कानून:** भारत के संविधान के अनुसार **जुआ (चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन) और सट्टेबाजी राज्य सूची के विषय हैं।** इन्हें राज्य सूची की **प्रविष्टि 34** में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि **प्रत्येक राज्य ऑनलाइन गेमिंग** को विनियमित करने के लिए **कानून** बना सकता है और वे कानून केंद्र सरकार के इन नियमों पर अधिभावी होंगे।
  - यह **अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानूनी ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।** उदाहरण के लिए- हाल ही में **तमिलनाडु ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम और ओडिशा के अनुरूप ऑनलाइन रियल मनी गेम पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

निष्कर्ष

संशोधित आई.टी. नियम **ऑनलाइन गेमिंग पारितंत्र को महत्वपूर्ण स्पष्टता** प्रदान करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रभावी विनियमन के लिए इन नियमों में स्पष्ट परिभाषाएं, बहु-हितधारक संलग्नता (राज्य और केंद्र सरकारों सहित) शामिल होनी चाहिए। साथ ही, इन नियमों में **इस उद्योग के आकार और महत्त्व को भी स्वीकृति प्रदान** किए जाने की आवश्यकता है।

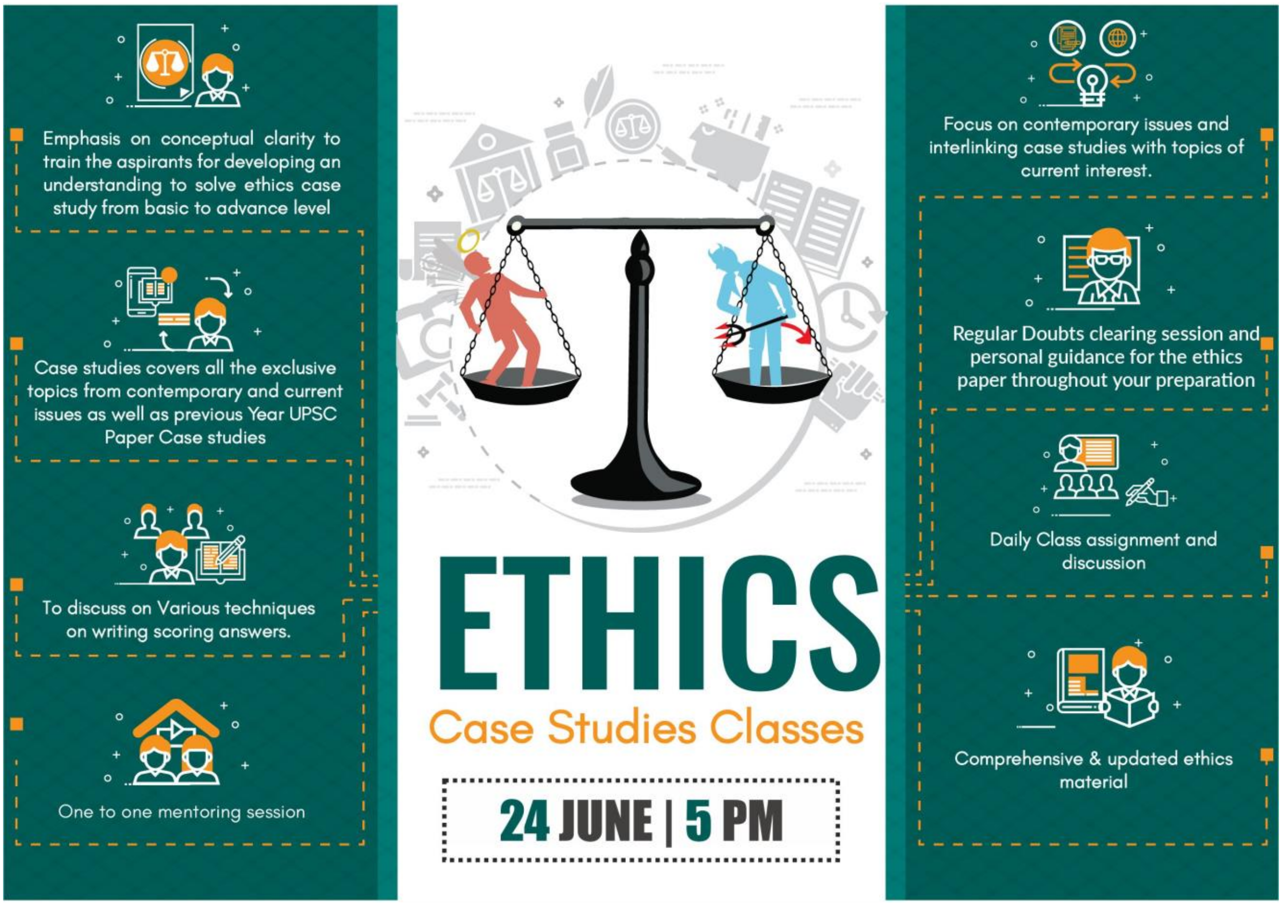

6.5. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown)

इंटरनेट शटडाउनः एक नज़र में

इंटरनेट तक पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना या इंटरनेट की गति को धीमा करना या इंटरनेट पर कुछ सामग्री को प्रतिबंधित करना इंटरनेट शटडाउन कहलाता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच और **इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन** द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में 2020 और 2022 के बीच 127 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ था।** इनमें से कम-से-कम **54 ममाले विरोध प्रदर्शनों के प्रतिक्रिया स्वरूप थे।** साथ ही, राजस्थान में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज हुए।

इंटरनेट शटडाउन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में DNS से छेड़छाड़, IP ब्लॉकिंग, URL फ़िल्टरिंग आदि शामिल हैं।

इंटरनेट शटडाउन संबंधी प्रावधान

- वर्तमान में, दूरसंचार सेवाओं का निलंबन (इंटरनेट शटडाउन सहित) **दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात और लोक सुरक्षा) नियम, 2017** के तहत किया जाता है। इन नियमों को **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885** के तहत अधिसूचित किया गया था।
- 2017 के नियम **'लोक आपात' के आधार पर** एक क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रावधान करते हैं। गौरतलब है कि एक बार में ऐसा केवल 15 दिनों की अवधि के लिए ही किया जा सकता है।
- इस तरह के निर्देश **भारत सरकार के मामले में गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा या राज्य सरकार के मामले में राज्य के प्रभारी गृह सचिव** द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

इंटरनेट शटडाउन लगाने के पीछे तर्क

- **शांति बनाए रखनाः** गलत सूचना और अफवाहें किसी क्षेत्र में कानून व व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं।
- **फेक न्यूज की रोकथामः** इंटरनेट फेक न्यूज को फैलाने का एक तेज माध्यम प्रदान करता है। इस कारण सरकार के लिए ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे ऐप के माध्यम से ऑडियो और वीडियो के प्रसार पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है।
- **आतंकवाद के खिलाफः** सीमा-पार से आतंकवाद का प्रचार करने के कुटिल उद्देश्यों को नाकाम करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षाः** विश्व स्तर पर भारत ने ज्यादातर बार यही तर्क दिया है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन किया है।
- **परीक्षाः** छात्रों को परीक्षा में नकल करने से रोकना, इंटरनेट शटडाउन का एक लोकप्रिय कारण है।

इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव

- **आर्थिक प्रभावः** संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया था कि 2019 और 2021 के बीच 46 देशों में इंटरनेट शटडाउन के कारण 20.54 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था।
- **स्वास्थ्य पर प्रभावः** आपूर्ति श्रृंखला और वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण के लिए महत्वपूर्ण सूचना का प्रवाह बाधित हो सकता है।
- **राजनीतिक पारदर्शिता को बाधित करता हैः** इस तरह की बाधाएं डिजिटल उपकरणों तक पहुंच को कमजोर या समाप्त कर देती हैं। जबकि, ये उपकरण अभियान संचालित करने, लोक विमर्श को बढ़ावा देने, मतदान कराने और चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **निजता के समक्ष जोखिमः** उदाहरण के लिए- जब लोग प्रतिबंधों से बचने के लिए अविश्वसनीय **VPNs** की ओर रुख करते हैं, तो उनका व्यक्तिगत डेटा जोखिम में होता है।
- **शिक्षा पर प्रभावः** इंटरनेट शटडाउन शैक्षणिक आउटकम्स को कमजोर करते हैं। साथ ही, ये शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों और परिवारों के बीच शिक्षा योजना एवं संचार में हस्तक्षेप करते हैं।
- **पत्रकारिता पर प्रभावः** इंटरनेट शटडाउन जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की पहुंच को बाधित कर सकता है और स्थानीय मुद्दों की कम रिपोर्टिंग का कारण बन सकता है।
- **मूल अधिकारों पर प्रभावः** इंटरनेट शटडाउन वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय के संचालन के अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अधिकार, असहमति प्रकट करने के अधिकार तथा राज्य में लोगों के आवागमन के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

आगे की राह

- यदि शटडाउन की आवश्यकता है तो केवल **कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स पर ही प्रतिबंध** लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके जरिये अफवाहों के व्यापक रूप से फैलने की संभावना अधिक होती है।
- इंटरनेट कंपनियों को शटडाउन के कारण होने वाली बाधा को रोकने के लिए सरकार और नागरिक समाज सहित हितधारकों के साथ जुड़ना चाहिए तथा सहयोग करना चाहिए।
- **'लोक आपात' जैसे शब्दों** को परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि बिना किसी ठोस कारण के उनका प्रयोग किए जाने से रोका जा सके।
- डिजिटल मीडिया साक्षरता में सुधार के प्रयासों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को डिजिटल साक्षरता में निवेश करना चाहिए। इसमें बुनियादी डिजिटल सुरक्षा कौशल तक पहुंच भी शामिल है।
- राज्यों की ओर से होने वाले इंटरनेट शटडाउन के सभी मामलों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस दूरसंचार विभाग (DoT) या गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा बनाए रखा जा सकता है। दूरसंचार विभाग को गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में शटडाउन हटाने के लिए आनुपातिकता और प्रक्रिया का एक स्पष्ट सिद्धांत बनाना चाहिए।

6.6. स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन (Sports Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के मामलों पर सुनवाई करते हुए **प्रशासकों की समिति (CoA)**[28] को भंग कर दिया। इसके बाद **फीफा परिषद ब्यूरो**[29] ने **AIFF** पर लगा हुआ निलंबन हटा लिया है।

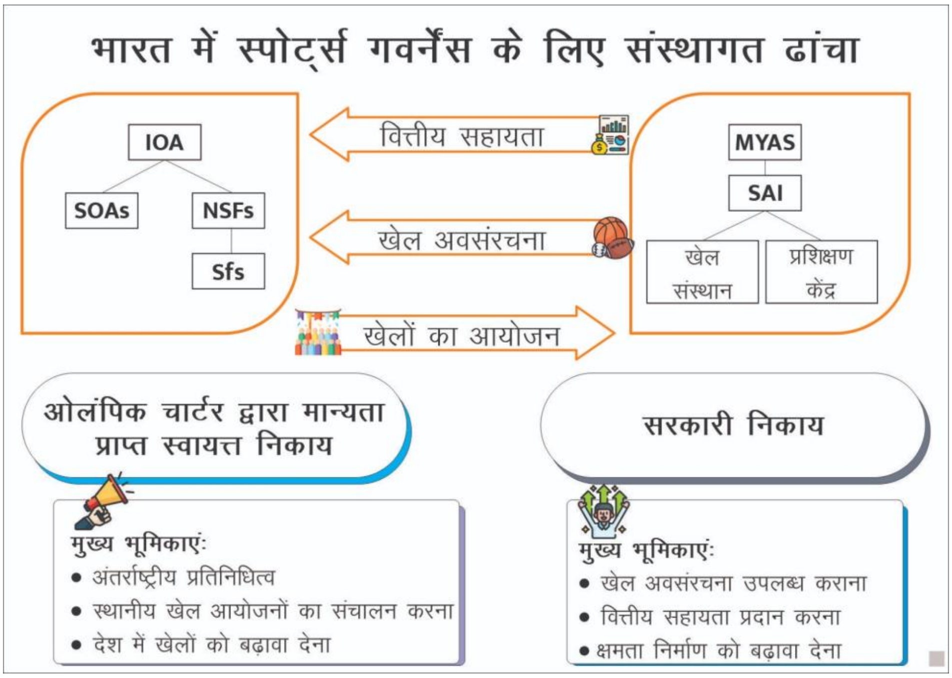

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रशासकों की समिति (CoA) की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। इस समिति का कार्य **AIFF के मामलों** का प्रबंधन करना था। साथ ही, इसे **राष्ट्रीय खेल संहिता** एवं **आदर्श दिशा-निर्देशों** के अनुरूप AIFF के संविधान का निर्माण करने का कार्य भी सौंपा गया था।
- AIFF पर लगे निलंबन को समाप्त करने के लिए फीफा ने यह अनिवार्य शर्त रखी थी कि **CoA को भंग किया** जाए। इसका कारण यह था कि इस समिति का AIFF के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण था।
  - AIFF के प्रशासन में किसी **"तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव"** को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा-कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
- इस निर्णय के बाद भारत को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन करने में भी मदद मिली है। इसका अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजन किया गया था।

भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस एवं प्रशासन

- स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा खेलों से जुड़े संगठन एवं संस्थाएं शासित होते हैं। इसके अंतर्गत **रणनीतिक उद्देश्य और फ्रेमवर्क** को परिभाषित करना भी शामिल है, जैसे-
  - **निरीक्षण** की प्रक्रिया[30] **(नियम एवं नीतियां),** तथा
  - **डायरेक्शन (मिशन, लक्ष्य एवं रणनीति),** जिसके आधार पर किसी खेल संगठन में निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है।
- भारत में, निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन के सामान्य तौर पर **दो पक्ष** हैं (इन्फोग्राफिक देखिए):
  - **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** तथा इसके अधीनस्थ संगठन (जैसे- भारतीय खेल प्राधिकरण); तथा
  - **ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाले खेल संगठन;** जैसे- **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राज्य ओलंपिक संघ (SOA), राष्ट्रीय खेल संघ (NSF)** आदि।
  - क्रिकेट जैसे **गैर-ओलंपिक खेलों** से संबंधित संगठनों **(जैसे- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड)** का उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघों से प्रत्यक्ष संबंध है।

[28] Committee of Administrators

[29] Bureau of FIFA Council

[30] Process of Oversight

खेल संगठनों से संबंधित समस्याएं और उनका प्रभाव

प्रशासनिक समस्याएं	• **अस्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:** विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर) पर अनेक संगठनों की मौजूदगी से **भ्रम की स्थित उत्पन्न होती है। साथ ही, सेवाओं का दोहराव होता है और खेल पारितंत्र में कमियां उत्पन्न होती हैं।** • **पेशेवर क्षमता की कमी:** खेल संगठनों में राजनेताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और बड़े व्यवसायियों का वर्चस्व हो गया है। • **गवर्नेंस और प्रबंधन में अंतर** के कारण इनमें से एक के साथ अवांछित समझौता होता है। • निर्वाचक मंडल में एथलीटों का **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व** है अर्थात् खेल प्रशासन में खिलाड़ियों के मत का अभाव है। • खेल संगठनों में **भेदभाव** (लैंगिक या क्षेत्रीय आधार पर), **अनैतिक गतिविधियों की व्यापकता,** जैसे **डोपिंग और अवैध सट्टेबाजी** की समस्याएं भी देखी जाती हैं।
वित्तीय समस्याएं	• **सीमित निधि: केंद्र सरकार द्वारा सीमित धन प्रदान किया जाता है**, क्योंकि **'खेल' राज्य सूची का विषय है** (राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 33)। इसके अतिरिक्त, **वित्तीय अनियमितताएं** वित्तीय समस्याओं को और अधिक बढ़ा देती हैं।
सहयोग और समन्वय से संबंधित समस्याएं	• **गवर्नेंस संबंधी संरचना:** कुछ खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी आदि को छोड़ दिया जाए, तो भारत में खेल संघों और खेल आयोजनों की कोई स्पष्ट एवं कार्यात्मक संरचना नहीं है। • **अनेक अभिकर्ता:** खेल प्रबंधन में अनेक अभिकर्ताओं जैसे राज्य सरकारों, स्थानीय एवं जिला निकायों, निजी व्यवसायों {कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) या खेल लीग के माध्यम से} आदि की भागीदारी जमीनी स्तर पर सहयोग एवं समन्वय को कठिन बनाती है।
पारदर्शिता से संबंधित समस्याएं	• **जवाबदेही एवं पारदर्शिता का निम्न स्तर:** खेल संगठनों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। इसके कारण उनमें **अपारदर्शी तरीके से निर्णय लेने, भ्रष्टाचार** आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

स्पोर्ट्स गवर्नेंस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **खेल संघों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता (जैसे- कर लाभ के रूप में) प्रदान करना।**
- राष्ट्रीय खेल संघों के आयोजनों के लिए **खेल सुविधाएं** प्रदान करना।
- **भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011:** इसे **खेल संहिता** के रूप में भी जाना जाता है। इस संहिता में **वर्ष 1975** से जारी की गई विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं और न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन है।
  - यह संहिता खेलों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले **न्यूनतम मानक** प्रदान करती है। इन मानकों का अनुपालन करके खेल संस्थाएं खेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मान्यता को बनाए रख सकती हैं। साथ ही, ये राष्ट्रीय टीमों को मैदान में उतारने, राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करने एवं सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त करने जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी उठा सकती हैं।
  - दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये मानक **बाध्यकारी प्रशासनिक निर्देश हैं।** अतः खेल संघों द्वारा मान्यता प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए इनका अनुपालन आवश्यक है।

खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश

- हालांकि, भारत में खेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक नवीन प्रयोग है, लेकिन इसने खेलों में धन के प्रवाह, पेशेवर दक्षता और खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के अवसरों को बढ़ाया है।
- इसके साथ ही, खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश कई समस्याओं का कारण भी बना है, जैसे **केवल लाभ से प्रेरित होना, हितों का टकराव, अवैध सट्टेबाजी** आदि। ये समस्याएं खेलों और खिलाड़ियों की शुचिता को प्रभावित कर रही हैं।
  - उदाहरण के लिए- चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मालिक खिलाड़ियों के साथ मिलकर अवैध सट्टेबाजी में लिप्त पाए गए हैं।

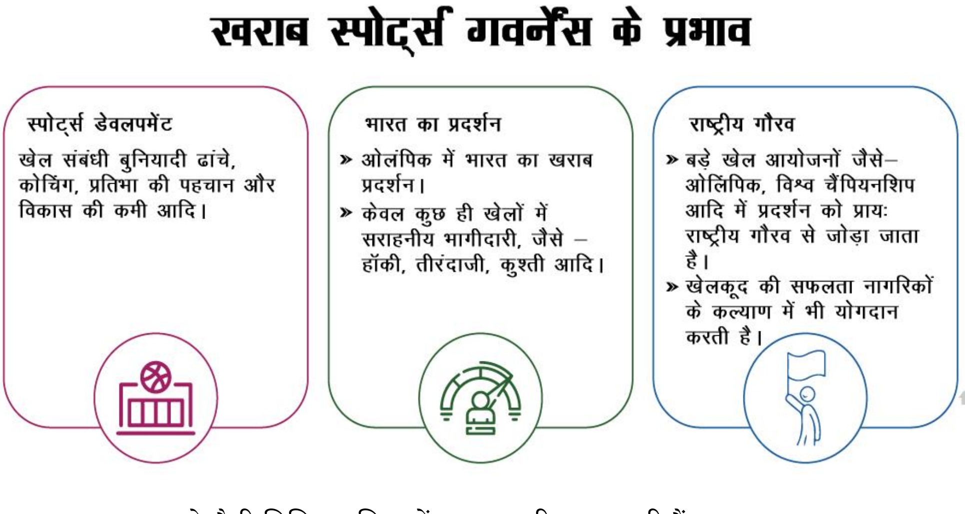

आगे की राह

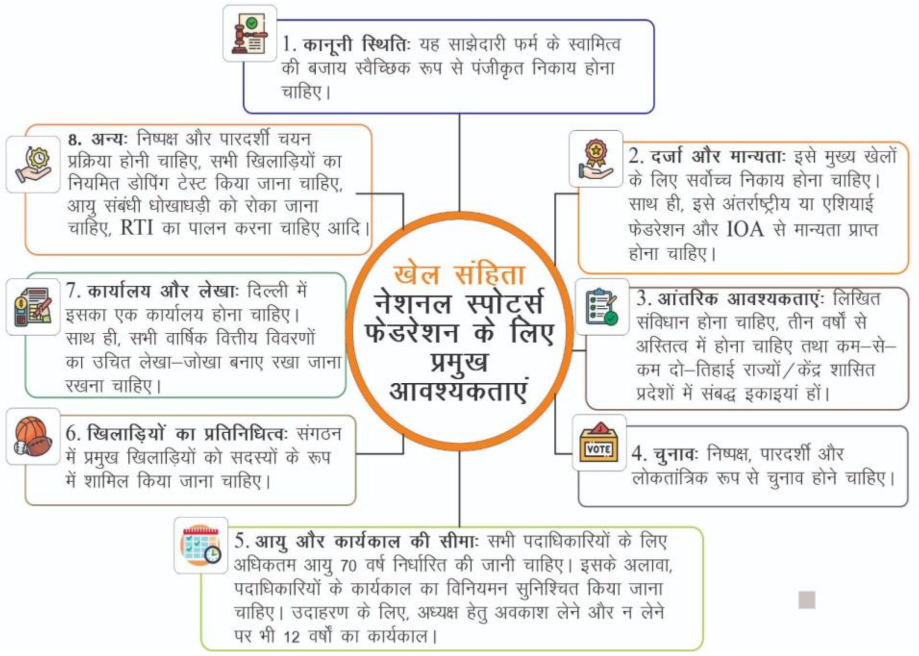

- **सुपरिभाषित खेल कानून पारित करना चाहिए।** इससे स्पोर्ट्स गवर्नेंस में प्रत्येक हितधारक की इष्टतम भूमिका सुनिश्चित होगी। साथ ही, उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ गवर्नेंस तथा प्रबंधन को अलग किया जा सकेगा।
- शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए **स्पोर्ट्स गवर्नेंस और प्रशासन में पेशेवर व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित शैक्षिक संसाधन विकसित करना** और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे खेलों एवं खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के उपयोग और सेवाओं को इष्टतम किया जा सकेगा।
    - उदाहरण के लिए- मूल्य-आधारित संस्कृति, खेल योजना और अखंडता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों के लिए गवर्नेंस सिद्धांत अपनाने चाहिए।
- **जवाबदेही एवं पारदर्शिता की अनिवार्यताएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना चाहिए।** जैसे, प्रशासनिक निर्णयों का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण, नियमित रूप से वक्तव्य एवं सूचना देना आदि।
- जिला एवं राज्य स्तर की खेल संस्थाओं का पुनर्गठन और सुधार करने के लिए **बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाना** चाहिए, क्योंकि यही संस्थाएं ही अंततः राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस पिरामिड का निर्माण करती हैं।

7. स्थानीय स्वशासन (Local Governance)

7.1. भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation in India)

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: एक नज़र में

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय केंद्र/ राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों, जैसे– पंचायत और नगरपालिका को शक्ति, संसाधनों तथा निर्णय–निर्माण के अधिकार के हस्तांतरण से है। इसे 73वें (पंचायती राज संस्थान) और 74वें (शहरी स्थानीय सरकार) संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा प्रभावी रूप से आरंभ किया गया था। इस अधिनियम के जरिए स्थानीय स्व–शासन की संस्थाओं को सशक्त बनाया गया है।

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्त्व

- स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है
- लोकतंत्र को मजबूत करता है
- समावेशी विकास को बढ़ावा देता है
- वंचित समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है
- सार्वजनिक सेवा वितरण को दक्ष एवं प्रभावी बनाता है

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष चुनौतियां

- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में कोई ठोस नियंत्रण प्राप्त नहीं है।
- आर्थिक असमानताएं, जैसा कुछ राज्यों और जिलों के पास अन्य की तुलना में बेहतर संसाधन व अवसंरचनाएं उपलब्ध होती हैं।
- PRIs और ULBs को अपनी योजनाओं व परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में नौकरशाही से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में अनुमोदन में विलंब, अदक्ष कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार शामिल हैं।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
- कई राज्यों ने पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को संभालने के लिए समानांतर निकायों का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास एजेंसी सृजित की है।
- महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रायः स्थानीय निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- उत्तरदायित्व का अभाव, जैसे– स्थानीय निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रायः उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी होती है।
- प्रायः PRIs और ULBs के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी व प्रशासनिक क्षमता की कमी होती है।

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद की उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।
  - वर्तमान में, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) की हिस्सेदारी लगभग 49% है, जिनकी संख्या 14 लाख से अधिक है। साथ ही, इन संस्थाओं में 4,00,000 से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) से संबंधित हैं।
- महिलाओं के लिए समुदाय आधारित कल्याण पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के साथ–साथ अपराधों की रिपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी हुई है।
- 3F (फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज) के हस्तांतरण के संबंध में अलग–अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (**RGSA**): इसे स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति PRIs को अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उनकी क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने हेतु शुरू किया गया है।
- ई–ग्राम स्वराज: यह एक वेब–आधारित पोर्टल है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा–जोखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत किया गया है।
- सबकी योजना सबका विकास – जन योजना अभियान (**People's Plan Campaign: PPC**): इसे देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान: यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों की क्षमता–निर्माण का काम करता है।
- स्वामित्व (**SWAMITVA**) योजना: इसका उद्देश्य गांव में अपने घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें "रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (संपत्ति अधिकार अभिलेख)" प्रदान करना है।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (**Backward Regions Grants Fund: BRGF**): इसके तहत, स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते हैं।

आगे की राह

- वित्तीय अंतरण को मजबूत करना: इस लक्ष्य को वित्त आयोग की ओर अधिक फण्ड मुहैया कराके और वित्त–पोषण के नवीन स्रोतों, जैसे– नगरपालिका बॉण्ड आदि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर और समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनमें क्षमता का निर्माण करना।
- कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना: इसके तहत सहभागितापूर्ण योजना–निर्माण, बजट और योजनाओं के सार्वजनिक प्रकटीकरण को शामिल किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे कि ई–गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का कुशल कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही, इनके संबंध में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों को पंचायतों के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने और उनके क्षमता–निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर बल दिया जाना चाहिए ताकि सरपंच पति" या "प्रधान पति" की प्रचलित अवधारणाओं को रोका जा सके।

7.2. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

झारखंड सरकार जल्द ही राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 लागू करेगी।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम या पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 243M** के तहत संविधान के **भाग IX में निहित पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है।** हालांकि, संसद को विधि द्वारा अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है। संसद के इस कार्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।
- **पेसा अधिनियम को वर्ष 1996 में** अधिनियमित किया गया था। यह **दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों पर आधारित था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का सशक्तीकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना था।
- पेसा अधिनियम को 'संविधान के भीतर संविधान' कहा जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह संविधान के **पंचायती राज (भाग IX) के प्रावधान** को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ विस्तारित करता है। ये प्रावधान **अनुच्छेद 244 के खंड (1)** के अंतर्गत **10 राज्यों के पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों** तक विस्तारित हैं।
    - **ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।**
- यह इन क्षेत्रों में ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही, यह राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह **ग्राम सभा और पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से शक्ति एवं अधिकार हस्तांतरित करे।**
- **पंचायती राज मंत्रालय** पेसा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु **नोडल मंत्रालय** है।

पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए कानून, **परंपरागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं एवं समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों** के अनुरूप होंगे।
- प्रत्येक ग्राम की **एक ग्राम सभा** होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर **पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों** में शामिल हैं।
- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की **परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण** करने के लिए सक्षम होगी।
- **ग्राम सभा** गांव में सभी विकास कार्यों को मंजूरी, लाभार्थियों की पहचान तथा धन के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है; ग्राम सभा के पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों और स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थानों एवं पदाधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति है।
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में **(न्यूनतम 50%) सीटों का आरक्षण** होगा, जो सभी स्तरों पर **पंचायतों के अध्यक्ष** के साथ उपबंधित होगा।

पेसा अधिनियम की सीमाएं

- **पेसा नियम:** चार प्रमुख जनजातीय राज्यों अर्थात् **झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा** ने अभी तक पेसा नियमों का निर्माण नहीं किया है।
- **कानून की उपेक्षा करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग:** भूमि का अधिग्रहण अन्य अधिनियमों के तहत होता है। यह पेसा की अंतर्निहित भावना अर्थात् जनजातीय भूमि का संरक्षण और ग्राम सभाओं की सहमति लेने के प्रावधान का उल्लंघन है।
    - उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्राधिकारियों ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957[31] का उपयोग कर भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था।
- **कानून का निम्न स्तरीय कार्यान्वयन।**

आगे की राह

- **जागरूकता:** ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार-प्रसार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **वित्त-पोषण:** पंचायतों से संबंधित **वित्त का विकेंद्रीकरण** किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम सभा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
    - ग्राम सभाओं को उनके संचालन के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत लघु जल निकायों और लघु खनिजों के दोहन के लिए दिए गए लाइसेंस से प्राप्त राजस्व पर ग्राम सभाओं का नियंत्रण भी शामिल है।
- **महिलाओं की भागीदारी:** चूंकि सभी संबंधित राज्यों में पारंपरिक जनजातीय परिषदों में पुरुषों का वर्चस्व है, इसलिए ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में **महिलाओं की कम-से-कम एक-तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।**
- **सामुदायिक स्वामित्व:** जिन क्षेत्रों में पेसा कानून लागू है, वहां संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रावधानों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।**

[31] Coal Bearing Act of 1957

- **कानूनों की एकरूपता: भारतीय वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों** में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे लघु वनोपज, जल निकायों और भूमि संसाधनों का स्वामित्व स्पष्ट रूप से पेसा क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सौंपा जा सकेगा।

7.3. ऑडिट डेटा मानकीकरण (Audit Data Standardisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)**[32] **ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों** को अपनाने का आग्रह किया है।

लेखापरीक्षा (ऑडिट) की वर्तमान प्रणाली

- **वैधानिक लेखापरीक्षा:** इसका तात्पर्य CAG द्वारा **भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग** की एजेंसी के माध्यम से की गई लेखा परीक्षा से है।
    - **संविधान** और साथ ही **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971**[33] के अनुसार, **CAG के निम्नलिखित कार्य हैं:**
        - केंद्र की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से किए गए सभी प्रकार के व्यय की लेखा परीक्षा करना।
        - केंद्र सरकार और सभी राज्यों की **आकस्मिक निधियों एवं लोक लेखाओं**[34] से संबंधित सभी लेन-देन की लेखा परीक्षा करना।
        - CAG को **केंद्र या राज्य या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के नियंत्रण के अधीन किसी भी लेखा कार्यालय का निरीक्षण** करने का प्राधिकार प्राप्त है।
- **आंतरिक लेखापरीक्षा:** यह संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए है। आंतरिक लेखा परीक्षा **संगठन के प्रबंधन द्वारा गठित एजेंसी या विभाग** करती/ करता है।
    - यह संगठन का एक अभिन्न अंग होता है तथा सीधे **चीफ एग्जीक्यूटिव के अधीन कार्य** करता है।
    - CAG की भूमिका **आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की ऑडिट जांच** तक ही सीमित है।

मौजूदा लेखा परीक्षा प्रणाली से संबंधित चिंताएं

- **लेखापरीक्षा मानकीकरण का अभाव:**
    - **अलग-अलग सरकारी एजेंसियों और विभागों** द्वारा बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए डेटा को विभागों के बीच भी **साझा नहीं** किया जाता है।
    - साझा किया गया डेटा अक्सर **कम्प्यूटर द्वारा पढ़े जा सकने योग्य (Machine readable) प्रारूप में उपलब्ध नहीं** होता है।

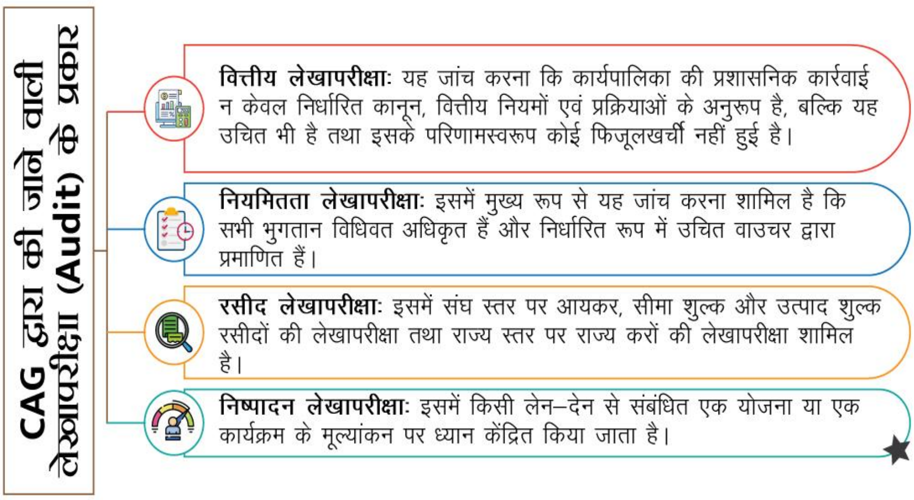

    - इसे अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता है।
    - ये काफी समय-अंतराल पर जारी किए जाते हैं, जिससे इनकी उपयोगिता कम हो जाती है।

---

[32] Comptroller and Auditor General of India

[33] Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971

[34] Contingency funds and Public accounts

- **लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों को लागू करने के लिए शक्तियों का अभाव।**
- **सरकारी कंपनियों के अव्यवस्थित अकाउंट्स।**
- जब कोई सार्वजनिक अधिकारी धन खर्च करता है और उक्त खर्च के लिए वैध तरीके से मंजूरी नहीं मिलती है, तब क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में अधिनियम मौन है।
- CAG की नियुक्ति में **संघवाद के सिद्धांत** का पालन नहीं होता है। केंद्र, राज्य सरकार से परामर्श किए बिना CAG की नियुक्ति करता है।

डेटा के मानकीकरण का महत्त्व

अलग–अलग विभागों तथा एजेंसियों द्वारा भंडारित डेटा को **बेहतर विश्लेषण और साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने के लिए** बाधा रहित तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।

डेटा मानक नीति निर्माताओं और अधिकारियों के साथ–साथ लेखा परीक्षकों की भी **डिजिटल लेखापरीक्षा करने में** मदद करेंगे।

मानकीकरण से लेखापरीक्षकों को विशेष रूप से मदद मिलेगी। तात्पर्य यह है कि **एक मानकीकृत डेटा एक्सपोर्ट फॉर्मेट के अनुसार, भंडारित डेटाबेस से प्रासंगिक डेटा की निकासी** को सक्षम किया जा सकेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा माइनिंग जैसी **नई तकनीक को आसानी से अपनाया** जा सकेगा।

डेटा मानकीकरण और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के तरीके

- प्रभावी डेटा प्रबंधन के लिए गुणवत्ता आश्वासन का संचालन करना, प्रारूपों को मानकीकृत करना और डेटा को केंद्रीकृत राज्य भंडार (Repository) में एकीकृत करना।
- किसी केंद्रीय स्थान में अलग-अलग डेटाबेस और मंत्रालयों में संग्रहित डेटा के बीच रीयल-टाइम में डेटा साझाकरण को सक्षम बनाना चाहिए। यह कार्य एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे डेटा तक आम जनता की आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।
- प्रशासनिक और सर्वेक्षण दोनों डेटा को रीयल-टाइम में अलग-अलग क्षेत्रकों में डिजिटल स्वरूपों में एकत्रित करने की आवश्यकता है। इससे कागज की बचत होगी तथा डिजिटल अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
- **डेटा का स्थानीयकरण:** गांव/ ब्लॉक/ जिला स्तर पर डेटा को एकत्रित करके अधिक विस्तृत स्तर पर डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

CAG की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता

- **CAG के लिए योग्यता** निर्धारित की जानी चाहिए।
- राज्य के **महालेखाकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान** किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित सभी निकायों को **CAG के दायरे में लाना चाहिए।**
- CAG को **अर्द्ध न्यायिक शक्तियां** दी जानी चाहिए।

- **तृतीयक बिग डेटा की भूमिका:** बेहतर गवर्नेंस और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि किसी निजी तृतीय पक्ष द्वारा एकत्र किए गए तृतीयक बिग डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए।
- डेटा साइंटिस्ट जो सांख्यिकी, विश्लेषिकी, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग जैसे विविध क्षेत्रों में दक्ष होते हैं, उन्हें भारत सरकार में शामिल किया जाना चाहिए।

7.3.1. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की लेखापरीक्षा (Audit of Local Self Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)[35] जिला स्तर तक अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके पीछे उद्देश्य त्रिस्तरीय **पंचायती राज संस्थानों (PRIs)**[36] की **लेखापरीक्षा** व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **CAG के कार्यालय राज्यों की राजधानियों** में स्थित हैं। CAG का **महालेखाकार कार्यालय**[37] राज्य सरकारों के लेखाओं के लेखापरीक्षण के लिए जिम्मेदार है।

---

[35] Comptroller and Auditor-General

[36] Panchayati Raj Institutions

- सरकारी विभाग संचित निधि से धन प्राप्त करते हैं, जबकि PRIs **बैंक या राजकोष (ट्रेजरी)** में बनाए गए अलग खातों से धन प्राप्त करती हैं।
- प्राप्त जानकारी के अनुसार, CAG ने **अब सभी सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए** अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का फैसला किया है। भले ही व्ययों के लिए धन संचित निधि से या राजकोष से निकाला गया हो।
    - PRIs **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971**[39] के तहत लेखापरीक्षा के दायरे में आते हैं।

स्थानीय स्वशासन की लेखापरीक्षा का महत्त्व

- **जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक:** केंद्रीय और राज्य स्तरीय कई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों के पास जाता है।
    - मौजूदा कार्यप्रणाली में PRIs को "प्राप्त राशि और किए गए भुगतान के लिए मासिक एवं वार्षिक खातों को तैयार करने" की अनुमति प्राप्त है। वर्तमान में होता यह है कि **PRIs रसीदों को अपने पास रख लेती हैं और उनकी लेखापरीक्षा के लिए उन्हें महालेखापरीक्षक के पास जमा नहीं करती हैं।**

> **केस स्टडी: कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित मलूर पर आधारित**
>
> - कोलार जिले में मलूर तालुका पंचायत (TP) के कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer: EO) के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच (2001-03) की गई थी। इस जांच में पाया गया कि EO ने नियमों का उल्लंघन कर तथा फर्जी कार्यों या फर्जी बिलों के जरिए कुल **1.74 करोड़ रुपये का गबन** किया था।
> - मलूर के उप-राजकोष अधिकारी (STO)[38] ने संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित तरीके से **उचित जांच नहीं की तथा इस तरह के फर्जी बिलों को पारित करके गबन में मदद** की थी।

- **अनियमित लेखापरीक्षा को रोकने में सहायक:** स्थानीय स्वशासन की लेखापरीक्षा एक स्थानीय लेखापरीक्षा निकाय करता है अथवा राज्य द्वारा नियुक्त कोई और संस्था करती है। यही नहीं, लेखापरीक्षा को नियमित रूप से भी नहीं किया जाता है।
- **पारदर्शिता लाने में सहायक:** स्थानीय स्वशासन को कई स्रोतों से धन प्राप्त होता है। शहरी अवसंरचना के कार्यान्वयन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल, नगरपालिका बॉण्ड आदि इसके उदाहरण हैं।
- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सहायक:** स्थानीय स्वशासन का लेखापरीक्षण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- **लोक जागरूकता:** लोक जागरूकता और जोखिम विश्लेषण, PRIs को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा योजना का हिस्सा हैं।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके

- **लेखा मानक (Accounting Standards):** CAG एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय सरकार के लेखाओं के लिए लेखांकन मानकों और लेखा प्रारूपों को निर्धारित कर सकता है।
- **समर्पित संस्था:** 11वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार, लोकल फण्ड ऑडिट संस्थान या किसी अन्य संस्था के निदेशक को स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। उसे लेखापरीक्षा मानकों को निर्धारित करने वाले CAG के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (TGS)[40] के तहत कार्य करना चाहिए।

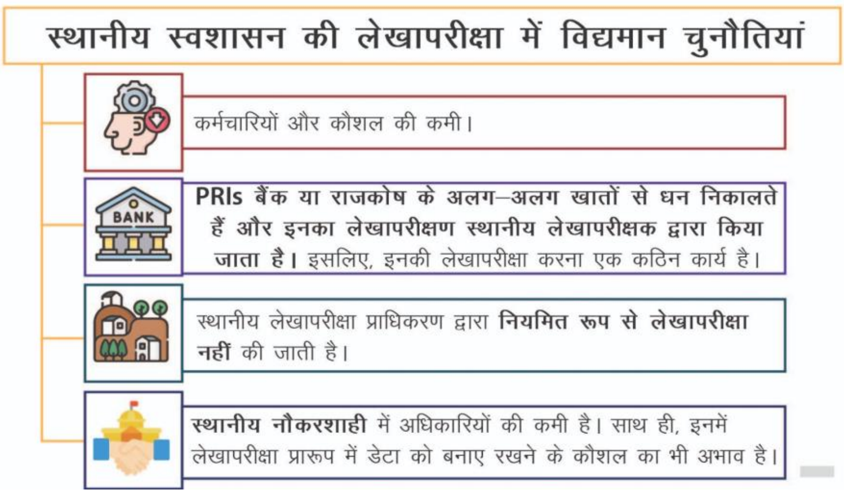

[37] Accountant General's office

[38] Sub-Treasury Officer

[39] Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971

- **लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** पंचायतों और नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित CAG की रिपोर्ट को **राज्य विधान-मंडल की एक समिति** के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समिति का गठन **लोक लेखा समिति** (PAC)[41] की तर्ज पर किया जाना चाहिए।
- **कौशल सुधार:** लोकल फण्ड ऑडिटर्स के तकनीकी कौशलों में पर्याप्त सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **सामाजिक लेखापरीक्षा:** PRI प्रणाली में सुधार करने और जवाबदेही व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिट) का विकास करना बहुत जरूरी है।

7.4. मेयर (महापौर) का पद (Office of Mayor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देता है।

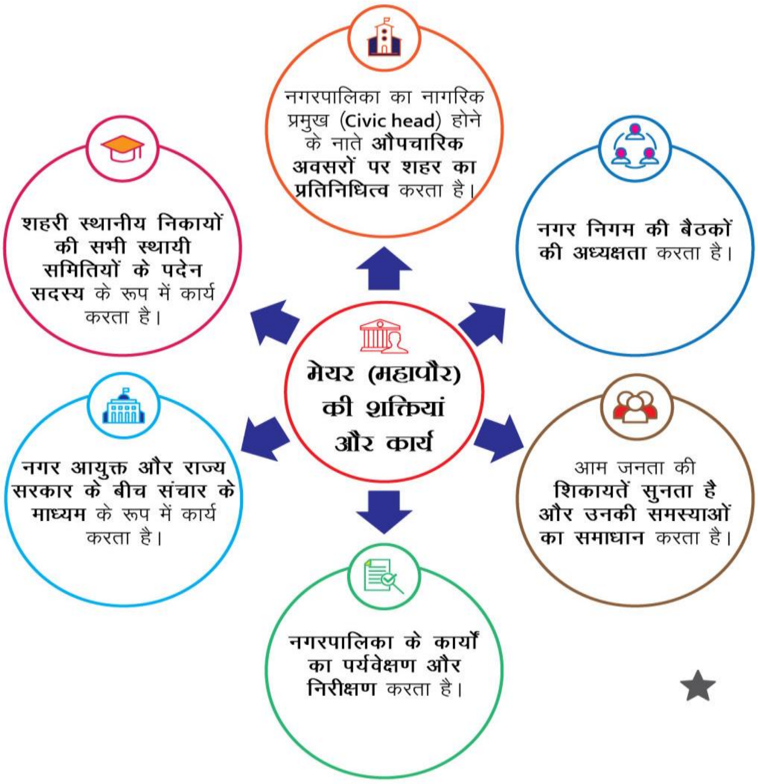

भारत में मेयर प्रणाली के बारे में

- नगर निगम में मेयर सामान्यतः **पार्षदों द्वारा चुना** जाता है। इसका चुनाव **पार्षदों के बीच से अप्रत्यक्ष निर्वाचन** के जरिए होता है।
- **पार्षद, समितियों** के माध्यम से कार्य करते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति होती है, जो संचालन समिति के रूप में कार्य करती है और कार्यकारी, पर्यवेक्षी, वित्तीय एवं कार्मिक शक्तियों का प्रयोग करती है।
- **नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम की कार्यकारी शाखा का प्रमुख** होता है।
    - सभी कार्यकारी शक्तियाँ **नगर आयुक्त** में निहित होती हैं।
- 1992 का अधिनियम **निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों** का प्रावधान करता है। मनोनीत पार्षदों का चयन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। उन्हें नगरपालिका प्रशासन में उनके विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर चुना जाता है।

मेयर के प्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित तथ्य

गुण	दोष
• इससे प्रणाली अधिक कार्य-उन्मुख होगी, जिससे **निर्णय लेने की प्रक्रिया** में तेजी आएगी। • मेयर्स के पास 'महत्वपूर्ण फैसले लेने' के लिए एक व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिदेश होगा। • यह मॉडल लोकतांत्रिक राजनीति को मजबूत करके **स्थानीय संलग्नता में नई ऊर्जा का समावेश करेगा।** • इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित मेयर्स ने **जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार** किया है।	• **मेयर का व्यवहार मनमाना या भ्रष्ट होने पर उसे हटाना मुश्किल** होगा। • **निर्वाचित पार्षदों की भूमिका सीमित** हो सकती है। • सामूहिक निर्णय लेने के आधार पर बनाई गई इस प्रणाली को मेयर्स के नेतृत्व वाली 'अध्यक्षात्मक' व्यवस्था का रूप देना एक विरोधाभासी कदम होगा।

मेयर प्रणाली से संबंधित चुनौतियां

- **कोई वास्तविक शक्ति नहीं:** मेयर केवल एक औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि सभी कार्यकारी निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगरपालिका आयुक्त द्वारा लिए जाते हैं।
- **स्पष्टता का अभाव:** 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों के मेयर्स/ अध्यक्षों के चुनाव, कार्यकाल या शक्तियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

---

[40] Technical Guidance and Supervision

[41] Public Accounts Committee

- **कार्यकाल में असमानता:** इनका कार्यकाल भी एक समान नहीं होता है। अलग-अलग राज्यों में उनके अलग-अलग कार्यकाल होते हैं। यहां तक कि उनके लिए एक वर्ष तक के कार्यकाल का भी प्रावधान किया गया है।
- **मेयर्स और नौकरशाहों के बीच सामंजस्य की कमी:** नगरपालिका की मौजूदा प्रशासनिक संरचना लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पार्षदों को राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाह अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध कर देती है। इससे अक्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: राज्य सरकारें शहरी स्तर की संस्थाओं को अधिक अधिकार नहीं सौंपना चाहती** हैं। अक्सर, शहरी संसाधनों को विकास के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आगे की राह

- **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें: ARC ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:**
    - मेयर का चुनाव **प्रत्यक्ष मतदान** के माध्यम से होना चाहिए। उसका **5 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए।**
    - **मेयर को शहर या शहरी निकाय का मुख्य कार्यपालक** होना चाहिए। साथ ही, शहरी निकाय के पास आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए।
    - नगर निगमों और महानगरों में **मेयर द्वारा ही मेयर कैबिनेट की नियुक्ति** की जानी चाहिए।
    - मेयर को निर्वाचित निगम-पार्षदों में से **कैबिनेट सदस्यों का चयन** करना चाहिए।
    - **कैबिनेट मेयर के समग्र निर्देशन और नियंत्रण के तहत उन्हें सौंपे गए मामलों पर** कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करेगी।
- **मेयर-इन-काउंसिल:** मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था। इसमें यह राय व्यक्त की गई है कि भारत को नगरपालिका के स्तर पर राजनीतिक कार्यकारी (Political executive) अर्थात् **मेयर-इन-काउंसिल** पर विचार करना चाहिए।

कोलकाता मॉडल

परंपरागत कमिश्नरी मॉडल के विकल्प के रूप में एक मॉडल कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में लागू किया गया है।

- यह मॉडल 1984 में लागू किया गया था और इसे **नगर प्रशासन के मेयर-इन-काउंसिल के रूप में जाना** जाता है।
    - इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कैबिनेट सरकार फॉर्मूले की नकल करने वाले मॉडल के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- यह प्रणाली एक **मेयर और दस सदस्यीय कैबिनेट से मिलकर बनती** है। इसमें निर्वाचित पार्षदों को अलग-अलग पोर्टफोलियो सौंपे जाते हैं।
- नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) इस मॉडल में प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। वह **मेयर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य** करता है।

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) पर एक नज़र

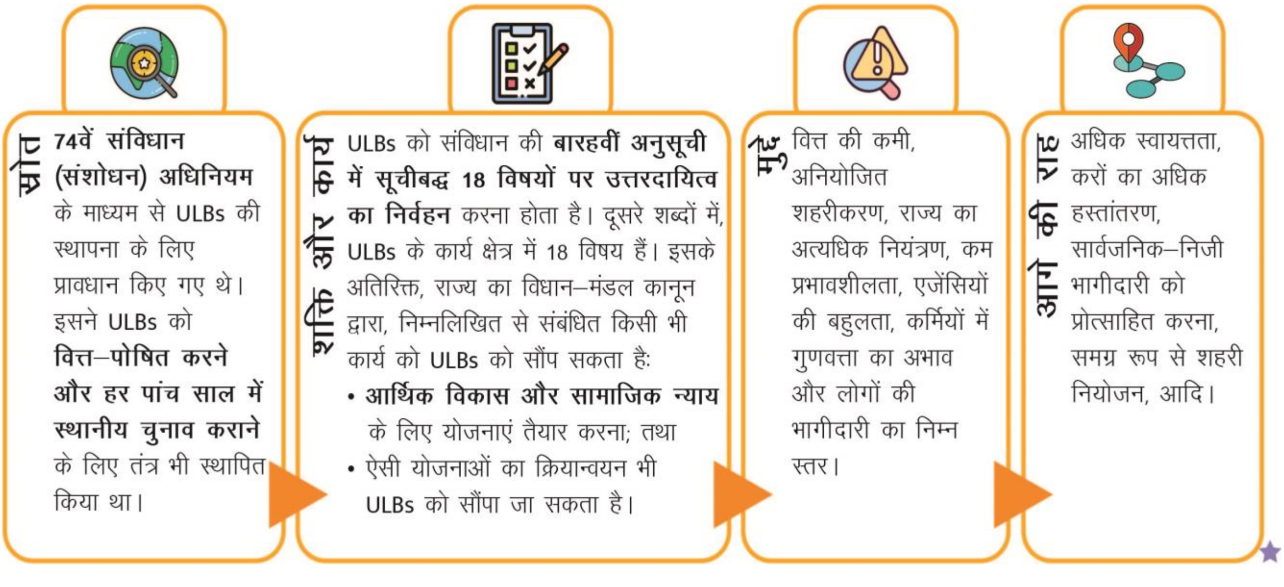

7.5. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme: ABP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य **अलग-अलग विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉक्स (प्रखंडों) के प्रदर्शन में सुधार** करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, किंतु **इसका स्पष्ट उल्लेख केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है।**
- यह **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)**[42] के मॉडल पर आधारित है।

ABP की मुख्य विशेषताएं

- **कवरेज:** शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **500 प्रखंडों (Blocks) को ही शामिल** किया जाएगा।
    - इनमें से **आधे से अधिक प्रखंड 6 राज्यों** में हैं। ये राज्य हैं- (घटते क्रम में) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। हालांकि, राज्य बाद में इस कार्यक्रम में और प्रखंडों को जोड़ सकते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे **कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है।**
- **महत्वपूर्ण संकेतक:** सरकार ने इस तरह के कई क्षेत्रों के अंतर्गत **15 प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों** (KSIs)[43] की पहचान की है।
    - राज्यों के पास **स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट KSIs को शामिल** करने की छूट है।
- **समय-समय पर रैंकिंग:** KSIs को रीयल-टाइम आधार पर ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, प्रखंडों के बीच एक स्वस्थ और गतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में समय-समय पर रैंकिंग जारी की जाएगी।
- **कार्यक्रम का फोकस:** यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित प्रखंडों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए **गवर्नेंस में सुधार लाने** पर केंद्रित है। ऐसा **मौजूदा योजनाओं को मिलाकर,** आउटकम्स को परिभाषित करके और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके किया जाएगा।

प्रखंडों के विकास पर फोकस क्यों किया जा रहा है?

भारत में प्रखंडों के समग्र विकास के लिए **सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1952 में** प्रखंड आधारित विकास की शुरुआत की गई थी। तब से उनका महत्त्व बढ़ गया है, क्योंकि वे निम्नलिखित को सक्षम करते हैं-

- **समावेशी विकास:** प्रखंड स्तर पर सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि **विकास का एक बड़ा हिस्सा आबादी के सीमांत और कमजोर वर्गों तक पहुंचे।**
- **स्थानीय रूप से अनुकूलन योग्य योजना निर्माण:** एक प्रशासनिक और निगरानी इकाई के रूप में, प्रखंड यह सुनिश्चित करता है कि देश के हर भाग में **"वन-साइज़-फिट्स-ऑल" दृष्टिकोण लागू नहीं** होता है।
- **जमीनी स्तर पर भागीदारी:** यह तरीका निर्णय लेने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर के करीब लाता है।
- **अभिसरण और लक्ष्य की प्राप्ति:** प्रखंड प्रशासन के कई लाइन विभागों का अभिसरण सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंतराल को समाप्त करता है। इसके परिणामस्वरूप, SDGs के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है।

[42] Aspirational District Programme

[43] key socio-economic indicators

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)

- **उद्देश्य:** इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। ADP का लक्ष्य देश भर के 26 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 112 सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्रता से एवं प्रभावी ढंग से विकास करना है।
- **कार्यक्रम का फोकस:** मुख्य संचालकों के रूप में राज्यों के साथ यह प्रत्येक ज़िले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही, तत्काल सुधार के लिए प्रभावी कारकों की पहचान करता है। यह मासिक आधार पर ज़िलों की **रैंकिंग करके इनकी प्रगति को मापता** है।
- **महत्वपूर्ण संकेतक:** ADP **5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत** 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) पर ध्यान केंद्रित करता है। **ये 5 विषय हैं- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा अवसंरचना।**
    - **डेल्टा रैंकिंग** इन KPIs के आधार पर जिला रैंकिंग में वृद्धिशील परिवर्तन को दर्शाती है।
    - **बेसलाइन रैंकिंग** आधार रेखा वर्ष की तुलना में जिले के प्रदर्शन को दर्शाती है।

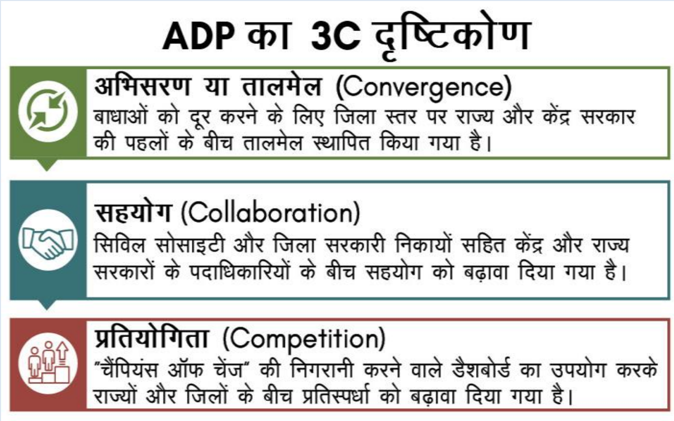

8. विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors)

8.1. आधार (Aadhaar)

आधार: एक नज़र में

आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह भारत में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय आधार आई.डी. नंबर उपलब्ध कराया जाता है।

आधार प्रणाली का महत्त्व

- निवासियों के लिए पूरे देश में ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन पहचान सत्यापन के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- आधार सत्यापन की सहायता से सुव्यवस्थित सब्सिडी अंतरण।
- आधार कार्ड का उपयोग करके जन धन खाता खोलकर वित्तीय समावेशन।
- PDS वितरण में बायोमेट्रिक्स की सहायता से फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना।
- एकल दस्तावेज़ के माध्यम से कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, जैसे- LPG सब्सिडी तक पहुंच।
- तटस्थता को बढ़ावा देता है क्योंकि यह क्रमहीन रूप से उत्पन्न संख्या है जो जाति, पंथ, धर्म आदि पर निर्भर नहीं करती है।

आधार से संबंधित मुद्दे

- त्रुटिपूर्ण डेटाबेस: UIDAI द्वारा जारी की गई आधार संख्या की प्रमाणिकता संदेहास्पद है। इस संदेह के कारण अधूरी जानकारी, पर्याप्त या उचित दस्तावेजीकरण का अभाव और त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक हैं।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत में आधार नियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि हेतु भारत का निवासी था या नहीं, इसकी जांच करने के लिए UIDAI ने कोई विशिष्ट प्रमाण, दस्तावेज या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के कारण प्रमाणीकरण संबंधी त्रुटि (**Authentication errors**) की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वर्ष 2019 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसमें शामिल 2.5 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनके आधार में विद्यमान कुछ समस्याओं के कारण उन्हें कल्याणकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है।
- इसमें अन्य फोटो पहचान पत्रों में मौजूद मानक सुरक्षा तत्वों, जैसे- माइक्रोचिप, होलोग्राम या आधिकारिक मुहर आदि का अभाव है। इससे आधार की जाली कॉपी बनाने या इसमें दर्ज जानकारियों में फेर-बदल करने की संभावना बढ़ जाती है।
- डेटा के लीक होने और गोपनीयता संबंधी चिंताएं।
- पांच वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चों को उनके माता-पिता के बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके आधार संख्या जारी की जाती है। यह आधार अधिनियम के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।
- किसी व्यक्ति के जीवनकाल में बायोमेट्रिक्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। इसलिए, बायोमेट्रिक्स को समय-समय पर अपडेट किए जाने की भी आवश्यकता होती है।

आधार प्रणाली को मजबूत करने के लिए की गई पहलें

- निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए आधार 2.0 के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है:
  - निवासी केंद्रित सेवाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना;
  - आधार का उपयोग बढ़ाना;
  - आधार के बारे में लोगों के विश्वास को और मजबूत करना;
  - नई तकनीकों को अपनाना आदि।
- वर्तमान में बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता (BSPs) डुप्लीकेशन को रोकने के लिए 10 फिंगरप्रिंट और दो आइरिस (**Iris**) के साथ-साथ अन्य बायोमेट्रिक विशेषता के रूप में चेहरे की छवि का भी उपयोग कर रहे हैं।
- UIDAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) तकनीक का उपयोग करके द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण की शुरुआत की है। इससे फिंगरप्रिंट की असलियत को सत्यापित करना आसान हो जाएगा और धोखे के किसी भी प्रयास की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा।
- UIDAI ऑपरेटर्स के बीच विकृत व्यवहार का पता लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करता है।
- सभी नए वयस्कों के नामांकनों की गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकारों को शामिल किया गया है।
- आधार अपडेट के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों की एक अपडेटेड और उपयोगकर्ता के अनुकूल सूची को लागू किया गया है।
- सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए एनरॉलमेंट मशीनों में जी.पी.एस. फेंसिंग (**GPS fencing**) का प्रयोग किया गया है।

आगे की राह

- UIDAI को इसके लिए स्व-घोषणा के अलावा एक अन्य प्रक्रिया और कुछ आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित करने चाहिए। इससे आवेदकों के निवास की स्थिति की पुष्टि और प्रमाणीकरण आसान हो जाएगा।
- शिकायत प्रणाली को मजबूत करना: UIDAI शिकायतों/ आरोपों को दर्ज करने के लिए एकल केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत कर सकता है।
- डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाना: बिजली, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे उपयुक्त डिजिटल नेटवर्क को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, आधार लिंकिंग को सही ढंग से सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
- परिवारों की डिजिटल साक्षरता और कौशल में निवेश करना चाहिए, ताकि आधार के अधिकतम उपयोग हेतु लोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।
- एक मजबूत डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क आवश्यक है, क्योंकि यह नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करेगा,
  - कंपनियों और सरकारों को मनमाने तरीके से डेटा एकत्र करने से रोकेगा आदि।

Mains 365 – राजव्यवस्था एवं शासन

8.2. सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र (Democracy for Social and Economic Welfare)

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्रः एक नज़र में

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक **सार्वभौमिक सिद्धांत है।** यह संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है।

सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था और **राज्य की नीति के निदेशक तत्व** न्याय के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं तथा **अलग-अलग उद्देश्यों** को प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

लोकतंत्र भारत की 'विविधता में एकता' को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाले फ्रेमवर्क

- **कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी, जिन्हें ECI विनियमित करें।**
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के साथ-साथ **ECI** के तहत चुनाव प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार।
- सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए **कानून और नीतियां,** जैसे- **सहकारी समितियां,** स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु उपाय।
- लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए **विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग।**

इस फ्रेमवर्क का महत्व

- यह संविधान में निहित **लोगों के अधिकारों की रक्षा** करता है।
- **प्रतिनिधि सरकार** का गठन करता है।
- **समतामूलक समाज** के निर्माण के लिए **कल्याणकारी राज्य** के साथ-साथ **विधि का शासन।**
- **सत्ता का पृथक्करण और एक स्वतंत्र न्यायपालिका।**
- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण** के लिए **काम करने हेतु राज्य पर नैतिक दायित्व** निर्धारित करता है।
- **व्यक्तिवाद और समाजवाद** के बीच **संतुलन** स्थापित करता है।

इस फ्रेमवर्क को लागू करने से संबंधित समस्याएं

- आंतरिक लोकतंत्र की कमी के साथ-साथ **राजनीतिक दलों की अपारदर्शी कार्यप्रणाली।**
- शासन में **भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी** जैसी समस्याएं।
- **सामाजिक ध्रुवीकरण, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, हिंसा** आदि की समस्याएं।
- कोई समय-सीमा न होने, गैर-न्यायसंगतता आदि के कारण **सामाजिक और आर्थिक कल्याण** प्राप्त करने में **सीमित सफलता की प्राप्ति।**
- संवैधानिक संघर्ष, सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव आदि के लिए आधार तैयार करता है।
- बेरोजगारी, लोकलुभावनवाद, वर्कफोर्स का कैजुलाइजेशन जैसी **नई चुनौतियों का उत्पन्न होना।**

आगे की राह

- **लोकतांत्रिक लचीलापन को बढ़ावा देना:**
  - राजनीतिक दलों और सरकार में **पारदर्शिता व सत्यनिष्ठा** की संस्कृति का निर्माण करना चाहिए।
  - **समावेशी बदलाव सुनिश्चित करने और नागरिक सहभागिता** में सुधार लाने के उपाय करना चाहिए।
  - **सामाजिक और आर्थिक समावेशन** के लिए कदम उठाने हेतु **सरकार को जवाबदेह** बनाना चाहिए।
- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए उपाय:**
  - वर्तमान संदर्भों के आधार पर परिस्थितियों का **विस्तार से मात्रात्मक आकलन** करना।
  - **आजीविका का समर्थन करने, न्यायिक प्रणाली में सुधार करने, अवसंरचना का निर्माण** आदि उपाय करना।
  - **निजी क्षेत्रक, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका** की पहचान करना।

8.3. सहकारिता (Cooperatives)

सहकारिता: एक नज़र में

यह समान आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है, जो साझे आर्थिक लक्ष्यों और हितों की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से लोगों को एक समूह के रूप में संगठित किया जाता है, उनके व्यक्तिगत संसाधनों को एकत्रित/संग्रहित किया जाता है तथा सर्वोत्तम संभव तरीके से उनके उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, इससे कुछ साझे लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाते हैं।

सहकारिता सिद्धांत

- स्वायत्तता और स्वतंत्रता
- सदस्यों की आर्थिक भागीदारी
- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
- समुदाय के लिए चिंता
- लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों पर नियंत्रण
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना
- सहकारी समितियों के बीच सहयोग

भारत में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां

- उपभोक्ता सहकारी समितियां
- उत्पादकों की सहकारी समितियां
- सहकारी ऋण समितियां
- सहकारी कृषि समितियां
- सहकारी आवास समितियां
- विपणन सहकारी समितियां इत्यादि।

सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं।
- अनुच्छेद 19 (1) (c) कुछ प्रतिबंधों के तहत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 43-B के तहत राज्य ऐसी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त काम-काज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
- संविधान का भाग **IXB** केवल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) पर ही लागू होगा।

सहकारिता का महत्व

- सामाजिक एकजुटता में वृद्धि।
- निम्नलिखित के द्वारा सामाजिक सशक्तीकरण:
  - समान अधिकारों की स्थापना।
  - निर्धनों की सौदेबाजी करने की शक्ति में वृद्धि।
  - नेतृत्व को बढ़ावा।
- नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा: सहकारी समितियां अपने सदस्यों को नैतिक सिद्धांतों, जैसे- एकता, विश्वास, ईमानदारी, व्यवस्था, सहयोग आदि सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नैतिक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं।
- इससे धन-संपदा से संबंधित असमानता की स्थिति में कमी होती है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

- सहकारिता मंत्रालय: "सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने एवं सहकारी समितियों को एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने हेतु सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है।
- बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022: यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना और बेहतर वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है।

भारत में सहकारिता के समक्ष चुनौतियां

- लोकतांत्रिक भावना का अभाव: सरकारी हस्तक्षेप, सहकारी समितियों का राजनीतिकरण, आंतरिक झगड़े और प्रतिद्वंद्विता आदि।
- विकास संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन: पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, बिहार व ओडिशा जैसे राज्यों में सहकारी समितियां उतनी विकसित नहीं हैं, जितनी कि महाराष्ट्र और गुजरात में हैं।
- परिचालन संबंधी चुनौतियां: निष्पक्ष लेखापरीक्षा तंत्र का अभाव, विभिन्न स्तरों पर मौजूद सहकारी समितियों के मध्य समन्वय का अभाव आदि।
- कार्यात्मक कमजोरी: इसमें इकोनॉमी ऑफ़ स्केल की अनुपस्थिति, कुशल कार्यबल की कमी और पेशेवर क्षमता का अभाव आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- संरचनात्मक सुधार:
  - कमजोर और अक्षम सहकारी समितियों को समाप्त कर उन्हें मजबूत तथा कुशल सहकारी समितियों में मिला देना चाहिए।
  - बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए।
- सहकारी बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए विधायी सुधार करने चाहिए।
- कामकाज में पूरी दक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए: इसके लिए सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है।
- कुशल कर्मचारी और बुनियादी ढांचे के विकास की सहायता से क्षमता निर्माण।
- मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना, जो समाज में लोगों के बीच नैतिक व्यवहार और सहयोग की भावना सुनिश्चित करती हो।

8.3.1. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 {Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा ने **बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022** को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **MSCS अधिनियम 2002 में संशोधन** करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य **MSCS अधिनियम, 2002** को संविधान के भाग IXB में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप बनाना और सहकारी समितियों के काम-काज एवं गवर्नेंस से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है।
- **संविधान के भाग IXB के तहत किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं:**
  - अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत **सहकारी समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता।**
  - DPSPs में अनुच्छेद 43-B के तहत **सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान** किया गया है।
- **MSCS की गतिविधियां केवल एक राज्य तक सीमित नहीं** होती हैं बल्कि ये एक से अधिक राज्यों में लोगों के हितों के लिए कार्य करती हैं।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

विशेषताएं	विवरण
पंजीकरण	• MSCS अधिनियम के लिए पंजीकरण की अवधि को **पहले के 4 महीने की तुलना में घटाकर** 3 महीने कर दिया गया है।
बोर्ड के सदस्यों का चुनाव	• नियमित निर्वाचन कराने तथा सहकारी क्षेत्रक में निर्वाचन संबंधी सुधार के लिए **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण**[44]की स्थापना करना। • इसमें **एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष** तथा **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य** शामिल होंगे।
निदेशक मंडल	• कम-से-कम **एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति** तथा **दो महिला सदस्य** सहित अधिकतम 21 निदेशक।
सहकारी समितियों का एकीकरण	• राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत **मौजूदा MSCS में विलय** करने की अनुमति होगी। • आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सहकारी समिति के **कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से विलय का प्रस्ताव पारित करना होगा।**
बीमारू सहकारी समितियों के लिए निधि	• बीमारू MSCSs को ठीक करने के लिए **सहकारी पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण और विकास कोष** की स्थापना की जाएगी। • बीमारू MSCS से आशय ऐसी समिति से है जिसका **संचयी घाटा उसकी चुकता पूंजी (पेड-अप कैपिटल), फ्री रिजर्व और अधिशेष के कुल योग के बराबर या उससे अधिक** हो गया हो और उसे पिछले दो वित्तीय वर्षों में नकद घाटा हुआ हो।
सरकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध	• MSCS में केंद्र और राज्य सरकारों की शेयरधारिता का उनकी पूर्वानुमति के बिना मोचन (Redemption) नहीं किया जा सकता है।
शिकायतों का निवारण	• केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले **एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति** करेगी। • लोकपाल MSCS के **सदस्यों द्वारा उनकी जमा राशि, सोसायटी के काम-काज के न्यायोचित लाभ या सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों** के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करेगा।
अन्य प्रावधान	• उल्लंघन के मामले में **मौद्रिक दंड में वृद्धि**; सभी MSCS द्वारा **सहकारी सूचना अधिकारी**[45]**की नियुक्ति** करना; केंद्र सरकार द्वारा **निर्धारित राशि से अधिक वार्षिक टर्नओवर या जमा** वाले MSCS की व्यवस्थित रूप से लेखा-परीक्षा करना।

[44] Co-operative Election Authority

[45] Cooperative Information Officer

MSCS विधेयक, 2022 की आवश्यकता क्यों?

- **वर्ष 2002 के बाद से ही सहकारी समितियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।** उदाहरण के लिए- वर्ष 2021 से पहले तक यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक **विभाग** था जिसे अब एक अलग **सहकारिता मंत्रालय** के रूप में गठित किया गया है।
- **97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** द्वारा संविधान में शामिल किए गए **भाग IXB के मद्देनजर** MSCS अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक था।
- MSCS में **मौजूद समस्याओं,** जैसे- वित्तीय गबन, चुनाव कराने में देरी और विवाद, लेखा परीक्षकों का पक्षपातपूर्ण चयन, भाई-भतीजावाद आदि का **समाधान करने के लिए।**
- **विभिन्न सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए,** जैसे-
  - **पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना,**
  - **डिजिटल पंजीकरण को संभव बनाना,**
  - सदस्यता को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाना,
  - पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना,
  - सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति करना आदि।
- सहकारी सिद्धांतों के अनुसार **MSCS के गवर्नेंस को बेहतर बनाना।**

MSCS विधेयक, 2022 से संबंधित चिंताएं

- इससे सहकारी समितियों में **केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता है।** इससे MSCS की **स्वायत्तता और काम-काज प्रभावित** हो सकती है और इसके **दुरुपयोग की संभावना** बढ़ सकती है।
- इसमें **केंद्र और राज्य सरकारों को** उनकी शेयरधारिता के मोचन पर **वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं।** यह संभावित रूप से लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण और संगठनात्मक स्वायत्तता के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।
- यह बीमारू सहकारी समितियों की मदद करने के लिए **लाभकारी सहकारी समितियों पर वित्तीय बोझ डालता है।** इससे **लाभकारी सहकारी समितियों का काम-काज प्रभावित** हो सकता है।

आगे की राह

- **सहकारी समितियों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (2009)** ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए एक **राष्ट्रीय सहकारी पुनरुद्धार और संस्थागत संरक्षण कोष** बनाना चाहिए तथा राज्यों को इस कोष में योगदान देना चाहिए।
- **नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने की जरूरत है।**
- सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंधन संबंधी जवाबदेही सुनिश्चित करके **सहकारी समितियों की स्वायत्त एवं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना** आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSCS अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तरीय तीन MSCS के गठन को मंजूरी दी

- राष्ट्रीय स्तर की तीन MSCS की स्थापना से **'सहकार-से-समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के लक्ष्य को प्राप्त** करने में मदद मिलेगी। यह लक्ष्य सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा हासिल किया जाएगा।

3 नई सहकारी संस्थाएं	महत्त्व
राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति	• यह अधिशेष वस्तुओं/सेवा के **निर्यात के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा।** • **प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां** (जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं) **इसकी सदस्य बन सकती हैं।** • अधिक निर्यात से **वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि** होगी तथा **रोजगार के अवसर** बढ़ेंगे। • निर्यात में वृद्धि **"मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देगी।** इससे **आत्मनिर्भर भारत** को प्रोत्साहन मिलेगा। • सहकारी समितियों को निर्यात से संबंधित सरकारी योजनाओं/नीतियों का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक (ऑर्गेनिक) समिति	• घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों में भी **जैविक उत्पादों की मांग व खपत की क्षमता को बढ़ाने में मदद** मिलेगी। • किसानों को एकत्रीकरण, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से **जैविक उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद** मिलेगी। • एकत्रीकरण, प्रमाणन, भंडारण, प्रसंस्करण आदि के लिए **संस्थागत सहायता प्राप्त हो सकेगी।** • उत्पादों की **संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का बेहतर प्रबंधन** हो सकेगा।

राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति	• यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के **उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए शीर्ष संगठन** के रूप में कार्य करेगी। • **देशज प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन** के लिए प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी। • **बीज प्रतिस्थापन दर** और बीज किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाएगी। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती में किसानों की भूमिका को सुनिश्चित करेगी। • गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से **आयातित बीजों पर निर्भरता कम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, यह समिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।**

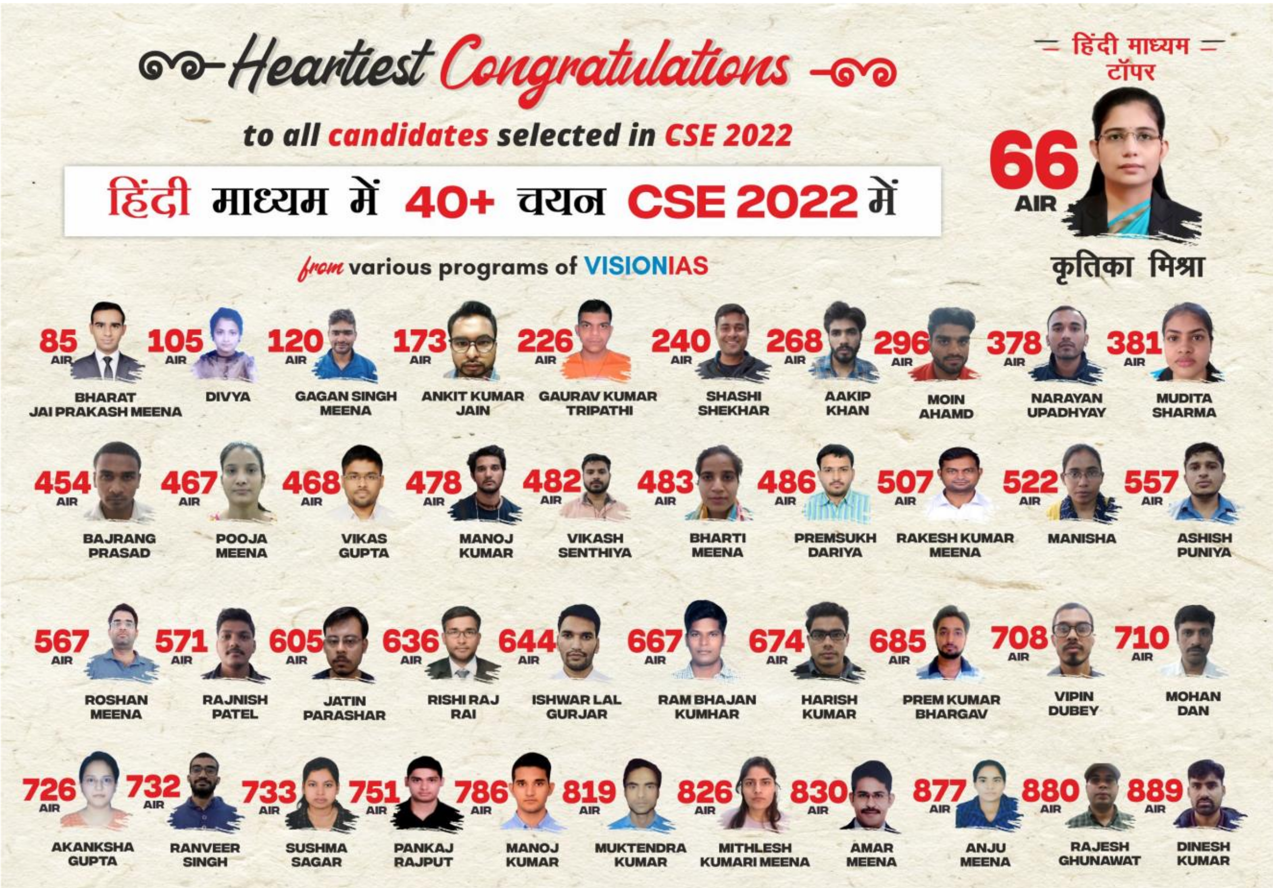

परिशिष्ट (Appendix)

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

विषय	संवैधानिक प्रावधान/आंकड़े	निर्णय/सिफारिशें
मूल ढांचे का सिद्धांत	**अनुच्छेद 368** (संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया)।	**केशवानंद भारती वाद (1973):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रियाएं दोनों शामिल हैं तथा संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां एवं विधायी शक्तियां अलग–अलग हैं। **इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण वाद (1975):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए 39वें संशोधन अधिनियम (1975) को अमान्य घोषित कर दिया था। इस संशोधन के तहत चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। **मिनर्वा मिल्स वाद (1980):** संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति इसके मूल ढांचे के सिद्धांत को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचा सकती है। **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992):** इसके तहत मूल ढांचे में **'विधि के शासन'** को शामिल किया गया था।
नौवीं अनुसूची	इसे **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951** द्वारा एक नया **अनुच्छेद 31B** सम्मिलित करके संविधान में जोड़ा गया था। **अनुच्छेद 31B** में कहा गया है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी अधिनियम/ विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा, कि वे किसी भी अधिकार के साथ असंगत हैं।	**वामन राव बनाम भारत संघ वाद, 1981:** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 24 अप्रैल, 1973 से पहले किए गए संशोधन वैध हैं। यह फैसला केशवानंद भारती के निर्णय और मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास के अनुसार था। **आई. आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद, 2007:** नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस वाद में निर्णय दिया था कि नौवीं अनुसूची को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
अध्यादेश	**अनुच्छेद 123** (संसद के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति)। **अनुच्छेद 213** (विधान–मंडल के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति)।	**आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ वाद, 1970:** इस वाद में शीर्ष अदालत ने कहा था कि **राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता नहीं है।** साथ ही, अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया है तो भी उसे चुनौती दी जा सकती है। **डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद, 1987:** इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि **अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में** इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। **कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य वाद, 1994:** इस वाद में न्यायालय ने माना था कि अध्यादेश जारी करते समय **अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की संतुष्टि** न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

हेट स्पीच	▶ **भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग–अलग धाराओं, यथा– 153A, 153B, 295A आदि के तहत हेट स्पीच के दोषी पर मुकदमा चलाया जा सकता है।**	▶ **कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया, 2004 वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य या जिला प्राधिकरणों को किसी ऐसे व्यक्ति के राज्य या जिले में प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार है, जिसका कोई भाषण लोक व्यवस्था भंग कर सकता है। ▶ **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य, 2014 वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के संबंध में कुछ दिशा–निर्देश जारी किए थे।
आत्म–दोषारोपण के खिलाफ अधिकार	▶ **अनुच्छेद 20(3) के अनुसार,** "किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।"	▶ **एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा (1954):** सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित जरूरी बातों का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 20(3) के दायरे का विस्तार किया– ○ **"अपराध के अभियुक्त" व्यक्ति को** आत्म–दोषारोपण के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। ○ **"गवाह" बनने की "बाध्यता"** से सुरक्षा। ○ **स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने की बाध्यता से संरक्षण।** ▶ **बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओघड़ वाद (1961):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी आरोपी की फोटो, उंगलियों के निशान, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान प्राप्त करना उसके **आत्म–दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन होगा।** ▶ **सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य वाद (2010)** में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि आरोपी की सहमति के बिना उसका **नार्को एनालिसिस टेस्ट करना आत्म–दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन होगा।** ○ इसके अलावा, सवालों के जवाब के देने के क्रम में विकल्प चुनने में **असमर्थता के कारण इन परीक्षणों के परिणामों को स्वीकार नहीं किया** जा सकता है। ○ हालांकि, **आरोपी से डी.एन.ए. नमूने प्राप्त करने की अनुमति** है।
आरक्षण	▶ **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार), **अनुच्छेद 16** (समान अवसर का अधिकार) और **अनुच्छेद 19** (नागरिकों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता)। ▶ **अनुच्छेद 16(3),** केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य विधान–मंडल नहीं। ▶ **अनुच्छेद 243D:** पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान।	▶ **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984):** सुप्रीम कोर्ट ने **"धरती पुत्रों" (स्थानीय लोगों) के लिए कानून के मुद्दे** पर विचार करते हुए अपना मत प्रकट किया था कि ऐसे कानून असंवैधानिक घोषित होंगे। हालांकि, न्यायालय ने इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था। ▶ **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) और एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006):** आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि विशिष्ट कारण मौजूद न हों।

	▶ **अनुच्छेद 330** लोक सभा में **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ▶ **अनुच्छेद 332,** राज्यों की विधान सभाओं में **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।	▶ **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002):** सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था। इसमें जिन जिलों में नियुक्ति की जानी थी, उस जिले या ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को वरीयता दी जा रही थी।
 राजद्रोह	▶ NCRB के अनुसार, **2015 से 2020 के दौरान राजद्रोह के 356 मामले दर्ज किए गए थे।** ▶ वर्ष 2019 में इन मामलों में **दोषसिद्धि (Conviction) की दर 3.3%** थी, जबकि 2020 में यह 33.3% थी। ▶ **राजद्रोह के सबसे अधिक मामले (2010–2020) बिहार में दर्ज किए गए थे।** इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड का स्थान आता है। ▶ **यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, नाइजीरिया और युगांडा** ने राजद्रोह कानून को अलोकतांत्रिक, अवांछनीय तथा अनावश्यक माना है।	▶ **केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य वाद (1962)** – राजद्रोह कानून वैध है। ▶ **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद** में न्यायालय ने माना कि केवल ऐसी नारेबाजी को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है, जिस पर कोई लोक प्रतिक्रिया नहीं हुई हो।
 राज्यपाल	▶ **अनुच्छेद 154:** राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।	▶ **सरकारिया आयोग:** राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। अनुच्छेद–356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग बहुत संयमित तरीके से करना चाहिए आदि। ▶ **पुंछी आयोग:** राज्यपाल का कार्यकाल पांच साल की एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए। ▶ **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC):** किसी राज्य की मंत्रिपरिषद ने विधान सभा का विश्वास खो दिया है या नहीं, इसका परीक्षण केवल सदन में ही किया जाना चाहिए। ▶ **रामेश्वर प्रसाद वाद (2006):** लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद भी गठबंधन किए जाते हैं। अतः राज्यपाल ऐसी सरकारों की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता है ▶ सरकार बनाने के प्रयास में **खरीद–फरोख्त (horse-trading) या भ्रष्टाचार के निराधार दावों** को विधान सभा भंग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	▶ **अनुच्छेद 239AA: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 239AA** जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद **दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान** करता है। इस संशोधन की सिफारिश **एस. बालकृष्णन समिति** ने की थी। ○ इसके तहत **NCT दिल्ली में एक प्रशासक के पद और विधान सभा का प्रावधान** किया गया था। ○ विधान सभा को **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि** संबंधी विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।	▶ **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ वाद, 2018:** उपराज्यपाल, उन मामलों पर मंत्रि–परिषद् की सहायता और परामर्श के लिए बाध्य है, **जो प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल के नियंत्रण में नहीं हैं।** ○ **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि** संबंधी मामलों को छोड़कर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ○ परंतु, मंत्री–परिषद् के निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराना होगा।

	○ उपराज्यपाल (L-G) और उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है, तो उपराज्यपाल उस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा।	
सातवीं अनुसूची	▶ **अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र सरकारों के बीच** तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) में **शक्तियों व जिम्मेदारियों का विभाजन करती है।** ▶ **अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को प्रदान करता है।**	▶ **सरकारिया आयोग की सिफारिशें (1998 की रिपोर्ट):** ○ **कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति** को संघ सूची में रखा जाना चाहिए। अन्य अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ○ **केंद्र को समवर्ती सूची पर अपने अधिकार** का प्रयोग करने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए। ▶ **एम. एम. पुंछी आयोग (2010)** के अनुसार, केंद्र को केवल उन्हीं विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए, जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
अंतर्राज्यीय सीमा विवाद	▶ संविधान का **अनुच्छेद 131** सुप्रीम कोर्ट को **निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्रदान करता है:** ○ **भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद; या** ○ एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद; या ○ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ▶ **अनुच्छेद 263** राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए **अंतर्राज्यीय परिषद गठित** करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच **चर्चा के लिए एक मंच** के रूप में की गई **है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं:** ○ राज्यों के बीच जो **विवाद** उत्पन्न हो गए हैं, उनकी जांच करना और उन पर **सलाह देना;** ○ **कुछ या सभी राज्यों** अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के **साझा हित** से संबंधित विषयों की जांच करना एवं उन पर विचार–विमर्श करना। ▶ **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils):** इनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच **सहयोग और समन्वय को बढ़ावा** देना है।	
अंतर्राज्यीय जल विवाद (ISWDs)	▶ **सातवीं अनुसूची** के तहत **जल राज्य सूची** का विषय है (राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या –17) तथा **संघ सरकार की अंतर्राज्यीय जल** (संघ सूची में प्रविष्टि संख्या– 56) के मामले में केवल संवैधानिक भूमिका है। ▶ **अनुच्छेद 262** संसद को **अंतर्राज्यिक नदियों** या नदी घाटियों के **जल से संबंधित विवादों या शिकायतों के** निपटान के लिए **कानून बनाने** की शक्ति प्रदान करता है।	▶ **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** ने सभी अंतर्राज्यीय नदियों को विनियमित, विकसित और नियंत्रित करने के लिए नदी बोर्ड्स के संविधान व अधिकारिता को परिभाषित करने हेतु एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की है।
शक्तियों का पृथक्करण	▶ **अनुच्छेद 13:** न्यायिक समीक्षा। ▶ **अनुच्छेद 50:** राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करे। ▶ **अनुच्छेद 105 एवं 194: संसद, राज्य विधान–मंडल और उनके सदस्यों की** शक्तियां एवं विशेषाधिकार। ▶ **अनुच्छेद 122 और 212:** न्यायालयों को संसद/राज्य विधान–मंडलों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है।	▶ **केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य वाद:** इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है। इसलिए, **मूल ढांचे** का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ▶ **आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद:** इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नौवीं सूची कुछ कानूनों को **न्यायिक समीक्षा** से पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। यह मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है।

	▶ **अनुच्छेद 361**: राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण।	▶ **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद**: इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को अपने दायरों के भीतर और संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ अतिक्रमणों को ध्यान में रखकर करेंगे।
प्रत्यायोजित विधान	▶ **अनुच्छेद 361**: राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण।	▶ **विमुद्रीकरण का मामला**: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने **केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को सही** ठहराते हुए प्रत्यायोजित कानून को बरकरार रखा है। ▶ **डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य वाद**: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद 312** प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है।
संसदीय विशेषाधिकार	▶ **अनुच्छेद 105 और 194**: क्रमशः संसद एवं राज्य विधान–मंडल के सदस्यों को शक्तियां व विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।	▶ **पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य वाद**: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है, जो उनके भाषण या वोट से संबंधित हैं। ▶ **एम.एस.एम. शर्मा मामला**: इस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब भी भाग V, अनुच्छेद 194(3) (विशेषाधिकार) के प्रावधान और भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
अध्यक्ष का पद	▶ **अनुच्छेद 93** लोक सभा के **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** दोनों के पद के गठन का प्रावधान करता है। ▶ **अनुच्छेद 94**: लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित है। ▶ **अनुच्छेद 96**: जब लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा।	▶ **नबाम रेबिया वाद (2016)**: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **पद से हटाने के नोटिस का सामना करने वाला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही का फैसला नहीं** कर सकता है। ▶ **कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर वाद (2020)**: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल–रोधी कानून के तहत निर्णय उचित समय–सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
दल–बदल विरोधी कानून	▶ 52वां संशोधन अधिनियम 1985 ▶ दसवीं अनुसूची को दल–बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है।	▶ **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु और अन्य वाद (1992)**: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **न्यायिक समीक्षा अध्यक्ष के निर्णय पर भी लागू** होती है। हालांकि, यह अध्यक्ष/सभापति द्वारा निर्णय लेने के दौरान किसी चरण में लागू नहीं हो सकती है। ▶ **कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा एवं अन्य वाद (2020)**: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा तीन महीने के भीतर निर्णय** लिया जाना चाहिए। ▶ **प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' शीर्षक वाली रिपोर्ट और अलग–अलग अन्य विशेषज्ञ समितियों ने सिफारिश** की है कि दल–बदल के आधार पर **सदस्यों की अयोग्यता के मुद्दे पर राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए** और इसके लिए निर्वाचन आयोग की सलाह ली जा सकती है।

न्यायिक नियुक्तियां	▶ संविधान के **अनुच्छेद 124** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। ▶ **अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति** को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।	▶ 1981 से 1998 तक **तीन जजेज़ केस में,** न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए **कॉलेजियम प्रणाली को स्वीकृति दी गई थी।**
प्रिवेंटिव डिटेंशन	▶ **अनुच्छेद 22:** कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है।	▶ **ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद (1950):** न्यायालय ने अनुच्छेद 22(5) के स्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दी थी। ▶ **शिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1953):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। ▶ **शंभू नाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाद (1973):** हालांकि, प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी–कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं।
आंतरिक पार्टी लोकतंत्र	▶ संविधान सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 19 (1) (C) के तहत एक मौलिक अधिकार है। **हालांकि, इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल नहीं है।** ▶ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A)** राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है।	▶ **दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति** जैसी समितियों ने देश में राजनीतिक दलों की अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए मजबूत तर्क दिए हैं।
चुनावी मुफ्त उपहार	▶ संविधान सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 19 (1) (C) के तहत एक मौलिक अधिकार है। **हालांकि, इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल नहीं है।** ▶ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A)** राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है।	▶ **सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) के वाद में,** सुप्रीम कोर्ट ने ECI को राजनीतिक दलों के परामर्श से मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। ▶ निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2016 में **आदर्श आचार संहिता (MCC) के भाग VIII** के अंतर्गत मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के दिशा–निर्देशों को शामिल किया गया था।
सहकारिता	▶ **97वां संशोधन अधिनियम** देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। ▶ **अनुच्छेद 19(1)(c):** यह कुछ निर्बंधनों के अधीन **संगम या संघ अथवा सहकारी सोसायटी बनाने की स्वतंत्रता** की गारंटी प्रदान करता है। ▶ **अनुच्छेद 43B:** इसमें उपबंधित किया गया है कि राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना (Voluntary Formation), उनके स्वशासी कार्यकरण (Autonomous Functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (Democratic Control) और पेशेवर या वृत्तिक प्रबंधन (Professional Management) का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ▶ **संविधान का भाग IXB:** इसने सहकारी सोसाइटियों को संचालित करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया है।	▶ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि **सहकारी समितियां (बहु–राज्य सहकारी समितियों को छोड़कर) राज्य विधायिका की "अनन्य विधायी शक्तियों" के तहत** आती हैं। ▶ सुप्रीम कोर्ट ने देश में "सहकारी समितियों" **को शासित या नियंत्रित करने वाले 97वें संशोधन अधिनियम के कुछ भाग और संविधान के भाग IXB को निरस्त कर दिया है।**

वीकली फोकसः राजव्यवस्था एवं शासन

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची – क्या इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है?	
2.	शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना	
3.	भारत में राजकोषीय संघवाद की बदलती स्थिति	
4.	संवैधानिक नैतिकता	
5.	सरकारी बजटः क्या, क्यों और कैसे?	
6.	अंतर्राज्यीय जल अभिशासन– संघर्ष से सहयोग तक	
7.	मीडिया में सेंसरशिपः एक आवश्यक बुराई?	
8.	भारत की आपराधिक न्याय प्रणालीः न्याय प्रदान करने के लिए संस्थानों में सुधार	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
9.	सहकारिताः सहयोग के माध्यम से समृद्धि	
10.	अनूठा भारतीय संघवादः विकसित होते आयाम और उभरते सरोकार	
11.	चुनावी सुधारः प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक दृष्टिकोण	
12.	संवैधानिक लोकाचारः भारतीय संविधान का सारतत्व	
13.	संवैधानिक लोकाचारः सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र	
14.	संवैधानिक लोकाचार II विविधता में एकता – पंथनिरपेक्षता	
15.	संवैधानिक लोकाचार III विविधता में एकता – बहुभाषावाद	
16.	प्रौद्योगिकी गवर्नेंसः लोक नीति के नए युग का निर्माण	
17.	संवैधानिक लोकाचार IV: स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Lakshya Mains Mentoring Program 2023

LAKSHYA
Mains Mentoring Programme 2023

Lakshya Mains Mentoring Program 2023 is a targeted revision, practice, and enrichment Program that aids students in achieving excellence in the UPSC Mains Examination 2023. The Program adopts a strategic approach by providing smart preparation strategies, developing critical thinking and analytical skills, and advanced answer-writing abilities.

Scan the QR code to Register

Features of the Program

Dedicated Senior Mentor

A Senior Mentor is assigned to each student to provide personalized guidance in each aspect of the Mains examination preparation and assist students in consolidating their strengths maximizing their performance by identifying and improving upon student weaknesses.

Emphasis on High-Scoring Potential Subjects

The Program lays special emphasis on subjects like Ethics and Essay and provides ample opportunity for students to inculcate the learnings and effect their implementation in the answer writing.

Regular Group Sessions

Aspirants engage in interactive sessions conducted by experienced mentors which provide subject-specific strategies, insights from toppers, advanced-level answer-writing skills, etc.

Answer Enrichment

Aspirants gain insights from institutional experience and the answer scripts of previous toppers to enhance the content and presentation of their answers, making them impactful and effective.

Live Practice Sessions

Through these practice sessions, aspirants can implement session learnings and receive immediate feedback from their mentors to refine their approach and boost their confidence.

Lakshya Mains Practice Test (LMPT)

Aspirants can undertake the scheduled LMPTs in online/Offline modes to put their knowledge and skills to the test and validate their preparation strategies.

Expert Evaluation

The LMPT is evaluated by the expert team at VisionIAS through an Innovative Assessment System to provide detailed feedback for further improvement.

Feedback Session with Assigned Mentor

In this session, students can discuss the feedback received on their LMPT performance and their Answer Scripts to address any doubts or concerns in a personalized setting with their Mentor.

Peer Interaction and Motivation

Aspirants participate in constructive discussions, share their experiences, insights, and motivation with fellow aspirants facilitating co-learning and development.

Multi-platform Support

Aspirants can benefit from a comprehensive support system in the form of online/offline Groups and One-to-One sessions, telephonic support, and a dedicated Telegram platform for immediate assistance whenever needed.

With its intelligent design, effective implementation, dedication from Senior Mentors, and active participation of Students, the Program has achieved tremendous success in a short period of time with **Waseem Ahmad Bhat** securing an impressive All India Rank (AIR) of 7, **Siddharth Shukla AIR 18,** and **Anoushka Sharma** securing AIR 20.

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR ISHITA KISHORE
2 AIR GARIMA LOHIA
3 AIR UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

हिंदी माध्यम टॉपर

66 AIR KRITIKA MISHRA
85 AIR BHARAT JAI PRAKASH MEENA
105 AIR DIVYA
120 AIR GAGAN SINGH MEENA
173 AIR ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selections in CSE 2021

2 AIR ANKITA AGARWAL
3 AIR GAMINI SINGLA
4 AIR AISHWARYA VERMA
5 AIR UTKARSH DWIVEDI
6 AIR YAKSH CHAUDHARY
7 AIR SAMYAK S JAIN
8 AIR ISHITA RATHI
9 AIR PREETAM KUMAR

1 AIR SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN | /VISION_IAS | WWW.VISIONIAS.IN | /C/VISIIONIASDELHI | VISION_IAS | /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची